ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों

का

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

(झांसी जनपद के विशेष सन्दर्भ में)

अर्थशास्त्र में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि हेतु
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी को प्रस्तुत
शोध प्रबन्ध

निर्देशक :

डा० ए० पी० श्रीवास्तव
रीडर ग्रामीण अर्थशास्त्र एवं सहकारिता विभाग
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी (उ. प्र.)

द्वारा :
नीलम गुप्ता
(एम. ए.)

Dr. A. P. Srivastava
M.A , D. Phil
READER
Dept. of Rural Economics & Co-operation
& Dean Faculty of Arts

Bundelkhand University
Jhansi-U.P. (India)
PIN-2[illegible]001
Jhansi Ph. : 450779
Alld. Ph. : 502384

Dated .. ..

CERTIFICATE
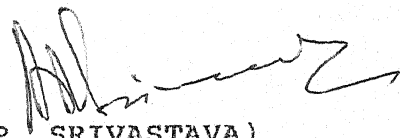
This is to certify that the thesis "IMPACT OF WOMEN AND CHILDREN DEVELOPMENT PROGRAMME IN RURAL ECONOMY WITH SPECIAL REFERENCE TO JHANSI DISTRICT" (HINDI), a thesis submitted by **KM. NEELUM GUPTA** for the award of DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ECONOMICS in his original work. It presents a fresh approach to words the interpretation of facts. The present work evidances that the candidate has been able to examine the facts critically and to pronounce sound decisions as and where they are required.

The thesis satisfies the requirements provided in the ordinance of Bundelkhand University that-

(a) It is her own original work

(b) That the language and method of presentation, interpretation and analysis of data, facts and policies is satisfactory

(c) That the candidate has worked under me for more than the period as laid down in para '7' of the Ph.D. Ordinance of the University.

The thesis is fit for the degree for which it has been submitted by the researcher and I recommend that the Ph.D. Degree in Economics be awarded to the candidate.

(DR. A.P. SRIVASTAVA)
SUPERVISOR
READER IN RURAL ECONOMICS &
CO-OPERATION AND DEAN
FACULTY OF ARTS, BUNDELKHAND
UNIVERSITY
JHANSI

विषय सूची

****

क्रम सं0	विवरण	पृष्ठ संख्या

****

आभार प्रदर्शन

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को वर्तमान रुप देने में हमारे गुरुवर डॉ0 ए0 पी0 श्रीवास्तव, रीडर, ग्रामीण अर्थशास्त्र एवं सहकारिता विभाग, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी का अमूल्य योगदान रहा है। जिसके लिए मेरे पास उनके प्रति आभार प्रदर्शित करने के लिए शब्द नहीं है फिर भी शब्दों के माध्यम से ही हृदय के उद्गार प्रकट किये जा सकते हैं इसलिए इसी माध्यम का सहारा मैने लिया है। विषय की चयन प्रक्रिया से लेकर पूर्ण होने तक उनकी सद्भावना, प्रेरणा तथा आशीर्वाद मेरे साथ रहा, इस हेतु मैं उनकी चिर आभारी रहूँगी ।

विषय की सार्थक अभिव्यक्ति हेतु मुझे बहुत से ग्रन्थालयों से सम्पर्क करना पड़ा । सहयोग प्रदान करने के लिये वहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति भी मैं अपना आभार प्रदर्शित करती हूँ।

इस शोध प्रबन्ध की पूर्णता हेतु मेरे अति आत्मीय पारिवारिक सदस्यों का कितना योगदान रहा उनके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता किन शब्दों में व्यक्त करुँ समझ नहीं आ रहा है। आदरणीय पापाजी ,मम्मीजी ने हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाया और एकाग्र होने की शिक्षा दी। मेरे मनोबल और आत्मविश्वास को मेरे बड़े भाइयों और भाभियों के स्नेह और अपनत्व ने बढ़ाया। विशेष आत्मीय लोगों की श्रेणी में मेरे साथी श्री आलोक गुप्ता की भी अत्यन्त आभरी रहूँगी। जिन्होने शोध की पूर्णता के लिए मुझे सार्थक दृष्टि प्रदान की तथा मुझे शोध के प्रति हमेशा आशान्वित रखा।

जिन पुस्तकों व लेखो से मैने संदर्भ चुने है, उनके लेखको के प्रति मेरा विनम्र आभार, अपने समस्त सहयोगियों, परिचितों को इस सदंर्भ में विस्मृत नहीं करना चाहूँगी जिनका सहयोग किसी न किसी रुप में मुझे मिला है। उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करना मैं अपना नैतिक कर्तव्य समझती हूँ।

नीलम गुप्ता
नीलम गुप्ता

झाँसी

प्रस्तावना

गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार अवसरों का सृजन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से भारतीय आर्थिक विकास के रणनीति के दो प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। इन तथ्यों के प्राप्ति के लिये अर्थ व्यवस्था का आर्थिक विकास एवं विशिष्ट लक्ष्यों के प्राप्ति सम्बन्धी गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों को दो साधनों के रूप में अपनाया गया । गरीबी की समस्या आर्थिक विकास के द्वारा हल हो सकती है या उसके साथ एक विशेष प्रकार की पुर्नवितरण नीति भी इस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए आवश्यक है । इस सम्बन्ध में भारतीय अर्थशास्त्रियों एवं नियोजकों के अलग-अलग विचार रहे हैं । सन 1970 के दशक के मध्य तक भारतीय अर्थ व्यवस्था के विकास की दर बहुत धीमी रही है अतः विकास के माध्यम से गरीबी उन्मूलन (Percolation Theory of Growth Hypothesis) के परिकल्पना का परीक्षण करने का अवसर ही नहीं प्राप्त हो सका। सन 1980 के दशकों तक अर्थ व्यवस्था के विकास की दर 3.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष से 5.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ऊपर नहीं पहुंच सकी । यद्यपि यह एक ऐसा समय रहा है जब कि गरीबी में कमी हुई है और सरकार के द्वारा लक्ष्यों पर आधारित कई गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम चालू किये गये । अतः इस समयावधि में गरीबी में कमी को विकास और आय के पुर्नवितरण के विभिन्न प्रयासों का परिणाम कहा जा सकता है ।

गरीबी एक बहु आयामी विचार है । "गरीब" को अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया गया है और इनमें से कोई विशेष परिभाषा या माप अपने में पूर्णतया स्वयं सिद्ध और (Fool Proof) पर्याप्त नहीं है । भारत में गरीबी का सबसे अधिक लोकप्रिय मापक "उपभोग का दृष्टिकोण" रहा है खाद्य एवं कृषि संगठन (F.A.O.) के द्वारा निर्धारित आदर्शों के आधार पर किसी परिवार या व्यक्ति द्वारा किये गये कुल क्रयों में उस परिवार या व्यक्ति के पास मुद्रा की वह मात्रा जो उसे खाद्यान्नों की "न्यूनतम कैलोरीज" प्राप्त करने के दृष्टिकोण उपभोग के लिए प्राप्त है या नहीं । "कैलोरीज" का आधार ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति के लिए उसके लिंग, उम्र व पेशें के आधार पर निर्धारित की जाती है जिसके आधार पर वह सक्रिय जीवन व्यतीत कर सके ।

गरीबी मापन के विभिन्न निर्धारक तत्वों को चार भागों में बांटा जा सकता है । (1) ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय और उपभोग का विकास (2) विभिन्न दशक वर्ग की जनसंख्या में प्रति व्यक्ति आय कर वितरण (3) प्रत्येक उपभोक्ता वर्ग के उपभोग की प्रवृत्ति और (4) विभिन्न उपभोक्ता वर्गों के उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के सूचकांक जिनके आधार पर ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है ।

सरकार द्वारा चालू किए गये विभिन्न कार्यक्रमों का विभिन्न उपभोक्ता वर्ग के उपभोग पर पड़ने वाले प्रभाव के अतिरिक्त सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे और ऊपर के आधार पर गरीबी का अनुमान लगाया जाता है । गरीबी रेखा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए व्यय की वह न्यूनतम मात्रा होती है जो खाद्यान्नों को खरीदने के लिए पर्याप्त होती है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 2400 क्लोरीज प्रति व्यक्ति तथा शहरी क्षेत्र में 2100 क्लोरीज प्रति व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा कर सके । इसे योजना आयोग द्वारा सन 1973 - 74 कीमत स्तर के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 49.9 रूपये एवं शहरी क्षेत्र के लिए 56.64 रूपये का अनुमान लगाया है ।

समष्टि दृष्टिकोण से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की सफलता या उनके प्रभाव को उपभोग स्तर के परिवर्तन, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि वस्तुओं के मूल्य स्तर, कृषि उत्पादन की आगत वस्तुओं के कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तनों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है समष्टि नीति के अतिरिक्त गरीबी उन्मूलन के लिये व्यक्ति स्तर पर भी लक्ष्यों पर आधारित कार्यक्रम चालू किये गये हैं । इनमें से अधिकांश कार्यक्रम केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा सम्मिलित रूप से चलाये जा रहे हैं जिनके वित्तीय मामलों में 80:20 काअनुपात है । इन कार्यक्रमों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं एवं बच्चों के विकास का कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और रोजगार बीमा योजना आदि हैं ।

ग्रामीण जीवन के गरीबी पर व्यक्ति स्तर पर प्रभावित करने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में से वर्तमान अध्ययन ग्रामीण क्षेत्रों के महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (ड्वाकरा) से सम्बन्धित है । एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में यद्यपि ग्रामीण जीवन के सभी अंगों

को शामिल किया गया है ग्रामीण परिवार को आर्थिक सहायता दे कर उसे गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना, ग्रामीण युवकों को अधिक कुशल बनाने के लिए ट्राइसेम कार्यक्रम पर ग्रामीण महिलाओं को भी अलग से आत्म निर्भर, कार्यकुशल बनाने तथा आय सृजित क्रियाओं में लगाना भी आवश्यक है क्योंकि भारतीय अर्थ व्यवस्था में गरीबी अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्र में ही है ।

वर्तमान अध्ययन में ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम का ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया गया है । इसके द्वारा महिलाओं को आय सृजन एवं रोजगार के अवसरों में किस प्रकार वृद्धि की गयी है जिससे उनका आर्थिक तथा सामाजिक जीवन प्रभावित हुआ है ।

वर्तमान अध्ययन आठ अध्यायों में विभाजित है । प्रथम अध्याय में कार्यक्रम की सामान्य, संक्षिप्त रूप रेखा प्रस्तुत करने के साथ - साथ कार्यक्रम के विकास को झांसी जनपद के सन्दर्भ में किया गया है जिससे वर्तमान अध्ययन सम्बन्धित है । दूसरे अध्याय में अध्ययन विधि को स्पष्ट किया गया है । यह अध्ययन जनपद के जिन विकास खण्डों में यह कार्यक्रम लागू किया गया है उनमें लाभार्थियों के पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का अध्ययन फील्ड सर्वेक्षण के आधार पर किया गया है । अतः अध्ययन विधि के अन्तर्गत सैम्पुल का चुनाव, लाभार्थियों का चुनाव, प्रश्नावली तथा उसके पूरे करने की कार्य प्रणाली को स्पष्ट किया गया है । तीसरे अध्याय में झांसी जनपद की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि को द्वितीयक समंकों के आधार पर स्पष्ट किया गया है । चौथे अध्याय में लाभार्थी द्वारा वर्तमान में किये जा रहे व्यवसायों एवं उद्योगों का विवरण प्रस्तुत किया गया है, पांचवे अध्याय में व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन की विशेषताओं को प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों के आधार पर व्यक्त किया गया है । छठे अध्याय में कार्यक्रम द्वारा उनके आर्थिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों जैसे आय सृजन, उपभोग स्तर, मजदूरी आदि पर विचार किया गया है । सातवें अध्याय में परिवारों के दायित्व एवं सम्पत्तियों के प्रारूप को स्पष्ट किया गया है । आठवें अध्याय में अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों एवं भविष्य की नीति प्रतिपादित करने के लिए सुझाव को दिया गया है, जिनके द्वारा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू कर के ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी दूर की जा सके । वर्तमान अध्याय नीति निर्धारकों, नियोजकों, कार्यक्रमकर्ताओं एवं ग्रामीण विकास में रूचि रखने वाले व्यक्तियों के लिये सहायक हो सकेगा ।

सरणी सूची

****

सारणी सं0	विवरण		पृष्ठ सं0

****

****

सारणी सं0 विवरण पृष्ठ सं0

****

****

सारणी सं0	विवरण	पृष्ठ सं0

****

अध्याय - एक

ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम

गरीबी उन्मूलन देश के नियोजित आर्थिक विकास का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सन् 1970 के दशक के प्रारम्भ से गरीबी उन्मूलन के लिए सरकारी हस्तक्षेप, लाभान्वित लक्ष्य कार्यक्रमों तथा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ता रहा है और 1980 के दशक में ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया गया। छठीं एवं सातवीं दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में सामाजिक न्याय के साथ विकास किये जाने की बात पर जोर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी सम्बन्धी अनुमानों के आधार पर सन 1987-88 में 2000 लाख व्यक्ति या ग्रामीण जनसंख्या का लगभग 33 प्रतिशत गरीब थे। आठवीं पंचवर्षीय योजना में (1992-97) में इस बात को पुनः दोहराया गया कि गरीबी उन्मूलन नियोजित विकास का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। विकास प्रक्रिया के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाना है जिसके लिए ऐसे क्षेत्रों व उपक्षेत्रों में विनियोजन किया जाये जिनमें रोजगार के अवसरों के सृजन की अधिक से अधिक सम्भावनायें हैं और भौगोलिक दृष्टि से उन क्षेत्रों में विनियोजन किया जाये, जिनमें विकास करके रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सकती है। इसके लिए ऐसी उत्पादन तकनीकों और उत्पादों का चुनाव किया जाना चाहिए जो श्रम प्रधान उत्पादन तकनीक द्वारा उत्पादन किया जा सकता है। इस कार्य के लिए ऐसा अनुभव किया गया कि अल्पकालीन दृष्टिकोण से गरीबों और अल्प बेरोजगारों को सरकार द्वारा अतिरिक्त या पूरक रोजगार प्रदान किये जा सकते हैं। सन् 1992-93 में गरीबों के आर्थिक सुधारों की जो प्रक्रिया को अपनाया गया उस गरीबी उन्मूलन रणनीति पर गहन आवागमन की आवश्यकता का अनुभव किया गया।

वर्तमान में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए और उनका ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की रूपरेखा के साथ गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम में महिलाओं से सम्बन्धित प्रभावों को स्पष्ट करना है। महिलाओं

को पुरूषों के समान अवसर तथा समान वेतन या पारिश्रमिक देने के सम्बन्ध में विभिन्न वैधानिक प्राविधानों के होते हुए महिलाओं का स्तर, विशेषकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में निहित विभिन्न कारणों से बहुत ही भिन्न है। हाल के वर्षों में सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक व सामाजिक स्तर में सुधार के लिए कुछ कदम उठाये गये हैं। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में महिलाओं को शामिल करने के लिए आरक्षण भी प्रदान किया गया है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में कुल लाभार्थियों में 40 प्रतिशत महिलाओं को शामिल करने का प्राविधान रखा गया है। इसी प्रकार जवाहर रोजगार योजना में यह 30 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इन योजनाओं में महिलाओं को गत तीन वर्षों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 33 प्रतिशत था, जवाहर रोजगार योजना में 25 प्रतिशत तक शामिल किया गया है, जो लक्षित प्रतिशत कम रहा है। गुणात्मक दृष्टिकोण से स्थिति और अधिक खराब रही है, क्योंकि कुछ महिलायें जिन्होंने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जो परि-सम्पत्तियां प्राप्त की हे या जो आय प्राप्त करती हैं, उन पर उनका नियंत्रण नहीं है।[1]

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1979-80 में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मानवीय जीवन के विभिन्न अंगों या पक्षों को शामिल किया गया। परिवार के प्रधान जो गरीबी के रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे थे, उन्हें आय सृजित परिसम्पत्तियां प्रदान करने के अतिरिक्त महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने और नव युवकों को कुशल श्रमिक या कार्य करने वाला बनाने के लिए ट्राइसेम की योजना प्रारम्भ की गयी। कुछ समय के ही पश्चात यह अनुभव किया गया कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं व बच्चों को विकसित करने का पर्याप्त अवसर व ध्यान नहीं मिल पा रहा है। अतः ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए

---

1. New Initiatives for Poverty Alleviation in Rural India - Rohini Nayyar, Economic Reforms and Poverty Alleviation in India Page 193, Sage Publications, Edited by C.H. Hanumantha Rao.

1982-83 में एक अलग से कार्यक्रम ड्वाकरा (DWACRA) प्रारम्भ किया गया। ड्वाकरा के अन्तर्गत महिलाओं के एक समूह को अनुदान व ऋण की मिली -जुली आर्थिक सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त कुशलता में वृद्धि तथा आय सृजन सम्बन्धी क्रियाओं को करने का अवसर प्रदान किया जाता है और ऐसा अनुमान लगाया गया था कि जिन महिलाओं के समूह को इसके अन्तर्गत चुना जाता है वे समूह अन्य सेवायें जैसे परिवार के कारण, स्वास्थ्य रक्षा, शिक्षा और बच्चों के देखरेख आदि भी की जा सकेगी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भ में प्रत्येक समूह को 25-25 हजार रूपये का अनुदान अधोसंरचना के विकास, कच्चे माल का क्रय, विपणन, शिशु पालन आदि के लिए दिया जाता है। वर्तमान में यह योजना देश के सभी जिलों तक लागू है। जहां तक इस कार्यक्रम की सफलता का प्रश्न है, यहां पर केवल इतना कहा जा सकता है कि यह कार्यक्रम, दक्षिणी राज्यों विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में अधिक सफल रहा है। सन 1992-93 के अन्त में ड्वाकरा के अन्तर्गत समूहों की संख्या 400 थी जो 1993-94 में बढ़कर 4000 और 1994-95 में वह 12000 हो गयी है।[2]

1. आवश्यकता उद्देश्य एवं महत्व

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्षित वर्ग के परिवारों की महिला सदस्यों या परिवार की मुखिया महिला को आवश्यकतानुसार सहायता नहीं प्राप्त हो सकी। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के समग्र उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम की नीति के एक भाग के रूप में महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में अत्यधिक ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक समझा गया।

---

2. Economic Reforms and Poverty Alleviation in India, Edited by C.H. Hanumantha Rao - Page 194.

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और शिशुओं के विकास की योजना इसी ढांचे के अन्तर्गत एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम की एक उप-योजना के रूप में लागू की गयी। महिलाओं की आय परिवार की पोषण व शिक्षा सम्बन्धी स्तर में तथा महिलाओं के स्तर के प्रति एक सुनिश्चित दृष्टिकोण जागृत करने में एक उपयोगी सह-सम्बन्ध माना जाता है इसीलिए महिलाओं के लिए अधिक आय अर्जन के अवसर सुनिश्चित करना आवश्यक है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा शिशुओं के विकास की योजना महिलाओं के लिए आय सृजन कार्य कलाप मुहेया करना चाहती है और साथ ही सहायता प्राप्त महिलाओं के लिए सुपुर्दगी पद्धति के रूप में संगठनात्मक सहायता मुहैया करने के प्रयास भी करती है ताकि वे उस क्षेत्र में उपलब्ध माल और सेवाओं के कारगार प्राप्तकर्ता बन सके। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और शिशुओं के विकास का लक्षित वर्ग 4800 रूपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार हैं, किन्तु इसकी कार्य पद्धति महिलाओं के लिए समूह गठित करके चलती है। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और शिशु विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रावधान केवल समूह के लिए ही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों का विकास कार्यक्रम वर्ष 1982-83 में सभी राज्यों के 50 चुनिन्दा जिलों में एक औद्योगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया। वर्ष 1985-86 के दौरान इसे प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र के एक जिले में आरम्भ किया गया। कार्यक्रम को प्रतिवर्ष क्रमबद्ध आधार पर बढ़ाया गया है। योजना में 15-20 महिलाओं को एक समूह बनाने पर बल दिया गया है, इसमें महिलाओं से सभी के आपसी हित में किसी कार्यकलाप के लिए एक साथ आने की आशा की जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं तथा बच्चों के विकास कार्यक्रम वाले प्रत्येक खण्ड में एक केन्द्र की दर से बहुउद्देश्यीय सामुदायिक केन्द्र स्थापित किया जाता है। कार्यक्रम में प्रेरणा प्रवृत्ति मूलक परिवर्तन तथा जागरूकता पैदा करने के लिए प्रशिक्षण पर अत्यधिक जोर दिया जाता है।

2. **योजना क्रियान्वयन**

(1) यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और शिशुओं के विकास का लक्षित वर्ग वही है जो एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम का है। 4800 रूपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार परन्तु इसकी कार्य पद्धति महिलाओं के समूह गठित करके चलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और शिशु विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रावधान केवल समूह के लिए ही होता है। अलग-अलग व्यक्तियों के लिए वित्तीय व्यवस्था एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम की वजह से एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के प्रतिमान के आधार पर दी जाती है।

(2) इस योजना में 15-20 महिलाओं का एक समूह बनाने पर बल दिया गया है, इसमें महिलाओं से सभी के आपसी हित से किसी कार्य कलाप के लिए एक साथ आने की आशा की जाती है, समूह बनाने का लक्ष्य आय सृजन कार्यकलाप भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन यह इनके कार्यकलापों जिन्हें यह समूह करता है, के कुल सप्तक का एक अत्यावश्यक संघटक होगा। समूह के गठन की प्रक्रिया महिलाओं और आरम्भिक स्तर पर सरकारी कर्मचारियों के बीच सम्पर्क स्थापित करने की प्रक्रिया भी होनी चाहिए। गठन की प्रक्रिया में यह समूह एक ऐसे समूह संयोजक का पता लगायेगा जो सम्पर्क कार्य का उत्तरदायित्व लेगा, इस समूह को निम्नलिखित सहायता उपलब्ध होती है : -

(क) एक समय के अनुदान के रूप में 15,000/- रूपये जिसमें भारत सरकार व राज्य सरकारों तथा यूनीसेफ का समान मात्रा में योगदान होगा, इसका उपयोग निम्न कार्यों के लिए किया जा सकता है : -

1. कच्ची सामग्री खरीदने तथा विपणन के लिए परिश्रमी धनराशि ।

2. समूह संयोजक को मानदेय देना, जिसकी राशि एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिमाह 50 रूपये से अधिक नहीं होगी।
3. आय सृजन कार्यकलाप के लिए अब संरचना सम्बन्धी सहायता ।
4. शिशु देखभाल सुविधाओं पर एक समय में होने वाला व्यय।

(ख) समूह संयोजक के लिए एक वर्ष तक 200/- रूपये की दर से यात्रा भत्ता ।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के अन्तर्गत व्यवहार आर्थिक कार्यकलाप शुरू किये जा सकते हैं। इन कार्यकलापों को समूह द्वारा अभिज्ञात किया जाना चाहिए, जिसमें ग्राम सेविका, मुख्य सेविका तथा सहायक परियोजनाधिकारी उपयुक्त सहयोग दें।

(4) जिस विकास खण्ड में यह योजना लागू है, प्रत्येक में एक केन्द्र की दर से बहुउद्देश्यीय सामुदायिक केन्द्र स्थापित कर रहा है। यह केन्द्र प्रशिक्षण, उत्पादन और बच्चों की देखरेख की सुविधायें मुहेया कराने के अतिरिक्त ग्राम सेविका के लिए रिहायशी आवास भी मुहेया करायेगा।

(5) कार्यक्रम में प्रेरणा प्रवृत्तिमूलक परिवर्तन तथा जागरूकता पैदा करने के लिए प्रशिक्षण पर अत्यधिक जोर दिया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन उन कार्यकर्ताओं के लिए करना होता है, जिन्हें कार्यक्रम के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है।

(6) कार्यक्रम में उप सचिव स्तर की एक महिला को राज्य स्तर पर कार्यक्रम का प्रभारी बनाया गया है, इनके लिए अवर श्रेणी लिपिक, वेयक्तिक सहायक तथा एक संदेशवाहक प्रलेख मिलेगें। एक महिला सहायक परियोजना अधिकारी होती हैं जो जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की सहायता

करती है तथा कार्यक्रम के क्रियान्वयन की ध्यानपूर्वक देखरेख करती है। एक मुख्य सेविका तथा दो ग्राम्य सेविकाओं प्रत्येक विकास खण्ड पर रखी गयी हैं।

(7) योजना के संचार व्यवस्था हेतु साहित्य, फिल्मस्ट्रिप, स्लाइड आदि जैसे दृश्य तैयार करने की व्यवस्था है।

(8) परियोजनायें शुरू करने में स्वैच्छिक एजेन्सियों की सहायता करने के लिए विधियां निर्धारित की गयी हैं। इस उद्देश्य के लिए विधियां लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण तकनीकी विकास परिषद (कापार्ट), गुरूनानक फाउण्डेशन बिल्डिंग, न्यू मेंहरोली रोड, नई दिल्ली की मार्फत दी जाती है।

(9) यदि समूह समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है, तो यह आर्थिक कार्यकलापों के लिए एक समूह के रूप में बेंक से ऋण ले सकती है। यदि समूह अनौपचारिक है, तो यह एक समूह के रूप में बेंक से ऋण नहीं ले पायेगा और संयुक्त ऋण तथा राज सहायता अलग-अलग करके व्यक्तिगत ऋणों में बदल दिया जायेगा। ऋण की कुलराशि के लिए समूह गारंटी देगा।

(10) ग्रामीण युवकों को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना से आशा की जाती है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा शिशु विकास कार्यक्रम के लाभानुभोगियों के लिए कुशलता सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने का भी प्रबंध करेगा।

(11) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा शिशु विकास कार्यक्रम के सम्पूर्ण लक्ष्यों को देखते हुए समूह से आशा की जाती है कि वह ग्राही पद्वति में अपने को विकसित करेगा जो कि लक्षित समूह के लिए अभिप्रेत लाभ प्राप्त करने में कारगर सिद्ध होगा। इस प्रकार समूह उसके सदस्यों

के लिए उपलब्ध सुविधायें, केवल विभिन्न ग्रामीण विकासशील कार्यक्रम ही नहीं अपितु सरकारी संगठनों और विभागों द्वारा चलाये जा हे कार्यक्रमों को भी शुरू नहीं कर सकेगा। यह सुनिश्चित करने के प्रयासों की आवश्यकता है कि ऐसे पूर्ण निर्धारित स्थान और समय पर समूह एकत्र होता है, जहां अन्य विभागों के कार्यकर्ता भी अपने संदेश/सेवा पहुंचाने के लिए उन तक पहुंच सकें।

(12) एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम की एक उपयोजना होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा शिशु विभाग की योजना का प्लान, क्रियान्वयन तथा प्रबोधन करने का मुख्य उत्तरदायित्व जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को सौंपा गया है।

(13) योजना को कार्यक्रम का एक सानूहिक मूल्यांकन माना गया है, जिसका संचालन ग्राम सेविका, मुख्य सेविका तथा समूह के सदस्य करेगें, समूह ग्राम सेविका व मुख्य सेविका के साथ छः माह के अन्तराल से इस बात पर विचार विमर्श करने के लिए बेठक करते हैं कि कार्यक्रम के आरम्भ होने के समय उन्होंने अपने लिए क्या उद्देश्य निर्धारित किए हें ओर विकास काल स्तर पर इनकी कहां तक पूर्ति हुयी है, उससे क्या लाभ मिल रहा है, कोन-कोन सी कठिनाइयां तथा समस्यओं सामने आयी हें तथा किस प्रकार उनका समाधान किया गया है।

3. **झांसी जनपद में योजना का प्रारूप**

जनपद में डी0डब्ल्यू0सी0आर0ए0 योजना वर्ष 1992-93 से आरम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 में जनपद के दो विकास खण्ड चयनित करने के आदेश शासन द्वारा जनवरी 1993 में दिये गये। निर्देशानुसार इस जनपद के दो विकास खण्ड चिरगांव एवं मऊरानीपुर को इस योजनान्तर्गत चयन्ति किया गया।

वर्ष 1992-93 के लिए इस योजना हेतु भारत सरकार का अंश 2.55 लाख राज्य सरकार का अंश 2.55 लाख तथा यूनीसेफ का अंश 2.50 लाख कुल 7.60 लाख की धनराशि प्राप्त हुयी थी, जो मार्च 1993 तक दोनों विकास खण्डों को बराबर-बराबर उपलब्ध करा दी गयी थी। योजना के कार्यान्वयन हेतु सरकारी कार्यकारी निर्देश तथा अभिलेख तेयार करने हेतु आवश्यक रूपपत्र भी विकास खण्डों को उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

योजना के अन्तर्गत दोनों विकास खण्डों में वर्ष 1992-93 हेतु 25-25 महिला समूह गठित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके सापेक्ष माह मार्च, 93 तक विकास खण्ड चिरगांव में 15 महिला समूह तथा विकास खण्ड मऊरानीपुर में 10 महिला समूह गठित किये जा चुके हैं।[3]

4. **ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं ओर बच्चों का विकास कार्यक्रम का आलोचनात्मक अध्ययन**

इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए आय सृजन, कार्य कलाप मुहैया करना है तथा सहायता प्राप्त महिलाओं के लिए सुर्पुदगी पद्वति के रूप में संगठनात्मक सहायता मुहैया करने के प्रयास करना है, ताकि वे इस क्षेत्र में उपलब्ध माल और सेवाओं में कारगर प्राप्तकर्ता बन सकें। योजना के अन्तर्गत महिलाओं को आमदनी बढ़ाने वाले कार्य मुहैया कराये जाते हैं, कि इनके परिवारों का खान-पान और रख-रखाव में सुधार हो सके।

इस योजना के अन्तर्गत एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम की भांति ही रू0 6,000/- वार्षिक आमदनी वाले परिवारों की महिलाओं का चयन किया जाता है। इसके अतिरिकत कुछ ऐसी महिलाओं का भी चयन किया जाता है जो अपात्र हैं। अपात्र महिलाओं का चयन योजना के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

---

1. स्रोत - जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, झांसी ।

इस योजनान्तर्गत प्रत्येक समूह में 15 से 20 महिलाओं को सदस्य बनाया जाता है, ताकि अधिक से अधिक महिला सदस्यों को योजना से लाभान्वित किया जा सके। गठित समूहों में महिला सदस्यों की संख्या 10 से 15 है।

ग्रामीण महिला एवं बालोत्थान योजना (डी0डब्ल्यू0सी0आर0ए0) एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के उप कार्यक्रम के रूप में उत्तर प्रदेश में 1983-84 से कार्यान्वि किया गया है। कार्यक्रम के अन्तर्गत (1) महिलाओं के लिए आर्थिक आय सृजन के अवसर सुनिश्चित किया जाता है, क्योंकि महिलाओं की आय को परिवार के पोषण, शिक्षा तथा महिलाओं के स्तर को ऊंचा करने में सहायक होता है।

(2) योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बिन्दुओं के विकास के अन्तर्गत महिलाओं को आय सृजन कार्य कलाप के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ संगठनात्मक ढांचा देकर क्षेत्र में उपलब्ध माल तथा सेवाओं को मुहैया कराने का भी उद्देश्य प्राप्त किया जाता है।

योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड में गांवों का चयन किया जाता है। गांवों का चयन आवागमन साधनों तथा अवस्थापना की सुविधाओं, बाजार की निकटा, कच्चे माल की उपलब्धता, परम्परागत व्यवसायों में पूर्व से योगदान, विपणन की सुविधा आदि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया जाता है।

5. समूह का गठन:

कार्यक्रम के भौतिक लक्ष्यों के आधार पर निम्न आधारों पर समूहों का गठन किया जाता है : -

(1) प्रत्येक विकास खण्ड में अधिकतम 50 समूह गठित किया जाना है। जब तक विकास खण्ड में 50 समूहों का गठन नहीं हो जाता। कार्यक्रम का विस्तार अन्य विकास खण्डों में इसका विस्तार नहीं किया जाता है।

(2) प्रत्येक समूह में 10 से 15 महिलाओं का चयन किया जाता है।

(3) समूहों में समता या एकरूपता बनाये रखने के लिए लगभग एक ही सामाजिक तथा आर्थिक स्तर की महिलाओं का चयन किया जाता है। कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल उन परिवारों की महिलाओं को शामिल किया जाता है जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले होते हैं और विशेषकर एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत पात्र परिवारों की महिलाओं को रखा जाता है।

(4) कार्यक्रम के अन्तर्गत 18 से 45 वर्ष की आयु वाली महिलाओं को शामिल किया जाता है। ट्राइसेम योजना में केवल 18 से 35 वर्ष के युवकों का चुनाव प्रशिक्षण के लिए किया जाता है पर महिला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत (डी0डब्ल्यू0सी0आर0ए0) 35 वर्ष से अधिक आयु वाली महिलाओं को भी शामिल किया जाता है। महिलाओं के चयन के सम्बन्ध में केवल आयु के आधार पर उन्हें गरीबी में नहीं छोड़ा जा सकता है, बल्कि 45 वर्ष की आयु तक की महिलाओं को प्रशिक्षण तथा ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है।

(5) कार्यक्रम को प्रारम्भ करने के पहले दो बातों पर विचार किया जाता है। ऐसे गांवों में एवं ऐसी महिलाओं का चयन किया जाता हे जो कार्य करने की इच्छुक होती हैं, साथ ही जो कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने वाले हैं, उनके सफल होने की सम्भावनायें होनी चाहिए।

(6) महिलाओं के समूह का सुचारू रूप से संचालन के लिए समूह की महिलाओं में से समूह की संयोजिका बनाया जाना चाहिए, जिसके लिए संयोजिका का थोड़ा पढ़ी लिखी तथा जिसमें नेतृत्व का गुण विद्यमान हो तथा कार्यक्रम में रूचि रखती हो और अवैतनिक रूप में कार्य करने

की इच्छुक हो साथ में एक महिला को कोषाध्यक्ष के रूप में भी चयन किया जाना चाहिए। समूह संचालन में रूचि जागृत करने के लिए संयोजिका को पच्चास रूपये प्रतिमाह मानदेय के रूप में दिये जाने का प्राविधान है।

6. **आर्थिक कार्य कलापों का चयन :**

1. ग्रामीण महिलाओं को आत्म निर्भर तथा आय प्राप्त करने योग्य बनाने के लिए ऐसे आर्थिक क्रिया कलापों का चयन किया जाता है, जिसके लिए कच्चे माल की प्राप्ति सरलता से हो सके तथा प्रशिक्षण के लिए वांछित योग्यतायुक्त संस्था एवं स्थायी तौर से बाजार की प्राप्ति हो सके।

2. व्यवसायों के चुनाव में आर्थिक रूप से लाभकारी व्यवसायों का चुनाव किया जाता है। साथ ही नये नये लाभकारी व्यवसायों का चुनाव करके स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विपणन की समुचित व्यवस्था भी की जाती है।

3. उत्पादन की एक पर्याप्त मात्रा की प्राप्ति के लिए 5 से 10 महिला समूहों को यथा सम्भव एक ही क्रिया कलाप दिये जाने का प्रयास किया जाता है, जससे उत्पादन का स्केल बढ़ सके और माल की उपलब्धता बढ़ सके और उत्पादित माल के विपणन में सुविधा हो सके।

4. कार्यक्रम एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का एक घटक है। अतः इसके अन्तर्गत भी मल्टीपिल एसेट देकर और पूंजी निवेश 15,000/- रूपये या इससे अधिक धनराशि करने का प्रयास किया जाना चाहिए। महिला समूहों के द्वितीयक तथा तटसियरी सेक्टर से सम्बन्धित कार्य कलापों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाना चाहिए पर जिन क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन अधिक होा हे वहां दुधारू पशु और अन्य स्थानों पर कुक्कुट पालन, सुअर पालन या अन्य कार्यकलाप भी मल्टीपिल एसेट योजना के अन्तर्गत दिया जा सकता है।

7. प्रशिक्षण का प्रारूपः

इस योजना के अन्तर्गत दो प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान किये जाते हैं-

(क) प्रेरणात्मक प्रशिक्षण

(ख) कौशल प्रशिक्षण

(क) **प्रेरणात्मक प्रशिक्षण -**

प्रेरणात्मक प्रशिक्षण के अन्तर्गत निम्नानुसार सत्र आयोजित किये जाते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता के लिए इसे नियमित रूप से एवं अत्यन्त गम्भीरता पूर्वक संचालित किया जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण का व्यय यूनीसेफ द्वारा प्रदान किया जाता है। अतः यूनीसेफ द्वारा तैयार किये गये मार्ग निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाता है। धनराशि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा अवमुक्त की जाती है तथा मार्ग निर्देशानुसार अवमुक्त किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति यूनीसेफ द्वारा की जाती है। व्यय की पूर्ति किसी संस्थान को उस समय ही दी जाती है, जब संस्थान द्वारा प्रतिमाह कम से कम 12 दिन का प्रशिक्षण तथा प्रतिदिन कम से कम 15 तथा अधिक से अधिक 20 प्रशिक्षार्थी का होना आवश्यक है। क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान के वरिष्ठ प्रशिक्षक/: अधिकारी तथा प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी को ड्वाकरा प्रशिक्षण हेतु नियमानुसार मानदेय दिया जाता है। प्रशिक्षण के लिए अलग से स्टाफ की नियुक्ति नहीं की जाती है।

(ख) **कौशल प्रशिक्षण -**

आर्थिक कार्यकलापों के चुनाव के पश्चात उसमें प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। यहां प्रशिक्षण ट्राइसेम के मार्ग निर्देशों के अनुसार ही संचालित किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में जिन महिलाओं की आयु 35 वर्ष से अधिक होती है उन्हें कौशल प्रशिक्षण ट्राइसेम के पैटर्न पर दिया जाता है, केवल उसका व्यय ट्राइसेम मद से न होकर

आई0आर0डी0पी0 अवस्थापना मद से किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान ही टूल किट्स उपलब्ध करा दिया जाता है, जिससे वे अभ्यास कर सकें।

उत्पादन की गुणवत्ता उच्च स्तर की बनाये रखने के लिए कौशल प्रशिक्षण अत्यन्त विख्यात संस्थाओं/ मास्टर क्राफ्टमैन द्वारा ही दिये जाने की व्यवस्था की जाती है। किसी भी ट्रेड के प्रशिक्षण की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होती है। प्रशिक्षण के उपरान्त समूहों को दो या तीन वर्ष तक कच्चा माल उपलब्ध कराने तथा उत्पादित वस्तुओं के विपणन की व्यवस्था के लिए संस्थाओं द्वारा बैक वर्ड तथा फारवर्ड लिंकेज सुनिश्चित किया जाता है।

8. कौशल अभिवृद्धि प्रशिक्षण

इस प्रकार का प्रशिक्षण कार्यरत ड्वाकरा समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं में गुणात्मक सुधार लाने के लिए दिया जाता है। ड्वाकरा समूह जो उत्पादित वस्तुओं में गुणात्मक सुधार लाने के इच्छुक हैं तथा उसकी आवश्यकता का अनुभव करते हों उन्हें इस प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है।

9. आवश्यक आर्थिक सहायता की व्यवस्था :

महिला समूहों द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए निम्न प्रकार से फण्ड का उपभोग किया जाता है : -

1. आर्थिक कार्यकलाप के लिए कच्चा माल की उपलब्धता तथा विपणन की व्यवस्था ।

2. समूह संयोजिका को 50 रूपये प्रतिमाह मानदेय एक वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है।

3. आर्थिक कार्य कलापों के लिए अवस्थापना सुदृढ़ीकरण।

4. समूह सदस्याओं के ऋण स्वीकृत कराने हेतु की गयी यात्रा पर एक मुश्त या अधिकतम 500/- रूपये की धनराशि व्यय की जाती है।

प्रत्येक महिला समूह के लिए रिवाल्विंग फण्ड के रूप में 15,000/- रूपये मात्र जमा कर दिया जाता है। सघन ड्वाकरा समूह में यह धनराशि बढ़ाकर 25,000/- रूपये कर दी जाती है। यह अतिरिक्त धनराशि केवल उन समूहों को दी जाती है, जिनके वर्तमान आय सृजन के कार्यकलाप सफलता पूर्वक चल रहे होते हैं तथा जिन्हें बढ़ाने के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है।

योजना के अन्तर्गत समूह की महिलाओं को एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यावसायिक बैंकों से ऋण व्यवस्था आर्थिक परियोजना के चयन एवं ट्राइसेम प्रशिक्षण के प्रारम्भ होने के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जाता है। महिलाओं को बैंक से सामूहिक ऋण उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होता है। समूह की महिलाओं को बैंक से व्यक्तिगत ऋण स्वीकृत किये जाने की दशा में उन्हें 50 प्रतिशत का अनुदान नियमों के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं हो पाता है।

प्रति महिला कम से कम 15,000/- रूपये के पूंजी निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से 4 प्रतिशत ब्याज पर महिलाओं को ऋण प्रदान कराने तथा कापार्ट से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है।

10. उत्पादन एवं विपणन:

1. महिला समूह को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए ऐसे व्यवसाय का चयन किया जाना चाहिए, जिससे चयनित व्यवसाय समूह के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी सिद्ध हो सके तथा महिलाओं की अवरूद्ध परम्परागत कोशल पर आधारित भी होना चाहिए।

2. महिला समूह के व्यवसाय उत्पादन एवं विपणन के सम्बन्ध में जिला उद्योग केन्द्र, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड तथा उत्पादन एवं विपणन में कार्यरत अन्य विभागों एवं संस्थाओं के परामर्श से क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं संस्थाओं के अनुरूप विकास खण्ड वार वार्षिक उत्पादन कार्य योजना तैयार की जाती है, जिसके अन्तर्गत उपलब्ध आर्थिक संसाधनों, अवस्थापना, एवं विपणन की भावी रणनीति भी निर्धारित की जाती है। इसी कार्य योजना के आधार पर ड्वाकरा समूहों के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाना निश्चित किया जाता है।

3. योजना में उत्पादन एवं विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों द्वारा महिला समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुएं प्राथमिकता के आधार पर क्रय करने की कार्यकारी निर्देश निर्गत किये जाते हैं।

4. जनपद स्तर पर आयोजि मेलों में ड्वाकरा समूहों द्वारा भाग लेना सुनिश्चित किया जाय। मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन पूर्व में ही कराया जाय, ताकि अधिकतम बिक्री सुनिश्चित हो सके।

5. जिला स्तर पर महिला समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की विपणन व्यवस्था सुनिश्चित कराने तथा उसका अनुश्रवण करने हेतु जिला स्तर पर एक समिति गठित की गयी है, जो विपणन के कार्य को प्रोत्साहित करती है।

6. महिला समूह द्वारा उत्पादित वस्तुओं का विक्रय सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर शो रूम इम्पोरियम स्थापित किये गये हैं।

7. विभिन्न माध्यमों से विक्रय किये गये माल से प्राप्त धनराशि का वितरण महिला समूहों में किये जाने की कार्यवाही भी सुनिश्चित किया जाता है, जिससे महिलाओं को कुछ धनराशि प्राप्त होती रहे तथा उनके

उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती रहे। कच्चे माल की प्राप्ति को बनाये रखने के लिए एक निश्चित धन राशि रिवाल्विंग फण्ड में जमा कराया जाना आवश्यक है।

8. विपणन व्यवस्था में सुधार के लिए जनपद स्तर पर जिला आपूर्ति एवं विपणन समितियों का गठन प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। इन समितियों द्वारा कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, महिलाओं को उत्पादन पूरक प्रशिक्षण तथा उद्यमिता विकास का प्रबंध एवं विपणन की समुचित व्यवस्था करेगी।

9. महिला समूह द्वारा उत्पादित उत्पादों में गुणवत्ता नियंत्रित करने के लिए खाद्य पदार्थों के लिए एगमार्क तथा एफ0पी0ओ0 प्रमाण पत्र भी प्राप्त करने की कार्यवाही की जाये।

10. विपणन व्यवस्था में गैर सरकारी संस्थाओं का भी सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाय। इन संस्थाओं की सेवायें उत्पादन पूरक प्रशिक्षण फारवर्ड तथा बेकवर्ड लिंकजेज तथा संस्थानों की अवस्थापना सुविधायें प्राप्त करने में ली जा सकती हैं।

अध्याय-दो

अध्ययन विधि

विगत दो दशकों से आर्थिक विकास में महिलाओं के योगदान के सम्बन्ध पर विचार किया जाने लगा है। वर्तमान में यह स्वीकार यिा जा चुका है कि भारत जैसे विकासशील देश में कार्यरत जनसंख्या (पुरूष, महिलायें एवं बच्चे) विभिन्न क्रिया कलापों द्वारा अपना जीविकोपार्जन कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश महिला जनसंख्या भी विभिन्न क्रिया कलापों में लगी हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिला जनसंख्या सामान्यतया कृषि या भूमि पर आधारित उत्पादन कार्य, पशुओं पर आधारित तथा विनिर्माण कार्यों में लगी हैं। इनके द्वारा छोटे व्यापारी और फेरीवाली, ग्रामीण श्रमिक तथा विभिन्न प्रकार की सेवायें प्रदान करने का कार्य किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र की विभिन्न क्रियाओं जैसे जीवन निर्वाह कृषि, दुग्ध व्यवसाय, बुनाई, दस्तकारी, कृषि उत्पादों में विधायन तथा निर्माण कार्यों में भी महिलायें लगी हुयी हैं पर इनके महत्व के सम्बन्ध में बहुत कम ध्यान दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के उत्पादन कार्यों में महिलाओं के क्रियाओं के ज्ञान का क्षेत्र अभी भी सीमित है। केवल प्रशिक्षित महिलाओं के कार्य करने के घण्टों, विशेष कार्य में उनकी कठिनाइयों एवं समस्याओं और मजबूरी आदि पर विचार किया गया है। अतः ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न उत्पादन के कार्यों में महिलाओं में किये जाने वाले कार्यों, उनकी समस्याओं, कठिनाइयों और अन्य पहलुओं पर विचार करना अध्ययन का अभी भी एक नया क्षेत्र है। यद्यपि इस दिशा में ज्ञान तथा जानकारी के प्रयास प्रारम्भ हो चुके हैं पर अभी भी यह प्रक्रिया धीमी है।

'महिलाओं को ही अपनी रक्षा करनी है', इस बात की जानकारी महिलाओं में महिलाओं के संगठन जो कार्य करने वाली महिलाओं के कल्याण एवं सुरक्षा के लिए कार्यरत हैं, उनके कार्यों के माध्यम से हुयी हैं। इन संगठनों का कार्य महिलाओं के कल्याण एवं उनके संगठन के लिए कार्यरह रहता है। महिलाओं के संगठन उन्हें संगठित करने तथा उनके जीवन में सुधार के लिए कार्यशील है। इन संगठनों द्वारा महिलाओं के जीवन सुधार के लिए धनात्मक कार्य किये जाते हैं और उनके द्वारा नीति निर्धारकों, संस्कारों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्यों में हस्तक्षेप किया जाता है। संगठनों के इन कार्यों द्वारा महिलाओं को वास्तविक रूप में सहायता की जा सकती है। यह इस बात की जानकारी पर निर्भर है कि महिलायें किन-किन क्रिया कलापों में लगी हैं और उनकी प्रमुख समस्यायें कौन-कौन सी हैं, जिन्हें महिला संगठनों द्वारा अपने कार्य में सम्मिलित किया जा रहा है वे उनके कार्यों तथा नीति को पर्याप्त आधार प्रदान करती हैं। आर्थिक क्रिया-कलाप क्षेत्रों के अनुसार अलग-अलग होते हैं, क्योंकि विभिन्न क्षेत्र में मांग पक्ष की ओर से विचार करने पर कच्चे मालों की प्राप्ति तथा बाजार की दशा में अलग-अलग तथा पूर्ति पक्ष की ओर से वस्तुओं की सेवाओं के प्रकार तथा स्वभाव अलग-अलग होते हैं। अतः महिलाओं द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं की क्षेत्रीय स्तर पर विस्तृत जानकारी प्राप्त

करना उनके आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में सुधार के लिए आर्थिक महत्वपूर्ण तथा सार्थक होगा।

वर्तमान अध्ययन उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद के ग्रामीण क्षेत्र की गरीब, मजदूरी पर आधारित रोजगार तथा स्वरोजगार में लगी महिलाओं का अध्ययन है। ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरी एवं स्व रोजगार से जीविकोपार्जन करने वाले महिलाओं के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन पर ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव का परीक्षण करना ही अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगी ग्रामीण महिलाओं के कार्य एवं सामाजिक तथ्यों का अध्ययन सहभागी विधि (Participatory Method) द्वारा किया गया, जिससे इन महिलाओं के प्राप्त संसाधनों का परीक्षण करके उन्हें और अधिक बढ़ाने के लिए सुझाव दिया जा सके।

शोध प्रविधि

वर्तमान अध्ययन ग्रामीण कार्यरत महिलाओं के आर्थिक जीवन के कुछ पहलुओं को जैसा वे स्वयं इसका अनुभव करती हैं उन्हीं के दृष्टिकोण से समझने एवं ज्ञात करने का एक प्रयास है। विभिन्न लोगों के जीवन से सम्बन्धित सूचनायें एकत्र करने की बहुत सी विधियां हैं। उदाहरण के लिए प्रश्नावली विधि द्वारा उनके बीच जाकर अनुभव प्राप्त करना सूचना देने वालों से उन्हीं के विचार जानकर उनका अनुभव प्राप्त करना, आदि। किस प्रकार की सूचनायें एकत्र की जानी हैं यह शोध के प्रारूप, परीक्षण की जाने वाली परिकल्पनाओं और अन्य तथ्यों द्वारा निर्धारित होती हैं। जब अध्ययन का उद्देश्य मात्र कुछ परिकल्पनाओं का परीक्षण करना होता है या ज्ञान वृद्धि करना होता है, तो ऐसी स्थिति में शोधकर्ता द्वारा अध्ययन को पूरा करने के लिए कुछ लोगों या इकाइयों को अलग कर लिया जाता है और उन्हीं से सम्बन्धित आंकड़ों की व्याख्या करके निष्कर्ष ज्ञात कर लिए जाते हैं। इस प्रकार के अध्ययन का महत्व एक विचार व्यक्त करने या दृष्टिकोण को स्पष्ट

करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार के निष्कर्षों में ऐसे लोगों का सैम्पुल जिनके बारे में सूचनायें एकत्र की गयी हैं वे इस विचार को स्पष्ट करने के एक साधन मात्र होते हैं। इस दृष्टिकोण से किया गया शोध कार्य के निष्कर्षों का प्रयोग उन्हीं लोगों पर लागू करने के लिए नहीं किया जाता है।

जब अध्ययन का उद्देश्य किसी क्षेत्र विशेष के लोगों के जीवन व उनके रहन-सहन की दशाओं में सुधार करना होता है तो दृष्टिकोण पूर्णतया अलग हो जाता है। ऐसी स्थिति में शोध कर्ता उन लोगों से अलग होकर कार्य नहीं कर सकता। वास्तव में शोध की विधि, एकत्र किये जाने वाले आंकड़े तथा उनकी व्याख्या अलग से नहीं की जा सकती है। जब शोध कार्य का उद्देश्य लोगों के जीवन को सुधारने के लिए सुझाव देना और शोध के निष्कर्षों का प्रयोग उनके जीवन को सुधारने के लिए किया जाना हो तो ऐसी स्थिति में जो लोग इससे सम्बन्धित होते हैं, उन्हें शोध का मुख्य अंग माना जाना चाहिए। शोध से सम्बन्धित लोगों को प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। वे लोग कौन हैं, वे कौन सा कार्य करते हैं, उनका सामाजिक जीवन कैसा है, उनकी आवश्यकतायें क्या हैं, उनके लिए क्या महत्वपूर्ण हैं और उनकी इच्छा में क्या है, उनके समक्ष कौन-कौन सी कठिनाइयां और समस्यायें हैं और इन समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए वे क्या निदान चाहे हैं आदि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अध्ययन के केन्द्र बिन्दु बन जाते हैं। इन प्रश्नों को शोधकर्ता द्वारा अपने शोध में पहले से ही शामिल करना होता है या जिन्हें शोधकर्ता महत्वपूर्ण समझता हे, उन्हें उसे स्पष्ट करना होता हे या शोध कार्य जिन लोगों से सम्बन्धित होता हे, उनसे सम्पर्क करके ऐसे प्रश्नों का समावेश किया जाना चाहिए। एक ऐसा दृष्टिकोण जिसके अन्तर्गत ऐसा अनुभव किया जाता हे कि शोध से सम्बन्धित लोगों से सम्पर्क करके अध्ययन का प्रारूप तेयार किया जाय, आंकड़े एकत्र किये जाये और प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग किया जाय, इस दृष्टिकोण को सह भागी दृष्टिकोण कहा जाता है। यह सहभागिता विभिन्न स्तरों पर हो सकती है तथा इसे कई विधियों से प्रयोग किया जा सकता है। शोध प्रारूप बनाने के स्तर, आंकड़ों को एकत्र करने, आंकड़ों के विश्लेषण स्तर पर, निष्कर्षों के प्राप्त करने या इन निष्कर्षों को उनके जीवन में लागू करने के लिए आधार बनाते समय सहभागिता प्राप्त की जा सकती

है। सहभागिता का स्तर शोध कार्य में सहभागिता कितने स्तरों पर प्राप्त की जा सकती है। सहभागिता का स्तर शोध कार्य में सहभागिता कितने स्तरों पर प्राप्त की गयी है पर निर्भर है। सहभागिता के अन्तर्गत लोगों के साथ की जाने वाली मीटिंग, सभायें, सामूहिक वार्तालाप, प्रश्न व उत्तर के लिए बेठकें, लोगों के विचार व दृष्टिकोण ज्ञान करने की विभिन्न विधियां और निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए वे सभी साधनों जिनका प्रयोग किया जाता है, सभी को शामिल किया जा सकता है।

किसी शोध कार्य में सहभागिता दृष्टिकोण उसके लगने वाले समय के साथ निर्धारित किया जाता है, क्योंकि सहभागिता के अन्तर्गत शोधकर्ता व शोध से सम्बन्धित लोग दोनों को एक साथ आना आवश्यक होता है। अध्ययन के लिए सूचनाओं को एकत्र करने में दोनों का प्राप्त होना आवश्यक है, इसे कार्य शोध (Action Research) कहा जाता है। इसके अन्तर्गत कोई पूर्व निर्धारित परिकल्पना का परीक्षण मात्र नहीं किया जाता है, क्योंकि अध्ययन का उद्देश्य किसी समस्या का हल ढूंढ़ना होता है, केवल सिद्धान्त का प्रतिपादन करना नहीं होता है, जो भी परिकल्पनायें या प्रश्नों पर विचार करना होता है वे अध्ययन के दौरान ही उठाये जाते हैं अध्ययन के पहले नहीं।

वर्तमान अध्ययन को सहभागिता दृष्टिकोण पर आधारित कार्य शोध अध्ययन कहा जा सकता है। वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन के लिए चलाये गये विशेष कार्यक्रम की कार्यशैली के लक्ष्यों को कहां तक प्राप्त कर सकती है? ग्रामीण महिलाओं के गरीबी उन्मूलन के लिए और क्या किया जाना चाहिए जिससे झांसी जनपद के ग्रामीण कार्यरत महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार के लिए वह सहायक हो सके।

शोध के सम्बन्ध में पहली आवश्यकता यह होती है कि शोधकर्ता को उन लोगों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए जिनसे अध्ययन को पूरा करने के लिए मिलना है। देश की अधिकांश महिला जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में ही रहती है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में अधिकांश महिलायें न्यून आय वर्ग में हैं जो या तो मजदूरी

के आधार पर कार्य करती हैं या स्व रोजगार में लगी हैं, देश की लगभग आधी जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हैं। यही तथ्य झांसी जनपद के लिए भी सत्य है। शोध कार्य का उद्देश्य, झांसी जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरी आधारित रोजगार व स्वरोजगार में लगी महिलायें जिन्हें ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम द्वारा लाभ प्राप्त हुआ है, उनके आर्थिक व सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, का अध्ययन करना है। इन महिलाओं के क्रिया कलाप तथा सामाजिक जीवन का अध्ययन उनके लिए क्या महत्वपूर्ण हैं? इसे समझने में सहायक हो सकता है। इस अध्ययन में ज्ञात समस्यायें और उनके हल द्वारा उनके आर्थिक जीवन में सुधार किया जा सकता है। वर्तमान अध्ययन पूर्णतया ग्रामीण महिलाओं से ही सम्बन्धित है। इस अध्ययन को पूरा करने में सहभागिता दृष्टिकोण ही सबसे उपयुक्त माना गया। ग्रामीण महिलाओं की समस्यायें, जैसा कि उन लोगों ने स्पष्ट किया और जैसा वे अनुभव करती हैं। वर्तमान अध्ययन को अनुभव व वास्तविकता से निकट लाने में सहायक होगा। इसलिए इसे पूरा करने में सहभागिता दृष्टिकोण को अपनाया गया है। ऐसा आशा एवं अनुमान किया जाता है कि वर्तमान अध्ययन ग्रामीण महिलाओं के समस्याओं को समझने और उनके गरीबी के उन्मूलन में लाभदायक प्रयास सिद्ध होगा। यद्यपि ग्रामीण महिलाओं के जीवन के सम्बन्ध में अभी बहुत अधिक ज्ञात नहीं है फिर इसी प्रकार के प्रयास से उनके जीवन की समस्याओं, गरीबी, असहाय की स्थिति आदि के सम्बन्ध में ज्ञात किया जा सकेगा। भविष्य के अध्ययन सरल और अधिक उपयोगी होगें।

अध्ययन की इकाई

ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम का ग्रामीण महिलाओं पर पड़ने वाले आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव का अध्ययन करने के लिए झांसी जनपद को चुना गया। झांसी जनपद में आठ विकास खण्ड चिरगांव, मोंठ, गुरसरांय, बामौर, मऊरानीपुर, बंगरा, बबीना व बड़ागांव हैं। ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम जनपद में 1992-93 से प्रारम्भ किया गया। इसके लिए जनपद के विकास खण्ड मऊरानीपुर एवं चिरगांव को चुना गया। इसके पश्चात 1993-94 में जनपद के

दो और विकास खण्डों बबीना एवं बंगरा का चुनाव किया गया। सन 1994 के अन्त तक यह कार्यक्रम जनपद के चार विकास खण्डों मऊरानीपुर, चिरगांव, बबीना व बंगरा में चालू की गयी। अध्ययन के लिए चारों विकास खण्डों को लिया गया। इन विकास खण्डों में सन 1996 के अन्त में कार्यक्रम में लाभान्वित महिलाओं या महिला परिवारों की संख्या को सारणी संख्या एक में स्पष्ट किया गया है[1] : -

सारणी संख्या - एक

लाभान्वित महिला परिवारों की संख्या (सन 1996)

क्रमांक	विकास खण्ड	लाभान्वित परिवारों की संख्या
1.	मऊरानीपुर	775
2.	चिरगांव	375
3.	बबीना	175
4.	बंगरा	200
	कुल योग	1525

सारणी संख्या एक से यह बात स्पष्ट है कि सन 1995-96 के अन्त में लाभान्वित महिलाओं के परिवारों की संख्या 1525 रही है। योजना के अन्तर्गत गरीब, साधनहीन, दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करने वाली महिला श्रमिकों, विस्थापित महिला श्रमिक तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं को शामिल किया जाता है। योजना के अन्तर्गत 25 से 30 महिलाओं के समूह का गठन किया जाता है।

---

1. लाभान्वित परिवारों की संख्या विभिन्न विकास खण्ड कार्यालयों से प्राप्त की गयी है।

4. सैम्पुल डिजाइन

योजना से लाभान्वित ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक तथा सामाजिक दशाओं के अध्ययन के लिए तथा अध्ययन को व्यवहारिकता से अधिक नजदीक लाने के लिए एक बड़े सैम्पुल लेने पर विचार किया गया। यद्यपि सम्पूर्ण संख्या का 20 प्रतिशत या 1/5 इकाइयों का अध्ययन सम्पूर्ण का प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है पर अध्ययन को अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए कुल संख्या के एक तिहाई या 33% प्रतिशत महिला परिवारों का अध्ययन करने का निश्चय किया गया। इन महिलाओं का चुनाव रैण्डम सैम्पलिंग के आधार पर या गांवों में जाने पर प्राप्त महिलाओं का साक्षात्कार करके उनका अध्ययन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। विभिन्न विकास खण्डों में इनकी संख्या अलग - अलग होने के कारण सर्वेक्षण किये जाने वाले महिला परिवारों का विभाजन अनुपातिक रूप में उनकी संख्या के आधार पर कर लिया गया जिसे सारणी संख्या दो में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 2

विकास खण्ड के आधार पर महिला समूहों का विभाजन

क्रमांक	विकास खण्ड	लाभान्वित महिला परिवार	सर्वेक्षण के लिए चुने गये परिवारों की संख्या का 1/3 भाग
1.	मऊरानीपुर	775	258
2.	चिरगांव	375	125
3.	बबीना	175	58
4.	बंगरा	200	66
	कुल योग	1525	507

विभिन्न विकास खण्ड कार्यालयों से प्राप्त महिला समूहों के आंकड़ों के आधार पर सारणी संख्या - 2 के परिवारों की संख्या ज्ञात की गयी है। एक सामान्य सिद्धान्त के आधार पर एक समूह के अन्तर्गत 25 महिलाओं के परिवारों को शामिल किया जाता है। सारणी संख्या दो में स्पष्ट किये गये महिला परिवारों को विकास खण्ड से प्राप्त लाभान्वि महिला परिवारों के समूह के आधार पर निकाला गया है। यद्यपि यह योजना गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को उनके जीवन स्तर में सुधार करने के दृष्टिकोण से लागू किया गया था पर कार्यक्रम बहुत उत्साहजनक नहीं रहा है। विकास खण्ड से प्राप्त आंकड़ों में यह बात अधिकारियों द्वारा स्पष्ट की गयी कि सरकार के कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य पूरा करने के लिए अधिक से अधिक परिवारों को योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया था पर आवश्यक प्रशिक्षण, और अन्य सुविधाओं को प्रदान करने पर भी महिलाओं ने उस कार्य को नहीं किया, जिसमें उन्हें प्रशिक्षित किया गया था और आवश्यक यंत्र और औजार प्रदान किये गये थे। ऐसे महिला समूहों को निष्क्रिय समूह घोषित किया गया। सर्वक्षण में यह बात पायी गयी कि विकास खण्ड कार्यालयों से प्राप्त आंकड़ों में एक बड़ी संख्या में निष्क्रय समूह पाये गये। विभिन्न विकास खण्डों में लाभान्वित महिला समूहों और सक्रिय तथा निष्क्रिय महिला समूहों की स्थिति को सारणी संख्या - 3 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 3

विकास खण्डों में लाभान्वित महिला परिवारों की स्थिति (1996-97)

क्रमांक	विकास खण्ड	कुल गठित समूह	सक्रिय समूह	निष्क्रिय समूह
1.	मऊरानीपर	51	31	20
2.	चिरगांव	51	15	36
3.	बबीना	14	7	7
4.	बंगरा	15	8	7
	कुल योग	131	61	70

सारणी संख्या - 3 से यह बात स्पष्ट है कि जनपद के उपरोक्त चारों विकास खण्डों में सन 1995-96 के अन्त तक 131 महिला समूहों का गठन ड्वाकरा कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया था, जिसमें से केवल 61 समूह की कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गयी सुविधाओं और सेवाओं का लाभ उठा रहे थे और इसके आधार पर अपने रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाने में प्राप्त प्रशिक्षण एवं सुविधाओं का लाभ उठाने में समर्थ रहे हैं और 70 या लगभग 57 प्रतिशत महिलायें कार्यक्रम में प्राप्त सुविधाओं का लाभ लेकर उस व्यवसाय को नहीं अपनाया बल्कि अपने पम्परागत व्यवसाय में मजदूरी के आधिार पर या स्वरोजगार के रूप में लगी हुयी है।

अध्ययन के लिए कुल गठित समूह को ध्यान में रखा गया। एक समूह में 25 महिला परिवारों के आधार पर 61×25 = 1525 परिवार आते हैं, जिनका विभाजन विभिन्न विकास खण्डों में सारणी संख्या एक के आधार पर रहा है। इन्हीं कुल परिवारों मेंसे 507 महिलाओं का अध्ययन किया गया।

कार्यक्रम में चयनित व्यवसाय

झांसी जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में पुरूषों की भांति महिलायें भी विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रिया कलापों में लगी हुयी हैं। ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलायें विभिन्न आर्थिक क्रिया कलापों में दो रूपों में लगी हुयी हैं। एक तो वे मजदूरी के आधार पर किसी अन्य के यहां कार्य करती हैं दूसरे किसी व्यवसाय को स्व रोजगार के आधार पर अपना कर उस कार्य में लगी हुयी हैं। कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी विभागों द्वारा महिलाओं के क्रिया कलापों को 15 वर्गों में विभाजित किया गया था और इन्हीं 15 व्यवसायों से सम्बन्धित प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक सुविधायें प्रदान करने का कार्य किया गया। कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न 15 व्यवसायों को चुना गया है : -

1. मिनी डेरी
2. रेडीमेड गारमेन्ट
3. बरी, पापड़ बनाना
4. लुंगी, तौलिया
5. दरी, कम्बल
6. बांस डलिया
7. बान रस्सी बनाना
8. टाट-पट्टी
9. अम्बर चरखा
10. दलिया मसाला
11. डोकोरेशन पीस
12. साबुन बनाना
13. स्वेटर बुनाई
14. अचार, मुरब्बा
15. रैक्सीन बैग

सरकारी कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण तथा सुविधायें प्रदान करने की रूप रेखा के अनुसार महिला समूहों का गठन विभिन्न विकास खण्डों में किया गया। व्यवसायों के सरकारी वर्गीकरण के अनुसार विभिन्न विकास खण्डों में विभिन्न व्यवसायों को वर्गीकरण को सारणी संख्या चार में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 4

कार्यक्रम के चयनित व्यवसाय एवं महिला समूह

क्रम सं0	चयनित व्यवसाय	मऊरानीपुर कुल गठित समूह(1)	सक्रिय समूह (2)	विकास खण्ड चिरगांव (1)	(2)	बबीना (1)	(2)	बंगरा (1)	(2)
1.	मिनी डेरी	22	14	14	11	-	-	7	4
2.	रेडीमेड गारमेन्ट	5	4	15	3	-	-	2	2
3.	बरी पापड	-	-	5	5	3	3	1	1
4.	लुंगी, तौलिया	6	4	-	-	-	-	2	-
5.	दरी, कम्बल	2	2	2	-	1	-	2	1
6.	बांस डलिया	5	4	2	1	-	-	-	-
7.	बान रस्सी	2	1	-	-	-	-	1	-
8.	टाट-पट्टी	1	1	-	-	2	2	-	-
9.	अम्बर चरखा	2	-	6	-	4	2	-	-
10.	दलिया मसाला	3	1	1	-	-	-	-	-
11.	साबुन	-	-	1	-	2	-	-	-
12.	डेकोरेशन पीस	-	-	1	-	-	-	-	-
13.	स्वेटर बुनाई	1	-	-	-	-	-	-	-
14.	अचार-मुरब्बा	2	-	3	-	1	-	-	-
15.	रेक्सीन बेग	-	-	1	-	1	-	-	-
	योग	51	31	51	15	14	7	15	8

सारणी संख्या - 4 से स्पष्ट है कि जनपद में कार्यक्रम के अन्तर्गत सन 1996 के अन्त तक कुल 131 महिला समूहों का गठन किया गया था और 1998 के अन्त में जानकारी प्राप्त करने पर ऐसा ज्ञात हुआ कि इन महिलाओं के मात्र 61 समूह ही विभिन्न विकास खण्डों में सक्रिय रह गये हैं। सक्रिय समूहों में विभिन्न व्यवसायों में से केवल कुछ ही व्यवसाय समूह ही कार्यशील हैं। शेष व्यवसाय मात्र सरकारी कागजों की खाना पूर्ति मात्र के लिए चलाये गये थे पर महिलाओं ने इस कार्यक्रमों में भाग लेकर उसके सुविधाओं को प्राप्त करने मात्र के उद्देश्य से भाग लिया था। विभिन्न व्यवसायों में सक्रिय व्यवसायों के महिला समूहों की स्थिति को सभी विकास खण्डों के योग के रूप से सारणी संख्या पांच में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 5

गठित महिला समूहों में सक्रिय महिला समूहों की स्थिति

क्रमांक	व्यवसाय	गठित समूह	सक्रिय समूह
1.	मिनी डेरी	43	29
2.	रेडीमेड गारमेन्ट	22	9
3.	बरी पापड	9	4
4.	लुंगी, तौलिया	8	4
5.	दरी, कम्बल	7	3
6.	बांस डलिया	7	5
7.	बान-रस्सी	3	1
8.	टाट-पट्टी	3	3
9.	अम्बर चरखा	12	2
10.	दलिया मसाला	5	1
11.	साबुन	3	-
12.	स्वेटर बुनाई	1	-

13.	अचार मुरब्बा	6	-
14.	डेकोरेशन पीस	1	-
15.	रेक्सीन बैग	1	-
	योग	131	61

सारणी संख्या - 5 से यह बात स्पष्ट होती है कि सरकारी कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित व्यवसायों में से सबसे अधिक सफल मिनी डेरी का व्यवसाय है, जिसमें अधिकांश महिला समूह कार्यरत हैं। अतः सफल व्यवसायों में से रेडीमेड गारमेन्ट, बरी-पापड़, लुंगी-तौलिया, दरी-कम्बल, बांस डलिया और रस्सी, टाट-पट्टी अम्बर चरखा चलाने के व्यवसायों में महिलायें लगी हैं।

सर्वेक्षण के लिए चुने गये व्यवसाय समूह

अध्ययन के लिए ड्वाकरा कार्यक्रम में लाभान्वित महिला परिवारों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति के अध्ययन के लिए विभिन्न व्यवसायों में प्राप्त प्रशिक्षण व सुविधाओं के महिलाओं का अध्ययन करने का लक्ष्य निश्चित किया गया। विकास खण्डों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर चार विकास खण्डों में कुल 131 समूहों का गठन किया गया था जो 15 व्यवसायों से सम्बन्धित थे। इन विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित महिलाओं पर सम्पूर्ण संख्या की दृष्टि से विचार करके आधी संख्या का सर्वेक्षण करने का निश्चय किया गया। इस आधार पर 760 महिलाओं का अध्ययन किया जाना था। अध्ययन के लिए महिलाओं का चुनाव व्यवसायों में लाभान्वित संख्या के आधार पर किया जाना चाहिए था पर सरकारी कार्यक्रम में महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए चुने गये निर्धारित व्यवसायों में समूहों की संख्या सीमित होने के कारण व्यवसायों के आधार पर चुनाव न करके विकास खण्डों में लाभान्वित महिला परिवारों की आधी संख्या की महिलाओं को सर्वेक्षण में शामिल किया गया, चाहे वे जो भी व्यवसाय का प्रशिक्षण क्यों न प्राप्त किया हो। विभिन्न विकास खण्डों

में सर्वेक्षण के लिए चुने गये महिला समूहों को सारणी संख्या - दो में स्पष्ट किया गया है।

सर्वेक्षण प्रक्रिया

अध्ययन को पूरा करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की गयी, जिसे गांवों में जाकर कार्यक्रम में लाभान्वित महिलाओं से सम्पर्क करके साक्षात्कार विधि द्वारा प्रश्नावली को पूरा किया गया। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं से उनके व्यवसाय तथा उनसे सम्बन्धित किन रचनाओं को एकत्र किया जाय? इसे निश्चित करने के लिए विकास खण्ड स्तर पर प्राप्त महिला अधिकारी कार्यकर्ता तथा ग्रामीण क्षेत्र की कुछ महिलाओं से भी सम्पर्क करके प्रश्नावली को अधिक से अधिक व्यापक बनाने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में निर्धारित व्यवसायों में प्राप्त प्रशिक्षण महिलाओं के गांवों की सूची विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त करके उन गांवों में जाकर प्रत्येक व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को रैण्डम आधार पर सम्पर्क किया गया। इसके लिए गांव में जा कर उस व्यवसाय या अन्य किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त महिला या महिलाओं का पता लगाया गया। यह पता लगाना कठिन इसलिए नहीं था कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी विभिन्न व्यवसाय जाति विशेष द्वारा किए जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रम निम्न आय वर्ग, जाति वर्ग तथा भूमिहीन मजदूरों के लिए ही बनाये जाते हैं। अतः किसी गांव में इस प्रकार के महिलाओं के घर जाकर उनसे मिले तथा उनसे मीटिंग करके प्रश्नावली को भरने का कार्य किया गया। उनसे मिलकर उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य तथा उनके आर्थिक जीवन के बारे में पूंछा गया और यह भी पूंछा गया कि आपके जाति के और कितने परिवार आपके गांव में हैं और आप जो कार्य कर रही हैं उसे और कितनी महिलायें आपके गांव में इस कार्य को कर रही हैं। आप क्या शिक्षित हैं, आपके बच्चे क्या करते हैं? आप तथा आपके बच्चे कहां कार्य करते हैं और उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है? उनके गांव में कौन-कौन सी सुविधायें प्राप्त हैं और उन्हें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? इस प्रकार के प्रश्नों के पूंछे जाने पर अधिक

संख्या में महिलाओं ने रूचि दिखायी तथा उनसे खुलकर प्रत्येक प्रश्न पर वार्ता हुई और प्रश्नावली को भली भांति भरने में आसानी हुयी, महिलाओं के अतिरिक्त बच्चे तथा अधिक उम्र के लोगों ने भी हमारे बेठक में भाग लेने की रूचि दिखायी। सर्वेक्षण के दौरान उत्तर देने वाली महिलाओं ने उनसे पूंछे जाने वाले प्रश्नों को उद्देश्य जानने के सम्बन्ध में उत्सुकता प्रकट की। इसके लिए उन्हें स्पष्ट किया गया, आप लोग अपनी जीविका चलाने के लिए किस प्रकार का कार्य करती हैं तथा आपके समक्ष कौन-कौन सी समस्यायें हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में आपके अनुभवों को ज्ञात करके आपकी सहायता के लिए तरीके था उपाय ढूंढ़ने का प्रयास किया जायेगा, जिससे आपका सामाजिक तथा आर्थिक जीवन, सुधारा जा सके। ग्रामीण महिलाओं में वर्तमान शोध के सर्वेक्षण के दौरान तरह-तरह की धारणायें थी, जिन्हें उन्होंने आपस में एक दूसरे से स्पष्ट किया। कुछ महिलाओं की धारणा थी कि चुनाव करीब आ रहे हैं और इसीलिए महिलाओं से मिलने के लिए महिला को भेजा गया है। कई मौकों पर ऐसा अनुभव किया गया कि उनकी धारणा है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत यह कार्य किया जा रहा है। कुछ महिलाओं ने अपने प्रसूति से सम्बन्धित कुछ समस्यायें भी रखी और उनके इलाज के सम्बन्ध में परामर्श भी लेना चाहा। इस प्रकार की धारणाओं द्वारा उनके गत वर्षों के अनुभव को स्पष्ट किया गया। एक विशेष व्यवसाय में लगी महिलाओं द्वारा अन्य गांव या उसी गांव के अन्य महिलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हुई इनमें से कुछ को अन्य महिलाओं के बारे में जानकारी थी और कुछ को नहीं थी। कुछ महिलाओं द्वारा अन्य महिलाओं तक पहुंचने में सहायता प्राप्त हुई। शोध सर्वेक्षण में अन्य महिलाओं के पास चलना ग्रामीण महिलाओं के समक्ष एक कठिन परिस्थिति भी उत्पन्न करती थी। इनमें से कुछ महिलायें साथ चलने को तैयार हो जाती थी और अन्य गांव के लोगों के भय से जाने से मना कर देती थी, कुछ महिलायें जाने को तैयार तो हो जाती थी पर जब उनसे जाने का समय और मिलने का स्थान निश्चित करना होता था तो वे नहीं आती थी। विकास खण्ड के कुछ गांवों की महिलायें जो किसी प्रकार परिचित थी वे साथ में जाकर अपने गांव के सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने में सहायता प्रदान की। गांवों के कुछ महिलाओं

को, जिनके सम्बन्ध आस-पास के गांवों में थे, अपने पास सर्वेक्षण कार्य में सहायता के लिए साथ ले जाया गया और वहां की महिलाओं से बात चीत की गयी। इन सब प्रयासों के परिणामस्वरूप जिन क्षेत्रों से सूचनायें एकत्र की जानी थी, उनके सम्बन्ध में एक सामान्य जानकारी प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हुई। इन क्षेत्रों की सूची बना कर कुछ महिलाओं की सहायता से इनके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकी। इसके पश्चात विभिन्न क्षेत्रों में जाकर विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की गयी और जनपद के चार विकास खण्डों में सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया गया।

किसी गांव के एक विशेष व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त महिला को उसी गांव की अन्य महिलाओं से मिलने के लिए साथ ले जाने का विचार के अनुसार उस महिला को अध्ययन टीम का एक सदस्य बनाकर और उसी की सहायता से गांव के अन्य महिलाओं द्वारा भी प्रश्नावली को पूरा करने में सहायता ली गयी। इस विधि द्वारा कुछ विशेष व्यवसाय करने वाली विशेष जाति वर्ग के महिलाओं को साथ ले जाने में सफलता प्राप्त हुई पर कुछ विशेष जाति वर्ग और व्यवसाय की महिलाओं को साथ ले जाने में सफलता नहीं मिली, क्योंकि वे इसके लिए तैयार नहीं हुई। ऐसी दशा में सर्वेक्षण का कार्य स्वयं जाकर और उन महिलाओं से मिलकर पूरा किया गया। ऐसे गांवों में जहां की महिलायें साथ जाने के लिए तैयार थी, उनके सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी जो नहीं जानी जा सकती थी, वह सरलता से ज्ञात की जा सकी, जिन गांवों में महिलायें साथ में जाने को तैयार नहीं हुई, उस दशा में उन महिलाओं से बात करने और उनसे सही सूचना प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव किया गया, उनसे सूचना प्राप्त करने में और वे खुलकर बात कर सकें ओर सूचनायें दे सकें, इसके लिए उन्हें बहुत समझाना पड़ा तथा उन्हें विश्वास में लेना पड़ा कि सही सूचना देने में उनका कोई नुकसान नहीं होगा और न ही उनके विरूद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जायेगी।

सर्वेक्षण कार्य के लिए किसी गांव में जाकर एक विशेष जाति या विशेष व्यवसाय या कार्य करने वाले लोगों के समूह के बारे में पूंछना होता था, उसके बाद

गांव में उन्हीं लोगों के बस्ती में जाकर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया। जिन लोगों के घर जाकर सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया गया उनके द्वारा पहले बैठाया गया, इसके बाद सम्बन्धित महिला को बुलाकर अपने उद्देश्य के बारे में बताया गया और उस महिला से बात की गयी। एक ही स्थान पर यदि आस-पास कई महिलायें मिल गयीं तो उन्हें बुलाकर साथ बैठाया गया। इस प्रकार की बैठक में महिलायें एक समूह का सदस्य समझकर अधिक निर्भय होकर स्थिति को अधिक सही-सही स्पष्ट किया। इस प्रकार एक समूह में महिलाओं को एकत्र हो जाने पर उनसे 3 गांव तथा आस-पास के गांवों में उसी प्रकार या अन्य प्रकार के व्यवसाय में प्राप्त प्रशिक्षण या व्यवसाय कर रही महिलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकी। इसके पश्चात इन महिलाओं से उनके जीवन तथा कार्य के सम्बन्ध में विस्तृत बात की जा सकी और प्रश्नावली भरने का कार्य किया जा सका, ऐसा पाया गया कि एक गांव में एक ही प्रकार के व्यवसाय से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्राप्त महिलायें थी और जिस गांव में विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त महिलायें थी, उनसे अलग-अलग मिला गया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके प्रश्नावलीपूरी की गयी। महिलाओं के साक्षात्कार के समय और उसके बाद यह पूंछा गया कि उनके आर्थिक जीवन या व्यवसाय में सुधार के लिए कौन सा उपाय किया जाय और इस सम्बन्ध में उनके सुझाव ज्ञात किये गये। उनके दिये गये सुझावों को नोट किया गया। जैसे-जैसे विभिन्न व्यवसायों के अधिक से अधिक महिलाओं से साक्षात्कार किया गया वैसे-वैसे इन महिलाओं से अधिक घुल मिलकर बात करने तथा उन्हें विश्वास में लेने, उनकी विभिन्न आवश्यकताओं को समझने में आसानी हुई। साथ ही यह भी अनुभव हुआ कि एक गांव की महिला को दूसरे गांव की महिला से मिलने के लिए साथ ले जाने की प्रक्रिया या विचार अधिक उपयोगी और सफल नहीं साबित हो सका। ऐसी स्थिति में उस गांव में कार्यरत स्वास्थ्य विभाग की महिलाओं, स्कूल की अध्यापिकाओं और पंचायत के सदस्यों आदि के घरों की प्रौढ़ महिलाओं की सहायता की गयी, क्योंकि ग्रामीण महिलायें अपने को दूसरे गांवों में जाने के सम्बन्ध में अपने को सक्षम नहीं पाती थी। ग्रामीण स्तर पर लगी सरकारी विभागों की महिलाओं ने सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने में सहायता प्रदान की। वे अपनी सुविधानुसार ग्रामीण

महिलाओं से मिलाने, अन्य गांवों में जाकर वहां की महिलाओं से मिलाने के लिए साथ गयी और प्रश्नावली को पूरा करने तथा उनसे मिलने, बातीत करने और समस्याओं एवं सुझावों को स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध हुई। सरकारी विभागों में कार्यरत महिलाओं के साथ जाने, उनके समझाने और उन्हीं की भाषा का प्रयोग किये जाने से ग्रामीण महिलाओं में विश्वास जागृत करने में सहायता प्रापत हुई और उन्होंने सही एवं स्पष्ट बात बताने में अपने को एक सहज स्थिति में पाया। साथ ही इन महिलाओं द्वारा उन्हीं के बीच काम किये जाने की स्थिति में ग्रामीण महिलाओं में विश्वास जागृत होना एक सरल बात थी। इनकी सहायता से ग्रामीण महिलाओं के विभिन्न व्यवसायों, आर्थिक जीवन, कार्य आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकी। ग्रामीण महिलाओं से साक्षात्कार के समय इन्हीं सरकारी महिलाओं द्वारा प्रयोग किये गये शब्दों का प्रयोग किया गया और उनके उत्तर को लिखा गया। जैसे-जैसे सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया गया इन महिलाओं की समस्यायें अधिक से अधिक स्पष्ट होती गयी। एक गांव के सर्वेक्षण के बाद उसके अनुभव, विचार, समस्यायें एवं सुझाव आदि के बारे में गांव से सम्बन्धित सभी सूचनाओं को एकत्र करके उन्हें रखने का कार्य किया जाता रहा। अस्पष्ट विचारों पर वार्तालाप किये गये। जिन गांवों में साक्षात्कार के समय पूरी सूचना नहीं मिल सकी उसे पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार उस गांव में पुनः भ्रमण किया गया।

सर्वेक्षण के दौरान जैसे-जैसे अधिक से अधिक महिलाओं से साक्षात्कार किया गया उनमें से अधिकांश महिलायें जो असहाय थी उन्होंने सहायता की मांग की, इस सम्बन्ध में उनकी सहायता भी की गयी। इनमें से अधिकांश महिलायें जो विधवा थी, उन्होंने सरकार से सहायता प्राप्त करने में मदद करने की बात कही। इन महिलाओं को पेंशन के फार्म लाकर देने और फार्म भरवाकर अधिकारियों तक जमा करने की सहायता की गयी। इसी प्रकार सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना में वृद्धा महिलाओं की उसी प्रकार मदद की गयी।

इसी प्रकार कुछ महिलाओं ने ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में सहायता की मांग की उन्हें भी इस दिशा में निर्देशन दिया गया।

सर्वेक्षण में लगा समय

कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त महिलायें यद्यपि वे पहले से अपने परम्परागत व्यवसाय में लगी हुयी थी पर कार्यक्रम में प्राप्त सुविधायें प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण में नाम लिखवा लिया ओर प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात नये व्यवसाय करने के बजाय अपने पुराने परम्परागत व्यवसाय में चली गयी। कार्यक्रम की वास्तविक स्थिति ज्ञात करने के लिए विभिन्न विकास खण्डों में कार्यक्रम में गठित महिला समूहों के संख्या के आधार पर आनुपातिक संख्या निर्धारित करके सन 1995-96 के अन्त तक गठित महिला समूहों की आधी संख्या के आधार पर 50% महिलाओं का अध्ययन करने का निश्चय किया गया। सर्वेक्षण का कार्य मई 1997 से प्रारम्भ किया गया और जून 1998 में पूरा किया गया। प्रश्नावली के माध्यम से प्रत्यक्ष साक्षात्कार विधि से अध्ययन पूरा करने के अतिरिक्त सर्वेक्षण के पहले तथा उसके पश्चात जिला स्तर पर कार्यरत महिला विकास अधिकारियों तथा चिरगांव स्थित ग्रामीण विकास संस्थान के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं फील्ड कार्यकर्ताओं से समय-समय पर वार्तालाप, बेठकें तथा सुझाव व अन्य बातों पर विचार विमर्श किया गया।

उग्रगामी सर्वेक्षण

वर्तमान अध्ययन पूर्णतया फील्ड सर्वेक्षण पर आधारित हे। ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक जीवन पर एक विशेष सरकारी कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करना था, इसके लिए विभिन्न विकास खण्डों के महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करके प्रश्नावली को पूरा करना था। प्रश्नावली के अन्तर्गत महिलाओं के पारिवारिक, जानांकीय, सामाजिक ग्रामीण क्षेत्रों में प्राप्त अधो संरचना सम्बन्धी सुविधाओं, उनके आय के स्रोतों, परिवार व उनके द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं, परिवार के सदस्यों द्वारा किये जाने वाले कार्य, काम प्राप्त करने के तरीके, कार्य के घण्टे, सृजित आय, बाजार, कच्चा माल, कुशलता, तथा व्यवसाय से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने से सम्बन्धित प्रश्नों का समावेश किया गया था। इसके

अतिरिक्त बच्चों की देखभाल, स्वास्थ्य तथा प्रतिनिधि संस्थाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जानी थी। सर्वेक्षण के दोरान आने वाली कठिनाइयों, प्रश्नावली में आवश्यक सुधार तथा और भी सूचनायें जो सर्वेक्षण के समय मिल सकती हैं या जो नहीं मिल सकती हैं, आदि बातों का अनुभव प्राप्त करने के लिए चिरगांव विकास खण्ड के एक पास के गांव के 25 महिलाओं का सर्वेक्षण किया गया और उनसे प्राप्त उत्तरों, वार्तालाप तथा सुझाव के आधार पर प्रश्नावली में आवश्यक संशोधन व सुधार किया गया।

प्रश्नावली

वर्तमान अध्ययन में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन की दशाओं को ज्ञात करने के लिए 760 महिलाओं को रेण्डम सेम्पलिंग के आधार पर चुना गया। सर्वेक्षण के दोरान महिलाओं के जीवन के बारे में बहुत सी बातें मालूम पड़ी। अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के आर्थिक जीवन पर सरकारी कार्यक्रमों के पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करना था। ग्रामीण महिलाओं के समक्ष कौन-कौन सी समस्यायें हैं, उनके जीवन से सम्बन्धित सूचनाओं को विभिन्न विभागों में बांटकर एकत्र किया गया, जिसे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है : -

1. **जनांकीय** - उम्र, परिवार के सदस्य, शिक्षा का स्तर, वेवाहिक स्तर आदि से सम्बन्धित सूचनायें ।

2. **सामाजिक** - जाति, छुआ छूत, अन्य गांवों में उनके सम्बन्ध तथा गांव के अन्य जातियों से सम्बन्ध आदि ।

3. **अधो संरचना** - गांव में प्राप्त जल, ईधन, शोच तथा स्वास्थ्य, सड़कें, बस सेवा, विद्युत, टेलीफोन सुविधायें, सस्ते गल्ले की दुकानें, आटा मिलें, स्कूल तथा गृह निर्माण आदि ।

4. **आर्थिक** - आय के स्रोत, आर्थिक क्रियायें तथा परिवार के सदस्यों द्वारा किये जाने वाले कार्य, कार्य प्राप्त करने के तरीके, आय सृजन, कार्य के घण्टे, बाजार, कच्चे माल, आवश्यक यंत्र तथा औंजार प्रवास तथा व्यवसाय से सम्बन्धित समस्यायें आदि ।

5. **सेवायें** - शिशुपालन, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, कुशलता और आवश्यक संगठन आदि ।

इन विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के आधार पर ग्रामीण महिलाओं के विभिन्न समस्याओं का विश्लेषण किया गया है। इसके पश्चात उनकी समस्याओं को हल करने के सम्बन्ध में उनके द्वारा स्पष्ट समाधानों के आधार पर कुछ और भी उपयोगी सुझाव दिये गये हैं, जिनसे उनके जीवन स्तर में सुधार किया जा सके।

यद्यपि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा अपने जीविकापार्जन के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियायें की जाती हैं। इन महिलाओं द्वारा दो रूपों में आर्थिक क्रियायें सम्पन्न की जा रही हैं। पहले रूप के अन्तर्गत महिलायें अपने मजदूरी के आधार पर अपने भौतिक श्रम द्वारा व्यक्तिगत रूप में या परिवार के एक इकाई के रूप में अपनी जीविकापार्जन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ महिलायें अपने पेशे में अपने संसाधनों का विनियोजन करके स्वयं द्वारा श्रम करके या परिवार के सदस्यों की सहायता से श्रम करके उत्पादन का कार्य किया जाता है, जिन्हें स्वरोजगार में लगी महिला वर्ग के अन्तर्गत रखा जा सकता है। स्वरोजगार में लगी कुछ महिलाओं का केश अध्ययन भी किया गया, जिसके द्वारा महिलाओं को व्यक्तिगत जीवन के बारे में उनके व्यक्तिगत अनुभव को स्पष्ट किया गया है।

वर्तमान अध्ययन का महत्व

वर्तमान अध्ययन के महत्व के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं के द्वारा जीविकोपार्जन के लिए किये गये कार्यों विभिन्न व्यवसायों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देने का प्रयास किया गया है, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाओं की एक बड़ी संख्या लगी हुयी है। ग्रामीण

क्षेत्र की गरीब ग्रामीण रोजगार में लगी तथा स्वरोजगार में लगी महिलायें किस प्रकार अपना जीवन यापन कर रही हैं? तथा इनके द्वारा किये जाने वाले कार्य व व्यवसाय के आधार पर उनके सामाजिक महत्व को स्पष्ट करना वर्तमान अध्ययन के विषय का एक बड़ा हिस्सा है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राप्त प्राकृतिक संसाधन और अधो संरचना की सुविधाओं का ग्रामीण महिलाओं के कार्यों पर पड़ने वाले प्रभाव तथा गरीब महिलाओं के सामाजिक वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करना वर्तमान अध्ययन का दूसरा महत्व है। विभिन्न व्यवसायों और आर्थिक क्रिया कलापों में लगी ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं की जानकारी देने तथा उनके सम्भावित उपायों को स्पष्ट करना अध्ययन के तीसरे महत्व को स्पष्ट करता है।

xxx

अध्याय - तीन

अध्ययन क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक दशायें

वर्तमान अध्ययन उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद से सम्बन्धित है जो एक मण्डल स्तर का जनपद है। इसके अन्तर्गत जालौन, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट धाम, कर्वी जनपद आते हैं। इन जनपदों को उत्तर प्रदेश का बुन्देलखण्ड क्षेत्र कहा जाता है। बांदा जनपद को एक मण्डल स्तर का जनपद घोषित किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में दो मण्डल झांसी व बांदा आते हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल सन 1991 के अन्त में 29418 वर्ग किलोमीट्र है। विभिन्न जनपदों में इसके विभाजन को सारणी संख्या एक में स्पष्ट किया गया है।[1]

सारणी संख्या - 6

विभिन्न जनपदों का भौगोलिक क्षेत्रफल

(हजार वर्ग किलोमीटर में)

क्रमांक	जनपद	क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत
1.	झांसी	5.0	
2.	ललितपुर	5.0	
3.	जालौन	4.6	
4.	हमीरपुर	7.2	
5.	बांदा	7.6	
	योग	29.4	100

1. सारणी संख्या एक झांसी मण्डल सांख्यकीय पत्रिका पृष्ठ सं0 3-4

झांसी जनपद चार तहसीलों - झांसी, मोंठ, गरौठा, मऊरानीपुर तथा आठ विकास खण्डों - मोंठ, चिरगांव, बामौर, गुर सरांय, बंगरा, मऊरानीपुर, बबीना तथा बड़गांव में विभाजित है।

जनपद की अर्थ व्यवस्था कृषि प्रधान है। कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में सन् 1993-94 के अन्त में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 64.7 प्रतिशत था जो 1994-95 के अन्त में 62.4 प्रतिशत हो गया था। शुद्ध बोये गये क्षेत्र का 51 प्रतिशत सिंचित है। सकल बोये गये क्षेत्रफल में सकल सिंचित क्षेत्रफल सन् 1994-95 के अन्त में 45.6 प्रतिशत था।

जनसंख्या सम्बन्धी विशेषतायें

सन् 1991 के जनगणना के अनुसार जनपद की जनसंख्या 1429.78 हजार थी। विभिन्न दशकों में जनपद की जनसंख्या तथा दशकों में होने वाली वृद्धि को सारणी संख्या - 7 में स्पष्ट किया गया है।[2]

सारणी संख्या - 7

झांसी जनपद की जनसंख्या वृद्धि

क्रमांक	जनगणना वर्ष	जनसंख्या (हजार में)	दशक में जनसंख्या वृद्धि (प्रतिशत में)
1.	1961	47.9	20.34
2.	1971	54.8	20.54
3.	1981	70.6	28.58
4.	1991	86.3	25.7

सारणी संख्या - 7 से यह बात स्पष्ट है कि झांसी जनपद की जनसंख्या वृद्धि दशक 1981-91 के बीच 25.7 प्रतिशत रही है, जनपद के जनसंख्या की

---

2. सारणी संख्या - 7 सांख्यकीय पत्रिका झांसी पृष्ठ सं0 3-4

वृद्धि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्य जनपदों की तुलना में दूसरे स्थान पर रही है। ललितपुर जनपद के जनसंख्या की वृद्धि दशक 1981-91 के बीच 30.2 प्रतिशत रही है, इसके पश्चात झांसी जनपद का स्थान है, जैसा कि सारणी संख्या - 8 से स्पष्ट है।[3]

सारणी संख्या - 8

दशक (1981-91) में जनसंख्या वृद्धि में प्रतिशत

क्रमांक	जनपद	दशक में जनसंख्या वृद्धि
1.	झांसी	25.7
2.	ललितपुर	30.2
3.	जालौन	23.6
4.	हमीरपुर	22.8
5.	बांदा	21.4

जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में जनसंख्या वृद्धि को सारणी संख्या - 9 में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या - 9

ग्रामीण जनसंख्या की जनपद की प्रति 10 वर्ष की जनसंख्या वृद्धि

क्रमांक	विकास खण्ड	ग्रामीण जनसंख्या का योग	पुरूष	महिला	गत दशक में वृद्धि का %
1.	चिरगांव	104813	56469	48344	23.03
2.	मोंठ	118624	64094	54530	22.98
3.	गुरसरांय	103913	56380	47533	18.60
4.	बामांर	103067	56059	47008	8.01

5.	मऊरानीपुर	117120	62937	54183	24.93
6.	बंगरा	11064	59559	51505	26.75
7.	बबीना	110012	59489	50540	30.70
8.	बड़ागांव	94712	51239	43473	25.56
9.	योग ग्रामीण	863342	466226	397116	22.34
	सेन्सर हैण्ड बुक 1971 के अनुसार				
	1961	7144884	377942	336542	26.85

अनुसूचित जाति जनसंख्या

बुन्देलखण्ड में उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 25.6 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या निवास करती है, विभिन्न जनपदों में इसके विभाजन को सारणी संख्या दस में स्पष्ट किया गया है।[4]

सारणी संख्या - 10
अनुसूचित जाति जनसंख्या का वितरण 1991

क्रमांक	जनपद	अनुसूचित जाति जनसंख्या का कुल प्रतिशत	कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत
1.	झांसी	28.66	1.4
2.	जालौन	27.12	1.1
3.	हमीरपुर	24.56	1.2
4.	ललितपुर	24.39	0.6
5.	बांदा	23.63	1.6

3. सारणी संख्या 9 सांख्यकीय पत्रिका पृष्ठ - 5
4. सारणी संख्या 10 सांख्यकीय पत्रिका मण्डल 5

झांसी जनपद के विभिन्न तहसीलों में कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति व जनजाति जनसंख्या का वितरण अलग-अलग रहा है। सबसे अधिक अनुसूचित जाति व जनजाति जनसंख्या मऊरानीपुर इसके बाद गरौठा तथा मोठ का क्रम रहा है, जिसे सारणी संख्या - ।। में स्पष्ट किया गया है।[5]

सारणी संख्या - ।।

जनपद में अनुसूचित जाति व जनजाति जनसंख्या का वितरण

क्रमांक	तहसील	कुल जनसंख्या हजार में	अनुसूचित जाति जनसंख्या हजार में	कुल जनसंख्या प्रतिशत
।.	झांसी	204.7	55.7	27.2
2.	मऊरानीपुर	228.2	82.0	35.9
3.	मोंठ	223.4	67.2	30.।
4.	गरौठा	206.9	72.4	35.0

झांसी जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में भी सबसे अधिक अनुसूचित जाति व जनजाति जनसंख्या मऊरानीपुर विकास खण्ड इसके पश्चात बंगरा व गुरसरांय विकास खण्ड का क्रम है। मऊरानीपुर विकास खण्ड में जनपद की कुल जनसंख्या का 36.3 प्रतिशत, बंगरा में 35.6 तथा गुरसरांय में 35.2 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति वर्ग की थी, जिसे सारणी संख्या - ।2 में स्पष्ट किया गया है।[6]

सारणी संख्या - ।2

जनपद के विकास खण्डों में अनुसूचित जाति जनसंख्या का विवरण

क्रमांक	विकास खण्ड	कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति व जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत ।99।
।.	मोठ	30.3

2.	चिरगांव	29.8
3.	बामौर	34.7
4.	गुरसरांय	35.2
5.	बंगरा	35.6
6.	मऊरानीपुर	36.3
7.	बबीना	26.8
8.	बड़ागांव	27.7
	समस्त विकास खण्ड	32.1

ग्रामीण व शहरी जनसंख्या

यद्यपि बुन्देलखण्ड क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था कृषि प्रधान है और अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, फिर भी नगरीय जनसंख्या में भी वृद्धि हुयी है। अन्य जनपदों की तुलना में झांसी जनपद में नगरीय करण की गति अधिक तीव्र रही है। क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या के अनुपात को सारणी संख्या - 13 में स्पष्ट किया गया है।[7]

---

5. सांख्यकीय पत्रिका झांसी मण्डल पृष्ठ 11 पर आधारित है।
6. सांख्यकीय पत्रिका झांसी जनपद पृष्ठ - 10 पर आधारित है।
7. मण्डल सांख्यकीय पत्रिका पृष्ठ - 8

सारणी संख्या - 13

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ग्रामीण शहरी जनसंख्या विभाजन (1991)

क्रमांक	जनपद	कुल जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत	नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत
1.	झांसी	60	40
2.	ललितपुर	86	14
3.	जालौन	78	22
4.	हमीरपुर	83	17
5.	बांदा	87	13

झांसी जनपद में जनसंख्या में होने वाली वृद्धि ग्रामीण क्षेत्र में अधिक रही है, यह स्वाभाविक है, क्योंकि जनपद की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। दशक 1961-71 में ग्रामीण जनसंख्या में होने वाली वृद्धि 20.54 प्रतिशत तथा 1981-91 के बीच यह वृद्धि 22.34 प्रतिशत रही है, जिसे सारणी संख्या - 14 में दिखाया गया है।[8]

सारणी संख्या - 14

जनपद की ग्रामीण जनसंख्या की प्रति दशक जनसंख्या वृद्धि (1991)

वर्ष	ग्रामीण जनसंख्या हजार में	गत दशक में वृद्धि प्रतिशत में
1971	548.8	20.54
1981	705.7	28.58
1991	863.3	22.34

8. सांख्यकीय पत्रिका 1996 पृष्ठ 16 झांसी जनपद ।

विभिन्न विकास खण्डों में यह वृद्धि अलग-अलग दर से हुयी है। दशक 1981-91 में ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर 22.35 प्रतिशत और समस्त विकास खण्डों के जनसंख्या की वृद्धि दर 22.35 हो रही है। सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर पर बबीना इसके पश्चात चिरगांव और सबसे कम बामौर विकास खण्ड की रही है, जिसे सारणी संख्या - 15 में स्पष्ट किया गया है।[8]

सारणी संख्या - 15

जनपद की ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर (1981-91)

क्रमांक	विकास खण्ड	जनसंख्या हजार में	गत दशक में प्रतिशत वृद्धि
1.	मोठ	118.6	22.98
2.	चिरगांव	104.8	23.08
3.	बामौर	103.8	8.01
4.	गुर सरांय	109.9	18.60
5.	बंगरा	111.0	26.75
6.	मऊरानीपुर	117.1	24.93
7.	बबीना	110.0	30.71
8.	बड़ागांव	94.7	25.56
	योग	863.3	22.35

स्त्री पुरूष अनुपात

झांसी जनपद की जनसंख्या में सन 1991 की जनगणना के अनुसार

---

9. सांख्यकीय पत्रिका झांसी जनपद 1996, पृष्ठ - 16

स्त्री-पुरूष अनुपात 1:1.17 रहा है। यदि प्रति हजार पुरूष पर स्त्रियों की संख्या पर विचार किया जाय तो मण्डल के विभिन्न जनपद प्रति हजार पुरूष पर महिलाओं की संख्या झांसी व ललितपुर में अन्य जनपदों की तुलना में अधिक रही है, जिसे सारणी संख्या - 16 में स्पष्ट किया गया है।[9]

सारणी संख्या - 16

प्रति हजार पुरूष पर महिलाओं की संख्या (1991)

क्रमांक	जनपद	स्त्रियों की संख्या
1.	झांसी	863
2.	ललितपुर	863
3.	जालौन	829
4.	हमीरपुर	841
5.	बांदा	841

झांसी जनपद के विभिन्न तहसीलों में स्त्री पुरूष जनसंख्या का अनुपात लगभग समान रहा है, जिसे सारणी संख्या - 17 द्वारा स्पष्ट किया गया है।[10]

सारणी संख्या - 17

जनपद की जनसंख्या में स्त्री पुरूष अनुपात (1991)

क्रमांक	तहसील	स्त्री जनसंख्या हजार में	पुरूष	अनुपात
1.	झांसी	94.0	110.7	1:1.2
2.	मोठ	102.9	122.5	1:1.5

9. मण्डी सांख्यकीय पत्रिका पृष्ठ - 9, 1996-97

10. जनपद सांख्यकीय पत्रिका पृ0 11, 1996-97

3.	गरौठा	94.5	120.5	1:1.5
4.	मऊरानीपुर	105.7	122.5	1:1.2
	कुल योग	397.1	466.2	1:1.2

जनपद के ग्रामीण जनसंख्या में स्त्री पुरूष जनसंख्या के अनुपात में विभिन्न दशकों में परिवर्तन हुआ है। स्त्री एवं पुरूषों की जनसंख्या में गत दशकों में वृद्धि अलग-अलग हुयी है। इसे सारणी संख्या - 18 में स्पष्ट किया गया है।[11]

सारणी संख्या - 18

ग्रामीण जनसंख्या में स्त्री पुरूष अनुपात

क्रमांक	वर्ष	स्त्री हजार में	पुरूष	अनुपात
1.	1971	256.2	292.6	1:1.4
2.	1981	325.8	380.3	1:1.16
3.	1991	397.1	466.2	1:1.17

सारणी संख्या 18 से यह स्पष्ट है कि 1961-71 की दशक में स्त्री पुरूष अनुपात 1:1.14 रहा है, जो 1981-91 की दशक मे बढ़कर 1:1.17 हो गया, जो इस बात को स्पष्ट करता है कि स्त्रियों की संख्या पुरूषों की तुलना में कम हो रही है। जनपद के विभिन्न विकास खण्डों की स्थिति दशक 1981-91 के मध्य अलग-अलग रही है, जिसे सारणी संख्या-18 में अंकित किया गया है।[12]

---

11. सांख्यकीय पत्रिका झांसी जनपद, पृष्ठ - 16 पर आधारित है।
12. सांख्यकीय पत्रिका झांसी पृष्ठ - 18, 1996-97 पर आधारित है।

सारणी संख्या - 19

विकास खण्डों की जनसंख्या में स्त्री पुरूष अनुपात

क्रमांक	विकास खण्ड	जनसंख्या हजार में स्त्री	पुरूष	स्त्री पुरूष अनुपात
1.	मोठ	54.5	64.0	1:1.18
2.	चिरगांव	48.3	56.4	1:1.16
3.	बामौर	47.0	56.8	1:1.16
4.	गुरसरांय	47.5	56.3	1:1.19
5.	बंगरा	51.	59.6	1:1.15
6.	मऊरानीपुर	54.1	62.9	1:1.14
7.	बबीना	50.5	59.4	1:1.12
8.	बड़ागांव	43.5	51.3	1:1.18
समस्त विकास खण्ड		39.7	4.6	1:1.17

झांसी जनपद के अनुसूचित जाति जनसंख्या का स्त्री पुरूष अनुपात सन 1991 के जनगणना के अनुपात 1:1.12 आता है, यह अनुपात जनपद की विभिन्न तहसीलों में लगभग समान रहा है, जिसे सारणी संख्या - 19 में स्पष्ट किया गया है।[13]

---

13. सांख्यकीय पत्रिका झांसी, पृष्ठ संख्या 1996-97

सारणी संख्या - 20

जनपद की तहसील स्तर पर स्त्री पुरूष अनुपात अनुसूचित जाति व जनजाति

क्रमांक	तहसील	अनुसूचित जाति स्त्री हजार में	पुरूष	स्त्री पुरूष अनुपात
1.	झांसी	25.7	30.0	
2.	मऊरानीपुर	38.0	44.0	
3.	मोठ	30.8	36.4	
4.	गरौठा	32.7	39.6	
	योग	127.5	150.0	

जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में अनुसूचित जाति व जनजाति जनसंख्या के स्त्री पुरूष अनुपात को सारणी संख्या - 14 में स्पष्ट किया गया है।[14]

सारणी संख्या - 21

विकास खण्ड स्तर पर अनुसूचित जाति जनसंख्या में स्त्री पुरूष अनुपात

क्रमांक	विकास खण्ड	जनसंख्या हजार में स्त्री	पुरूष	स्त्री पुरूष अनुपात
1.	मोठ	16.5	19.5	1:1.25
2.	चिरगांव	14.3	16.9	1:1.21
3.	बामौर	16.0	19.7	1:1.25

सांख्यकीय पत्रिका पृष्ठ सं0 18, झांसी 1996-97

4.	गुर सरांय	16.6	19.9	1:1.25
5.	बंगरा	18.3	21.1	1:1.16
6.	मऊरानीपुर	19.6	22.8	1:1.12
7.	बबीना	13.5	15.8	1:1.12
8.	बड़ागांव	12.1	14.1	1:1.16
	योग	127.2	150.0	1:1.25

3. जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। अतः क्षेत्र की जनसंख्या में कृषि कर्मकारों की जनसंख्या सबसे अधिक है। क्षेत्र की जनसंख्या में कर्मकारों की जनसंख्या विभिन्न जनपदों में 30 से 36 प्रतिशत है, जिसका अर्थ यह है कि 60 से 70 प्रतिशत जनसंख्या आश्रित जनसंख्या है, जिसमें बच्चे, प्रौढ़, व्यक्ति हैं। क्षेत्र के विभिन्न जनपदों के जनसंख्या में कर्मकारों, कृषि कर्मकारों की जनसंख्या की स्थिति को सारणी संख्या 22 में स्पष्ट किया गया है।[15]

सारणी संख्या - 22

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की जनसंख्या में कर्मकार जनसंख्या - 1991

क्रमांक	जनपद	कुल मुख्य कर्मकारों की जनसंख्या में प्रतिशत	कुल जनसंख्या में कृषि कर्मकारों का प्रतिशत	कृषि श्रमिकों का प्रतिशत
1.	झांसी	30.1	16.7	4.7
2.	ललितपुर	32.7	26.5	3.4

15. सांख्यकीय पत्रिका पृष्ठ - 9, मण्डल - 1996

3.	जालौन	29.6	23.2	6.8
4.	हमीरपुर	33.3	27.2	10.3
5.	बांदा	36.0	30.9	9.5

सारणी संख्या - 22 से यह बात स्पष्ट है कि जनपदों के जनसंख्या में मुख्य कर्मकारों का प्रतिशत बांदा जनपद में सबसे अधिक 36 प्रतिशत रहा है और सबसे कम 29.6 प्रतिशत जो जालौन जनपद का रहा है। विभिन्न जनपदों के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में कुल मुख्य कर्मकार जनसंख्या का अनुपात अलग-अलग रहा है, जिसे सारणी संख्या 23 में स्पष्ट किया गया है।[16]

सारणी संख्या - 23

जनपदों में कर्मकार जनसंख्या - 1991

क्रमांक	जनपद	कुल जनसंख्या में कर्मकार जनसंख्या का प्रतिशत		
		ग्रामीण	नगरीय	योग
1.	झांसी	32.8	26.1	30.1
2.	ललितपुर	33.7	26.5	32.7
3.	जालौन	30.7	25.9	29.6
4.	हमीरपुर	28.4	27.8	33.3
5.	बांदा	37.2	28.0	36.0

16. सारणी संख्या 23 सांख्यकीय पत्रिका पृष्ठ - 9 मण्डल 1996-97

झांसी जनपद की जनसंख्या में कुल मुख्य कर्मकर जनसंख्या का अनुपात सन 1991 की जनगणना के अनुसार 38.1 प्रतिश रहा है जो ग्रामीण क्षेत्र में 32.8 तथा नगरीय क्षेत्र में 26.1 प्रतिशत रहा है। कुल जनसंख्या में कृषि कर्मकरों का सन 1991 की जनगणना के आधार पर कृषक तथा कृषि श्रमिकों को सम्मिलित करते हुए 13.7 प्रतिशत रहा है। कृषि श्रमिकों का कुल जनसंख्या में प्रतिशत 4.7 रहा है। जनपद के कर्मकर जनसंख्या के विभाजन को सारणी संख्या 24 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 24

कर्मकर जनसंख्या का विवरण (1991)

क्रमांक	कर्मकरों की श्रेणी	कुल जनसंख्या में प्रतिशत
1.	कृषक	46.5
2.	कृषि श्रमिक	15.6
3.	पशु पालन, जंगल लगाना	1.0
4.	खान खोदना	0.2
5.	पारिवारिक उद्योग	3.4
6.	गैर पारिवारिक उद्योग	5.8
7	निर्माण कार्य	2.0
8.	व्यापार व वाणिज्य	7.4
9.	यातायात व संचार	5.8
10.	अन्य	12.3

सारणी संख्या - 23, सांख्यकीय पत्रिका, पृष्ठ - 9, मण्डल 1996-97

सारणी संख्या - 24, सांख्यकीय पत्रिका, झांसी, पृष्ठ 5

सारणी संख्या 24 से यह स्पष्ट है कि कर्मकर जनसंख्या का 62.1 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में कृषक व कृषि श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं। पारिवारिक व गैर पारिवारिक उद्योग में कर्मकरों का 9.2 प्रतिशत लगा हुआ है। व्यापार व वाणिज्य में 7.4 प्रतिशत कर्मकर लगे हुए हैं। झांसी जनपद के कुल कर्मकर जनसंख्या में 81.7 प्रतिशत मुख्य कर्मकर तथा 18.3 प्रतिशत सीमान्त कर्मकर हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विभिन्न जनपदों झांसी जनपद में मुख्य कर्मकरों में कृषकों का अनुपात सबसे कम रहा है। विभिन्न जनपदों में मुख्य कर्मकरों में कृषक तथा कृषि श्रमिकों के प्रतिशत को सारणी संख्या - 25 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 25

मुख्य कर्मकरों में कृषक व कृषि श्रमिकों का वितरण (1991)

क्रमांक	जनपद	मुख्य कर्मकरों में कृषक	कृषि श्रमिक (प्रतिशत में)
1.	झांसी	46.5	15.6
2.	ललितपुर	70.7	10.3
3.	जालौन	55.1	23.1
4.	हमीरपुर	50.7	30.9
5.	बांदा	59.3	26.5

सारणी संख्या 25 से यह स्पष्ट है कि कर्मकर जनसंख्या में कृषकों का अनुपात अन्य जनपदों की तुलना में सबसे अधिक है और झांसी जनपद की स्थिति सबसे कम है। कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मकरों की जनसंख्या तथा कृषि में लगे कर्मकरों का अनुपात सभी जनपदों में प्रायः समान रहता है, जिसे सारणी संख्या 26

---

25 सारणी संख्या - 25, मण्डल पत्रिका, 1996 पृष्ठ सं0 10

में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 26

जनपदों में कर्मकार जनसंख्या का विभाजन (1991)

क्रमांक	जनपद	कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मकर जनसंख्या	कृषि में लगे कर्मकर प्रतिशत में
1.	झांसी	32.8	86.0
3.	ललितपुर	33.7	88.8
3.	जालौन	30.7	90.6
4.	हमीरपुर	34.4	88.9
5.	बांदा	37.2	91.8

झांसी जनपद के तहसील स्तर पर कर्मकर जनसंख्या के विभाजन से यह बात स्पष्ट है कि मुख्य कर्मकरों की जनसंख्या मऊरानीपुर में सबसे अधिक है, इसके पश्चात मोठ तहसील का स्थान रहा है। मुख्य कर्मकरों में से कृषि में लगे कृषक व कृषि श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक मोठ तहसील इसके बाद मऊरानीपुर का स्थान है। जनपद के कर्मकर जनसंख्या का तहसील स्तर के विभाजन को सारणी संख्या 27 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 27

जनपद के तहसीलों में कर्मकर जनसंख्या (1991)

क्रमांक	तहसील	कुल कर्मकर मुख्य कर्मकर	मुख्य कर्मकर	सीमान्त कर्मकर
1.	झांसी	75.9	66.9	8.9
2.	मऊरानीपुर	90.0	75.4	14.6
3.	मोंठ	94.1	72.2	22.0
4.	गरौठा	86.0	68.6	17.4

19. सारणी संख्या - 26, सांख्यकीय पत्रिका 1996, पृष्ठ - 18

20. सारणी संख्या - 27, सांख्यकीय पत्रिका 1996, पृष्ठ - 20

जनपद के कर्मकर जनसंख्या पर विकास खण्ड स्तर पर विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि सभी विकास खण्डों की स्थिति प्रायः समान रही है, जिसे सारणी संख्या - 28 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 28

कर्मकर जनसंख्या का वितरण

क्रम सं0	विकास खण्ड	कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत	मुख्य कर्मकरों में कृषि में लगे कर्मकरों का प्रतिशत
1.	मोंठ	30.6	90.7
2.	चिरगांव	34.2	89.4
3.	बामौर	32.9	92.3
4.	गुरसरांय	33.4	90.5
5.	बंगरा	31.5	84.3
6.	मऊरानीपुर	34.5	86.6
7.	बबीना	33.2	78.0
8.	बड़ागांव	32.2	75.1
समस्त विकास खण्ड		32.8	86.0

सारणी संख्या - 28 से यह स्पष्ट है कि जनपद की कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मकर जनसंख्या कुल जनसंख्या का 32.8 प्रतिशत रही है। मऊरानीपुर, बबीना, चिरगांव व गुर सरांय विकास खण्डों में कर्मकर जनसंख्या का प्रतिशत जिले के जनपद के प्रतिशत से अधिक रहा है। इसी प्रकार कृषि में लगी कर्मकर जनसंख्या का प्रतिशत जनपद का 86.0 प्रतिशत रहा है पर मोठ, चिरगांव, बामौर, गुरसरांय विकास खण्डों का प्रतिशत जनपद के प्रतिशत अधिक रहा है।

2.. सांख्यकीय पत्रिका 1996, झांसी, पृष्ठ संख्या 20

जनसंख्या का घनत्व

जनसंख्या के घनत्व का अर्थ एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विभिन्न जनपदों का घनत्व सबसे अधिक बांदा जनपद और सबसे कम ललितपुर जनपद का रहा है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र का जनसंख्या का घनत्व 184.2 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा है, जिसे सारणी संख्या - 29 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 29

जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर (1991)

क्रमांक	जनपद	जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर (1991)
1.	झांसी	181.0
2.	ललितपुर	126.6
3.	जालौन	210.7
4.	हमीरपुर	171.0
5.	बांदा	232.0

सारणी संख्या - 29 से यह स्पष्ट है कि झांसी जनपद के जनसंख्या का घनत्व बांदा तथा जालौन जनपदों के घनत्व से कम तथा ललितपुर व हमीरपुर जनपदों की तुलना में अधिक रहा है। जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में जनसंख्या के घनत्व को सारणी संख्या - 30 में स्पष्ट किया गया है।

---

22. मण्डल सांख्यकीय पत्रिका पृष्ठ - 12, 1993-94

सारणी संख्या - 30

विकास खण्ड वार जनसंख्या का घनत्व (1991)

क्रमांक	विकास खण्ड	जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किमी0
1.	मोठ	184
2.	चिरगांव	207
3.	बामौर	128
4.	गुरसरांय	145
5.	बंगरा	212
6.	मऊरानीपुर	198
7.	बबीना	200
8.	बड़ागांव	224
समस्त विकास खण्ड		181

आयु वर्गानुसार जनसंख्या

जनसंख्या के आयु वर्ग के अनुसार विभाजन से आश्रित तथा अर्जित जनसंख्या के अनुपात स्पष्ट किया जाता है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सभी आयु वर्ग में पुरूष व स्त्रियों का अनुपात 292.2: 250.7 है। विभिन्न जनपदों की स्थिति को सारणी संख्या - 31 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या 31 से यह बात स्पष्ट होती है कि सभी जनपदों के जनसंख्या में पुरूषों की संख्या स्त्रियों की तुलना में अधिक रही है। यही बात नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या दोनों में सही है। यदि 15 वर्ष से नीचे की जनसंख्या पर विचार किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सम्पूर्ण रूप

सारणी संख्या - 31

आयु वर्गानुसार जनसंख्या (1991)

जनपद में आयु वर्गानुसार जनसंख्या जनगणना (1991)

हजार में

क्रम सं0	जिले का नाम	योग		ग्रामीण		नगरीय	
		पुरूष	स्त्रियां	पुरूष	स्त्रियां	पुरूष	स्त्रियां
सभी आयु वर्ग							
1.	झांसी	6084	5286	380341	325336	228087	203267
2.	ललितपुर	3108	2667	269927	230719	40927	36075
3.	जालौन	5370	4492	430297	359489	106720	69732
4.	हमीरपुर	643.3	5508	636425	459347	106867	91529
5.	बांदा	8228	7111	723695	6291000	99121	81964
मण्डल योग		29224	25066	2340684	2004101	581722	452567

से कुल पुरूष जनसंख्या का 41.6 प्रतिशत पुरूष जनसंख्या 15 वर्ष के नीचे की जनसंख्या रही है। विभिन्न जनपदों की स्थिति को सारणी संख्या 25 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या 32 से यह बात स्पष्ट है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में 40 से 42 प्रतिशत पुरूष जनसंख्या 15 वर्ष से नीचे की उम्र की रही है। केवल ललितपुर जनपद में यह जनसंख्या कुल पुरूष जनसंख्या का 23.8 प्रतिशत रही है। यदि क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में कार्य योग्य जनसंख्या पर विचार किया

---

23. सारणी संख्या 31। मण्डलीय सांख्यकी पत्र का 1996, पृष्ठ 24

सारणी संख्या - 32

15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या (1991)

हजार में

क्रम सं0	जनपद	0-14 वर्ष तक की जनसंख्या पुरूष (हजार में)	कुल पुरूष जनसंख्या	14 वर्ष की जनसंख्या का कुल पुरूष जनसंख्या से प्रतिशत
1.	झांसी	249.0	608.4	40.9
2.	ललितपुर	129.0	310.8	23.8
3.	जालौन	218.1	537.0	40.5
4.	हमीरपुर	269.9	643.3	41.9
5.	बांदा	349.8	822.8	42.5

जाये तो 15 से 59 वर्ष की आयु की जनसंख्या की स्थिति को सारणी संख्या - 33 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 33

15 से 59 वर्ष की पुरूष जनसंख्या (1991)

हजार में

क्रम सं0	जनपद	पुरूष	कुल पुरूष जनसंख्या	कर्मकर जनसंख्या का कुल पुरूष जनसंख्या में प्रतिशत
1.	झांसी	324.2	608.4	53.5
2.	ललितपुर	163.1	310.8	56.4
3.	जालौन	285.6	537.0	54.6
4.	बांदा	403.6	822.8	51.0
5.	हमीरपुर	328.7	643.3	51.2

24. सारणी संख्या - 32, मण्डलीय सांख्यकी पत्र का 1995, पृ0 सं0 25

सारणी संख्या 33 से यह स्पष्ट है कि प्रायः मण्डल के सभी जनपदों में कार्य करने योग्य जनसंख्या लगभग आधी रही है। सभी जनपदों में 40 से 50 प्रतिशत जनसंख्या अवयस्क तथा प्रौढ़ व्यक्तियों की रही है।

प्रौढ़ जनसंख्या या 60 वर्ष से अधिक उम्र की जनसंख्या मण्डल के प्रायः सभी जनपदों में 5 से 6 प्रतिशत रही है, जिसे सारणी संख्या 34 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 34

60 वर्ष से अधिक की जनसंख्या हजार में (1991)

क्रमांक	जनपद	6 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष	कुल जनसंख्या पुरूष	कुल जनसंख्या में प्रतिशत
1.	झांसी	34.8	608.4	5.6
2.	ललितपुर	18.7	310.8	6.1
3.	जालौन	33.3	537.0	6.1
4.	हमीरपुर	44.7	643.3	6.9
5.	बांदा	53.8	822.8	6.5

यदि झांसी जनपद के आश्रित व अर्जित जनसंख्या पर विचार किया जाये तो यह कहा जा सकता है कि अर्जित आयु वर्ग में कुल पुरूष जनसंख्या का 53.5 प्रतिशत जनसंख्या 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग में आती है। शेष 40.9 प्रतिशत पुरूष जनसंख्या 14 वर्ष की आयु वर्ग के अन्तर्गत तथा 5.6 प्रतिशत पुरूष जनसंख्या प्रौढ़ वर्ग के अन्तर्गत है।

---

25. सारणी संख्या 33 व 34 सांख्यकीय पत्रिका झांसी मण्डल 1996, पृष्ठ संख्या 24-25, पर आधारित ।

जनपद में पुरूष जनसंख्या का ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में विभाजन को सारणी संख्या 35 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 35

झांसी जनपद में आयु के अनुसार पुरूष जनसंख्या का वर्गीकरण

क्रम सं0	आयु वर्ग	ग्रामीण	कुल में प्रतिशत	नगरीय	कुल में प्रतिशत	कुल पुरूष जनसंख्या
1.	सभी आयु वर्ग	380.3	62.5	228.5	37.5	608.8
2.	0-14 वर्ष	159.0	63.8	90.1	36.2	249.1
3.	15-59 वर्ष	197.8	61.1	126.4	38.9	324.2
4.	60 वर्ष से अधिक	238.6	68.4	109.6	31.6	348.2

सारणी संख्या - 35 से यह बात स्पष्ट है कि झांसी जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने योग्य आयु वर्ग की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 61.1 प्रतिशत निवास करता है। इसी प्रकार 14 वर्ष के नीचे आयु वर्ग की 63.8 प्रतिशत जनसंख्या तथा प्रौढ़ वर्ग की 68.4 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि जनपद की अर्थ व्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था है और अधिकांश जनसंख्या कृषि से अपनी जीविका अर्जित करती है।

जनपद के स्त्रियों की जनसंख्या का वितरण भी ग्रामीण प्रधान है। यदि सभी आयु वर्ग की महिला जनसंख्या पर विचार किया जाये तो यह कहा जा सकता है कि जनपद की महिला जनसंख्या का 61.5 प्रतिशत भाग ग्रामीण तथा 38.5 प्रतिशत जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। विभिन्न आयु वर्ग के महिला

---

26. सारणी संख्या 35 मण्डल सांख्यकीय पत्रिका 1996, पृ0 सं0 37

जनसंख्या के वितरण को सारणी संख्या - 36 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 36

झांसी जनपद की महिला जनसंख्या का वर्गीकरण

क्रम सं0	आयुवर्ग	कुल स्त्री जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या	कुल जनसंख्या से प्रतिशत	नगरीय जनसंख्या	कुल जनसंख्या से प्रतिशत
1.	0-14 वर्ष	214.8	133.6	62.3	81.2	37.7
2.	15-59 वर्ष	284.5	170.4	59.6	114.1	40.4
3.	60 वर्ष से अधिक	35.1	22.8	65.7	12.3	34.3

सारणी संख्या 36 से यह स्पष्ट है कि झांसी जनपद के अवयस्क वर्ग के अन्तर्गत कुल स्त्री जनसंख्या का 62.3 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र कार्य करने की आयु वर्ग के अन्तर्गत 59.6 प्रतिशत महिला जनसंख्या तथा प्रौढ़ वर्ग के अन्तर्गत 65.7 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है।

महिलाओं की वैवाहिक स्थिति

यदि महिलाओं को उनके पारिवारिक स्तर के अनुसार विभाजित किया जाये तो उन्हें अविवाहित, विवाहित, विधवा, तलाकशुदा आदि वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इस दृष्टि से बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्त्रियों के विभिन्न स्तर को सारणी संख्या - 37 में स्पष्ट किया गया है।

27. सारणी संख्या - 36 झांसी सांख्यकीय पत्रिका पर आधारित, 1996 पृ0 28

सारणी संख्या - 37

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में महिलाओं की सामाजिक स्थिति (1991)

(हजार में)

क्रम सं0	जनपद	कुल स्त्री जनसंख्या	अविवाहित	विवाहित	विधवा	तलाकशुदा
1.	झांसी	378.1	79.3	261.5	36.9	0.41
2.	ललितपुर	182.1	24.6	140.7	16.6	0.2
3.	जालौन	348.7	65.3	249.9	33.2	0.3
4.	हमीरपुर	394.5	70.9	284.8	38.5	0.3
5.	बांदा	492.0	91.4	335.0	61.6	0.4
	योग	1795.4	331.5	1271.9	186.8	1.6
कुल जनसंख्या में प्रतिशत			18.5	70.8	10.4	0.3

यदि बुन्देलखण्ड क्षेत्र पर सम्पूर्ण दृष्टि से विचार किया जाये तो यह कहा जा सकता है कि मण्डल की महिला जनसंख्या में 18.5 प्रतिशत महिला में अविवाहित, 70.8 प्रतिशत विवाहित, 10.4 प्रतिशत विधवा तथा 0.3 प्रतिशत महिलायें तलाक शुदा वर्ग के अन्तर्गत आती हैं। झांसी जनपद की महिला जनसंख्या की सामाजिक स्थिति को सारणी संख्या - 38 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 38 से यह स्पष्ट है कि झांसी जनपद में 20.8 प्रतिशत अववाहित, 68.3 प्रतिशत विवाहित तथा 10.9 प्रतिशत महिलायें विधवा एवं तलाकशुदा वर्ग की रही हैं।

सारणी संख्या - 38

झांसी जनपद के महिलाओं की पारिवारिक स्थिति (1991)

क्रम सं0	पारिवारिक स्तर	महिला जनसंख्या (हजार में)	कुल जनसंख्या में प्रतिशत
1.	अविवाहित	79.3	20.8
2.	विवाहित	261.5	68.3
3.	विधवा	36.9	10.5
4.	तलाकशुदा	0.4	0.4
	योग	378.1	100.00

साक्षरता की स्थिति

साक्षरता के दृष्टिकोण से बुन्देलखण्ड क्षेत्र को एक पिछड़ा क्षेत्र नहीं कहा जा सकता है। सन् 1991 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत 27.16 रहा है, जबकि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में यह 28.69 प्रतिशत रहा है। पुरूषों की साक्षरता के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश राज्य में 38.76 प्रतिशत पुरूष साक्षर रहे हैं, जबकि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पुरूषों की साक्षरता 41.78 प्रतिशत रही है। इसी प्रकार स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में 14.04 और बुन्देलखण्ड क्षेत्र में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत 13.95 रहा है। बुन्देल खण्ड क्षेत्र के विभिन्न जिलों में साक्षरता का प्रतिशत ललितपुर में 21.34, बांदा 23.3 और हमीरपुर का 26.31 प्रतिशत रहा है, जो राज्य के प्रतिशत से कम तथा झांसी और जालौन जनपदों का प्रतिशत क्रमश 37.06 और जालौन का 35.95 रहा है, जो राज्य के प्रतिशत से अधिक रहा है। पुरूषों और महिलाओं को साक्षरता के प्रतिशत को सारणी संख्या - 39 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 39

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों में साक्षरता का प्रतिशत

क्रम सं0	जनपद	साक्षरता प्रतिशत (%)		
		पुरूष	स्त्री	कुल
1.	झांसी	50.67	21.38	37.06
2.	ललितपुर	31.11	9.96	21.34
3.	जालौन	50.16	18.96	35.95
4.	हमीरपुर	38.94	11.57	26.31
5.	बांदा	35.99	8.61	23.30
6.	बुन्देलखण्ड क्षेत्र	41.78	13.95	28.69
7.	उ0प्र0 राज्य	38.76	14.04	27.16

पुरूषों की साक्षरता का प्रतिशत झांसी व जालौन जनपदों में राज्य के प्रतिशत से अधिक रहा है। इसी प्रकार महिलाओं की शिक्षा की स्थिति भी झांसी व जालौन जनपदों में राज्य के प्रतिशत से अधिक रही है।

यदि साक्षरता पर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के आधार पर विचार किया जाये तो यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता का प्रतिशत 23.34 रहा है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में ललितपुर जनपद को छोड़कर सभी जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र के साक्षरता का प्रतिशत 20 और 32 के बीच रहा है। जैसा कि सारणी संख्या - 40 में स्पष्ट किया गया है, शहरी क्षेत्र

सारणी संख्या - 40 मण्डल सांख्यकीय पत्रिका 1996, पृष्ठ संख्या 34-35

में साक्षरता की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक अच्छी रही है।

सारणी संख्या - 40

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में साक्षरता की स्थिति (1991)

क्रमांक	जनपद	साक्षरता का प्रतिशत (%)		
		ग्रामीण	शहरी	योग
1.	झांसी	28.11	50.93	37.06
2.	ललितपुर	16.53	40.02	21.34
3.	जालौन	32.87	47.92	35.85
4.	हमीरपुर	22.99	42.72	26.31
5.	बांदा	20.35	43.06	23.30
6.	बुन्देलखण्ड क्षेत्र	24.08	47.41	28.69
7.	उ0प्र0 राज्य	23.34	45.91	27.16

सारणी संख्या - 40 से यह स्पष्ट है कि झांसी जनपद के ग्रामीण क्षेत्र का साक्षरता का प्रतिशत उत्तर प्रदेश व बुन्देलखण्ड क्षेत्र के प्रतिशत से अधिक रहा है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र का प्रतिशत राज्य एवं क्षेत्र दोनों की तुलना में अधिक रहा है। अन्य जनपदों की स्थिति झांसी जनपद की तुलना में नीचे ही रही है।

सारणी संख्या - 40 मण्डल सांख्यकीय पत्रिका 1996, पृष्ठ संख्या-32

यदि झांसी जनपद के साक्षरता की स्थिति पर विचार किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि जनपद के साक्षरता की स्थिति में प्रत्येक दशक में सुधार हुआ है। सन 1971 में जनपद की साक्षरता का प्रतिशत 28.9 रहा है, जो 1991 में बढ़कर 51.6 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार पुरूषों की साक्षरता एवं स्त्रियों की साक्षरता में वृद्धि हुयी है। पुरूषों की साक्षरता 1971 में 40.9 और 1991 में बढ़कर 66.7 प्रतिशत हो गया और महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत 1971 में 15.4 जो 1991 में बढ़कर 38.7 प्रतिशत हो गया, जैसा कि सारणी संख्या - 41 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 41

झांसी जनपद में साक्षरता का प्रतिशत

क्रमांक	वर्ष	साक्षरता का प्रतिशत		
		पुरूष	स्त्री	कुल
1	1971	40.9	15.4	28.9
2.	1981	50.6	21.4	37.0
3.	1991	66.7	28.7	54.6

झांसी जनपद के विभिन्न विकास खण्डों की स्थिति अलग-अलग रही है। जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के साक्षरता का प्रतिशत 41.1 रहा है। पुरूषों की साक्षरता का प्रतिशत 59.1 तथा महिलाओं का 19.6 रहा है। विभिन्न विकास खण्डों की स्थिति को सारणी संख्या - 42 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या 42 साख्यकीय पत्रिका झांसी, 1996

पृष्ठ संख्या 24

सारणी संख्या - 42

जनपद में विकास खण्डवार साक्षरता की स्थिति (प्रतिशत में)

क्रम सं0	विकास खण्ड	साक्षरता का प्रतिशत कुल	पुरूष	स्त्री
1.	बामौर	46.0	65.1	23.2
2.	चिरगांव	47.3	67.1	23.8
3.	बामौर	42.7	62.5	18.6
4.	गुरसरांय	42.3	61.6	19.0
5.	बंगरा	36.5	52.7	17.4
6.	मऊरानीपुर	36.5	55.1	19.1
7.	बबीना	34.3	49.3	19.1
8.	बड़ागांव	41.1	59.2	19.4
योग ग्रामीण क्षेत्र		41.1	59.1	19.6

सारणी संख्या - 35 से स्पष्ट है कि विभिन्न विकास खण्डों में चिरगांव विकास में साक्षरता का प्रतिशत 47 जो सबसे अधिक है, इसके पश्चात मोठ, बामौर व गुरसरांय का स्थान है। पुरूषों की साक्षरता चिरगांव में सबसे अधिक और बंगरा में सबसे कम तथा स्त्रियों की साक्षरता सबसे कम बबीना तथा चिरगांव में सबसे अधिक रही है।

सारणी संख्या - 42 सांख्यकीय पत्रिका, झांसी, 1996, पृष्ठ संख्या 24

सामान्य अधोसंरचना सुविधायें

ग्रामीण क्षेत्र में प्राप्त अधो संरचना की सुविधायें, बहुत अधिक सीमा तक, वहां रहने वालों द्वारा किये जाने वाले कार्य तथा उनके सामाजिक जीवन उनके बच्चों के जीवन, समय के उपयोग उनके अधिमान तथा अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करने के लिए अपनाये गये उपायों के सम्बन्ध में किये जाने वाले चुनाव का निर्धारण करती है। आधारभूत अधोसंरचना की सुविधायें, जो ग्रामीणों के जीवन को प्रभावित करती हैं, वे जल, ईंधन, स्वास्थ्य, रक्षा, विद्युत, सड़क, बस सेवायें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, पोस्ट तथा दूर संचार की सेवायें, स्वास्थ्य सुविधायें, गृह, मातृत्व सेवा केन्द्र, शिशु रक्षा इकाई, शिक्षा और प्रशिक्षण आदि मुख्य हैं। किसी ग्रामीण क्षेत्र में प्राप्त अधोसंरचना सुविधाओं द्वारा पुरूष, महिलाओं व बच्चों, अमीर व गरीब, स्वरोजगार व मजदूरी पर आधारित रोजगार में लगे लोगों, ऊपरी तथा निम्न जाति वर्ग के लोगों का जीवन प्रभावित होता है। विभिन्न लोगों का ध्यान इन सुविधाओं के सम्बन्ध में समान नहीं होता है। इन अधोसंरचनाओं के प्रति ग्रामीण महिलाओं के अनुभवों को उनके प्राप्त उत्तरों द्वारा आगे विचार किया जायेगा। यहां पर अध्ययन क्षेत्र में प्राप्त सामान्य अधोसंरचना की सुविधाओं की सामान्य रूपरेखा प्रस्तुत किया जा रहा है।

विद्युत

ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत की सुविधा का विकास हो रहा है। विद्युत घरेलू उपभोग, व्यापारिक कार्यों, औद्योगिक उपयोग, कृषि कार्य के उपयोग एवं सड़कों पर प्रकाश के लिए प्राप्त होती है। झांसी जनपद में विभिन्न कार्यों के लिए प्राप्त होने वाली विद्युत के उपभोग को सारणी संख्या - 36 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 43

झांसी जनपद में विद्युत उपभोग (हजार किलोवाट घंटा)

क्रम सं0	मद	1992-1993	कुल विद्युत का प्रतिशत	1995-96	कुल विद्युत का प्रतिशत
1.	घरेलू प्रकाश एवं लघु विद्युत शक्ति	67798	34.4	78204	28.9
2.	वाणिज्यिक प्रकाश एवं लघु विद्युत शक्ति	31729	16.1	31971	11.8
3.	औद्योगिक विद्युत शक्ति	52757	26.8	113277	41.7
4.	सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	3900	2.0	4031	1.5
5.	कृषि विद्युत शक्ति	34538	17.5	38741	14.3
6.	सार्वजनिक जलकल एवं मल प्रवाह उर्दन व्यवस्था	6415	3.2	5432	1.8
	योग	197137	100.0	271056	100.00

सारणी संख्या - 43 से यह बात स्पष्ट है कि औद्योगिक उपादन के लिए विद्युत का उपभोग होता है, जो 1995-96 के अन्त में कुल उपमार्ग का 41.7 प्रतिशत था। कृषि क्षेत्र में कुल विद्युत उपभोग का केवल 14.3 प्रतिशत ही उपयोग किया जा रहा है।

झांसी जनपद में सन 1991 के अन्त में कुल आबाद गांवों की संख्या 759 थी। इन गांवों में से सन 1995-96 के अन्त में विद्युतीकृत गांवों की संख्या 548

सारणी संख्या 43 झांसी सांख्यकीय पत्रिका जिला सूचना केन्द्र, 1996 पृष्ठ संख्या - 59

रही है जो कुल गांवों की संख्या का 72.2 प्रतिशत है। विद्युतीकृत अनुसूचित जाति बस्तियों की संख्या सन 1995-96 के अन्त में 581 रही है। विभिन्न विकास खण्डों की स्थिति को सारण संख्या - 44 में स्पष्ट किया गया है : -

सारणी संख्या -44

झांसी जनपद में विद्युतीकृत ग्राम (1995-1996)

क्रम सं0	विकास खण्ड	विद्युतीकृत ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत	विद्युतीकृत अनुसूचित जाति बस्तियां
1.	मोठ	62.2	80
2.	चिरगांव	70.5	76
3.	बामौर	60.4	65
4.	गुरसरांय	60.0	75
5.	बंगरा	87.7	71
6.	मऊरानीपुर	88.1	85
7.	बबीना	73.6	51
8.	बड़गांव	83.7	78
	योग ग्रामीण		581

सारणी संख्या - 44 से यह स्पष्ट है कि विभिन्न विकास खण्डों में कुल गांवों में आधे से अधिक गांव विद्युतीकृत हैं। सबसे अधिक विद्युतीकृत गांव मऊरानीपुर

---

37. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार विद्युतिकृत गांवों की संख्या 548 स्पष्ट की गयी है। सारणी संख्या 44 झांसी सांख्यकीय पत्रिका (1996) पृष्ठ 59 पर आधारित है।

विकास खण्ड में है। विकास खण्ड में 88 प्रतिशत विद्युतीकृत गांव है। बामौर और गुरसरांय विकास खण्डों में 60 प्रतिशत गांव विद्युतीकृत हैं। वर्तमान अध्ययन मऊरानीपुर, चिरगांव, बंगरा व बबीना विकास खण्डों से सम्बन्धित है। इन विकास खण्डों में विद्युतीकृत गांवों का प्रतिशत क्रमशः 88.1, 70.5, 87.7 व 73.6 प्रतिशत रहा है।

जल सुविधा

परिवार के उपयोग के लिए जैसे पीने के लिए, भोजन पकाने के लिए तथा कपड़ा धोने के लिए पानी लाने की जिम्मेदारी महिलाओं पर ही पड़ती है। इस कार्य में कितना समय लगता है, यह घर से जल प्राप्ति स्थान का दूरी पर निर्भर है। भारतीय गांवों में जल के प्रमुख स्रोतों में कुओं और तालाबों का प्रमुख स्थान है। झांसी जनपद के विभिन्न विकास खण्डों के सभी गांवों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए जल की आवश्यकता होती है। कृषि क्षेत्र विभिन्न साधनों द्वारा सिंचित होता है। इनमें नहरें, नलकूप, कुंए, तालाब तथा अन्य मुख्य हैं। जनपद के शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल में सिंचित क्षेत्रफल 51.0 प्रतिशत रहा है। विभिन्न विकास खण्डों की स्थिति को सारणी संख्या 45 में स्पष्ट किया गया है। सारणी से यह बात स्पष्ट है कि सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र बड़ागांव विकास खण्ड में जो शुद्ध बोये गये क्षेत्र का 76.1 प्रतिशत है और सबसे कम गुरसरांय विकास खण्ड में जो 29.2 प्रतिशत है।

जनपद में कृषि कार्य के लिए सिंचाई के विभिन्न साधनों का विकास किया गया है। सिंचाई के साधनों के विकास के कारण विभिन्न स्रोतों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल में वृद्धि हुयी है, जिसे सारणी संख्या - 46 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या 46 सांख्यकीय पत्रिका झांसी (1996) पृष्ठ संख्या 11 पर आधारित है।

सारणी संख्या - 45

जनपद के विकास खण्डों में शुद्ध बोये गये क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल (प्रतिशत में)

1994-95

क्रमांक	विकास खण्ड	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल से प्रतिशत
1.	मोठ	48.2
2.	चिरगांव	64.9
3.	बामौर	45.2
4.	गुरसरांय	29.2
5.	बंगरा	50.4
6.	मऊरानीपुर	51.2
7.	बबीना	71.0
8.	बड़ागांव	76.1
	समस्त विकास खण्ड	51.0

जनपद में कृषि कार्य के लिए सिंचाई के विभिन्न साधनों का विकास किया गया है। सिंचाई के साधनों के विकास के कारण विभिन्न स्रोतों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल में वृद्धि हुयी है, जिसे सारणी संख्या - 46 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 46

जनपद में विभिन्न साधनों द्वारा वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल

हजार हेक्टेयर में

क्रमांक	सिंचाई के स्रोत	1992-93 क्षेत्रफल	कुल सिंचित क्षेत्र में प्रतिशत	1995-96	कुल सिंचित क्षेत्र में प्रतिशत
1.	नहरें	71.2	54.3	87.0	54.3
2.	नलकूप				
क.	राजकीय	1.9	1.5	-	-
ख.	व्यक्तिगत	48.1	36.7	54.0	33.7
3.	कुएं	48.1	36.7	54.0	33.7
4.	तालाब	1.2	0.9	2.4	1.5
5.	अन्य	5.8	6.6	9.5	5.9
	योग	130.9	100.0	160.3	100.0

सारणी संख्या - 46 यह स्पष्ट है कि जनपद में नहरों का विशेष महत्व है। सन 1995-96 के अन्त में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का 54.3 प्रतिशत भाग नहरों द्वारा सींचा गया है। इसके पश्चात कुओं का स्थान है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र का 33.7 प्रतिशत कुओं द्वारा सींचा गया है। इसके अतिरिक्त नलकूपों व तालाबों का उपयोग किया गया है। वर्तमान अध्ययन महिलाओं से सम्बन्धित है। अतः परिवार के उपभोग में आने वाले जल के साधनों का उनके द्वारा अपनाये गये मजदूरी आधारित एवं स्व-रोजगार को किस प्रकार प्रभावित किया है, इसका विश्लेषण सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर किया जायेगा।

सड़क एवं बस सेवायें

किसी गांव की ओर जाने वाली सड़क की दशायें, बहुत कुछ सीमा तक, अन्य सेवाओं की प्राप्ति का निर्धारण करती है, जैसे राज्य परिवहन की बसें, सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की गांव में नियमित रूप से जाने की सीमा और अन्य एजेन्सियों से स्थापित सम्पर्क इत्यादि। महिलाओं को जल, ईंधन, जानवरों के लिए चारा तथा भूसा तथा राशन लाना और अनाज से आटा आदि बनाने का कार्य करना होता है। उपयुक्त सड़क की सुविधाओं के न प्राप्त होने के कारण इन कार्यों को करना अधिक कठिन और समय लगने वाली क्रियायें बन जाती हैं। बरसात के दिनों में जिन गांवों में सड़के कच्ची होती है, वे या नहीं होती हैं, उनमें पानी तथा कीचड़ आदि हो जाते हैं। ऐसी जगहों के सभी का जीवन बहुत कठिन हो जाता है पर विशेष कर महिलाओं को उपरोक्त कार्यों में करने में कठिनाई का सामना करना होता है, जिन्हें प्रतिदिन या सप्ताह में दो या तीन दिन के बाद यह कार्य करने होते हैं। जब महिलाओं को इन कीचड़ युक्त तथा पत्थर लगी सड़कों पर अधिक दूर तक चलना होता है तो उनके पैरों में कांटे लग जाते हैं तथा धूल का सामना करना पड़ता है और कभी कभी उन्हें दमा का रोग हो जाता है। बसों की सेवायें ग्रामीणों के लिए विशेष सुविधा प्रदान करती हैं, क्योंकि इनके द्वारा एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए प्रमुख केन्द्रों में विभिन्न वस्तुओं की खरीददारी करने जाने के लिए तथा दवा तथा अन्य सेवाओं को प्राप्त करने में समय व शक्ति दोनों ही बचत होती है। विकास से सम्बन्धित सभी कर्मचारी तथा सरकारी विभाग के कर्मचारी तहसील स्तर के स्थानों पर प्राप्त होते हैं और गांव के लोगों को विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों को प्राप्त करने के लिए वहां तक जाना होता है। जिन गांवों में सड़कें नहीं होती उन्हें उन गांवों में बस सेवायें भी नहीं प्राप्त हो पाती। ग्रामीणों को इन्हें प्राप्त करने के लिए पक्की सड़कों तक जाना होता है।

झांसी जनपद में पक्की सड़कों की लम्बाई सन् 1994-95 के अन्त में 1532 किलोमीटर रही है, जो सन 1991-92 के अन्त में 1219 किलोमीटर रही

है। इन सड़कों में 1304 किलोमीटर लोक निर्माण विभाग की सड़कें रही हैं, जिसमें राष्ट्रीय राज मार्ग, प्रादेशिक राज मार्ग, मुख्य जिला सड़कें तथा ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। सबसे अधिक ग्रामीण सड़कें रही हैं। इस प्रकार के सड़कों की लम्बाई 1304 किलोमीटर में ग्रामीण सड़कों की लम्बाई 955 किलोमीटर है। स्थानीय निकायों के अन्तर्गत 191 किलोमीटर लम्बी सड़कें रही हैं, जिनमें जिला पंचायत तथा नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत आदि की सड़कें हैं। शेष 37 किलोमीटर सड़कें सिंचाई विभाग, गन्ना, बन विभाग और डी0जी0बी0आर0 विभाग की सड़कें रही हैं। झांसी जनपद में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों की लम्बाई 1304 किलोमीटर और कुल सड़कों की लम्बाई 1532 किलोमीटर रही है। झांसी जनपद के विभिन्न गांवों की पक्की सड़कों की दूरी और गांवों में प्राप्त सब मौसमों में योग्य सड़कों से लगे गांवों की कुल संख्या सन 1995-96 के अन्त में 359 रही है, जिसे सारणी संख्या 47 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 47

झांसी जनपद में पक्की सड़कों की लम्बाई तथा

इनसे जुड़े गांव

1995-96

पक्की सड़कों की लम्बाई		सब ऋतुओं में प्रयोग के योग्य सड़कें		
कुल (किमी0 में)	लो0नि0विभाग	एक हजार से कम जनसंख्या वाले गांव	1000 से 1499 जनसंख्या वाले गांव	2000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव
1532	1304	195	82	82

जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में विभिन्न जनसंख्या वाले गांवों की संख्या के सारणी संख्या - 48 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 47 सांख्यकीय पत्रिका झांसी पृष्ठ 61 पर 1996 पर आधारित ।

जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में विभिन्न जनसंख्या वाले गांवों की संख्या को सारणी संख्या - 48 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 48

जनपद झांसी में पक्की सड़कों की लम्बाई (1995-96)

किलोमीटर में

क्रम सं0	विकास खण्ड	सड़कों की कुल लम्बाई	लोक निर्माण विभाग	सब ऋतुओं में योग्य सड़कों की लम्बाई एक हजार से कम जन0वाले गांव	एक हजार से 1499 जनसंख्या वाले गांव	1500 से 2000 तक अधिक जन0 वाले गांव
1.	मोठ	123	123	30	.0	10
2.	चिरगांव	125	125	30	10	10
3.	बामौर	190	148	23	10	13
4.	गुरसरांय	164	160	27	15	9
5.	बंगरा	120	120	28	16	15
6.	मऊरानीपुर	157	147	25	12	12
7.	बबीना	113	113	28	7	6
8.	बड़ागांव	144	138	20	8	7
योग ग्रामीण क्षेत्र		1136	1074	195	82	82

टेलीफोन सेवायें

टेलीफोन, तार व संदेशवाहनों के साधनों द्वारा दूर से दूर के स्थानों से लोगों को सम्बन्ध स्थापितकरने की सुविधायें प्रदान की जाती है, जहां पर अन्य किसी साधनों द्वारा शीघ्रता से सम्बन्धित नहीं किया जा सकता है। इन सेवाओं को अमीर व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में गरीब व्यक्तियों की टेलीफोन की सेवायें पब्लिक काल आफिस के द्वारा सस्ती लागत पर प्राप्त करायी जा सकती है।

इस प्रकार की सुविधायें बड़े शहरों में प्राप्त होती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति कुछ अलग ही हुआ करती है। अधिकांश गांवों में टेलीफोन की सेवायें उपलब्ध नहीं होती हैं। अतः ऐसी सेवायें गरीबों को नहीं प्राप्त करायी जा सकती हैं। यदि कुछ गांवों में टेलीफोन की सुविधायें प्राप्त भी होती हैं तो यह सुविधायें गांव के सभी लोगों को आवश्यक रूप से नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि गांव का सामाजिक ढांचा एक रूप नहीं होता है। गांवों में आपस में तनाव होते हैं तथा जातियों के अनुसार वर्ग बने होते हैं, जो एक दूसरे से वैमनस्य रखते हैं। ऐसी स्थिति में टेलीफोन की सुविधाओं को समान रूप से सभी को प्रापत होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

झांसी जनपद में सन 1995-96 के अन्त में 200 डाकघर, 31 तार घर, 423 पी0सी0ओ0, 13511 पी0सी0ओ0, 18 रेलवे स्टेशन तथा 111 बस स्टेशन थे। विभिन्न विकास खण्डों की स्थिति को सारणी संख्या - 49 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 49

झांसी जनपद में यातायात व संचार सेवायें (1995-96)

संख्या

क्रमांक	विकास खण्ड	डाकघर	तारघर	पी0सी0ओ0	टेलीफोन	रेलवे स्टेशन	बस स्टेशन
1.	मोठ	28	1	8	188	2	14
2.	चिरगांव	20	-	11	173	1	14
3.	बामौर	24	1	3	-	-	6
4.	गुरसरांय	19	1	9	150	-	11
5.	बंगरा	17	1	3	37	2	10
6.	मऊरानीपुर	20	-	14	511	1	13
7.	बबीना	18	1	21	264	3	14
8.	बड़गांव	21	1	6	48	3	14
योग	ग्रामीण	167	6	75	1371	12	96
	नगरीय	33	25	348	12148	6	15
	जनपद	200	31	423	19511	18	111

सारणी संख्या - 49 झांसी सांख्यकीय पत्रिका, 1996 पृष्ठ संख्या 61 पर आधारित।

स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवायें

स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं के अन्तर्गत शौच, पानी निकलने की नालियां, गलियों की सफाई और प्रयोग के बाद कूड़े कचरे की सफाई आदि को शामिल किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन सेवाओं के बारे में अभी भी अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। इन सेवाओं का जनसंख्या के सभी वर्गों तथा लोगों के लिए महत्व है और लोगों का स्वास्थ्य भी इन्हीं सेवाओं पर निर्भर है। महिलाओं के दृष्टिकोण से शौच की सुविधा की एक विशेष समस्या होती है। ग्रामीण क्षेत्र में इसके लिए लोग खुले स्थानों का प्रयोग करते हैं पर खुले स्थान भी अब सीमित हो रहे हैं। अतः लोगों के लिए शौच की समस्या उत्पन्न हो रही है। गांवों के पास खुले स्थान प्रायः झाड़ियों और कांटों से घिरे होते हैं। जो गांव से थोड़ी दूरी पर होते हैं पर बरसात में इन स्थानों का प्रयोग भी कठिन हो जाता है। महिलायें मुख्यतया शौच के लिए अंधेरे में जाती हैं जो रात को देर में या सुबह में अधिक पहले जाने पर अंधेरा होता है पर ऐसी स्थिति में उनके सुरक्षा की समस्या होती है।

ग्रामीणों द्वारा महिलाओं के लिए शौच सम्बन्धी सुविधा की प्राप्ति गांव में प्राप्त जल सुविधा पर निर्भर है जिन गांवों में जल की समस्या नहीं है उनमें लोग पक्के शौचालयों की ओर अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं।

स्वास्थ्य, मातृत्व कल्याण और महिला एवं बाल कल्याण

सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं की आवश्यकता सभी के लिए समान रूप से होती है पर महिलाओं के लिए विशेष सेवाओं जैसे मातृत्व सेवा और उससे सम्बन्धित सेवाओं की आवश्यकता विशेष रूप से होती है। महिलाओं के लिए मां के रूप में अपने स्वास्थ्य तथा भविष्य में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए निरोधात्मक, सावधानी व निवारक सेवाओं की आवश्यकता होती है। गर्भ धारण की अवस्था में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, आहार सम्बन्धी सावधानियां, नियमित स्वास्थ्य सम्बन्धी जांच, आवश्यक दवाओं की प्राप्ति व सलाह, बच्चों जनित के लिए सभी सुविधाओं से युक्त

स्थान, जन्म के बाद बच्चे की उपयुक्त देख-रेख कुछ ऐसी आवश्यकतायें हैं जो महिलाओं के लिए आवश्यक होती हैं। महिलाओं को मातृत्व सेवा की सुविधायें प्राथमिक एवं स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं जो गांवों के आस-पास विकास खण्ड स्तर पर स्थापित किये गये हैं। झांसी जनपद में सन 1995-96 के अन्त में एलोपैथिक चिकित्सालयों की संख्या 35 तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 51 रही है। विकास खण्डों के अनुसार इनकी संख्या को सारणी संख्या 50 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 50

जनपद में चिकित्सा सेवा (विकास खण्डवार, 1996)

क्रमांक	विकास खण्ड	एलोपैथिक चिकित्सा केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सं0	प्राप्त डाक्टरों की सं0	पैरा मेडिकल स्टाफ
1.	मोठ	-	4	7	6
2.	चिरगांव	-	5	8	5
3.	बामौर	-	4	7	67
4.	गुरसरांय	-	4	5	5
5.	बंगरा	-	3	5	69
6.	मऊरानीपुर	-	4	6	8
7.	बबीना	1	4	7	6
8.	बड़ागांव	-	3	5	3
योग	ग्रामीण	1	31	50	164
	नगरीय	34	20	338	679
	जनपद	35	51	388	843

सारणी संख्या - 50 सांख्यकीय पत्रिका झांसी (1996), पृष्ठ संख्या - 57

झांसी जनपद में सन 1995-96 के अन्त में परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्रों तथा उपकेन्द्रों की संख्या क्रमशः 11 व 251 रही है। जनपद के विकास खण्डों में इनके वितरण को सारणी संख्या -51 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 51

जनपद में परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्रों का वितरण

(1995-96) संख्या

क्रमांक	विकास खण्ड	परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण उपकेन्द्र
1.	मोठ	-	33
2.	चिरगांव	-	30
3.	बामौर	1	29
4.	गुरसरांय	-	31
5.	बंगरा	-	31
6.	मऊरानीपुर	-	31
7.	बबीना	-	30
8.	बड़ागांव	-	26
योग	ग्रामीण क्षेत्र	1	241
	नगरीय	10	10
	जनपद	11	251

सारणी संख्या - 51, सांख्यकीय पत्रिका झांसी (1995-96), पृष्ठ संख्या 81

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

महिलायें अपने क्रय राशन की दुकानों से करती हैं। इन दुकानों पर हमेशा राशन उपलब्ध नहीं होता। इसके आने का पता लगाने के लिए उन्हें इन दुकानों पर अक्सर चक्कर लगाना होता है। जब यह दुकानें दूसरे गांव में होती हैं तो महिलाओं को कई किलोमीटर तक जाना होता है, जिसमें उन्हें अपना अधिक समय बरबाद करना होता है। इन स्थानों से प्राप्त होने वाला राशन कई बातों पर निर्भर है, जैसे राशन कार्ड की प्राप्ति, गरीब महिलाओं के पास प्राप्त नकद और रोजगार से समय निकालना आदि। झांसी जनपद के सस्ते गल्ले की दुकानों की संख्या सन 1995-96 के अन्त में 529 थी। इन दुकानों का वितरण विभिन्न गांवों में रहा है और जनपद में ऐसे भी गांव हैं जिनसे इन दुकानों की दूरी 5 किलोमीटर तक रही है। जैसा कि सारणी संख्या - 52 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 52

झांसी जनपद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानों का वितरण (1995-96)

क्रम सं0	विकास खण्ड	कुल संख्या	गांव में	सस्ते गल्ले की दुकानों की दूरी 1 किमी0 से कम	1 से 3 किमी0	3 से 5 किमी0	5 किमी0 से अधिक
1.	मोठ	127	70	4	29	15	9
2.	चिरगांव	105	75	9	9	5	7
3.	बामौर	101	72	14	6	-	9
4.	गुरसरांय	103	71	19	4	3	6
5.	बंगरा	82	62	-	10	5	5
6.	मऊरानीपुर	83	60	7	-	11	5
7.	बबीना	72	54	5	5	5	3
8.	बड़ागांव	87	65	7	10	3	2
	योग जनपद	760	529	65	73	47	46

सारणी संख्या - 52 सांख्यकीय पत्रिका, झांसी, 1996, पृष्ठ संख्या 76 पर आधारित है।

शिक्षा एवं प्रशिक्षण

स्कूल व्यवस्था को एक आशा भरी एवं ऊंचे विचारों से देखा जाता है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई समाप्त करके रोजगार प्राप्त करने की आशा से इसे देखता है। स्कूल में न तो विद्यार्थियों और न ही प्राध्यापकों दोनों द्वारा नियमित रूप से आते हैं, कभी कभी यह नहीं खुला होता है पर प्राध्यापकों को वेतन प्राप्त होता रहता है। गांवों में साक्षरता की आवश्यकता है पर वर्तमान शिक्षा प्रणाली द्वारा नव युवकों को किसी प्रकार सहायक सिद्ध नहीं होती है। इसके द्वारा न तो वह उपयुक्त आय अर्जित कर पाता है और न ही कार्य अवसरों के योग्य ही बन पाता है। अतः साक्षरता की आवश्यकता के बावजूद स्कूल प्रणाली के प्रति लोगों का आकर्षण बहुत अधिक नहीं है। गरीबों के लिए प्रत्येक बच्चा दो हाथ लेकर जन्म लेता है, जिससे वह परिवार की आय बढ़ाने में सहायक होता है। ऐसी स्थिति में बच्चों को स्कूल भेजने का विकल्प उन्हीं परिवारों के लिए खुला होता है जो उस बच्चे को आय के बिना ही परिवार को चला सकने में समर्थ होते हैं। प्रवासी परिवारों के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, क्योंकि वे अपने माता-पिता के साथ आते जाते हैं। शेष बच्चों में लड़कियों को उपनिच्छा से स्कूल भेजा जाता है। यद्यपि प्राथमिक स्तर की शिक्षा निःशुल्क है पर बच्चों को स्कूल भेजने का अर्थ अभिभावकों पर अतिरिक्त कार्य के बोझ का बढ़ना माना जाता है। यदि परिवार की वित्तीय स्थिति इस प्रकार की नहीं होती है कि सभी बच्चों को स्कूल भेज सके तो वे लड़कों को ही स्कूल भेजा जाता है।

परिवार में सबसे बड़ी लड़की पर घर देखने तथा छोटे बच्चों की देख-रेख तथा ईंधन और पशुओं को चारे आदि का प्रबंध करने का दायित्व सौंपा जाता है, जब भी मजदूरी आधारित रोजगार में कार्य करने जाती है। यह परिवार में बिना भुगतान या मुफ्त में प्राप्त होने वाला श्रम होता है और इन मदों पर परिवार का होने वाले व्यय की बचत होती है। लड़कियों को स्कूल भेजने का अर्थ परिवार को उनकी सेवाओं के न प्राप्त होने की हानि के अतिरिक्त उनके द्वारा किये जाने

वाले कार्यों पर परिवार का अतिरिक्त व्यय तथा उनकी शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय में वृद्धि होती है। ऐसे गांवों में जहां केवल प्राथमिक स्तर के शिक्षा की व्यवस्था है उनमें लड़कियों को माध्यमिक व हाई स्कूल स्तर की शिक्षा के लिए दूसरे गांवों में जाना होता है। यदि हाई स्कूल स्तर की शिक्षा की व्यवस्था थोड़ी दूरी पर नहीं होती, बल्कि अधिक दूर पर होती है तो इसके लिए स्कूल जाने के लिए बस के किराये पर भी व्यय करना होता है। इसके अतिरिक्त लड़कियों के बस में अकेले आने-जाने से सुरक्षा की समस्या भी उत्पन्न होती है। लड़कियों के सुरक्षा के अतिरिक्त एक निश्चित उम्र के पश्चात उन्हें और अध्ययन करने के लिए अनुमति नहीं दी जाती है। साथ ही अभी भी परिवारो में ऐसी धारणा बनी है कि शादी के बाद लड़कियां दूसरे घर में चली जाती हैं। अतः इनकी शिक्षा पर व्यय करना बुद्धिमानी का कार्य नहीं है, क्योंकि उनकी शिक्षा का लाभ अन्य परिवार को होता है।

झांसी जनपद की कुल ग्रामीण महिला जनसंख्या सन 1991 की जनगणना के अनुसार 325.3 हजार थी, जिसमें से 19.6 प्रतिशत साक्षर थी। जनपद में स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत 33.7 प्रतिशत और कुल जनसंख्या के साक्षरता का प्रतिशत 51.6 रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के साक्षरता का प्रतिशत 41.1 तथा नगरीय क्षेत्र का 67.4 प्रतिशत रहा है। अशिक्षा के कारण महिलाओं को बहुत अधिक हानि उठानी पड़ती है। वे बहुत सी प्राप्त होने वाली सुविधाओं को प्राप्त करने में असमर्थ होती हैं, उनका शोषण होता है, उनमें परिवर्तन नहीं हो पाता है। किसी कार्य में वे पूरी तरह भाग नहीं ले पाती हैं, वे बहुत सी योजनाओं के प्रति अनभिज्ञ होती हैं। वे बहुत से कर्मचारियों और अधिकारियों से विश्वास के साथ बात नहीं कर पाती हैं। स्कूल व्यवस्था से साक्षरता की कुशलता अर्जित करना महिलाओं के लिए कठिन है, विशेष कर ग्रामीण क्षेत्र में तो और भी कठिन है।[1] जब यदि यही लड़कियां

---

1. सन 1981 के जनगणना में 5 प्रतिशत के सैम्पुल आंकड़ों के आधार पर यह पाया गया कि 72 प्रतिशत ग्रामीण महिला में जो 4 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में थी वे स्कूल नहीं जाती हैं।

   Dealing with poverty - Usha Jlumani Sage Publications, New Delhi (1991).

युवती बन जाती हैं तो उन्हें परिश्रमी, कम कुशलता वाले कार्य और घरेलू कार्यों तथा बच्चों के पालन पोषण का कार्य दिया जाता है, जिनमें अधिक कुशलता और शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। युवतियों की तुलना में प्रौढ़ महिलाओं को नई कुशलता सिखाना कठिन होता है और उन्हें विकास के कार्यों में भाग लेने के लिए उन्हें समझाना और उनमें विश्वास जागृत करना। वर्तमान में प्रौढ़ महिला जनसंख्या को छोड़ दिया गया है, जब वे युवतियां भी उन्हें शिक्षा नहीं दी गयी और वे अपने लिए उत्तम स्थिति की मांग करने में समर्थ नहीं है। वर्तमान की नव युवतियां भविष्य की प्रौढ़ महिलायें हैं। सन 1991 की जनगणना के अनुसार 40 प्रतिशत जनसंख्या 15 वर्ष के उम्र से कम की हैं। महिलाओं के विकास की आशा केवल नई उम्र की लड़कियों को शिक्षित करके ही की जा सकती है।

आवासः

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश परिवार अपने निजी घरों में रहते हैं, चाहे यह झोपड़ी हों, आधा पक्का और आधा कच्चा या पक्का घर क्यों न हो। बहुत कम लोग किराये के मकान में रहते हैं। गरीब महिलाओं की झोपड़ियां बहुत छोटी होती हैं, यहां तक कि उनके पूरे घरेलू सामान भी उनमें नहीं आ पाते हैं। परिवार अधिकतर समय में झोपड़ी के बाहर ही रहता है। कभी-कभी खाना भी बाहर बनाया जाता है, बच्चे झोपड़ियों के बाहर ही खेलते हैं और झोपड़ियों के बाहर ही सोते हैं। घरेलू आर्थिक क्रियायें भी झोपड़ियों के बाहर ही की जाती है। स्थान की कमी गरीबों की एक वास्तविक समस्या होती है। झोपड़ी के अन्दर की जगह कुछ बरतनों, कपड़ों, चटाइयों तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए भी पर्याप्त होती है। बरसात के दिनों में कहीं भी स्थान ढूंढ़ना पड़ता है। झोपड़ी के छोटी होने के कारण वास्तव में रहने की जगह नहीं होती है। जब लड़का बड़ा हो जाता है और उसका खुद का परिवार हो जाता है तो आवास की समस्या और भी विकराल हो जाती है। उन्हें जब दूसरा घर नहीं मिलता तो वे परिवार के सदस्यों के लिए किराये का मकान लेता है।

आवास की समस्या केवल महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए होती है। गांव में घर का होना एक विश्वास को जन्म देता है तथा गरीब परिवारों के लिए यह एक सम्पत्ति होती है जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के नाम नहीं होती है।

सरकार की ओर से गरीब व्यक्तियों के लिए, जिनके पास मकान नहीं है, भूमि देने की योजना है, जिस पर वे मकान बना सकते हैं, इसके लिए ऋण तथा अनुदान का प्रबंध किया जाता है। परिवारों को आवास के लिए भूमि की प्राप्ति तथा उसके आवश्यक धनराशि की प्राप्ति गांव में सरपंचों द्वारा की जाती है। बहुत से गांवों में गरीब परिवारों द्वारा मकान के लिए भूमि प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में भूमि की प्राप्ति सरपंच द्वारा ही निश्चय कियाजाता है, इसके अतिरिक्त ऋण के रूप में स्वीकृत रकम भी सीमित हुआ करती है। जिन परिवारों को इसकी आवश्यकता होती है उन्हें भूमि नहीं मिल पाती है। साथ ही ऋण अनुदान समय पर नहीं मिल पाता है। सर्वेक्षण के दौरान लोगों ने अर्द्ध निर्मित मकानों को दिखाया जो पैसे के अभाव में पूरे नहीं किये जा सकते थे। कभी-कभी स्वीकृत ऋण की रकम लागत से कम हुआ करती है और परिवारों के पास पैसा न होने के कारण मकान का निर्माण बीच में ही रोकना पड़ता है। सरकार द्वारा मिलने वाले भूखण्डों के सम्बन्ध में एक सामान्य शिकायत यह रही है कि इसके अन्तर्गत मिलने वाले भूखण्ड गांव के बाहर हुआ करते हैं। इन भूखण्डों पर रहने वाले परिवार गांव के अन्य लोगों से अलग हो जाते हैं और उन्हें जल इत्यादि प्राप्त करने में कठिनाई होती है। साथ ही सुरक्षा की भी समस्या होती है। इन कठिनाइयों का सामना महिलाओं को करना होता है।

जहां तक जनपद में आवासीय मकानों की प्राप्ति का प्रश्न है। सन् 1991 की जनगणना के अनुसार 227.7 हजार आवासीय मकान थे और परिवारों की संख्या 236. हजार परिवार थे। ग्रामीण क्षेत्र में 141.5 हजार मकान व 144.5 हजार परिवार थे, जिनमें 397.1 हजार जनसंख्या आवास करती थी। जनपद के

विभिन्न विकास खण्डों की स्थिति को सारणी संख्या - 52 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 53

झांसी जनपद में आवासीय मकान तथा परिवार (1991)

क्रमांक	विकास खण्ड	आवासीय मकानों की सं0 (हजार में)	परिवारों की संख्या हजार में
1.	मोंठ	18.5	18.9
2.	चिरगांव	17.2	17.6
3.	बामौर	16.5	16.8
4.	गुरसरांय	16.8	17.3
5.	बंगरा	18.2	18.3
6.	मऊरानीपुर	19.5	19.7
7.	बबीना	18.3	18.9
8.	बड़ागांव	16.3	16.9
	योग विकास खण्ड	141.4	144.4
योग	ग्रामीण	141.4	144.4
	नगरीय	86.2	92.1
	जनपद	227.7	236.6

सारणी संख्या - 53 से यह स्पष्ट है कि आवासीय मकानों की संख्या की तुलना में परिवारों की संख्या प्रत्येक विकास खण्ड में अधिक है और 10.2 प्रतिशत परिवारों के पास आवासीय मकान ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हैं।

सारणी संख्या - 46 सांख्यकीय पत्रिका झांसी (1996), पृष्ठ 17 पर आधारित ।

अध्याय - 4

व्यवसाय वर्गीकरण

वर्तमान अध्ययन झांसी जनपद के ग्रामीण गरीब महिलाओं के विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का सर्वक्षण है। अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के आर्थिक-सामाजिक दशाओं पर सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों को पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करना है। ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाओं के आर्थिक जीवन में सुधार के लिए ग्रामीण महिला विकास कार्यक्रम, जिसे 'ड्वाकरा' कहा जाता है, लागू किया गया, जिसमें उन्हें व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता तथा आवश्यक कच्चे माल, यंत्र व औजार तथा अन्य सुविधायें प्रदान करने का कार्य किया गया। कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 व्यवसायों से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के पश्चात ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाओं से सम्बन्धित व्यवसाय को अधिक कुशलता से चलाने की आशा ही गयी थी, जिससे उनके सामाजिक, आर्थिक जीवन में सुधार हो सके।

झांसी जनपद के ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलायें विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में लगी हुयी हैं। सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि ग्रामीण महिलायें दो रूपों में रोजगार में लगी हुयी हैं। कुछ महिलायें दूसरों के घर पर मजदूरी के आधार पर कार्यरत हैं तथा कुछ महिलायें अपनी पूंजी लगाकर अपने परिवार की सहायता से स्व-रोजगार में लगी हुयी हैं।

वर्तमान अध्ययन 500 महिला परिवारों से सम्बन्धित है। इन महिला परिवारों का चुनाव कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं के गांवों का पता लगाकर उनका पता लगाकर सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के पश्चात प्राप्त आंकड़ों के आधार पर विभिन्न विकास खण्ड की महिलाओं को उनके द्वारा किये जाने वाले व्यवसायों के आधार पर विभाजित करने पर उनका वितरण विकास खण्ड से प्राप्त वर्गीकृत आंकड़ों से अलग-अलग प्राप्त हुआ है। व्यवसाय के आधार पर सर्वेक्षण की गयी

महिलाओं के वर्गीकरण को सारणी संख्या 54 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 54

विभिन्न विकास खण्डों के आधार पर व्यवसाय के अनुसार महिलाओं का विभाजन

क्रम सं0	व्यवसाय	मऊरानीपुर	चिरगांव	बबीना	बंगरा	कुल
1.	कृषि श्रमिक	61	32	17	19	129
2.	निर्माण कार्य	17	8	10	4	39
3.	मिट्‌टी खोदना	11	9	10	4	34
4.	ईंट बनाना	22	2	6	5	35
5.	बांस का कार्य	8	6	5	5	24
6.	चमड़े का काय्र	11	9	8	3	31
7.	मिट्‌टी के बर्तन बनाना	9	14	5	9	37
8.	बुनाई	11	5	9	3	28
9.	मुर्गी पालन	7	5	8	2	22
10.	डेरी का कार्य	10	4	7	10	31
11.	सिलाई	6	7	6	2	21
12.	नरकट का कार्य	7	3	5	4	19
13.	किराना स्टोर	3	4	7	5	19
14.	सब्जी उगाने का कार्य	7	9	3	2	21
15.	दरी कम्बल बनाना	7	-	-	3	10
	कुल योग	197	117	106	80	500

सारणी संख्या 54 को सर्वेक्षण में महिलाओं के व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर बनाया गया है। यद्यपि इस बात की जानकारी विकास खण्ड कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दी गयी

थी कि महिलाओं को विभिन्न व्यवसायों के लिए दिया गया प्रशिक्षण मात्र प्रशिक्षण ही रहा है। वे अपना व्यवसाय जो पहले से कर रही थी, वही कर रही हैं और कुछ महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त व्यवसाय को प्रारम्भ किया और कुछ दिनों के पश्चात छोड़ दिया।

सारणी संख्या - 54 से यह स्पष्ट है कि सर्वेक्षण की गयी महिलाओं के द्वारा 15 व्यवसाय किये जा रहे हैं। जनपद के विभिन्न विकास खण्डों से मऊरानीपुर विकास खण्ड से कुल 197, चिरगांव से 117, बबीना से 106 और बंगरा से 86 महिलाओं का सर्वेक्षण किया गया। इस प्रकार कुल 500 महिलाओं का सर्वेक्षण किया गया जो विभिन्न व्यवसायों में लगी हुयी थी।

रोजगार का स्वरूप

सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के दृष्टिकोण से दो वर्गों में बांटा जा सकता है -

1. मजदूरी आधार पर रोजगार में लगी महिलायें
2. स्वरोजगार में लगी महिलायें।

रोजगार के इन रूपों के निर्धारण में कई सामाजिक तथ्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। महिलाओं द्वारा किये जाने वाले व्यवसाय मुख्यतया उनके जाति, वर्ग का प्रमुख स्थान है। महिलाओं में उनके क्या कार्य हैं और क्या नहीं हैं? इस बात की पूर्णतया विकसित भावना पायी गयी और इस बात का निर्धारण उनके जाति के आधार पर ही होता है। अतः वे अपने कार्यों को अपनी जाति के आधार पर ही निश्चित करती हैं। विभिन्न प्रकार के बाजों से सम्बन्धित कार्य भंगियों द्वारा ही किये जाते हैं। चमड़े का कार्य केवल चमारों द्वारा, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने के कार्य कुम्हारों द्वारा सब्जी उगाने का कार्य काछी और कुर्मियों द्वारा किये जाते हैं। यद्यपि उनके द्वारा किये जाने वाले परम्परागत कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य करने के अवसर प्राप्त

होने पर भी केवल अपने परम्परागत कार्यों को करने पर ही जोर दिया जाता है। परम्परागत कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों को करने में अनिश्चितायें अधिक होती हैं और नये कार्यों से सम्बन्धित अप्रत्याशित हानि बहुत अधिक होती है और इन हानियों को सहन करने की क्षमता उनमें नहीं होती या बहुत कम होती है। इसलिए नये धंधों में नये विनियोग नहीं किये जाते हैं या बहुत सीमित मात्रा में किये जाते हैं। जाति पर आधारित व्यवसायों में ऐसे जोखिमों को टालना सरल होता है। यह भी सर्वेक्षण में पाया गया कि कोई व्यवसाय अन्य जाति के लोगों द्वारा परम्परागत आधार पर किये जा हे हैं, यदि उस व्यवसाय से सम्बन्धित प्रशिक्षण किसी संस्था द्वारा दिया जा रहा है, जिससे उनकी कुशलता में वृद्धि हो सके तो उसे वे प्राप्त करने में अपनी इच्छा व्यक्त की और प्रशिक्षण प्राप्त भी किया है। ऐसा करने में व्यवसाय में विनियोग का जोखिम कम हो जाता है। प्रशिक्षण में उन्हें एक निश्चित मात्रा का वेतन या वृद्धि प्राप्त होती है और प्रशिक्षण कार्यक्रम उनके कुशलता वृद्धि में सहायक होता है। ऐसा करने में उन्हें अन्य लोगों का सहयोग भी प्राप्त होता है, क्योंकि अन्य लोग भी जाति पर आधारित व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। उन्हें एक समूह की शक्ति प्राप्त होती है, जिसके द्वारा उस अपनाये गये व्यवसाय को समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है और गांव में उनकी सामाजिक स्थिति बनाये रहने में सहायता प्राप्त होती है, जिसे ग्रामीण समाज स्वीकार कर लेता है।

गरीब व्यक्तियों के बच्चों को भी अपनी जाति के कारण हानि उठानी होती है। यदि उनमें कुछ कार्य सीखने की इच्छा होती है तो वे अपने माता-पिता के ही व्यवसाय को सीखने के लिए बाध्य होते हैं। यदि वे अपने परिवार के व्यवसाय को न सीखें तो वे बिना व्यवसाय में कुशलता प्रापत किए हुए ही बड़े हो जाते हैं। बहुत कम मात्रा में ऐसे युवक होते हैं, जिनमें अन्य व्यवसाय करने की योग्यता विकसित हो पाती है। ऐसी स्थिति में केवल शारीरिक श्रम से सम्बन्धित कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य या व्यवसाय करके प्राप्त करने के अवसर बहुत कम हुआ करते हैं। ऐसी स्थिति में गरीब परिवार के बच्चे अनिश्चितता, अयोग्यता और अपर्याप्ता की

भावना लेकर विकसित होते हैं। उनकी गरीबी सामाजिक स्थिति को और भी भयावह बना देती है। स्कूलों में गरीबों के बच्चों के साथ भेद-भाव किया जाता है और युवकों में एक उपयुक्त जीविकापार्जन करने के तरीकों का अभाव होता है और वे अकुशल श्रमिक ही बने रह जाते हैं।

गरीबों में एक दुर्भाग्य की भावना भी विद्यमान होती है। हम लोग अमुक कार्य करने के लिए जन्म लिये हैं। हम लोगों ने पूर्व जन्म में ऐसे कुछ पाप किए हैं जिनकस प्रायश्चित वर्तमान में कर रहे हैं और उसका फल भोग रहे हैं। यही हमारा भाग्य है। हम लोग गरीब पैदा हुए हैं और गरीब ही मरेगें। हम लोगों की कौन सुनेगा। यह अनुभव अधिकांश महिलाओं के रहे हैं, जो उनके असहाय और अयोग्यता की स्थिति को स्पष्ट करता है कि वे अकेले कुछ अधिक नहीं कर सकते । वे इस बात को नहीं जानते कि अपनी स्थिति में कैसे सुधार करें। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे अपनी स्थिति में सुधार करना नहीं चाहते हैं। जहां कहीं भी उन्हें कुछ आशा की किरण दिखायी पड़ती है उसके प्रति वे आकर्षित हो जाते हैं। सर्वेक्षण में महिलाओं ने इस बात को स्पष्ट किया कि आप के तरह यहां कई लोग आते हैं और लिखकर ले जाते हैं, आप हम लोगों के लिए कुछ करें। हम लोगों के लिए गांव में कोई भी कुछ करने वाला नहीं है। आप हम लोगों के गांव से बाहर जाने पर हम लोगों को भूल न जावें। इस प्रकार के वक्तव्य उनके जीवन में विकास की आशा को स्पष्ट कती है, जिसके सहारे वे जीवित हैं पर उन्हें निराशा ही हाथ लगी हैं, क्योंकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बहुत से लोग गांव में आते रहते हैं और हम लोगों की बातों को लिखकर ले जाते हैं और चले जाते हैं। आप लोग तमाम कागज-कलम स्याही बरबाद करती हैं पर उसके बाद कुछ नहीं होता है। हम लोग यही बताते बताते बुढ़िया हो गये हैं पर आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह उनके वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करता है।

सर्वेक्षण में पाया गया कि जीवित रहने के लिए उनके विचार जो मिलना है, शीघ्र मिले या प्राप्त हो, व्यवहारी वादी हो गये हैं। उनके लिए वर्तमान और

केवल आज ही महत्वपूर्ण हैं। भविष्य के कल में हम लोग जीवित रहेगें कि नहीं कल किसने देखा है, यह उनके विचार रहे हैं। हमारे बुजुर्ग हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर गये, हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर दें, अन्यथा वे भी हम लोगों की तरह अभाव की स्थिति में जीवन काटेगें। वे अपने परिवार चलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इसलिए उनका दृष्टिकोण जीवन के प्रति ऐसा हो गया है कि वे सभी स्थिति को सहन करने को तैयार हैं। इसके कारण उनमें अधिक गतिशीलता आ गयी है वे किसी भी समय और कभी भी तथा कहीं भी कार्य करने को तैयार रहती हैं। ऐसी बात उन महिलाओं में पायी गयी जो श्रमिक के रूप में कार्य कर रही है। इन महिलाओं के परिवार तथा उनके गृहस्थी के लोग भी बहुत अधिक गतिशील जीवन के लिए तैयार हैं। जहां कहीं भी उन्हें आय प्राप्त हो वे वहां जाकर रह भी सकती हैं। उनका अपनी सम्पत्ति के प्रति अधिक मोह नहीं रह गया है, जिससे मैं आय प्राप्त करने में अपने को असमर्थ पाती थी। वे अपनी जीविकोपार्जन करने के लिए कही भी निवास करने को तैयार है और अपने दिन काट सकती है। वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजती है, अतः वे पूर्णतया गतिशील की स्थिति में बनी रहती है।

ऐसी महिलायें जिन्होंने अपनी पूंजी का विनियोजन करके स्वरोजगार में लगी है, उनके अन्दर गतिशीलता का अभाव पाया गया, वे अपना स्थान एक गांव में बना चुकी है और केवल मैं अपने बने माल की बिक्री या कच्चे माल की खरीददारी के लिए ही इधर उधर जाती है। उनकी गतिशीलता थोड़ समय की तथा थोड़ी दूर की होती है और वे अपने घर को आसानी से नहीं छोड़ सकती है। केवल वे ही महिलायें कहीं भी जाने को तैयार थी जो अपना श्रम बेंचकर जीविका अर्जित करती हैं। इस प्रकार की गतिशीलता के कारण उनके अन्तर्गत आकस्मिकता की भावना आ गयी है। वे किसी से खुद भी नहीं जानती कि किसी समय क्या हो सकता है? वे किसी समय में कहां होगी, इसका उन्हें ज्ञान नहीं होता है। अतः उनका किसी के यहां काम करने का वादा उन्हें विवश करने वाला नहीं होता है। उनका स्थानीय होना प्रमुख होता है।

ग्रामीण गरीब, रोजगार तथा स्वरोजगार में लगी महिलायें गांव की निम्न जाति वर्ग की महिलायें होती हैं। जाति व्यवस्था से इन महिलाओं के समक्ष बहुत सी समस्यायें उत्पन्न होती है। वास्तव में ग्रामीण महिलाओं के गरीबी शोषण व असहाय बने रहने का एक प्रमुख कारण उन निम्न जाति में जन्म लेना है। इसलिए वे उत्तम स्थिति के योग्य ही नहीं है और न ही वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की योग्यता ही रह जाती है। जाति व्यवस्था कई रूपों में ग्रामीण रोजगार तथा स्व-रोजगार में लगी महिलाओं के आर्थिक-सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है जिन पर विचार करना आवश्यक होता है।

झांसी जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में छुआछूत की समस्या अभी भी बनी हुयी है, जिससे सबसे अधिक हानि हरिजनों को होती है। इनके आवास गांव के एक कोने में अलग होते हैं, जिन्हें हरिजन बस्तियां कहा जाता है तथा वे गांव के प्रमुख बस्ती और आर्थिक क्रियाओं से अलग हुआ करती हैं। इन्हें गांव के कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता है और वे तालाब में कपड़े नहीं धो सकते हैं। नाऊ जाति के लोग उनके घर पर नहीं जाते हैं और लोग उनके घरों का दूध या घी नहीं खरीदा करते हैं। उन्हें इन सेवाओं को बेचने व खरीदने के लिए अपना स्वयं प्रबंध करना होता है, जिन गांव में छुआ-छूत का विचार अधिक विद्यमान है, उन गांवों में हरिजनों में विद्रोह व विरोध की भावना तीव्र पायी गयी है। उच्च जाति के लोगों के प्रति विनम्रता का भाव पाया गया और उच्च जाति व निम्न जाति के बीच किसी भी प्रकार के सहयोग की भावना नहीं पायी गयी। आपस में इनके घरों में आना जाना भी नहीं है और न ही उच्च जाति के लोग उनके घरों में चाय या पानी पीने को तैयार नहीं हैं और भोजन करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। सर्वेक्षण के लिए जब हरिजनों के घर जाने पर इनकी महिलाओं ने बड़ी उत्सुकता से इस बात की जानकारी करना चाहा कि उच्च जाति की महिलाओं से क्या बात की गयी और उन लोगों ने क्या जवाब दिया है। इसी प्रकार की प्रतिक्रिया पिछड़ी जाति की महिलाओं में पायी गयी। हरिजन परिवारों में पानी या चाय पीने की बात बड़ी तेजी से गांव के अन्य जाति के महिलाओं तक पहुंच गयी थी। एक मुसलमान जाति की महिला द्वारा यह

भी कहा गया कि 'आपने जमादार व चमार जाति के लोग के यहां चाय पी हैं' आपको गांव में कोई पानी का गिलास नहीं देगा।' इन सबको होते हुए भी ऐसे भी गांव पाये गये जहां हरिजन जाति के लोग अपने को उच्च जाति के लोगों से अपने को अलग होना नहीं स्पष्ट किया गया। यद्यपि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उच्च जाति के लोग उन लोगों से खुलकर व्यवहार नहीं करते हैं, पर छुआछूत की भावना खुली न होकर छिपी हुयी है। ऐसा अनुभव किया गया कि जिन गांवों में गरीबी अधिक ही है, उनमें जाति प्रथा थी उतनी अधिक प्रभावशाली नहीं है और जिन गांवों में कुछ लोग सम्पन्न और कुछ गरीब रहे हैं उनमें जाति प्रथा अभी भी सामाजिक सम्बन्धों को निर्धारित करती हैं और ऊंच-नीच का भेद विद्यमान है।

हरिजनों के अति अन्य जाति की महिलायें, जिन्हें पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत रखा जाता है, वे अपने बीच भी भेदभाव का अनुभव करती हैं, क्योंकि वे यद्यपि अछूत नहीं हैं फिर भी पिछड़ी जाति की हैं। पिछड़ी जाति के अन्तर्गत कुशवाहा कुम्हार, केवट जाति की महिलायें सर्वेक्षण में पायी गयी। यद्यपि वे अछूत वर्ग की नहीं हैं, फिर भी उनके साथ बिना भेदभाव का व्यवहार नहीं किया गया जाता है। इन महिलाओं के अन्दर भी उच्च जाति के प्रति विरोध व प्रतिरोध की भावना पायी गयी। पिछड़ी जाति की महिलाओं में भी एक उपयुक्त स्तर का जीवन व्यतीत करने, सम्पत्ति प्राप्त करने तथा उच्च जाति वर्ग के लोगों से सहायता प्राप्त करने एवं समानता की भावना का अभाव पाया गया। यद्यपि पिछड़ी जाति के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उच्च जाति के लोगों के सम्मान व शक्ति को कम करने में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, फिर भी वे सब स्थितियों पर अपनी निगाह रखते हैं। वे इस बात को जानती हैं कि उनके परिवार के प्रति अन्याय किया जाता है, उन्हें सुविधाओं से वंचित रखा जाता है पर वे इस स्थिति को सहन करने के लिए मजबूर हैं। उदाहरण के लिए एक गांव में कुछ भूमि चारागाह के लिए निर्धारित की गयी थी, पर उसे गांव के कुछ जबरदस्त लोग उसे अपने कब्जे में लेकर खेती करने लगे। इससे गरीब लोगों को अपनी बकरियां चराने में कठिनाई होने लगी पर गांव के अन्य

लोग उस भूमि को कृषि कार्य से मुक्त नहीं करा सके और न ही कोई कार्यवाही ही की गयी, क्योंकि यह एक विदित तथ्य है कि चारागाह की भूमि सभी गांव वालों की होती है। भूमि पर कब्जा करने वालों ने गलत कार्य किया है, इस बात को सभी को बताया जाता है पर कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं हुआ है। इसी प्रकार एक दूसरे गांव में ढीमर जाति के लोगों की जमीन पर गांव के कुछ लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया, यद्यपि रेकार्ड पर ढीमर जाति के लोगों का नाम चढ़ा है और उन लोगों ने उस भूमि पर कई वर्षों से कृषि कार्य कर रहे थे, फिर भी वे लोग गांव के शक्तिशाली लोगों को जमीन पर कब्जा करने से नहीं रोक सके और उन लोगों ने इस जमीन को गांव सभा की जमीन घोषित करा दी।

मऊरानी विकास खण्ड के कुछ गांवों में पीने के जल की व्यवस्था पाइप लाइन के माध्यम से की गयी है और गांव के सभी वासियों में पाइप के द्वारा जल पहुंचाने की व्यवस्था की गयी है, इसके लिए हरिजनों व भंगियों को कर चुकाना होता है। सर्वेक्षण के दौरान ऐसा पाया गया कि हरिजन बस्तियों तक जल की आपूर्ति एक या दो वर्षों के पश्चात काट दी जाती है। पाइप लाइन पर इन बस्तियों के पहले और अधिक टोटियां लगाकर जल के प्रवाह को हरिजन एवं मलिन बस्तियों तक पहुंचने से पहले रोक लिया जाता है और इन पाइपों को बिना टोटी का बना दिया जाता है, जिससे पानी बहता रहता है और मलिन बस्तियों तक नहीं पहुंच पाता है, पर उन्हें कर चुकाने के लिए जोर दिया जाता है।

कुछ गांवों में अभी भी निम्न जाति के लोगों को कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करने के लिए मजदूर किया जाता है। भूमि पतियों द्वारा उन्हें मारा पीटा भी जाता है और गांव से बाहर निकलने के लिए बाध्य किया जाता है। गरीब पविार के लोग इसे जानते हैं कि यह गलत है पर वे इसे सहन करते हैं, क्योंकि वे अपने को असहाय स्थिति में पाते हैं।

विभिन्न जातियों के बीच सम्बन्ध कभी-कभी बहुत खराब पाये गये भले ही उनमें छुआछूत की भावना नहीं पायी गयी। कृषि श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी की दर, निम्न जाति वर्ग को प्राप्त सुविधायें, विभिन्न विकास योजनाओं में उन्हें प्राप्त सहायता, उनके लिए कंच्चे माल की प्राप्ति कुछ ऐसे कारण हैं, जिनके कारण आपस के सम्बन्ध तनावपूर्ण बने हैं। ऊंची जाति के लोग सामान्यतया इस बात का अनुभव करने लगे हैं कि सरकार निम्न जाति के लोगों को बहुत अधिक सहायता प्रदान कर रही है और उन्हें आवश्यकता से अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है और वे लोग खूब खा पीकर शक्तिशाली हो गये हैं। उच्च जाति के लोगों का यह विचार है कि इन्हें अब कोई विशेष सहायता नहीं दी जानी चाहिए। उच्च जाति के लोगों में इस भावना के कारण उनका निम्न जाति के लोगों के प्रति उनका व्यवहार शोषण करने के नियत का होता है और वे इस बात का प्रयास करते हैं कि निम्न जाति के लोगों को प्राप्त होने वाला लाभ न्यूनतम हो सके, जिससे सरकारी योजनाओं के कारण ऊंची जाति व निम्न जातियों के बीच अन्तर कम न हो सके। यह बात निम्न जाति वर्ग के लोगों को ज्ञात है।

ग्रामीण वातावरण में विभिन्न जातियों के बीच के सम्बन्ध गांव के मुखिया, सरपंच, ग्राम प्रधान आदि के व्यवहार व दृष्टिकोण पर निर्भर है। यदि ग्राम प्रधान सबको समान रूप से मदद करना चाहता है तो गांव में तनाव का वातावरण कम होता है। इन गांवों में गरीब व निम्न जाति के लोगों में एक दूसरे के सहयोग की भावना पायी गयी। इनके अन्तर्गत एक सुरक्षा की भावना पायी गयी तथा उनके अन्दर यह विश्वास पाया गया कि ग्राम प्रधान द्वारा उनके बुरे समय में सहायता की जायेगी। ऐसे गांवों में जहां ग्राम प्रधान का दृष्टिकोण इन लोगों को सहायता न होने का रहा है, उन गांवों में तनाव पाया गया। कुछ गांवों में ग्राम प्रधानों द्वारा निम्न जाति के लोगों को विकास योजनाओं की सहायता कम से कम देने या न देने का प्रयास रहा है, उन गांवों में उच्च जाति व निम्न जाति के लोगों के सम्बन्ध तनावपूर्ण रहे हैं।

आवास सुविधायें, ऋण प्राप्ति की सुविधा, अनुदान, छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था व विधवा पेंशन, भूमिहीनों को भूमि प्रदान करने, सड़क निर्माण, शिशु कल्याण कार्यक्रम, विद्युत कनेक्सन, पंचायत घर का उपयोग और गांव सभा की भूमि के उपयोग आदि कार्यक्रमों में ग्राम प्रधानों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन कार्यक्रमों का लाभ किसे मिलना चाहिए और किसे नहीं इसका निर्णय ग्राम प्रधानों द्वारा ही किया जाता है। इन कार्यक्रमों की जानकारी देने का दायित्व ग्राम प्रधानों का ही होता है। जब विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के अधिकारी गांव में आते हैं तो पहले वे ग्राम प्रधानों से ही मिलते हैं। गरीब परिवार के लोग अक्सर दिन में घर पर नहीं होते हैं। इसलिए इन अधिकारियों से प्रत्यक्ष मिलने के अवसर कम मिल पाते हैं। वे इन योजनाओं और कार्यक्रमों के सम्बन्ध में उन्हें जानकारी या तो अन्य लोग जो इसका लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं या अन्य गांव के लोग इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अधिकारियों से इन कार्यक्रमों के बारे में प्रत्यक्ष रूप से सम्पर्क हो पाता है औ इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो पाती है।

आवश्यकता पड़ने पर इन परिवारों को ग्राम प्रधानों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जिनसे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त होती है तथा सहायता प्राप्त करने के तरीके आदि भी इन्हीं से ज्ञात होते हैं। बहुत से गांवों में गरीब व पात्र व्यक्तियों को इन कार्यक्रमों की जानकारी ही नहीं दी जाती है। यदि इन परिवारों को किसी अन्य स्रोत से इन कार्यक्रमों की जानकारी होती है और वे इसके सम्बन्ध में ग्राम प्रधान से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर भी उन्हें टाल दिया जाता है। कभी-कभी प्रधानों और उनके व्यक्तियों द्वारा इन परिवारों की सहायता के लिए उनके लिए फार्म भी भर दिये जाते हैं और फार्म भरवाकर अपने पास रख लिये जाते हैं। कभी-कभी प्रधानों द्वारा इन परिवारों के लोगों को स्वयं जाकर जानकारी प्राप्त करने को कहा जाता है तब उनकी मदद करने का वादा किया जाता है। कभी-कभी उन्हें सहायता प्राप्त करने के लिए कई बार ग्राम प्रधानों व सरपंचों को

याद दिलाने आना होता है। यह स्थिति उन गांवों में पायी गयी जहां पर विभिन्न जातियों के बीच के सम्बन्ध तनावपूर्ण रहे हैं और ग्राम प्रधानों द्वारा गरीबों की मदद नहीं की जाती है पर ऐसे गांव भी पाये गये जहां ग्राम प्रधानों का दृष्टिकोण गरीबों को मदद करने का रहा है और वह स्वयं इन परिवारों को मदद करने का कार्य किया जाता है, इन गांवों में जातियों के सम्बन्ध तनावपूर्ण नहीं रहे हैं।

ग्रामीण महिलाओं के व्यवसाय

सर्वेक्षण में ग्रामीण महिलाओं द्वारा जो व्यवसाय किये जा रहे हैं उन्हें 15 वर्गों में पाया गया। ग्रामीण महिलायें निम्न व्यवसायों में लगी हुयी हैं। इन महिला परिवारों की आर्थिक सामाजिक दशाओं को स्पष्ट करने के पहले उनके द्वारा किये जाने वाले व्यवसायों के बारे में कुछ स्पष्ट करना आवश्यक है।

कृषि श्रमिक

ग्रामीण गरीब महिलाओं द्वारा कृषि क्षेत्र में श्रमिक के रूप में कार्य करना एक सबसे बड़ा व्यवसाय है। अध्ययन में 500 ग्रामीण महिलाओं में से कुल 129 ग्रामीण महिला परिवारों द्वारा कृषि श्रमिक के रूप में कार्य किया जाता है। यद्यपि विभिन्न विकास खण्ड की इन महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए ट्राइसेम योजना की भांति प्रशिक्षण तथा किट्स आदि खरीदने के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था भी की गयी थी, पर इन महिलाओं द्वारा विभिन्न कारणों और कठिनाइयों के कारण प्रशिक्षण प्राप्त व्यवसाय को न अपनाकर अपने पुराने व्यवसाय परम्परागत व्यवसाय ही अपना रखा है और वे कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करके अपनी जीविका अर्जित कर रही हैं। इन कारणों पर विचार आगे किया जायेगा। सारणी संख्या - 56 से यह स्पष्ट है कि कुल ग्रामीण महिलाओं का 25.8 प्रतिशत ग्रामीण महिलायें कृषि श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं। विभिन्न विकास खण्डों की स्थिति को सारणी संख्या - 55 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 55

विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत ग्रामीण महिलायें

क्रम सं0	व्यवसाय	मऊरानीपुर संख्या	%	कुल प्रशिक्षित महिलाओं से प्रतिशत विकास खण्ड चिरगांव सं0	%	बबीना सं0	%	बंगरा सं0	%	कुल सं0	%
1.	कृषि श्रमिक	61	30.9	32	27.3	17	16.0	19		129	25.8
2.	निर्माण कार्य	17	8.6	8						39	
3.	मिट्टी खोदना	11	5.6	9						34	
4.	ईंट बनाना	22	11.2	2						35	
5.	बांस का कार्य	8	4.0	6						24	
6.	चमड़े का कार्य	11	5.6	9						31	
7.	मिट्टी के बर्तन	9	4.1	14						37	
8.	बुनाई	11	5.6	5						28	
9.	मुर्गी पालन	7	4.0	5						22	
10.	डेरी का कार्य	10	5.4	4						31	
11.	सिलाई	6	3.5	7						21	
12.	लकड़ी का कार्य बाजे से सम्बन्धित	7	4.0	3						19	
13.	किराना स्टोर	3	0.5	3						19	
14.	सब्जी उगाना	7	3.5	4						21	
15.	दरी कम्बल बनाना	7	3.5	-						10	
	योग	197	[illegible]	117		106		80		500	

सारणी संख्या - 55 से स्पष्ट है कि मऊरानीपु विकास खण्ड में ड्वाकरा कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 197 ग्रामीण महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने व आय अर्जित करने के साधन प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया था, जिसमें से 30.9 प्रतिशत महिलायें कृषि श्रमिक के रूप में अपनी जीविका अर्जित कर रही हैं। इसी प्रकार चिरगांव विकास खण्ड की 117 ग्रामीण महिलाओं में 32 या 27.3 बबीना विकास खण्ड की 106 महिलाओं में से 32 या विकास खण्ड की कुल प्रशिक्षित महिलाओं का 16 प्रतिशत तथा बंगरा विकास खण्ड की 80 महिलाओं में से 19 या कुल महिलाओं का 25 प्रतिशत भाग कृषि श्रमिक के रूप में जीविकोपार्जन कर रही हैं। कुल प्रशिक्षित महिलाओं का चौथाई भाग कृषि श्रमिक के रूप में कार्यरत है। झांसी जनपद एक असमतल धरातल का क्षेत्र है, फिर भी सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया गया है। सन 1995-96 के अन्त में जनपद में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 314 हजार हेक्टेयर था, जिसमें शुद्ध सिंचित क्षेत्र 160 हजार हेक्टेयर था, जो शुद्ध बोये गये क्षेत्र का 50.9 प्रतिशत रहा है। इस प्रकार जनपद की कृषि अभी भी अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर है। अध्ययन में चुने गये विकास खण्ड की अर्थव्यवस्था में भी कृषि प्रधान है। इन विकास खण्डों के सिंचाई की सुविधाओं के विकास को सारणी संख्या - 56 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 56

अध्ययन के लिए चयनित विकास खण्डों में सिंचित क्षेत्र 1995-96 (हजार हेक्टेयर में)

क्रमांक	विकास खण्ड	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	शुद्ध सिंचित क्षेत्र	शुद्ध सिंचित क्षेत्रवार शुद्ध बोये गये क्षेत्र से प्रतिशत
1.	मऊरानीपुर	42.3	21.6	51.2
2.	बंगरा	33.6	17.0	50.4
3.	चिरगांव	36.6	23.7	64.9
4.	बबीना	24.0	17.0	71.0
	योग जनपद	314.0	160.00	50.9

सारणी संख्या - 56 से यह स्पष्ट है कि अध्ययन से सम्बन्धित विकास खण्डों में कृषि के लिए सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया गया है और सभी विकास खण्डों का शुद्ध बोये गये क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत जनपद के प्रतिशत से अधिक रहा है, फिर भी अभी भी कृषि वर्षा पर निर्भर है। जनपद के अधिकांश गांवों में एक फसल उगायी जाती है, जहां पर सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार हुआ है। एक से अधिक फसलें उगायी जाती हैं। सन 1995-96 के अन्त में जनपद में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 314 हजार हेक्टेयर था और एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र केवल लगभग 42 हजार हेक्टेयर था, जो शुद्ध बोये गये क्षेत्र का केवल 26.2 प्रतिशंत था। अध्ययन के अन्तर्गत चुने गये विकास खण्डों में शुद्ध बोया गया क्षेत्र और एक से अधिक बार बोये गये क्षेत्र की स्थिति को सारणी संख्या - 57 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 57

चयनित विकास खण्डों में शुद्ध बोया गया क्षेत्र

(हजार हेक्टेयर में 1995-96)

क्रम सं0	विकास खण्ड 1.	शुद्ध बोया गया क्षेत्र 2.	एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र 3.	कालम 3 का 2 से प्रतिशत 4
1.	मऊरानीपुर	42.3	4.2	9.9
2.	बंगरा	33.6	5.8	17.2
3.	चिरगांव	36.6	5.3	14.4
4.	बबीना	24.0	9.5	39.5
	योग जनपद	160.2	42.0	26.2

सारणी संख्या - 56 व 57 सांख्यकीय पत्रिका झांसी - 1996, पृष्ठ संख्या 25-26 पर आधारित है।

कृषि श्रमिकों को कितने दिनों कृषि क्षेत्र में कार्य मिल पाता है, यह बोयी जाने वाली फसलों की संख्या तथा प्रकार पर निर्भर है। यह कार्य बहुत ही मौसमी होता है और यह अल्पकालीन मात्र केवल 15 से 20 दिनों का होता है, जिसमें सभी किसानों को एक साथ श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कृषि में भूमि की जुताई, बुआई, पौध लगाने, सिंचाई, खर पतवार निकालने, उर्वरक और कीट नाशक दवाओं को छिड़कने, फसल की कटाई, पंवाई, ओसाई, सफाई, फसलों को बोरे में भरना एवं बैलगाड़ी पर लदाने के कार्य के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इन कार्यों में महिलाओं को मुख्यतया निराई, बुआई, पौध लगाने, कटाई, फसलों से भूसा निकालने के कार्य, दवाई, सफाई, फसल को बोरे में भरने और बैलगाड़ी में लदायी के कार्य में लगाया जाता है। इन कार्यों को किसी भी जाति के लोग कर सकते हैं।

कृषि श्रमिक तीन तरीकों या प्रणाली के अनुसार कार्य करते हैं :-

1. दैनिक मजदूरी के आधार पर
2. टुकड़े या किसी काम विशेष के लिए निर्धारित मजदूरी (पीस रेट्स)
3. वार्षिक संविदा या ठेके के आधार पर

महिलाओं को दैनिक मजदूरी या काम के टुकड़े के आधार पर निर्धारित मजदूरी की दरों के आधार पर काम में लगाया जाता है। जिन किसानों को मजदूरों की आवश्यकता होती है, उन्हें मजदूरों के घर जाकर किसी विशेष दिन उनके खेत पर जाकर काम करने के लिए कहना होता है। श्रमिक किसानों के घर काम करने के लिए कहने के लिए या काम मांगने के लिए श्रमिक नहीं जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनके मोल भाव करने की शक्ति कम हो जाती है। यदि किसान उनके घर जाते हैं तो वे मजदूरी के बारे में बात करने में समर्थ होते हैं और उन्हें एक उपयुक्त मजदूरी प्राप्त करने की आशा हो जाती है। जब श्रमिक किसी अन्य गांव या स्थान पर जाते हैं तो उन्हें काम खोजने और करने के लिए कहना और जाना होता है। यह एक निराशाजनक स्थिति होती है। जब किसानों द्वारा उनके पास जाकर काम करने के लिए कहा जाता है तो वे अपने गांव में कार्य करने के बजाय

दूसरे गांवों में जाकर कार्य करना अधिक पसंद करते हैं। जब कृषि श्रमिकों (पुरूष और महिलाओं) को दैनिक मजदूरी या कार्य के टुकड़े की मजदूरी दर पर लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में यह बिल्कुल स्पष्ट होता है कि वे किसी विशेष कृषक के साथ बंधे (अटैच्ड) नहीं हैं। वे किसी के यहां कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस स्थिति को श्रमिक पसन्द भी करते हैं। केवल वे श्रमिक जो वार्षिक संविदा या ठेके के आधार पर लगाये जाते हैं वे एक विशेष समय के लिए बंधे होते हैं। इसके पश्चात में पुनः ठेका के लिए सौदा कर सकते हैं। यदि श्रमिक किसी किसान से ऋण लिए होते हैं तो ऐसी स्थिति में जब तक ऋण की रकम अदा नहीं हो जाती, तब तक के लिए वे उस किसान से बंधे होते हैं। कृषि कार्य के लिए श्रमिक बड़े किसानों या ऐसे किसानों द्वारा लगाये जाते हैं, जो अपने परिवार वालों की सहायता से समय पर कार्य पूरा करने में समर्थ नहीं होते हैं।

सरकार द्वारा घोषित 40 से 42 रूपये की सामान्य न्यूनतम मजदूरी की दर के बावजूद विभिन्न विकास खण्डों में या एक ही विकास खण्ड में दी जाने वाली मजदूरी की दरों में समानता का अभाव है। कृषि श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी सम्बन्धित किसान की आर्थिक सम्पन्नता, श्रमिकों की प्राप्ति, किसी विशेष गांव में भू स्वामियों के नियंत्रण शक्ति, बोयी जाने वाली फसल की पुकार तथा आस-पास के गांवों में प्रचलित मजदूरी की दर पर निर्भर है। दैनिक तथा कार्य के टुकड़े पर आधारित मजदूरी नकद, वस्तु रूप में और मिली जुली (आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से वस्तु के रूप में) विधि से भुगतान की जाती है। बोआई, पौध रोपाई और निराई के कार्य के लिए मजदूरी नकद रूप में ही दी जाती है, क्योंकि उस समय किसान के पास फसल तैयार नहीं होती है। इसलिए वह वस्तु के रूप में भुगतान करने में समर्थ नहीं होता है। यदि फसल का पिछला स्टाक उसके पास होता है तो वह उपरोक्त कार्यों के लिए भुगतान वस्तु के रूप में कर दिया जाता है। फसल के कटाई, मड़ाई दवांई के समय में भुगतान वस्तु के रूप में किया जाता है, क्योंकि उस समय फसल तैयार होती है। कुछ गांवों में किसानों द्वारा एक सामान्य

दर पर मजदूरी देने के लिए सहमति दी जाती है। इस कार्य के लिए कभी-कभी गांव के किसानों द्वारा श्रमिकों की सलाह से मीटिंग कर ली जाती है।

किसी श्रमिक के दैनिक मजदूरी या कार्य के टुकड़े (पीस) मजदूरी के आधार पर लगाया जाता है, यह कार्य की आवश्यकता और श्रमिकों के कार्य को देखने के लिए प्राप्त मानव शक्ति पर निर्भर है। यदि श्रमिकों के कार्य को देखने के लिए परिवार में पर्याप्त लोग होते हैं और वे इस बात का निश्चय करने में समर्थ होते हैं कि एक दिन में श्रमिक द्वारा किया गया कार्य पर्याप्त है तो ऐसी स्थिति में श्रमिक को दैनिक मजदूरी के आधार पर लगाया जाता है। ऐसी स्थिति में श्रमिक जितना कार्य एक दिन में कर सकते हैं, उतना ही कार्य करते हैं और श्रमिकों में धीरे-धीरे काम कम करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि उनके एक दिन का भुगतान पहले से ही निश्चित होता है। यदि श्रमिक द्वारा किये गये श्रम का उत्पादन या काम अधिक होता है तो कृषक को लाभ होता है, क्योंकि इसके लिए उसे अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होता है। दूसरी ओर श्रमिकों का यह प्रयास होता है कि काम को अधिक से अधिक दिनों में पूरा किया जाय, क्योंकि उन्हें उसी कार्य के लिए अधिक दिनों तक कार्य करने पर अधिक मजदूरी या रकम प्राप्त होती है। इस स्थिति में किसान श्रमिकों के साथ कड़ाई से पेश आते हैं और वे हमेशा श्रमिकों के साथ खड़े होकर उन्हें कार्य करने के लिए कहते रहते हैं और उन्हें अधिक सुस्त नहीं होने देते हैं।

जब किसानों के पास श्रमिकों के कार्य को देखने के लिए पर्याप्त लोग उसके परिवार में नहीं होते हैं या उन्हें अपने काम को एक निश्चित समय में पूरा करना या कराना होता है, (जैसा कि धान की रोपाई का कार्य), या जब काम अति आवश्यक होता है, ऐसी स्थिति में श्रमिकों को टुकड़े की मजूदरी या पीस दर पर लगाया जाता है। खेत में एक निश्चित क्षेत्र तक या निर्धारित कार्य के लिए एक निश्चित मात्रा की रकम मजदूरी के रूप में देने का सौदा कर लिया जाता है, या मजदूरी का भुगतान बोयी जाने वाली फसल के वजन के एक निश्चित प्रतिशत या

अनुपात के रूप में किया जाता है। यह केवल बुआई के समय ही किया जाता है। ऐसी स्थिति में श्रमिक एक टीम में या समूह में साथ-साथ कार्य करते हैं और उनका प्रयास काम को कम से कम समय में समाप्त करने का रहता है, क्योंकि ऐस करने से उनके पास दूसरा काम करने के लिए समय बच जाता है। साधारणतः वे अपने परिवार वालों की सहायता से कार्य को पूरा करते है, जिससे मजदूरी की सारी रकम परिवार वालों को ही प्राप्त हो सके। टीम के सदस्य मजदूरी की रकम को बराबर-बराबर हिस्से में आपस में बांट लेते हैं। यदि परिवार में सदस्यों की संख्या पर्याप्त नहीं होती तो आस-पास के लोगों को टीम में शामिल कर लिया जाता है। श्रमिक काम करने के यंत्र व औजार अपना स्वयं का अपने साथ लाते हैं।

जनपद में मुख्यतया गेहूं, चावल, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूंग, मसूर, चना, मटर, अरहर, लाछी सरसों, तिल, रेण्डी, मूंगफली, गन्ना, आलू आदि फसलों को उगाया जाता है। अध्ययन चयनित विकास खण्डों में फसलों का प्रारूप निम्न प्रकार है।

मऊरानीपुर- गन्ना, चावल, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, उर्दू, मूंग, मसूर, चना, अरहर, सरसों, तिल, मूंगफली, आलू ।

चिरगांव- चावल, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूंग, मसूर, चना, मटर, अरहर, सरसों, तिल, मूंगफली, गन्ना, आलू ।

बंगरा - चावल, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, उर्द, मूंग, मसूर, चना, मटर, अरहर, सरसों, तिल, मूंगफली, गन्ना, आलू ।

बबीना - चावल, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूंग, मसूर, चना, मटर, अरहर, सरसों, तिल, मूंगफली, गन्ना, आलू ।

किसानों द्वारा खाद्यान्न, दलहन, तिलहन के अतिरिक्त व्यापारिक फसलें जैसे गन्ना, आलू, सनई व हल्दी का उत्पादन थोड़ी मात्रा में किया जाता है।

उपरोक्त सभी फसलों में श्रमिकों को उस समय लगाया जाता है जब कार्य इतना अधिक होता है कि परिवार के सदस्यों की क्षमता से बाहर होता है। गेहूं, धान, बाजरा, ज्वार, मक्का, सरसों आदि फसलों के उत्पादन में श्रम प्रधान तकनीक की प्रधानता के कारण एक बड़ी मात्रा में कृषि श्रमिकों को लगाया जाता है। इन कार्यों में श्रमिकों के भौतिक श्रम का प्रयोग किया जाता है। महिला श्रमिक असंगठित हुआ करती है। किसी भी विकास खण्ड में कोई भी गैर सरकारी संगठन कार्यशील नहीं पाया गया जो इन महिला श्रमिकों को संगठित कर सके। कृषि श्रमिक संगठन में केवल पुरूष श्रमिक ही सदस्य पाये गये पर इसकी सदस्यता सभी गांवों और सभी श्रमिकों तक विस्तृत नहीं पायी गयी।

धान के कृषि में पौध रोपड़, निराई व कटाई के समय श्रमिकों की आवश्यकता होती है। पौध रोपड़ के समय लगभग एक माह का कार्य इन्हें मिल जाता है। यह एक कठिन मेहनत वाला कार्य होता है। इसमें श्रमिकों के पैर में कीचड़ युक्त पानी में सूजन आ जाती है। इनके पैरों में जोंक लग जाती हैं, जिससे उनके पैरों से खून चूस लेती हैं। यदि वे दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं तो उन्हें 25 से 30 रूपये प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। इसी मजदूरी में उन्हें प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक कार्य करना होता है। कुछ विकास खण्डों में उन्हें 7 बजे प्रातः से ही कार्य करना होता है। यदि यह कार्य अन्य गांवों में होता है तो इसके लिए उन्हें वहां जाना होता है, जिसका अर्थ यह है कि उन्हें 6 बजे सुबह से 8 बजे रात्रि तक अपने पैरों पर ही चलना और खड़े रहना होता है। दोपहर में भोजन के लिए आधे घण्टे से एक घण्टे का समय मिलता है, यह भी क्षेत्र पर निर्भर है। उन्हें अपना भोजन साथ लाना होता है। इस भोजन के साथ किसानों द्वारा दाल या सब्जी आदि दे दी जाती है, कहीं कहीं तो केवल प्याज या मिर्च दे दी जाती है। कुछ स्थानों पर उन्हें कुछ नहीं दिया जाता है। केवल चिरगांव विकास खण्ड में ऐसा पाया गया कि उन्हें पूरा भोजन दिया जाता है, श्रमिकों को जो भोजन प्राप्त होता है, उसे वे ग्रहण करते हैं। यह पूंछे जाने पर कि क्या इस भोजन से आप

संतुष्ट हैं तो उन्होंने उत्तर में कहा कि इसके अलावा हम कर ही क्या सकते हैं, अपना पेट भरने के लिए खाना ही पड़ता है।

यदि उन्हें टुकड़े की मजदूरी के आधार पर (प्राइस रेट्स) तो उन्हें एक बीघा खेत में पौध रोपड़ के लिए 50 से 150 रूपये तक दिया जाता है (एक एकड़ में 1.75 बीघा होता है) इस कार्य को 5 से 6 व्यक्तियों द्वारा पूरे दिन कार्य करना होता है। यदि उन्हें धान रोपने के लिए बेहन भी निकालनी होती है और बेहन निकाल कर लगाना होता है तो मजदूरी निकाली हुई बेहन को केवल लगाने का कार्य करने की तुलना में अधिक होती है। इस मजदूरी प्रणाली में वे एक दिन में जितना अधिक कार्य कर सकते हैं, उतना कार्य करते हैं। उन्हें इसके अन्तर्गत दोपहर में कोई भोजन नहीं दिया जाता है। साधारणतः मजदूरी नकद रूप में दी जाती है पर कभी-कभी उन्हें रोपण कार्य के लिए अनाज भी दिया जाता है।

धान की खेती में अगला कार्य निराई का होता है। इस कार्य में उन्हें दैनिक मजदूरी के आधार पर रखा जाता है जो 10 रूपये से 15 रूपये के बीच होती है, यह कार्य लगभग 20 से 25 दिन का होता है। धान की कटाई के समय विभिन्न कार्यों का उत्पादन करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है और इन विभिन्न कार्यों में उन्हें पीस दर के अनुसार भुगतान किया जाता है। यदि फसल की कटाई के समय उनके द्वारा सभी कार्य किये जाते हैं तो उन्हें एक बीघे पर अधिकतम 5 मन अनाज (एक मन = 30 किलोग्राम) या 130 रूपये दिये जाते हैं। सबसे अधिक प्रचलित प्रणाली एक मन की है, जो चिरगांव व बबीना विकास खण्डों में प्रचलित है। एक बीघे की कटाई में 5 से 8 व्यक्तियों को लगाया जाता है। यदि वे विभिन्न कार्यों का सम्पादन करते हैं तो उन्हें तीन से चार दिन लगता है। यदि उनके द्वारा कुछ ही कार्य किये जाते हैं तो मजदूरी का भुगतान नहीं होता है। सामान्यतया एक बीघा भूमि के फसल की कटाई, तौलाई, दवांई, ओसाई तथा भराई तथा लदाई के कार्यों के लिए एक मन अनाज मजदूरी में दिया जाता है। यह इस मजदूरी की दर पर

श्रमिकों द्वारा कौन-कौन से कार्य किये जायेगं इसका निर्णय स्वयं श्रमिक को करना होता है। फसल की कटाई का कार्य भी अधिकतम एक माह तक चलता है।

गेहूं की खेती में मजदूरी का भुगतान दैनिक आधार पर किया जाता है। श्रमिकों को 10 से 15 रूपये और दोपहर का भोजन प्रतिदिन दिया जाता है। बुआई व कटाई के लिए यही मजदूरी दी जाती है, फिर भी क्षेत्रीय अन्तर पाया जाता है। गेहूं की खेती में पीस रेट की मजदूरी की प्रथा नहीं प्रचलित है। इस कार्य में उन्हें एक माह का समय मिलता है। कुछ स्थानों पर ऐसा पाया गया कि गेहूं की कृषि में भी फसलों की कटाई में पीस रेट के अनुसार मजदूरी दी जाती है। उन्हें एक बीघा गेहूं का खेत काटने के लिए 16 से 20 सेर गेहूं (1 सेर = 1/2 किलो) दिया जाता है। इस कार्य के लिए एक दिन में कार्य पूरा करने के लिए दो व्यक्तियों को कार्य में लगाया जाता है। इसी प्रकार एक गेहूं के एक बीघा खेत की फसल काटने के लिए अधिकतम दो मन अनाज दिया जाता है। एक दिन में पूरा कार्य सम्पन्न कराने के लिए पांच या 6 व्यक्तियों को लगाया जाता है। मऊरानीपुर व चिरगांव विकास खण्डों के कुछ गांवों में गेहूं की फसल काटने के लिए सात से दस किलोग्राम गेहूं दैनिक मजदूरी के रूप में दिया जाता है। बंगरा व बबीना विकास खण्ड के कुछ गांवों में 5 रूपये तथा डेढ़ और दो सेर गेहूं दैनिक मजदूरी के रूप में दिया जाता है। चिरगांव विकास खण्ड के गांवों में 4 किलो गेहूं व दोपहर का भोजन दैनिक मजदूरी के रूप में दिया जाता है, या इसके बदले में 5 बुशल गेहूं दिया जाता है (जो 6 सेर गेहूं के बराबर होता है) गेहूं के बुआई व कटाई में भी धान की कृषि की भांति मेहनत करने की आवश्यकता होती है।

बाजरे की कृषि में उन्हें 5 रूपये से 10 रूपये और भोजन प्रतिदिन के हिसाब से बोआई के समय दिया जाता है। इसकी कृषि मऊरानीपुर और बबीना विकास खण्डों में अधिक होती है। उन्हें 8 बजे प्रातः से 6 बजे शाम तक कार्य करना होता है। बीच में एक घण्टे का विश्राम दिया जाता है। फसल की कटाई

के समय मजदूरी का भुगतान पीस रेट के अनुसार किया जाता है। एक बीघे बाजरे की कटाई के लिए उन्हें 4 से 8 सेर बाजरा दिया जाता है। बाजरे में उसके दाने को अलग करने का कार्य अतिरिक्त होता है, इसके लिए भी उन्हें बाजरे के रूप में भुगतान किया जाता है। इन दोनों कार्यों में उन्हें दोपहर का भोजन भी दिया जाता है। कहीं-कहीं बाजरे की बाली काटने के लिए 5 रूपये प्रतिदिन की मजदूरी दी जाती है। कुछ स्थानों पर उन्हें भोजन नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें चाय और बीड़ी दी जाती है तथा भोजन दोनों दिया जाता है। यदि मौसम सूखा होता है, तो वे अधिक मात्रा में उसके बाली से बाजरे का दाना निकालने में समर्थ होते हैं और मौसम में नमी होने पर अधिक कार्य करना सम्भव नहीं होता है। यदि परिवार बड़ा होता है तो वे एक दिन में अधिक बाजरा प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। बाजरे की बुवाई से कटाई तथा उन्हें 15 से 20 दिनों का कार्य प्रत्येक स्तर पर प्राप्त हो जाता है।

अन्य फसलों के उत्पादन जैसे मक्का, ज्वार आदि की कृषि में श्रमिकों को कुछ दिनों के लिए दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य मिल जाता है। यह समय एक सप्ताह से दस दिन तक का होता है। इन फसलों में उन्हें 5 रूपये से 10 रूपयों और भोजन मजदूरी के रूप में प्राप्त होता है। वस्तुओं के रूप में मजदूरी देते समय किसान न फसलों को बाजार के मूल्य पर विचार करके कम से कम या सस्ते दर पर नकद या वस्तु के रूप में दैनिक या पीस रेट मजदूरी का भुगतान करते हैं। श्रमिक अधिकतर पीस रेट की मजदूरी के आधार पर कार्य करना पसन्द करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा इन्हें अधिक आय प्राप्त होती है। साथ ही उन्हें इस प्रकार की मजदूरी में एक निश्चित मात्रा में अनाज प्राप्त हो जाता है, जो उनके भोजन की आवश्यकता को पूरा करने में सहायक होता है। बहुत से किसान फसलों के बचे हुए पदार्थों को भी ले जाने की अनुमति दे देते हैं जो उनके द्वारा ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अधिकांशतः कृषि श्रमिकों द्वारा इस बात का प्रयास किया जाता है कि परिवार का कम से कम एक व्यक्ति कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करता रहे, क्योंकि उसके द्वारा ईंधन और अनाज की आवश्यकता को पूरा करने में

सहायता प्राप्त होती है। कृषि श्रमिकों यदि कृषक की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो वे श्रमिकों को शीघ्र ही भुगतान कर देते हैं। कुछ लोग श्रमिकों के घर जा कर उन्हें भुगतान कर देते हैं पर कभी-कभी श्रमिकों को मजदूरी प्राप्त करने के लिए किसानों के घर उन्हें भुगतान के लिए याद कराने जाना पड़ता है। कुछ महिलाओं ने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि काम कराने के बाद मजदूरी प्राप्त करने जाने के लिए पैर दर्द करने लगते हैं। यदि श्रमिकों द्वारा मजदूरी के कम होने की शिकायत करने पर उन्हें अगले दिन काम पर आने से मना कर दिया जाता है।

जब मजदूरी पीस रेट के आधार पर दी जाती है तो श्रमिकों को उस समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जब किसान अपने अनाज का स्टाक कर लेते हैं या उसे जब तक वे बेच नहीं लेते हैं केवल ऐसी स्थिति में ही उन्हें मजदूरी का भुगतान प्राप्त होते हैं। कभी-कभी कुछ धनराशि श्रमिकों को काम चलाने के दे दी जाती है और शेष धनराशि किसानों द्वारा अनाज की पूरी कीमत प्राप्त होने पर दी जाती है। अन्तिम भुगतान करने पर पहले दी हुई रकम उसमें समायोजित कर दी जाती है।

अधिकांशतः ऐसा बताया गया कि जब उन्हें पैसे की आवश्यकता होती है तो उन्हें पैसा नहीं मिल पाता है कभी कभी उन्हें कुछ रकम अग्रिम के रूप में दे दी जाती है और उसे काम हो जाने के पश्चात दिये जाने वाली रकम में समायोजित कर लिया जाता है। कृषि कार्य के मौसम के पश्चात जब कृषि में कार्य नहीं होता है तो श्रमिकों के लिए थोड़ी भी रकम प्राप्त करना कठिन हो जाता है, जब तक कि उनका सम्बन्ध ऐसे व्यक्ति से न हो जो उन्हें रकम दे सके और श्रमिकों की मदद करने के इच्छुक न हों। ऐसा देखा गया है कि कभी कभी श्रमिकों द्वारा यदि अग्रिम लिया गया होता है तो उन्हें प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूरी दी जाती है। जब श्रमिकों के अपने गांव में अधिक कार्य नहीं होता तो उन्हें कार्य करने के लिए अन्य गांवों में जाना होता है। वे ऐसे स्थानों पर कार्य

करने जाते हैं, जहां से वे शाम तक कार्य करने के बाद अपने घर वापस आ सकें, क्योंकि उनके लिए अपने घर व गांव के अतिरिक्त बाहर कहीं रूकना कठिन होता है। कहीं कहीं ऐसा बताया गया कि अन्य गांवों में कार्य करने केवल पुरूष ही जाते हैं।

श्रमिक कार्य करते–करते थक जाते हैं पर वे इसकी शिकायत किससे करें, क्योंकि उनकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है। अपना पेट भरने के लिए मेहनत तो करनी ही है, यही मेरे भाग्य में लिखा है, यदि कार्य न करें तो क्या खायेगें। महिलाओं ने यह स्पष्ट किया कि चाहे उनके पीठ में दर्द हो या शरीर में दर्द हो उन्हें कार्य करने के लिए जाना होता है। महिलाओं ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि उन्हें अधिक मजदूरी इसलिए भी नहीं दी जाती, क्योंकि उच्च जाति के किसान यह सोचते हैं कि यदि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है तो हमारा काम कौन करेगें, मजदूर मिलने में कठिनाई होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे अपने शोषण से थक चुकी हैं पर इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। उन्होंने अन्य कार्य करने की इच्छा की पर कठिनाईयों के कारण उसे करने का साहस नहीं जुटा पाती हैं।

श्रमिकों व किसानों के बीच जो भी शर्तें तय होती हैं वह सब कुछ मौखिक होता है, किसी किसान के यहां कितने दिन काम किया है, केवल इतना ही श्रमिक याद रखते हैं और उन्हीं दिनों की मजदूरी प्राप्त करने के लिए जाते हैं। कभी-कभी उन्हें तुरन्त भुगतान नहीं प्राप्त होता, बल्कि कुछ दिनों के बाद आने के लिए कहा जाता है। यदि वे अपने मजदूरी लेना भूल जाते हैं तो वह कृषकों द्वारा हड़प लिया जाता है। कभी कभी किसानों द्वारा काम करने के हितों के दिनों को कम बताया जाता है। जब किसानों द्वारा काम करने के बदले मजदूरी समय पर नहीं मिल पाती है तो वे ऋण लेने के लिए मजबूर होते हैं। जब किसानों द्वारा श्रमिकों की मजदूरी की रकम नहीं दी जाती हैं तो उनके लिए ऋण लेना सरल

हो जाता है, क्योंकि वे इस आधार पर ऋण लेते हैं कि उन्होंने जिस किसान के यहां कार्य किया है, उसके यहां से रकम प्राप्त होने पर ऋण की अदायगी कर दी जायेगी। इस आधार पर वे ऋणदाता से ऋण प्राप्त हो जाता है। किसान अपने अनाज की अच्छी कीमत प्राप्त करने के लिए अपने अनाज की बिक्री तुरन्त न करके कुछ दिन रोक लेता है और श्रमिकों को दी जाने वाली रकम के भुगतान में देरी करता है। किसानों के इन कार्यों का परिणाम श्रमिकों को भोगना पड़ता है। ऐसी स्थिति में श्रमिक को ऋण लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। सामान्यतया श्रमिकों को समय पर ऋण वापस करने वाला नहीं समझा जाता। इसलिए उन्हें अपने गांव में ऋण मिलना कठिन होता है। उन्हें अपने गांव में ऋण अपने व्यक्तिगत सम्बन्धों के आधार पर थोड़ी रकम के ऋण उनके यहां काम करने का ठेका लेने का वायदा करने पर ही प्राप्त होता है। बड़ी कम के लिए उन्हें अपनी कोई सम्पत्ति या सोने-चांदी के गहने रखने होते हैं। महिलाओं ने आपसी बातचीत में यह स्पष्ट किया कि अपने गांव में उन्हें या उनके पति को ऋण उसी समय प्राप्त हो सकता है, जब उधार देने वाले में यह विश्वास हो कि उसकी रकम वापस कर दी जायेगी और ऋण लेने के लिए पर्याप्त सम्पत्ति या गहने हैं। यदि खेत हो या जमीन हो या उस फसल खड़ी हो या घर में जानवर हो तो ऐसी स्थिति में गांव में ऋण मिल सकता है। हमारे पास ऐसी सम्पत्तियों के अभाव में कोई रूपया नहीं देना चाहता है। हम लोगों को जब रकम प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है तो हमें जो भी काम मिलता है, उसे करना होता है।

अपने सम्बन्धों को किसानों से अच्छा बनाये रखने तथा भविष्य में काम मिलने की गारन्टी के लिए जब कभी उन्हें किसी किसान द्वारा काम करने के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें जाना पड़ता है। मऊरानीपुर एवं बंगरा में ऐसा पाया गया कि काम करने के लिए आदिवासी महिलाओं व पुरूषों को आस-पास के क्षेत्रों से बुलाया जाता है, क्योंकि उन्हें कम मजदूरी देनी होती है और गांव के स्थानीय महिलाओं को काम पाने में कठिनाई होती है।

दैनिक मजदूरी या पीस रेट मजदूरी दोनों के अन्तर्गत दुर्घटना होने पर किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति शिशु कल्याण या स्वास्थ्य की सुविधाओं की व्यवस्था नहीं होती है। इसके उन्हें किसी प्रकार के लाभ जैसे भविष्य निधि, बोनस और ग्रेच्युटी आदि ही प्राप्त होता है। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्र की महिला श्रमिक भी न्यूनतम मजदूरी कानून के अन्तर्गत आती हैं पर कानून को भली भांति लागू करना अभी भी बाकी है। यह शिशु कल्याण की सुविधाओं के अभाव में महिलाओं को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने बच्चों के साथ ले जाना होता है, जिसे वे एक कपड़े में सुलाकर वे किसी पेड़ की डाल में लटका देती हैं। कभी-कभी वे अपने साथ लकड़ी का खटोला ले जाती हैं और उसमें बच्चे को सुला देती हैं। बच्चे के रोने पर भी उन्हें काम करना पड़ता है, जब वे अपने बच्चों को दूध पिलाने जाती हैं तो उन्हें कभी-कभी किसानों द्वारा काम से अलग कर दिया जाता है। काम के समय उन्हें बच्चों को देखने की अनुमति नहीं दी जाती है। ऐसे भी उदाहरण मिले हैं, जहां उन्हें अन्य महिलाओं की तुलना में कम मजदूरी दी जाती है, क्योंकि वे अपने साथ बच्चे को ले जाती हैं। बच्चे पड़े-पड़े रोते रहते हैं पर महिलायें काम के समय में कुछ भी न करने के लिए बाध्य होती हैं। कभी-कभी उनके बच्चों के साथ दुर्घटनायें हो जाती हैं। जब वे सड़क के किनारे काम करती हैं तो उनके बच्चों को कुत्ते नुकसान पहुंचाते हैं। कभी-कभी तेज आंधी आने पर बच्चे को चोट लग जाती है। यदि वे अपने बच्चे की देख-रेख में लग जाती हैं तो उन्हें अगले दिन काम पर न आने के लिए कहा जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चों को कहीं भी किसी भी प्रकार के खतरे में छोड़कर काम पर जाना ही पड़ता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अपने साथ काम में मदद करने के लिए ले जाया जाता है।

कृषि क्षेत्र में काम एक सीमित समय के लिए ही मिल पाता है। इसलिए श्रमिकों को शेष समय में आय के दूसरे साधन ढूंढ़ने पड़ते हैं। बहुत से श्रमिकों द्वारा कृषि क्षेत्र में श्रम करने के अतिरिक्त घरेलू उत्पादन का कार्य किया जाता है। कुछ

जाति के लोग ढोल बजाने का या अन्य बाजा बजाने का कार्य किया जाता है। कुछ लोगों द्वारा अन्य श्रम के कार्य, जैसे निर्माण कार्य में सहयोग देना, ईंटे बनाना, मिट्टी खोदने का कार्य किया जाता है। कुछ महिलायें आस-पास के नगरों के क्षेत्रों में काम करने के लिए जाती हैं। जिन महिलाओं के स्वास्थ्य नहीं ठीक होता या बूढ़ी महिलायें अन्य स्थानों पर काम करने नहीं जाती हैं। बूढ़ी महिलायें कृषि कार्य में भी नहीं जाती हैं, क्योंकि उन्हें कठिन मेहनत करनी होती है। यह केवल मजबूत व स्वस्थ महिलाओं द्वारा ही किया जा सकता है। बूढ़ी महिला एवं पुरूष घरों पर जानवरों को देखने के लिए रह जाते हैं और छोटे बच्चों को भी उन्हीं के पास घर पर छोड़ दिया जाता है।

श्रमिकों को कृषि कार्य करने के लिए किसी विशेष कुशलता सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, वे इस कार्य करने की दक्षता अपने परिवार में ही और खेतों में अन्य लोगों को काम करता देखकर सीख लेता या प्राप्त कर लेता है। बच्चे इसे आसानी से सीख जाते हैं, क्योंकि वे अपने माता-पिता के साथ खेतों पर उनकी मदद के लिए साथ जाया करते हैं। कृषि में जब मौसम के समय कार्य की अधिकता होती है तो स्कूल जाने वाले बच्चों को भी काम पर ले जाया जाता है।

कृषि कार्य करने वाली महिलायें अक्सर अनपढ़ होती हैं, उनमें से कुछ ही ऐसी होती हैं जो थोड़ी रकम का जोड़ घटाना आदि कर सकती हैं और उन्हें कितनी मजदूरी प्राप्त होगी इसे ज्ञात कर लेती हैं। शेष महिलायें पढ़ी लिखी न होने के कारण दूसरों पर निर्भर होती हैं जो उन्हें जोड़ घटाकर उनकी मदद कर देते हैं और उन्हीं के सहारे वे जान पाती हैं कि उन्हें उचित रकम मिल रही है या नहीं। उनके काम कर लेने के बाद परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति किसानों के पास उनकी रकम लेने जाता है। महिलायें अपनी रकम पुरूषों को दे देती हैं। जब कभी भी उन्हें परिवार के व्यय के लिए रूपयों की आवश्यकता होती है, वे

पुरूषों से कहती हैं। महिलाओं व पुरूषों की आय में अन्तर बहुत कम किया जाता है। महिलाओं द्वारा परिवार के खाने, कपड़े और परिवार के स्वास्थ्य पर रकम व्यय किया जाता है और इस बात को हमेशा निश्चित करती रहती है कि परिवार के लोगों को खाने के लिए घर में पर्याप्त खाद्य सामग्री है। वे इस बात को जानती हैं कि परिवार में एक वर्ष में कितनी खाद्य सामग्री की आवश्यकता होती है, ऐसे में उनके सामने इस खाद्य सामग्री को किस प्रकार प्राप्त किया जाये। जो भी काम मिल जायेउसे वे उस समय तक करती रहती हैं जब तक वे परिवार के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री एकत्र नहीं कर लेती हैं। सामान्यतया खाद्य सामग्री का स्टाक मौसम के आधार पर एकत्र किया जाता है। फसलों की कटाई के समय उन्हें पर्याप्त अनाज की प्राप्ति हो जाती है, जो कुछ दिनों के लिए पर्याप्त होता है। गर्मी के महीने कठिनाई के होते हैं, क्योंकि गर्मी में न तो काम मिलता है न खाद्यान्न और न ही आय प्राप्त होती है। इसी समय में कृषि श्रमिकों को छोटी रकम के ऋण लेने पड़ते हैं, दूसरे स्थानों पर काम के लिए जाना पड़ता है या घरेलू कार्यों को करने में लगाना होता है या फिर भूखे रहना पड़ता है। वर्षा के पहले उन्हें कुछ काम मिल जाता है और फसल की कटाई तक यह सिलसिला चलता रहता है। जिन क्षेत्रों में केवल एक फसल उगायी जाती है उनमें श्रमिकों को वर्षा के 30 या 40 दिनों तक ही कार्य मिल पाता है पर जहां सिंचाई की सुविधाओं का विकास हुआ है और दो या तीन फसलें उगायी जाती हैं, उन क्षेत्रों में 100 से 150 दिनों तक कार्य मिल जाता है। कृषि क्षेत्र में कितने दिनों का कार्य मिल पाता है यह कृषि में प्रयोग किये जाने वाले बीजों और अन्य आगतों पर निर्भर है। यदि उत्तम बीजों और अधिक उपज देने वाली फसलों के बीज का प्रयोग किया जाता है, ऐसी स्थिति में पौधों को संभालना और देखभाल का कार्य अनावश्यक हो जाता है। यह कार्य अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है और वे बेकार हो जाती हैं। उत्तम कोटि के बीजों के प्रयोग के कारण निराई का कार्य आर्थिक दृष्टि से उपयोगी हो जाता है, उपज अधिक होती है, जिससे कुल उत्पादन भी अधिक होता है। निराई के कार्य के लिए महिला श्रमिकों की आवश्यकता नहीं रह जाती है और महिलाओं के कार्य के अवसरों में कमी होती है, लेकिन उन्हें कटाई के समय काम मिल जाता है। वैसे झांसी जनपद

में अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में सिंचाई की सुविधाओं के विकास के परिणाम स्वरूप कार्य के अवसरों में वृद्धि होती है, क्योंकि इससे एक से अधिक फसलें उगायी जाती हैं और वही कार्य प्रत्येक फसल के उत्पादन में करना होता है।

महिलाओं से बातचीत करने के दौरान ऐसा अनुभव किया गया कि वे इस बात को जानती हैं कि जितना कार्य वे करती हैं उसके बदले जो उन्हें अनाज मिलता है, या जो आय उन्हें प्रापत होती है, वह उनके श्रम के मूल्य के बराबर नहीं होती है। वे इस बात को भी नहीं जानती हैं कि अनाज कहां और कैसे बेचें जाते हैं। वे केवल इतना ही जानती हैं कि किसान हम लोगों के श्रम के आधार पर ही अमीर बने हैं। एक महिला ने इस बात को बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में कहा कि हम लोग किसानों के लिए सभी कार्य करते हैं - खेत ठीक करने, फसल की कटाई, दवांई, सफाई, भराई और उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। केवल हम उनका भोजन बनाकर उनके मुंह में नहीं डालते हैं। शेष सभी कार्य हम करते हैं। ग्रामीण महिलाओं में आशावान पाया गया उनके अनुसार भविष्य उत्तम होगा, उनमें से कुछ का कहना था कि क्या आप हमारी मजदूरी बढ़वा सकेगीं? आप हम लोगों के आर्थिक स्थिति को अच्छी बनाने में सहायता करें और सरकार को लिखकर हमारी मदद करें और हमारे गांव आप फिर आवें, हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करें, भगवान आपको सकुशल रखे, चावल को कूटकर उस पर पालिश करने का कार्य हाथ से किया जाता था, जो महिलायें करती थी। इसी प्रकार दाल बनाने का कार्य भी हांथ से किया जाता था, अब इन कार्यों को चावल मिलें तथा दाल मिलें में मशीनों द्वारा किया जाता है। महिलाओं के कार्य अवसरों में कमी हो रही है और काम के नये अवसर पुरूषों के पक्ष में विकसित हो रहे हैं। अब अधिकांशतः महिलाओं से कुशल कार्य कराये जाते हैं, जैसे पानी भरने का कार्य, भरे अनाजों के बोरे ढोने का कार्य, इन मिलों में कराये जाते हैं। बहुत से श्रमिक हाथ से किये जाने वाले कार्य भूल भी गये हैं।

मिट्टी खोदने का कार्य

मिट्टी खोदने का कार्य खुले में पुरूष एवं महिलाओं दोनों द्वारा एक टीम में किया जाता है, जिसके अन्तर्गत जमीन या खेत को समतल बनाना, सड़क निर्माण, कुएं खोदने का कार्य, निर्माण कार्य खेतों के चारों ओर मेड़ बनाना, आदि हैं। यह कार्य बहुत ही विस्तृत तथा बड़े क्षेत्र में फैला होता है। यह एक श्रम प्रधान कार्य है, जिसमें पुरूष यंत्रों की सहायता से मिट्टी खोदते हैं और महिलायें इसे सिर पर रखकर दूसरे स्थान पर रखने के लिए ले जाती हैं या ट्रकों में लादती हैं, जिसे दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। इस प्रकार के कार्य के अवसर निजी व्यक्तियों द्वारा जैसे किसानों द्वारा जो अपने खेत को समतल बनाने या ठीक करने का कार्य कराते हैं या अपने खेतों के चारों ओर मिट्टी की दीवाल बनाकर खेत को सुरक्षित बनाने या मेड़ बनाने काम काम करते हैं, कुएं खोदने या घर बनाने का कार्य कराते हैं। सरकार का सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग द्वारा भी इस प्रकार के कार्य के अवसर प्रदान किये जाते हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क, नहर, कुएं तथा बांध निर्माण के कार्य सम्पन्न कराये जाते हैं। लोक निर्माण के कार्य सामान्यतया ठेकेदारों द्वारा कराये जाते हैं। इन कार्यों में लगे श्रमिक परिवार बाहर कार्य करने के कारण अन्य कार्य करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। यह कार्य बहुत ही कठिन परिश्रम वाला होता है। किसी भी जाति के लोग इस कार्य को कर सकते हैं, बशर्ते कार्य मिल जाये।

जब कभी व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार के कार्य कराये जाते हैं तो वे अपने ही गांव के श्रमिकों को ही आकर काम करने के लिए कहते हैं। केवल कुछ ही श्रमिकों की आवश्यकता होती है और कार्य की मजदूरी दोनों के आपसी बातचीत से निश्चित कर ली जाती है। ऐसे कार्यों में कार्य करने का स्थान श्रमिकों के घर के पास ही होती है। कार्य करने के घंटे तय नहीं होते और न ही मजूरी का भुगतार प्राप्त करने के लिए कोई रजिस्टर नहीं होता, जिस पर हस्ताक्षर किया जाये।

सभी लेन-देन मौखिक हुआ करता है।

लोक निर्माण विभाग के कार्य जब ठेकेदारों द्वारा कराया जाता है तो वे भी कार्य स्थान के पास के गांवों से ही श्रमिकों को बुलाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें श्रमिकों को कोई अन्य सुविधा प्रदान नहीं करनी होती है। श्रमिक काम करने के पश्चात अपने गांव या घर को लौट जाते हैं। ठेकेदार गांवों के श्रमिकों के बारे में नहीं जानते होते इसलिए उन्हें कुछ लोगों की सहायता लेनी होती है, जिन्हें 'गैंग लीडर' कहा जाता है। गैंग लीडर वे व्यक्ति होते हैं जो ठेकेदारों के हमेशा सम्पर्क में होते हैं। जब कभी कोई प्रोजेक्ट ठेकेदारों को स्वीकृत हुआ करता है तो गैंग लीडर गांवों से श्रमिक उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं, जिनके ऊपर उनका नियंत्रण होता है। वे श्रमिकों को काम दिलाने का वादा करके उन पर नियंत्रण रखते हैं। कार्य के अवसरों के सीमित होने के कारण श्रमिक भी इस बात को जानकर खुश होते हैं कि कोई ऐसा भी है जो उन्हें प्राप्त कार्य की सूचना देकर उनकी उसे प्राप्त करने में उनकी सहायता करता है। गैंग लीडर ठेकेदारों के लिए सुरक्षा का कार्य करता है, क्योंकि वह काम कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में श्रमिकों की उपलब्धि कराता है और गैंग लीडर श्रमिकों के लिए भी सुरक्षा का कार्य करता है। वह इस बात की निगरानी रखता है कि ठेकेदार उनसे काम कराकर उनकी मजदूरी की रकम बिना श्रमिकों को दिए हुए भाग न जाये। इसके लिए गैंग लीडर श्रमिकों से एक निश्चित मात्रा की फीस लेता है जो एक रूपये से तीन रूपये प्रतिदिन हुआ करती है या एक रूपया प्रत्येक इकाई कार्य, जो श्रमिकों द्वारा किया जाता है के अनुसार लेता है। यह रकम ठेकेदारों द्वारा उनके मजदूरी की रकम से काट ली जाती है तथा गैंग लीडरों को दे दी जाती है। बहुत से ऐसे भी श्रमिक होते हैं जो बिना गैंग लीडरों की मदद से ही काम ढूंढ़ने के लिए निकलते हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत भी इस प्रकार के कार्य लोक निर्माण विभाग के समय पूरी होती है, जब किसी क्षेत्र से दस फिट लम्बाई

व 10 फिट चौड़ाई एवं एक फुट गहराई तक की मिट्टी की खुदाई कर ली जाती है। कार्य की एक इकाई दो श्रमिकों (पुरूष और महिलाओं) द्वारा एक दिन में पूरी कर ली जाती है। वे उक्त मापक की मिट्टी प्रत्येक दिन में खोद सकते हैं। इसलिए मजदूरी की दरों के सम्बन्ध में भ्रम हो जाता है कि यह एक दिन की मजदूरी है, जबकि वह पीस रेट के आधार पर दी गयी मजदूरी होती है। एक इकाई कार्य करने की न्यूनतम मजदूरी 15 रूपये है पर श्रमिकों को 5 रूपये से दस रूपये ही दिया जाता है और उन्हें पूरी रकम पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रमिकों को कार्य के अनुपात में भुगतान किया जाता है। यदि उनके द्वारा एक इकाई से अधिक का कार्य किया जाता है तो भी उन्हें एक इकाई की ही मजदूरी प्राप्त होती है। लोक निर्माण विभाग के कार्यों में यदि ठेकेदारों द्वारा समय से पहले या शीघ्र ही कार्य समाप्त कराना होता है तो अधिक कार्य के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, ऐसी स्थिति में श्रमिकों को भुगतान कार्य की इकाईयों के अनुसार दिया जाता है। अधिक तेज कार्य करने वाली श्रमिकों की टीम द्वारा दो या तीन इकाईयों का कार्य एक दिन में पूरा कर लिया जाता है। श्रमिकों से बात के दौरान यह मालूम हुआ कि उन्हें 12 रूपये से 13.75 रूपये प्रति इकाई कार्य के अनुसार भुगतान किया जाता है, पर यह बहुत कम क्षेत्रों में दिया जाता है। महिला श्रमिक अपने छोटे बच्चों को अपने साथ सहयोग से प्रदान किये जाते हैं पर यह इस कार्य को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं द्वारा ठेकेदारों की सहायता से कराया जाता है। केवल ठेकेदार इस कार्य को नहीं कराते हैं। दोनों ही दशाओं में श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का रजिस्टर बनाया जाता है और भुगतान करते समय उनके हस्ताक्षर कराये जाते हैं, क्योंकि ठेकेदारों को यह रजिस्टर लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करना होता है। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यकर्ता स्वयं आकर कार्यक्रम पर किये गये व्यय का भुगतान करते हैं। इसलिए रेकार्ड बनाये जाते हैं, शेष लेनदेन मौखिक हुआ करता है।

व्यक्तियों द्वारा कराये जाने वाले कार्य में भुगतान प्रत्येक दिन किया जाता है या एक निश्चित मात्रा के कार्य को पूरा किया जाने पर एक निश्चित रकम का भुगतान किया जाता है। इसके अन्तर्गत दी गयी मजदूरी की दरें कृषि श्रम के समान हुआ करती हैं, फिर भी इनमें मजदूरी की दरें प्रत्येक गांव में अलग-अलग होती हैं जो 5 रूपये से 10 रूपये प्रतिदिन के बीच है। जब यह भुगतान एक मुश्त राशि में दिया जाता है तो श्रमिक इसे प्रतिदिन की मजदूरी से तुलना करते हैं। एक मुश्त राशि के भुगतान में जो राशि मिली होती है उस कार्य के लिए जितने श्रमिक लगाये जाते हैं और जितने दिन काम किया गया होता है, उससे भाग देकर राशि का अनुमान लगाया जाता है।

लोक निर्माण विभाग तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं को भुगतान कार्य की इकाई के अनुसार किया जाता है। कार्य की एक इकाई उससे ली जाती है और उन्हें कपड़े के पालने में रखकर छोड़ दिया जाता है। यदि परिवार में प्रौढ़ महिलायें होती हैं तो छोटे बच्चों को घर पर उन्हीं के पास छोड़ दिया जाता है। जब श्रमिक काम करने के लिए दूसरे गांवों या गांव से दूर साइट पर कार्य करने जाते हैं तो अपने दोपहर का भोजन साथ ले जाते हैं और अपने पीने का पानी भी साथ ले जाते हैं, अगर कार्य करने की जगह गांव के पास होती है तो वे खाने के लिए घर वापस चले आते हैं।

इन कार्यों में दी जाने वाली मौद्रिक मजदूरी कई बातों पर निर्भर है, यदि काम करने की जगह गांव से अधिक दूर है तो उन्हें कुछ अधिक रकम मजदूरी के रूप में दी जाती है। यदि ठेकेदार या गैंग लीडर उन्हें काम पर आने के लिए कहते हैं तो उन्हें कुछ अधिक रकम दी जाती है। जब वे अपने से काम पर आते हैं तो उन्हें कम मजदूरी दी जाती है। कार्य करने की जगह दूर होने पर श्रमिकों को रूकने की सुविधा ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाती है, पर जब श्रमिक स्वयं काम ढूंढ़ते-ढूंढ़ते वहां पहुंचते हैं तो उन्हें रूकने की सुविधा नहीं प्रदान की जाती, भले

ही उनके घर काम करने के स्थान से चाहे जितना अधिक दूर हो। इसी प्रकार मजदूरी के भुगतान में भी ठेकेदार केवल उन श्रमिकों की मजदूरी भुगतान में अधिक रूचि लेते हैं, जिन्हें वे कार्य पर बुलाते हैं और जो श्रमिक स्वयं काम पर आते हैं उनके भुगतान में वे अधिक रूचि नहीं लेते हैं। इसी प्रकार जब श्रमिकों द्वारा काम करने के लिए अपने यंत्र और औजार लाये जाते हैं तो उन्हें कुछ अधिक रकम का भुगतान किया जाता है, जो ठेकेदारों के यंत्र व औजारों का प्रयोग करने वाले श्रमिकों को नहीं प्राप्त होती है।

कुछ कार्यों में पुरूष एवं महिलाओं को समान मजदूरी नहीं दी जाती है। महिलाओं को आठ रूपये तथा पुरूषों को 12 रूपये प्रतिदिन की मजदूरी दी जाती है और अधिकतर स्थानों पर समान मजदूरी दी जाती है। इसके लिए ठेकेदारों का यह कहना है कि काम के ठेका स्वीकृत कराने के लिए उन्हें बहुत से लोगों को पैसा देना होता है और उस पैसे को भी वसूल करना होता है। इसे वे श्रमिकों को स्वीकृत रकम से कम का भुगतान करके वसूल करते हैं, साथ ही में उन्हें अपने लाभ को भी सुनिश्चित करना होता है।

साधारणतः महिलाओं को पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी नहीं होती, केवल वे इतना जानती हैं कि उन्हें एक निश्चित कार्य को करना है, कभी-कभी उन्हें कुल दिनों की संख्या ज्ञात होती है, जितने दिन उन्हें काम करना होता है, कभी-कभी वे उस समय तक काम कती रहती है, जब तक उन्हें काम करने के लिए कहा जाता है और वे इस बात को नहीं जानती कि काम कब समाप्त होगा।

यदि महिलायें कार्य के स्थान पर बीमार हो जाती हैं तो ठेकेदार उनके ठीक होने की जिम्मेदारी नहीं लेता है। ऐसी स्थिति में या तो वे अपने घरों को लौट आती हैं या उसी जगह रूक जाती हैं। अपनी दवा वे वहीं पर उस समय

खरीदती हैं, जब उनके पास पैसा होता है। दवा खरीदने के लिए जाने पर पहले वे दवा की कीमत पूंछती हैं। यदि उनके पास उतना पैसा होता है तो वे दवा खरीद लेती हैं, अथवा नहीं ।

मिट्‌टी खोदने के कार्य में उन्हें चोट भी लगती है उनके हाथ पैर में खरोंच आ जाती है और कभी-कभी खून निकलने लगता है, लेकिन फिर भी वे कार्य करती हैं। कभी कभी उनके पीठ और कमर में दर्द होता है या सीने में दर्द होता है पर वे पैसे के लिए कार्य कती हैं, जब उनके पास पैसा होता है वे खाती हैं अन्यथा वे भूखे ही रहकर काम करती हैं, उनका कहना है कि यही हमारा जीवन है, यदि हम काम न करें तो हमें खाना कौन देगा। हम अपना पेट कैसे भरें? हम लोगों को मिट्‌टी में रहना होता है तथा मिट्‌टी में ही खाना होता है। वे ठेकेदार से कभी भी बहस नहीं करती, भले ही वह उन्हें कम मजदूरी क्यों न दे, क्योंकि वे जानती हैं कि ऐसा करने पर उन्हें भविष्य में काम नहीं मिलेगा। कभी कभी जब प्रोजेक्ट के लिए फण्ड नहीं आता तो उन्हें अपनी मजदूरी प्राप्त करने के लिए एक लम्बे समय तक इन्तजार करना होता है। वे असहाय स्थिति में होती हैं और इस शोषण के लिए वे कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं।

कुछ महिलाओं का कहना था कि 'हम लोगों का जीवन आपकी तरह नहीं है, आप तो लिखकर चली जावेगीं। हम लोगों को तो कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा, हम लोग पंखे की हवा के नीचे काम नहीं करते हैं।'

जब काम का समय छोटा होता है 15 या 20 दिनों का होता है तो मजदूरी का भुगतान प्रतिदिन प्राप्त हो जाता है। जब काम अधिक समय तक (तीन से चार माह का) चलने वाला होता है तो मजदूरी का भुगतान सप्ताह में या पन्द्रह दिनों के बाद होता है। कभी-कभी उन्हें जितना मिलना चाहिए, उतनी धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है। यह केवल ठेकेदारों द्वारा इसलिए किया जाता

है कि श्रमिक काम के बीच में छोड़कर चले न जाये। भुगतान का एक दूसरा तरीका प्रत्येक सप्ताह में एक निश्चित मात्रा की रकम अग्रिम के रूप में दी जाती है। यह प्रणाली 'खर्ची प्रथा' कहलाती है, जिसमें श्रमिकों का पूरा भुगतान कार्य के समाप्त होने पर किया जाता है पर श्रमिकों को प्रत्येक सप्ताह में एक धनराशि विभिन्न व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम के रूप में दे दिया जाता है। श्रमिकों को अन्तिम के रूप में दी जाने वाली कम परिवार के आकार पर निर्भर है और पांच या छः सदस्यों वाले परिवार कोएक सौ रूपये की राशि दी जाती है और शेष धनराशि कार्य के पूरे होने पर दी जाती है। यदि श्रमिकों को अतिरिक्त रकम की आवश्यकता होती है तो वे ठेकेदार से मांगते हैं। वास्तव में यह उनकी ही रकम होती है जो वे अपने श्रम द्वारा अर्जित करते हैं और वह ठेकेदारों के पास होती है। ठेकेदार उन्हें अतिरिक्त रकम दे भी देता है या नहीं भी देता है। ठेकेदार द्वारा दीं गयी अग्रिम धनराशि को रजिस्टर में लिखा जाता है और श्रमिक उस पर हस्ताक्षर करते हैं। अधिकांश श्रमिक अशिक्षित होते हैं। ठेकेदार द्वारा दी गयी रकम को याद करना होता है और काम समाप्त होने पर वे प्राप्त होने वाली रकम का हिसाब लगाते हैं। सामान्यतया किसी पढ़े लिखे आदमी की सहायता सी जाती है और उसी के माध्यम यह जानने का प्रयास किया जाता है कि उन्हें पूरी रकम जो मिलनी चाहिए वह मिली है या नहीं। कभी कभी गैंग लीडर की भी सहायता ली जाती है।

श्रमिकों का भुगतान पति व पत्नी दोनों की मजदूरी उसे दे दी जाती है, जो इसे प्राप्त करने के लिए जाता है। साधारणतः पुरूष ही मजदूरी प्राप्त करने जाता है। महिलायें उसी समय मजदूरी प्राप्त करने जाती हैं, जब उनके पति घर पर नहीं होते या जाने की स्थिति में नहीं होते हैं। ऐसे भी उदाहरण मिले हैं जहां मजदूरी का भुगतान केवल पुरूषों को ही किया जाता है, महिलाओं को भुगतान लेने जाने पर भी नहीं दिया जाता है। बहुत कम महिलायें पढ़ी होती हैं जो रूपया गिनने में समर्थ होती हैं। वे केवल रजिस्टर में अंगूठा निशान लगाती हैं। उनका

कहना है कि वे अनपढ़ होती हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि हम किस पर हस्ताक्षर बना रहे हैं। वे विश्वास पर कार्य करती हैं, यदि वे इस बात को जानती हैं कि उन्हें जितना मिलना चाहिए, उससे कम दिया जा रहा है, फिर भीवे कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वे असहाय होती हैं। वे इस बात को भी जानती हैं कि उनसे कटौती की गयी कम का एक भाग गैंग लीडर को दिया जाता है, कभी-कभी मजदूरी का रूपया मजदूरी प्राप्त होने पर उन्हीं के पास रहता है और कभी-कभी यह रूपया पुरूषों को दे दिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उनसे मांग लिया जाता है।

लोक निर्माण विभाग तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में कार्य करने के घण्टे नौ बजे प्रातः से 6 बजे सायं तक निश्चित होते हैं। बीच में एक घण्टे का अवकाश दिया जाता है। कहीं-कहीं पर काम 8 बजे प्रातः प्रारम्भ होता है तथा दो घण्टे का अवकाश दोपहर में दिया जाता है। कुछ महिलाओं ने बताया कि उन्हें सात बजे प्रातः से सात बजे शाम तक काम करना होता है। कार्य करने के स्थान पर आठ बजे प्रातः पहुंचने के लिए उन्हें अपने घरों से बहुत सवेरे चलना होता है। व्यक्तियों के यहां कार्य करने के घण्टे नहीं निश्चित होते हैं। यदि कार्य करने का स्थान दूर होता है तो महिलाओं को कार्य पर जाने व वापस आने के लिए बहुत लम्बा रास्ता चलना पड़ता है। उन्हें 3 से 5 किलोमीटर तक चलना होता है और आते समय वे ईंधन के लिए लकड़ी एकत्र करती आती हैं।

किसी भी कार्य में बच्चों के देखरेख, स्वास्थ्य, दुर्घटना, क्षतिपूर्ति या अवकाश की सुविधायें नहीं प्रदान की जाती हैं। यद्यपि लोक निर्माण विभाग द्वारा ठेकेदारों को इन मदों के लिए भी धनराशि स्वीकृत की जाती है। बहुत कम ऐसा सुना गया या नहीं सुना गया कि श्रमिकों के बीमार होने पर उन्हें कोई धनराशि दी जाती है। उन्हें कार्य स्थल पर रिपोर्ट करना होता है, चाहे वे उस दिन काम करें या न करें। यदि कार्य करने के दौरान उन्हें चोट लग जाती है या वे घायल हो

जाते हैं तो बहुत कम ऐसे उदाहरण मिले हैं, जब उनके दवा आदि का व्यय ठेकेदारों द्वारा वहन किए जाते हैं। इन श्रमिकों के लिए भविष्य निधि, बोनस, ग्रेच्युटी आदि का प्रबंध इन श्रमिकों के लिए नहीं है।

ऐसी भी महिलायें पायी गयी जो अपने अपने गांव के निकट कार्य स्थल पर कार्य करती हैं। वे दिन भर काम करने के पश्चात शाम को अपने घर वापस चली आती हैं। कुछ ही ऐसी महिला श्रमिक मिली जो बस द्वारा जाकर भी काम करने को तैयार थी, ऐसे में उन्हें अतिरिक्त धनाशि व्यय करनी होती है या प्रत्येक दिन एक घण्टे पैदल ही जाना पड़ता है।

ऐसी भी महिलायें मिलीं जो कहीं भी काम करने जाने के लिए तैयार थीं, वे ऐसी महिलायें थी जिनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी नहीं थी और वे अपनी जीविका इसी कार्य से अर्जित करती हैं। इस प्रकार की महिलायें गैंग लीडरों से हमेशा सम्पर्क बनाये रखती हैं, जो उन्हें कार्य के अवसरों के बारे में बताते रहते हैं। वे अक्सर अधिक दिनों तक चलने वाले कार्यों की तलाश करती हैं और वे कार्यस्थल पर ही जाकर रहती हैं। इनके कार्यस्थल पर जाने का किराया ठेकेदारों द्वारा दिया जाता है। वापसी किराया श्रमिकों को देना पड़ता है। कार्यस्थल पर रहने के लिए टेन्ट लगाने के लिए पोलीथीन तथा बांस इत्यादि का प्रबंध ठेकेदारों द्वारा कर दिया जाता है। पानी, ईंधन, स्वास्थ्य व सफाई, कपड़ा धोने और भोजन बनाने की सुविधाओं का प्रबंध श्रमिक परिवारों को ही करना होता है। कभी - कभी टेन्ट लगाने के लिए केवल बांस का प्रबंध कर दिया जाता है, उस पर छाजन, पोलीथीन या कपड़ा आदि का प्रबंध स्वयं श्रमिक को करना होता है। श्रमिक खुले मैदान में रहते हैं। उनका अन्य लोगों से बहुत कम सम्पर्क हो पाता है वे खर्ची प्राप्त करने पर अपने राशन खरीदने के लिए जाते हैं, जिस दिन खर्ची प्राप्त होता है, उस दिन अवकाश कर दिया जाता है। यह हमेशा नहीं होता है। दवा इत्यादि के लिए उन्हें पास के कस्बे या नगर में जाना होता है। महिलाओं को पानी भी भरना होता है और

सभी घरेलू कार्य करने होते हैं।

मिट्टी खोदने का कार्य एक टीम या समूह के साथ किया जाता है। अकेली एक महिला अनजान व्यक्ति के साथ काम करने में कठिनाई का अनुभव करती हैं। यदि उन्हीं के गांव में उनका परिवार के पुरूष साथ में होते हैं तो वे कार्य करने चली जाती हैं, अन्यथा वे कार्य नहीं करती हैं। बंगरा व मऊरानीपुर विकास खण्ड के कुछ गांव की महिलाओं ने यह बताया कि वे एक टीम में जाकर कुछ महिलायें मिट्टी खोदने और कुछ उसे ढोने का कार्य करती हैं। पर यह बहुत कम पाया गया। सबसे सामान्य रूप यह होता है कि पुरूष मिट्टी खोदने तथा महिलायें उसे सिर पर रखकर ढोने का कार्य करती हैं।

यह कार्य बरसात के मौसम के अतिरिक्त वर्ष भर चलता है पर वास्तव में कितने काम मिल सकेगा, यह किसी क्षेत्र के निर्माण कार्यक्रम पर निर्भर है। काम करने के दिन प्रत्येक वर्ष में अलग-अलग होते हैं। किसी वर्ष में काम नहीं भी होता है। यह उन महिलाओं के बारे में भी सही है जो ऐसे कार्यस्थलों पर कार्य करती हैं, जहां वे सरलता से पहुंच सकें। जो कुछ दूर यात्रा करके भी कार्य करने को तैयार हैं, उन्हें 50 से 60 दिनों तक कार्य मिल जाता है। वे महिलायें जो कहीं भी जाने को तैयार रहती हैं, उन्हें 6 से 8 महीनों तक काम मिल जाता है।

ठेकेदारों से उन्हें ऋण नहीं प्राप्त होता है पर कुछ विशेष जाति के लोग जो ठेकेदार से भली भांति परिचित होते हैं और वे उसके नियंत्रण में होते हैं, वे थोड़ी रकम के ऋण प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। एक सौ श्रमिकों को नियंत्रित करने के लिए 40 हजार रूपयों की आवश्यकता होती है पर ऐसे परिवार केवल मिट्टी खोदने के धंधे से ही अपनी जीविका अर्जित करते हैं। इस प्रकार के श्रमिकों में आदिवासी परिवार पाये गये जो स्वस्थ एवं हृष्ट-पुष्ट पाये गये। गैंग लीडर उनके लिए बरसात के मौसम के लिए धनराशि की व्यवस्था करते हैं, जब

उन्हें काम नहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार के लोग ठेकेदारों के साथ उस स्थान पर जाया करते हैं, जहां उन्हें काम मिलता है। जब तक ऋण के रूप में ली गयी धनराशि अदा नहीं कर दी जाती वे किसी अन्य गैंग लीडर के साथ काम नहीं कर सकते हैं। श्रमिकों द्वारा लीडर से लिए ऋण पर ब्याज नहीं देते हैं, बल्कि कार्य के समय कार्य की एक इकाई पर एक रूपया काटने की स्वीकृति दे देते हैं। इसमें से लीडर ठेकेदारों को ब्याज दिया करते हैं, जो उन्हें धनराशि दिया करते हैं। आदिवासी परिवार के लोग एक दिन में निर्धारित कार्य की 6 या 7 इकाई का कार्य पूरा कर सकते हैं। काम के समाप्त होने पर उनके द्वारा ली गयी रकम को काटकर उनकी कुल मजदूरी की कुल रकम उन्हें दे दी जाती है। इन परिवारों द्वारा कुछ रकम बरसात के मौसम के लिए बचा ली जाती है, जिसे वे लेकर अपने घर लौट आते हैं, भले ही वह पूरे बरसात के मौसम के लिए पर्याप्त न हों, फिर भी वे बरसात के समय बिना किसी आय के अपने भोजन-पानी आदि का प्रबंध करते हैं। यही कारण है कि वे अपना श्रम गैंग लीडर के पास अगले वर्ष उन्हीं के साथ काम करने के लिए बंधक रख देते हैं। इस सम्बन्ध में कोई लिखित समझौता नहीं होता, बल्कि वे इस सम्बन्ध में ईमानदार होते हैं।

मिट्टी खोदने के कार्य में कोई विशेष कुशलता की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी वे इस कार्य की कुशलता एक दूसरे के साथ काम करने के दौरान सीख लेते हैं। यह एक मेहनत का कार्य होता है, केवल स्वस्थ पुरूष और महिलायें ही इस कार्य को कर सकती हैं। वृद्ध, रोगी और शारीरिक दृष्टि से कमजोर महिलाओं को कोई दूसरा काम खोजना होता है।

कार्य करने की दशायें विशेषकर महिलाओं के लिए बहुत कठिन होती है। उनकी शक्ति इन परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए लड़ने में ही खतम हो जाती है। उन्हें अपनी आय बढ़ाने के लिए किसी अन्य कार्य करने का मौका ही नहीं मिल पाता है। इधर कार्य प्राप्त करने की कोई गारन्टी नहीं होती है। ऐसे

परिवार जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम करने के लिए प्रवास करते हैं उनके बच्चे भी कार्य करने की कुशलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं और वे भी शारीरिक श्रम के आधार पर जीविका अर्जित करने वाले बन जाते हैं। इन महिलाओं को श्रमिक तो माना जाता है पर उन्हें नियमित श्रमिक नहीं माना जाता है। उन्हें कार्य करने के दौरान होने वाली घटनाओं, कठिनाइयों और स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षतियों से सुरक्षित रखने का कोई प्रबंध नहीं किया जाता है। महिलाओं की कोई प्रतिनिधि संस्था पायी गयी जो उनके हितों की रक्षा कर सके और उनकी स्थिति में सुधार कर सके।

निर्माण कार्य

निर्माण कार्य के अन्तर्गत सड़क निर्माण, सीमेन्ट के टाइल्स बनाना, पत्थर काटना, नहर निर्माण, कोटा के पत्थरों से नहरों की लाइनें बनाना और अन्य इसी प्रकार के कार्य आते हैं। मिट्टी खोदने के कार्य की भांति निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों द्वारा ग्रामीणों को रोजगार के अवसर दिये जाते हैं। कभी-कभी मिट्टी खोदने तथा निर्माण कार्य दोनों साथ-साथ चलते हैं। निर्माण कार्य में अधिक कुशलता की आवश्यकता होती है जो कम कुशलता के श्रम के साथ पूरा किया जाता है। कम कुशलता वाले कार्यों में महिलाओं को अधिक श्रम वाले तथा सरल कार्यों में लगाया जाता है, जैसे सिर पर रखकर निर्माण सम्बन्धी सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, पत्थर तोड़ना, एक स्थान से दूसरे स्थान को पानी ले जाना, सीमेन्ट के टाइल्स को पानी देना, सड़कों को साफ करना, गिट्टी एवं बालू दोनों का कार्य, सड़कों पर पानी छिड़कना, आदि। कुशलता वाले कार्यों में जैसे निर्माण कार्य के लिए आवश्यक माल मसालों का मिलाना, पदार्थों का मापना, मशीन चलाना, प्लास्टर करना, पत्थर बिछाना, आदि कार्य पुरूषों द्वारा किया जाता है। निर्माण कार्य में महिलाओं की अहम भूमिका होती है, क्योंकि निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सामान ढोने का कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, बिना उनके श्रम के पुरूषों द्वारा निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है। इस कार्य में पुरूषों एवं महिलाओं के कार्यों का बंटवारा

स्पष्ट होता है, यह कार्य किसी भी जाति के श्रमिकों द्वारा किया जा सकता है, जो भी इस कार्य को करना चाहता है, वह जब तक काम है, तब तक अपनी जीविका प्राप्त कर सकता है।

श्रमिकों को प्राप्त करने की प्रथा मिट्टी खोदने के कार्य की ही भांति है। व्यक्तिगत क्षेत्र के कार्यों के लिए अपने ही गांव के लोग ही मिल जाते हैं। ऐसे कार्यों में काम करने का स्थान गांव के पास में ही होता है। यह एक अकुशल कार्य है, इसे कोई भी कर सकता है, जो इसे करना चाहता है। इस कार्य में महिलाओं एवं पुरूषों की टीमें अलग-अलग कार्य करती हैं। अकेली महिला भी कार्य स्थान पर कार्य कर सकती है, इसमें किसी अन्य अजनबी व्यक्ति के साथ काम करने की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत कार्यों में कार्य करने के घण्टे 7 बजे प्रातः 6 बजे शाम तक हुआ करते हैं। श्रमिक अपने साथ अपना भोजन अपने साथ लेकर आते हैं, या अपने घर खाना खाने के लिए चले जाते हैं। इस कार्य में मजदूरी दैनिक आधार पर कृषि श्रमिकों की मजदूरी के सामान ही निश्चित की जाती ह। कभी कभी एक निश्चित कार्य के लिए एक निश्चित धनराशि, निश्चित की जाती है, जिस कार्य को टीम द्वारा जितने दिन में चाहे कर सकते हैं। पर व्यक्तिगत क्षेत्र में निर्माण कार्य के अवसर बहुत कम होते हैं, अधिकांश कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत पूरे किये जाते हैं, क्योंकि यह कार्य अधिक खर्चीले होते हैं। मिट्टी खोदने के कार्य में व्यक्तिगत क्षेत्र में रोजगार के अवसर निर्माण कार्य की तुलना में अधिक होते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य स्थल का निर्धारण किसी विशेष क्षेत्र के वर्ष विशेष की निर्माण योजना के आधार पर निश्चित किया जाता है। कार्य ठेकेदारों द्वारा पूरा कराया जाता है। ठेकेदार गैंग लीडरों के माध्यम से कार्य करते हैं जो श्रमिकों के सम्पर्क में हुआ करते हैं। इस कार्य में निर्माण कार्य स्थल के पास के गांवों से ही श्रमिक प्राप्त किये जाते हैं। पर जब स्थानीय क्षेत्रों से श्रमिक नहीं

मिल पाते तो गैंग लीडरों की सहायता से कहीं से भी श्रमिक प्राप्त कर लिये जाते हैं। यदि यह कार्य पंचायत के माध्यम से करना होता है तो श्रमिकों को सरपंच द्वारा बुलाया जाता है। श्रमिक कार्य स्थल पर जाते हैं और दूर होने पर अपने साधनों द्वारा वहां जाते हैं। कभी-कभी श्रमिक आने जाने की सुविधा की मांग गैंग लीडर से सौदा करते हैं। यदि ठेकेदारों को श्रमिकों की आवश्यकता होती है तो वे परिवहन की सुविधा प्रदान की जाती है। वैसे ठेकेदार कम से कम सुविधायें देने को स्वीकार करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य के घण्टे 9 बजे प्रातः से 6 बजे सायं तक होते हैं, बीच में एक घण्टे का अवकाश होता है। कार्य के लिए श्रमिकों को 6 बजे प्रातः ही अपना घर छोड़ना होता है। जब कभी भी कार्यस्थल पर महिलाओं से बात करने के लिए कार्यस्थल पर गये तो निरीक्षकों द्वारा उन्हें बात करने के लिए मना किया गया या जल्दी ही बात समाप्त करने को कहा गया।

निर्माण कार्य में सरकार द्वारा न्यूनतम दैनिक मजदूरी 15 रूपये निश्चित की गयी है। महिलायें प्रायः 8 रूपये से 12 यपये प्रतिदिन प्राप्त करती हैं। यह कार्य पर निर्भर है। जैसे - नहर निर्माण या सड़क निर्माण कार्य आदि कुशल व अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों की दरें अलग-अलग होती हैं। महिलाओं को केवल अकुशलता वाले कार्य दिये जाते हैं, जिसके लिए उन्हें न्यूनतम दर पर मजदूरी दी जाती है। कुशलता पर आधारित कार्य पुरूषों द्वारा किये जाते हैं, जिसके लिए उन्हें 25 से 30 रूपये तक प्राप्त होते हैं, जबकि महिलाओं द्वारा अधिक परिश्रम के कार्य किये जाने के बदले में केवल 15 रूपयो तक ही प्राप्त होते हैं।

विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग मजदूरी की दरें प्राप्त होती हैं। नहरों के किनारे पत्थर ले जाने के लिए 10 रूपये प्रतिदिन, पत्थरों को ट्रक पर लादने के लिए 40 रूपये प्रतिदिन जिसमें पत्थरों को तोड़ना, उसे ट्रक पर लादना शामिल है। पत्थर तोड़ने के लिए 40 पैसा प्रति पत्थर दिया जाता है। सिर पर पत्थर लादकर सड़कों के निर्माण के लिए ले जाने के लिए 10 रूपये प्रतिदिन दिये

जाते हैं। इनमें कुछ कार्य के लिए महिला एवं पुरूषों को समान मजदूरी और अन्य कार्यों में महिलाओं को पुरूषों की तुलना में कम मजदूरी प्राप्त होती है। निर्माण कार्यों में भी श्रमिकों के प्रतिनिधि संगठनों का अभाव है, जिससे उनके हितों की रक्षा हो पाती है और उनके सौदा करने की शक्ति सीमित है।

ईंट बनाना

ईंट बनाने का कार्य उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां की मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। यह कार्य अधिकांशतः मऊरानीपुर विकास खण्ड में किया जाता है। वैसे प्रत्येक विकास खण्ड में यह कार्य किसी न किसी पैमाने पर किया जाता है। अध्ययन में ईंट बनाने का कार्य 35 महिला परिवारों द्वारा किया जाता है। इनमें से अधिकांश महिलायें मऊरानीपुर विकास खण्ड में थी। पुरूष व महिलायें दोनों मिलकर इस कार्य को करते हैं। अधिकांशतः एक ही परिवार की महिलायें एवं पुरूष दोनों मिलकर इस कार्य को करते हैं। यह कार्य दो स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। पहले स्तर पर मिट्टी से ईंट तैयार करना और फिर उसे धूप में सुखाने का कार्य और दूसरे स्तर पर इन ईंटों को भट्ठे में लगाना व पकाने का कार्य किया जाता है। इनमें महिलाओं द्वारा दोनों स्तरों के कार्य किये जाते हैं और उनके कार्य पुरूषों के कार्य से अलग होते हैं। कार्य के प्रथम चरण में ईंट बनाने वाली टीम को कार्यस्थल पर रातों दिन रहना पड़ता है, क्योंकि यह कार्य लगातार किया जाता है। पुरूषों द्वारा खेतों में मिट्टी खोदने का किया जाता है और अधिक मात्रा में मिट्टी खोदी जाती है जो दो चार दिन काम करने के लिए पर्याप्त हो महिलायें। इस मिट्टी को लाकर पानी मिलाकर ईंट बनाने के योग्य बनाती हैं। कभी-कभी महिलायें मिट्टी खोदने में भी मदद करती हैं। मिट्टी में पानी मिलाकर उसे ईंट बनाने के स्थान पर ले जाया जाता है। महिलायें इस तैयार मिट्टी को सिर पर रखकर पुरूषों के पास ले जाती हैं, जो लकड़ी के सांचे में डालकर ईंट का रूप देते हैं। बनी हुई ईंटों को महिलाओं द्वारा उठाकर दूसरे स्थान

पर ले जाया जाता है जहां पर उन्हें रखा जाता है और उन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। मिट्टी खोदने का कार्य शाम को प्रारम्भ किया जाता है, मिट्टी में पानी मिलाकर रखा जाता है और काम रात में प्रारम्भ किया जाता है। यह कार्य उस समय तक किया जाता है, जब तक भट्ठे के लिए आवश्यक मात्रा में ईंटें तैयार नहीं हो जाते हैं। एक भट्ठे में 50 हजार से एक लाख ईंटे एक साथ पकायी जाती हैं। श्रमिकों द्वारा ईंटों की गिनाई भी साथ-साथ की जाती है, जब आवश्यक मात्रा की ईंटे तैयार हो जाती हैं तो कार्य का दूसरा चरण प्रारम्भ होता है।

कार्य के दूसरे स्तर में धूप में सूखी ईंटों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर चौकोर आकार में लगाना होता है, जिसके बीच में स्थान छोड़ना होता है, जिसके बीच कोयले के टुकड़े तथा रूई के गोले प्रत्येक पर्त में डाला जाता है साथ ही धान की भूसी भी फैलायी जाती है। भट्ठा में ईंटे इस प्रकार लगायी जाती है कि जैसे-जैसे ईंटे की ऊंचाई बढ़ती जाती है, उसके चौकोर का आकार कम होता जाता है। सबसे नीचे वाले भाग के पास में लकड़ी रखी जाती है। जब भट्ठे को पूरी तरह तैयार कर लिया जाता है तो लकड़ी जला दी जाती है। धीरे धीरे कोयले में आग पकड़ लेती है। आग नीचे से धीरे-धीरे ऊपर पहुंचती है। यह धीरे-धीरे 15 दिनों तक जलती रहती है। धूप में सूखी हुई उन्हें धीरे-धीरे पकती है और रंग बदल देती है। अन्त में लकड़ी व कोयला पूरी तरह जल जाती है और भट्ठा शान्त हो जाता है और ईंटे बिक्री के लिए तैयार हो जाती हैं। काम के इस स्तर में भट्ठे में ईंटों के रखने की लम्बाई और चौड़ाई कोयले की मात्रा तथा अन्य ईंधन तथा ईंटों की पर्तों के लगाने के निर्णय का कार्य कुशल व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, उन्हें मिस्त्री कहा जाता है। इसके लिए केवल एक ही व्यक्ति की आवश्यकता होती है। महिलाओं को ईंटों के सूखने वाले स्थान से भट्ठे में रखने वाले स्थान पर ढोने के लिए दैनिक मजदूरी पर लगाया जाता है। इस कार्य के लिए पुरूषों को भी लगाया जाता है।

सामान्यतया जो श्रमिक मिट्टी से ईंट बनाने का कार्य करते हैं यदि वे खाली रहते हैं तो दूसरे स्तर में भी कार्य करते हैं। ईंटों के बनाने का कार्य एक विशिष्ट कार्य है, इसके लिए ईंट के भट्ट के पास रहना आवश्यक होता है। यह कार्य बरसात के मौसम को छोड़कर वर्ष भर किया जाता है। ईंट बनाने का मौसम दशहरे से होली तक होता है। दूसरा मौसम होली से जब तक बरसात नहीं होती तब तक का होता है। ईंटों के भट्ठे प्रायः आबादी के बाहर हुआ करते हैं और प्रायः जनपद के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं। श्रमिक विभिन्न भागों से इनमें कार्य करने आते हैं। पूरे मौसम में एक निश्चित मात्रा में ईंटों को बनाने के कार्य का समझौता हो जाता है और श्रमिक मौसम प्रारम्भ होते ही काम शुरू कर देते हैं। विभिन्न ईंटों के भट्ठे अलग-अलग समय में काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ श्रमिक एक मौसम में कार्य करके घर वापस आ जाते हैं और कुछ दूसरे मौसम मौसम में भी कार्य करते हैं। काम प्राप्त करने के लिए श्रमिक पहले पहल ईंट भट्ठों के पास जाते हैं। इस कार्य में वे अपने सम्बन्धी रिश्तेदारों व पड़ोसियों से मदद प्राप्त करते हैं। जब दोनों पार्टियों में समझौता हो जाता है और ईंट भट्ठों के मालिक जब श्रमिकों के कार्य से संतुष्ट रहते हैं तो लम्बे समय तक श्रमिकों को कार्य मिला होता है।

ईंट भट्ठों के मालिक कभी-कभी किसानों से उनके खेत किराये पर ले लेते हैं और भट्ठों के लिए आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए अपनी पूंजी लगाते हैं। भू-स्वामियों को वे एक निश्चित किराया देते हैं। यदि भट्ठे मालिक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं होते तो वे साझेदार बना लेते हैं और लाभ का बंटवारा हिस्सेदारों में होता है। कभी-कभी भट्ठे मालिक के पास खुद की जमीन होती है। इस प्रकार की स्थिति में श्रमिकों को पीस रेट के आधार पर रखा जाता है। दूसरी व्यवस्था में किसान अपने खेत को समान बनाने या खेत की सतह को नीचा कराते हैं, ऐसी स्थिति में वे स्वयं श्रमिकों से ईंट बनाने का समझौता खेत से मिट्टी खोदकर करते हैं। इसकी लागत किसान तथा श्रमिक दोनों मिलकर वहन करते

हैं। बनी हुई ईंट को बेचकर लाभ प्राप्त किया जाता है। यह कार्य छोटे खेतों पर एक या दो मौसम के लिए किया जाता है और जब खेत बराबर हो जाता है तो उसका उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। श्रमिक किसी दूसरे किसान को ढूंढ़ लेते हैं, जिन्हें अपना खेत समतल बनाने या नीचा करने के लिए एक या दो मौसम में ईंट की पथाई करानी होती है।

ईंट बनाने के कार्य में मजदूरी का भुगतान पीस रेट के अनुसार किया जाता है, जो 50 से 70 रूपये हजार ईंट हुआ करता है। श्रमिक एक निश्चित समय तक कार्य करने के लिए सहमत होते हैं। मजदूरी की दरें ईंट निर्माण संगठन द्वारा ईंट निर्माण श्रम यूनियन वैसे बात करके होली के समय प्रत्येक वर्ष घोषित कर दी जाती है। दिन भर में 1500 से 2000 ईंट बनाने के लिए तीन या चार श्रमिकों की एक टीम यदि वे अधिक परिश्रम करते हैं तो बना पाते हैं। यदि वे धीमी गति से कार्य करते हैं तो दिन भर में एक हजार ईंट बना लेते हैं। उन्हें भुगतान रोज नहीं किया जाता है। प्रत्येक सप्ताह में श्रमिकों को एक निश्चित मात्रा में अग्रिम दिया जाता है, जिसे खर्ची प्रणाली कहा जाता है। सप्ताह में एक दिन निश्चित होता है जब श्रमिकों को एक निश्चित रकम दे दी जाती है। सामान्यतया तीन या चार श्रमिकों के एक टीम को 100 रूपये की रकम दी जाती है। श्रमिक बनायी जानी वाली ईंटों का हिसाब रखते हैं तथा भट्ठा मालिक भी अपनी डायरी में बनायी गयी ईंटों की संख्या तथा श्रमिकों को अग्रिम के रूप में दी जाने वाली रकम लिखे रखते हैं। कभी-कभी मालिक श्रमिकों की हाजिरी भी मारते हैं। श्रमिक अधिकतर विश्वास पर कार्य करते हैं। मालिकों द्वारा रखे गये रिकार्ड पर श्रमिक विश्वास रखते हैं। बहुत कम पढ़े लिखे श्रमिक अपने कार्यों तथा लिये गये रूपयों का स्वयं हिसाब रखते हैं। कभी कभी मालिक इन्हें हिसाब रखने के लिए डायरी दे देते हैं। मौसम के अन्त में उनके लेनदेन का हिसाब किया जाता है। वास्तव में श्रमिक द्वारा 1100 ईंटों के निर्माण के बाद भुगतान किया जाता है, क्योंकि एक हजार अच्छी ईंटों के निर्माण में 100 ईंटें टूट-फूट, बेकार के रूप में काट ली जाती हैं। श्रमिक

अपना गुजारा प्राप्त अग्रिम से करते हैं, जिस दिन अग्रिम दिया जाता है, उस दिन छुट्टी होती है। ईंट के भट्ठे बाजार या बस्तियों से दूर होते हैं। अतः श्रमिकों को अपने खाद्य सामग्री, ईंधन, दवा, और अन्य सामान खरीदने के लिए आस-पास के नगर में जाना होता है। उसी दिन वे अपने कपड़े साफ करते हैं तथा आराम करते हैं। खर्ची प्रथा कई कारणों से चालू रखी जाती है। पहला कारण तो श्रमिकों को काम पर रोके रखने के लिए जिससे वे काम को बीच में छोड़कर न चलें जायें। दूसरा कारण यह है कि मजदूरी की सही दर मौसम के अन्त में स्पष्ट होती है। तीसरा कारण यह है कि ईंटों का निर्माण एक बड़ी मात्रा में किया जाता है और बेचने से पहले उसे पकाया जाता है तथा उसमें लगी रकम को वसूल करना होता है। भट्ठे मालिक श्रमिकों को कम से कम रकम देना चाहते हैं। केवल उनके खाने भर को पर्याप्त रकम ही दिया करते हैं। अच्छे मौसम के समय में श्रमिक अपने खाने व खर्चे से बचाकर तीन हजार से चार हजार रूपये तक बचाकर लाते हैं और औसतन एक हजार से पन्द्रह सौ रूपये घर पर लाया करते हैं। यह बचाकर लायी गयी रकम बरसात में उनके परिवार के व्यय के काम आती है, जब उनके पास कार्य नहीं होता है। इन श्रमिकों द्वारा अधिक परिश्रम के कार्य किये जाते हैं। अतः वे बरसात में आराम करना पसन्द करते हैं और उनके पास जो रकम होती है, उसी में गुजारा कर लेते हैं। वे वास्तव में अपने लिए बहुत अधिक पूंजी का निर्माण करने में सफल नहीं होते हैं। यदि वे बरसात के मौसम में भी कार्य करें तो वे कुछ रकम बचा सकते हैं। उन्हें त्यौहारों, विवाहों तथा अन्य सामाजिक अवसरों पर व्यय करना होता है, कहीं-कहीं श्रमिकों को दो हजार से तीन हजार ईंटें बोनस के रूप में दी जाती हैं।

श्रमिकों को नकद प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य सुविधायें नहीं प्राप्त होती हैं। ईंट बनाने में प्रयोग आने वाले यंत्र व औजार भट्ठा मालिक के ही होते हैं। ईंट भट्ठों के पास रहने के लिए श्रमिकों को बिना पकी हुई ईंट रहने का स्थान बनाने के लिए दी जाती हैं, जिसके द्वारा वे अस्थायी निवास का निर्माण कर लेते हैं। उन्हें इन ईंटों को घर जाते समय वापस करना होता है। पानी भट्ठे के आस-

पास ही मिल जाता है, क्योंकि ईंट निर्माण में जल एक आवश्यक आगत होता है पर अन्य सामान जैसे ईंधन, खाना बनाना, शौच, बाल कल्याण, स्वास्थ्य और चोट इत्यादि लगने पर उसका इलाज स्वयं श्रमिकों को करना होता है। श्रमिक का पूरा परिवार उसके साथ रहता है। कभी-कभी बुजुर्ग सदस्य भी इन्हीं के साथ जाते हैं और वे छोटे बच्चों की देखरेख किया करते हैं। ईंट के भट्ठे मुख्य सड़क व गांवों से दूर हुआ करते हैं। श्रमिक दूध के बकरियां अपने साथ ले आते हैं। उनके राशन कार्डों की उनके लिए उपयोगिता नहीं होती है। उन्हें खुले बाजार में अन्य लोगों की भांति उन्हीं मूल्यों पर सामान खरीदना होता है। बच्चों की शिक्षा भी नहीं हो पाती है। ऐसे भी उदाहरण मिले हैं, जहां बच्चों को दो स्कूलों में भेजा जाता है। जब वे ईंट भट्ठे पर काम कर रहे होते हैं तो भट्ठे के पास के स्कूल में भेजते हैं और जब वे गांव में होते हैं तो गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं। अधिकांश श्रमिक अपने प्रवासी प्रवृतित के कारण बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। वे अपने बच्चों को जहां वे जाते हैं अपने साथ ले जाया करते हैं। बच्चे जिस किसी भी कार्य में मदद करते हैं जो वे कर सकते हैं। बच्चे वही कार्य करना सीख जाते हैं और उनके माता-पिता के प्रवासी प्रवृत्ति के कारण उनका भविष्य प्रमाणित होता है।

इस प्रकार के श्रमिकों को गांव से कोई भी ऋण की सुविधा नहीं मिल पाती है, क्योंकि वे गांव में बहुत कम होते हैं। ईट भट्ठे के मालिक भी उन्हें ऋण नहीं देते हैं। कभी-कभी मौसम के प्रारम्भ में उन्हें थोड़ी रकम मिल जाती है पर मौसम के समाप्त होने पर कोई भी रकम उन्हें मालिक द्वारा नहीं प्राप्त होती है। मजदूरी का भुगतान परिवार के मुखिया को किया जाता है और महिलायें कोई रकम नहीं प्राप्त कर पाती है। बहुत सी महिलायें हिसाब-किताब रखना नहीं जानती। थोड़ी बहुत रकम वे अपने पास रखती हैं। रूपये अधिकांशतः पुरूषों द्वारा रखे जाते हैं महिलाये अपनी आवश्यकतानुसार पुरूषों से अपने व्यय के लिए रूपये मांग लेती हैं। कुछ पुरूष श्रमिक ईंटों के निर्माण तथा उसमें लगने वाली पूंजी तथा आवश्यक

वस्तुओं की लागत के बारे में ज्ञान रखते हैं। महिलायें इन सब बातों के बारे में जानकारी नहीं रखती है वे केवल उस कीमत के बारे में जानकारी रखती है, जिस पर ईंटें बिकती हैं। ईंटों की बिक्री भट्ठे पर ही होती है, जिसे ट्रकों द्वारा ले जाया जाता है।

कुछ श्रमिक जाति के कुम्हार व मिट्टी के बर्तन बनाने वाले पाये गये जो मिट्टी के बरतन के काम को अधिक लाभदायक न होने के कारण ईंटे बनाने का कार्य करने लगे हैं। वे मिट्टी के कार्य में अधिक कुशल होते हैं और सरलता से ही ईंट बनाने का कार्य सीख लेते हैं। कुछ अन्य जाति के लोग भी ईंटे बनाने का कार्य करते हैं। ईंट बनाने का धन्धा मिट्टी के बर्तन बनाने के धंधे की भांति जाति पर आधारित नहीं है।

महिलाओं को ईंट बनाने का कार्य करने के अतिरिक्त घरेलू कार्य भी करना होता है। वे रात में ईंट बनाने तथा दिन में भोजन बनाने, कपड़ा धोने, पानी भरने बच्चों की देखरेख तथा मिट्टी खोदने का कार्य करती हैं, जिससे वे रात को ईंटे बनाने का कार्य कर सकें। पुरूष श्रमिक दिन में आराम करते हैं। महिलायें इस प्रकार अधिक कार्य के कारण थकी हुई होती हैं, उनके बदन में दर्द होता है, उनके हाथों की उंगलियों में कभी-कभी खून निकलता रहता है। उन्हें शीतकाल में भी कार्य करना होता है। उनके सिर के बाल भी गिरने लगते हैं। वे खुले में रहने की अभ्यस्त हो जाती है और अन्य कार्यों की तुलना में अधिक आय प्राप्त होने के कारण वे ईंट भट्ठों में काम करती है। उन्हें जीवित रहने के लिए जो भी कार्य मिल जाता है, उसे करना होता है।

महिलायें ईंट बनाने के कार्य में इसलिए लग जाती है, क्योंकि उन्हें अपने गांवों में अधिक काम नहीं मिल पाता है। यदि उन्हें भूमि तथा ऋण मिल जाय तो वे ईंट बनाने का कार्य स्वयं करने लगे जो दूसरों के भट्ठे पर जाकर पीस रेट के आधार पर काम करने की तुलना में अधिक लाभदायक है। ईंट भट्ठों

के पास खुले में रहने के लिए उन्हें भयमुक्त होना आवश्यक है अन्यथा वे अपनी जीविका ईंट निर्माण द्वारा अर्जित नहीं कर सकते हैं।

महिलायें जो भट्ठों में लगाने के लिए ईंटे ढोने का कार्य करती हैं, उन्हें मजदूरी ईंटों की संख्या के आधार पर प्राप्त होती है। यहां पर पांच पैसे 10 पैसा प्रत्येक 21 ईंटों को ढोने के लिए प्राप्त होते हैं। इस प्रकार वे दिन में पांच से दस रूपये तक अर्जित कर लेती हैं, यह उस क्षेत्र के मजदूरी दर पर निर्भर है। उन्हें किसी भट्ठे पर दस से पन्द्रह दिनों के लिए काम मिल पाता है। यह एक कठिन परिश्रम का कार्य है, उनके पैरों में सारे दिन इधर-उधर आते-जाते दर्द होने लगता है। वे अपना भोजन अपने साथ ले आती हैं, बच्चों को घर पर ही छोड़ दिया जाता है। यदि भट्ठा अधिक दूर होता है तो वहीं पर रूक जाती हैं और अपने बच्चों के साथ ले जाया करती हैं तथा अपना खाना वहीं बनाया करती हैं। भट्ठा मालिक द्वारा कच्ची ईंटे रहने का स्थान बनाने के लिए दिया जाता है।

ईंट भट्ठों में काम करने वाले श्रमिकों की ईंट श्रमिक संघ की स्थापना की गयी है जो श्रमिकों के हित के लिए क्रियाशील है, पर इसमें केवल पुरूष श्रमिकों को ही सदस्य बनाया जाता है, यद्यपि महिलायें भी उतनी ही मेहनत से कार्य करती हैं, जितना पुरूष करते हैं। यूनियन द्वारा श्रमिकों के मजदूरी की दरें निश्चित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त और कोई लाभ नहीं प्रदान किया जाता है। महिला श्रमिकों को यूनियन के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

बांस का कार्य

बांस का कार्य एक विशेष जाति द्वारा किया जाता है, यह कार्य भंगी जाति के लोग करते हैं। यह एक परम्परागत जाति पर आधारित पेशा है। इस जाति के लोग गांव में दो या तीन परिवार रहते हैं। यह परिवार का पेशा है,

जिसमें महिलायें विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं। केवल बाजार से कच्चे माल लाने के अतिरिक्त अन्य कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। बांस, रैक्सीन, चमड़े की खाल, सूती धागे तथा मरे जानवरों की तांत आदि सामान सूप व टोकरियां बनाने के लिए बाजार से खरीदे जाते हैं। सूप फसलों के सफाई के समय अनाज को साफ करने के लिए तथा घरेलू कार्यों में प्रयोग किया जाता है। यह विशेषकर फसल को साफ करने के लिए सभी किसान परिवारों द्वारा प्रयोग किया जाता है और अन्य परिवारों द्वारा इसका प्रयोग घरेलू कार्य के लिए किया जाता है। यह शहरी क्षेत्रों में भी प्रयोग किया जाता है। कुछ दिनों के बाद इसे बदलने की आवश्यकता होती है। इसलिए इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। सूप का निर्माण घरों में ही किया जाता है और गांव के लोग या तो इसे इनके घरों से खरीदते हैं या अन्य गांवों में दरवाजे दरवाजे जाकर इसे बेचा जाता है और टोकरी का प्रयोग खाद्यान्न रखने के लिए, खाद्यान्न ढोने के लिए, मिट्टी, फल व सब्जी आदि लाने के लिए किया जाता है। इसका भी निर्माण बांस द्वारा घरों पर किया जाता है और सूप की ही भांति इसकी बिक्री की जाती है। बांस का काम करने वाले परिवारों द्वारा या तो सूप बनाने या टोकरी बनाने का कार्य किया जाता है। दोनों समान एक ही परिवार द्वारा बहुत कम मात्रा में बनाते हैं।

यह व्यवसाय वर्ष भर किया जाता है पर कृषि के समय में इन परिवारों द्वारा अपनी आय बढ़ाने के लिए कृषि श्रमिक के रूप में भी कार्य कर लिया जाता है। बांस का काम जजमानी प्रथा के अन्तर्गत किया जाता है, पर वर्तमान में यह नकद लेनदेनके आधारपर ही किया जाता है। बहुत कम ऐसा पाया गया कि लोग सूप लेने के के लिए अनाज से बदला करते हैं। यह काम अपने ही घरों में परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है और इस कार्य के लिए श्रमिकों का प्रयोग नहीं किया जाता है।

इस कार्य में कच्चे माल प्राप्त करने का कार्य पुरूषों द्वाराही किया जाता है। बांस की खरीददारी कुछ स्थानों से की जाती है, सिरकी, प्लास्टिक, रेक्सीन, चमड़े, मरे जानवरों के धागे आदि शंहर के बाजारों से प्राप्त किये जाते हैं। कच्चे माल की खरीददारी प्रत्येक समय में एक ही स्थान से की जाती है। बांस व सिरकी का प्रयोग सूप बनाने वालों द्वारा किया जाता है। रेक्सीन, प्लास्टिक या चमड़े का प्रयोग सूप के बिनने में प्रयोग किया जाता है। सिरकी को बांधने के लिए मरे जानवरों के धागे या प्लास्टिक के धागे का प्रयोग सूप बांधने के लिए किया जाता है। सूप के निर्माण में कच्चे माल की खरीददारी सूप के प्रकार पर निर्भर है, साथ ही श्रमिकों के पास प्राप्त धनराशि और क्षेत्र में सूप की मांग पर निर्भर है।

कच्चे माल खरीदने के लिए दो या तीन प्रणाली प्रचलित हैं - कुछ लोग आठ से दस दिन के कार्य करने के लिए थोड़ी मात्रा में कच्चे माल खरीदते हैं और कुछ लोगों द्वारा बड़ी मात्रा में, जो लगभग एक माह के उत्पादन कार्य के लिए पर्याप्त होता है, सामान का कच्चे माल खरीदा जाता है। वे प्रायः बस से कच्चे माल खीदने जाते हैं और सामान सिर पर लादकर वापस आया करते हैं। कभी-कभी उन्हें बांस लाने के लिए लगेज चार्ज देना होता है।

बांस काफी मंहगा मिलता है, क्योंकि एक या दो बांस एक बार में खरीदा जाता है। यह 25 रूपये से 50 रूपये का प्राप्त होता है। जो लोग एक माह के उत्पादन के लिए कच्चे माल खरीदा करते हैं उन्हें बांस कुछ सस्ता मिल जाता है। अन्य कच्चे माल प्रायः स्थिर मूल्यों पर प्राप्त होता है। रेक्सीन, रिक्शा, कार के सीट कवर से बचे हुए भाग से प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग सूप के निर्माण में किया जाता है। चमड़े या तो मोची या चमड़े निकालने वाले लोगों से प्राप्त किया जाता है। मरे हुए जानवारों के तांत कसाई घरों तथा धागे धागे बेचने वालों से प्राप्त किये जाते हैं और सिरकी शहर के बाजारों में प्राप्त हो जाती है। सभी कच्चे माल सरलता से प्राप्त हो जाते हैं।

कच्चे माल खरीदने का सरल तरीका 50 रूपये से 100 रूपये तक के सामान सप्ताह या दस दिन के उत्पादन कार्य के लिए किया जाता है। एक माह या डेढ़ माह के उत्पादन के लिए 300 से 400 रूपये तक का कच्चा माल लग जाता है। बांस के कार्य के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे माल खरीदना सस्ता पड़ता है। यदि एक माह में एक बार सामान खरीदा जाये तो बस के किराया में बचत हो जाती है, यदि महीने में तीन या चार बार कच्चा माल खरीदा जाये तो उतना ही बस का किराया व्यय करना होता है। पर इनके पास इतनी पर्याप्त धनराशि नहीं होती कि वे इकट्ठा कच्चा माल खरीद सकें। कुछ लोग उधार लेकर कच्चा माल खरीदते हैं और बाद में उसका भुगतान करते रहते हैं, जो लोग टोकरियों का निर्माण करते हैं उन्हें केवल बांस ही खरीदना होता है। उन्हें केवल 60 रूपये से 100 रूपया ही कच्चे माल पर व्यय करना होता है।

कच्चे माल की खरीददारी के बाद उत्पादन का कार्य प्रारम्भ किया जाता है। सूपों का निर्माण सिरकी द्वारा किया जाता है। लगभग एक सौ सिरकी को लम्बाई और चौड़ाई में चौकोर रूप बनाने के लिए लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त पतले बांस की लकड़ियां विभिन्न स्थानों पर लगाकर सिरकी को एक साथ बांधने के लिए किया जाता है। सिरकी बांस की लकड़ियों को पहले एक साथरखकर धागे से बांध लिया जाता है। इसके बाद एक तरफ सिरकी सिरकियों को भिगो दिया जाता है और उन्हें झुकाया जाता है और इन झुके हुए भागों को प्लास्टिक, रैक्सीन, या चमड़े के धागों से बांध दिया जाता है। इर सिरकियों को जानवरों के तांत या धागों से कसकर बांध दिया जाता है, जिससे सूप काफी दिनों तक काम करने लायक बना रहता है।

महिलायें सूप बनाने के कार्य को जानती हैं। कुछ और सूप बनाने की पूरी प्रक्रिया जानती हैं और कुछ औरतें केवल सिलाई व बांस की पटरियां काटना और मोड़ने का काम जानती हैं। सिरकी की गिनती करके उन्हें मोड़ना जिसे सूप

का आकार दिये जाने का कार्य इस उत्पादन कार्य का सबसे अधिक कुशलता और दक्षता का कार्य है। पुरूष व महिलायें दोनों उत्पादन का कार्य करती हैं। बच्चे भी कभी-कभी उत्पादन कार्य में सहायता करते हैं, कुछ परिवार उत्पादन के सभी कार्य को एक ही बार में समाप्त कर देते हैं, जिससे प्रत्येक दिन उत्पादन तैयार कर लिया जाता है। कुछ परिवारों में काम विभिन्न स्तरों में तैयार किया जाता है, जिससे उत्पादन चार या पांच दिनों में तैयार किया जाता है। औसतन दो कार्यकर्ता (पुरूष व स्त्री) एक दिन में दो सूपों का निर्माण कर सकते हैं। तेजी से काम करने वालों की टीम, जिसमें अधिक लोग काम करने वाले होते हैं, एक दिन में तीन या चार सूपों का निर्माण करते हैं। जो लोग एक सप्ताह या दस दिनों के उत्पादन के लिए कच्चे माल लाते हैं, वे बीस से पच्चीस सूपों का निर्माण कर लेते हैं और उन्हें बेचते हैं। पन्द्रह दिनों के उत्पादन के लिए कच्चे माल खरीदने वाले लोगों द्वारा लगभग पच्चास सूपों का निर्माण किया जाता है और एक माह के उत्पादन का कच्चा माल खरीदने वालों द्वारा 200 से 250 सूपों का निर्माण किया जाता है।

अपने ही गांव में लोग सूप की खरीददारी उनके घरों से करते हैं। वे सूप की बिक्री अपने गांव में जब कभी इसका निर्माण होता है कर दिया करते हैं। जब इन्हें अन्य गांवों में बेचने जाना होता है तो वे कई सूपों को एकत्र करके अपने साथ ले जाते हैं। सामान्यतया वे सप्ताह में इसकी बिक्री करते हैं और दो या तीन दिनों में वे कोशिश रते हैं कि उनके द्वारा गत सप्ताह में बनाये गये सभी सूपों की बिक्री हो सके। पुरूष एवं महिलायें दोनों सूप बेचने जाती हैं। महिलायें प्रायः अपने ही गांव में और पुरूष गांव के बाहर अन्य गांवों में सूप की बिक्री करने के लिए जाते हैं। इसकी बिक्री इनके द्वारा नकद के आधार पर की जाती है। कोई भी व्यक्ति उन्हें इसके बदले में अनाज नहीं देता है, फिर भी कुछ महिलाओं ने यह बताया कि अभी भी महिलाओं द्वारा अपने गांव में बिक्री में एक सूप के बदले ढाई सेर अनाज मिल जाता है। सूपों की बिक्री व्यापारियों या दुकानदारों को नहीं की जाती है, क्योंकि इनके द्वारा इन्हें अच्छी कीमत नहीं प्राप्त होती है। केवल

मजबूरी की स्थिति में ही इसकी बिक्री व्यापारियों के यहां करनी होती है।

सूप बनाने की कुशलता परिवार में ही प्राप्त होती हैं। कुछ परिवारों में यह कार्य दर पुस्त दर या पीढ़ियों से चला आ रहा है। महिलायें यह कला या तो अपने माता-पिता या ससुराल में सीख लेती हैं। इसके निर्माण में विभिन्न आकारों के चाकू की आवश्यकता बांस काटने के लिए होती हैं तथा सिरकी सीने के लिए एक बड़ी सुई की तथा एक कुल्हाड़ी की आवश्यकता होती है। ये सब यंत्र परिवारों में होते हैं जो पीढ़ियों से परिवार में चलते हैं।

बांस के कार्य से प्राप्त होने वाली आय सूप को बेचने से प्राप्त कीमत पर निर्भर हैं। एक सूप की औसत कीमत दस से पन्द्रह रूपये प्रति सूप के बीच होती हैं। पर कुछ परिवारों द्वारा 20 रूपये प्रति पीस प्राप्त कर ली जाती हैं। तांत से बने सूपों की कीमत कुछ अधिकहोती है। सूप की कीमत उसमें लगे कच्चे माल की प्रकृति पर निर्भर है और बिक्री कीमत लाभ प्राप्ति को ध्यान में रखकर ऊंची रखी जाती है। साथ ही इसकी कीमत कच्चे माल के खरीद की मात्रा पर भी निर्भर है। जो एक माह के कच्चे माल की खरीददारी करते हैं उन्हें उन व्यक्तियों की तुलना में अधिक लाभ या आय प्राप्त होती हैं जो एक सप्ताह या दस दिन के उत्पादन के लिए कच्चे माल खरीद कर उत्पादन का कार्य करते हैं, क्योंकि इकट्ठा कच्चे माल खरीदने वालों की प्रति इकाई उत्पादन लागत कम होती है, जबकि कीमत समान होती है, इसलिए उन्हें अधिक आय प्राप्त होती है, इसके अतिरिक्त कच्चे माल के प्रयोग पर भी उत्पादन लागत निर्भर है, वे लोग जो एक निश्चित कच्चे माल से अधिक उत्पादन की इकाइयां तैयार करते हैं तथा इसे बेकार होने से बचाते हैं उन्हें अधिक आय प्राप्त होती है।

एक सप्ताह या दस दिन के उत्पादन के लिए 60 से 100 रूपये तक का विनियोग करना होता है, जिससे 20 से 25 सूपों का निर्माण किया जाता है,

जिससे उन्हें 80 से 90 रूपये की आय प्रत्येक सप्ताह या दस दिनों में होती है। 150 रूपये के विनियोग द्वारा 50 सूपों का निर्माण किया जाता है, जिससे 180 से 200 रूपये की आय प्रत्येक 15 दिनों होती है और उनका लाभ 60 रूपये आदि 80 रूपयों का होता है। इसी प्रकार 300 रूपये या 350 रूपये के विनियोग द्वारा 180 से 200 सूपों का निर्माण किया जाता है, जिससे 600 रूपये से 700 रूपये के बीच प्राप्त होता है, जिससे उन्हें 300 रूपये की आय प्रत्येक पांच या छः सप्ताह में प्राप्त होती है। यह आय दो या तीन व्यक्तियों की मेहनत द्वारा जो एक सप्ताह के उत्पादन के आधार पर या पांच या छः व्यक्तियों की आय होती है जो महीने या डेढ़ महीने के कच्चे माल की खरीददारी के आधार पर उत्पादन कार्य करते हैं। इसी आय से इन परिवारों द्वारा अपनी आधारभूत आवश्यताओं तथा आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। यह आय उनके लिए पर्याप्त नहीं होती, इसलिए उन्हें कृषि श्रमिक के रूप में भी कार्य करना होता है या अन्य कार्य जो मिलता है, उसे करते हैं।

इस कार्य में लगे श्रमिक जब तक उनके द्वारा बनाये गये उत्पाद बिक नहीं जाते, तब तक वे पुनः कच्चा माल लेने नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके पास अधिक मात्रा में धनराशि विनियोजन के लिए नहीं होती है। जब कभी उनका उत्पाद बिक नहीं जाता वे अधिक कच्चे माल नहीं खरीद सकते हैं। ऐसी स्थिति में वे कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे उन्हें नकद की प्राप्ति होती है, जिससे वे अपना भोजन व कुछ धनराशि से कच्चा माल खरीदते हैं। वे अपना सामान सस्ते में भी निकाल देते हैं, जब उसके खराब होने की सम्भावना होती है। सामान बेचने से जो रकम प्राप्त होती है, वे पूरी रकम व्यय नहीं करते, जिस रकम का कच्चा माल खरीदना होता है, उस धनराशि को निकाल कर यदि वे शेष धनराशि में से भी कुछ बचा लेते हैं, तो वे अगले उत्पादन के लिए कुछ अधिक मात्रा की रकम का विनियोजन करते हैं। यदि किसी उत्पादन के चक्र में उन्हें किसी आकस्मिक व्यय का सामना करना पड़ जाता है, तो उन्हें अपनी पूंजी का भी उपयोग करना पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में पूंजी एकत्र करने के लिए दूसरा काम करना पड़ जाता है या उधार लेकर उत्पादन का कार्य पुनः प्रारम्भ किया जाता है और जब

पूंजी नहीं मिल जाती, उत्पादन बन्द रखा जाता है।

जो लोग बांस की टोकरी बनाने का काम करते हैं वे चार बांसों से छः बड़ी या आठ छोटी टोकरियां बना लेते हैं। पुरूष तथा महिलायें दोनों टोकरी बनाने का कार्य करते हैं। बांस को बड़ी-बड़ी पटरियों में पहले काट लिया जाता है। इसके बाद टोकरियां बनायी जाती हैं। बड़ी टोकरी 15 रूपये की एक बेचते हैं, जिसमें 60 रूपये का विनियोग होता है। एक सप्ताह के उत्पादन कार्य के लिए चार बांस पर्याप्त होते हैं। दस दिनों में 30 रूपये की आय प्राप्त होती है, क्योंकि इसे बेचने में दो या तीन दिन लग जाते हैं। छोटी टोकरियां दस रूपये में बिकती हैं और दस दिनों में कुल 100 रूपये की प्राप्ति होती है। वे पांच बांस खरीदते हैं, जिसके लिए उन्हें 70 से 75 रूपये व्यय करने होते हैं। प्रत्येक सप्ताह 25 से 30 रूपये की आय प्राप्त होती हैं। इसे बेचने के लिए पुरूष एवं महिलायें एक गांव के दूसरे गांव जाया करते हैं।

टोकरियां बेचने से प्राप्त आय पुरूष एवं महिलाओं दोनों के हाथ में आया करती हैं। महिलायें इसे गिन नहीं सकती हैं, इसलिए परिवार का व्यय पुरूषों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। महिलायें अधिकांशतः अनपढ़ होती हैं। इनमें से कुछ गिन सकती हैं, सभी कार्य मौखिक हुआ करते हैं। इसलिए महिलाओं की निरक्षरता एक बाधा नहीं है। कभी-कभी महिलायें कच्चे माल की लागत व सूप और टोकरी की मांग को जानती हैं, पर उन्हें कच्चे माल खरीदने का स्थान ज्ञात नहीं होता है। इन श्रमिकों की कोई प्रतिनिधि संस्था नहीं होती है। यद्यपि वे कठिन परिश्रम करते हैं पर उन्हें इस कार्य से बहुत कम आय प्रापत होती है। एक ही स्थिति में बैठे-बैठे उनकी कमर दर्द करने लगती है। उनकी आंखों पर भी भार पड़ता है। वे अपने कार्य में अधिक रकम लगाना चाहते हैं, क्योंकि इससे उनकी आय में वृद्धि होगी। उनका कहना था कि हम लोगों के पास नोट छापने की मशीन नहीं है। कच्चे माल की खरीद्दारी जब हम लोगों के पास पैसा होता है, तब की

जाती है। कच्चे माल की गुणवत्ता हम लोगों के पास प्राप्त रकम की मात्रा पर निर्भर है। हम लोगों को अपना उत्पादन बेचने के लिए बहुत दूर-दूर जाना होता है, जब हम अपना उत्पादन बेचने में असमर्थ होते हैं, तो श्रमिक का कार्य करना होता है, बड़ी कठिनाईयों से हम अपना पेट भर पाते हैं, जब हमारे पास पैसा होता है तो हमारे बच्चे खिचड़ी खाकर रहते हैं। जब हम व्यापारियों को अपना माल बेचते हैं, तो हमें हानि उठानी पड़ती है। हम अपना माल हानि पर नहीं बेचना चाहते, क्योंकि इसको बनाने में हमें कठिन मेहनत करना होता है। जब हम लोग अपना माल नहीं बेच पातेतो मजबूर होकर व्यापारियों के हाथ हानि पर बेचना पड़ता है। इस प्रकार कठिन परिश्रम के बाद भी हमें अपने व्यापार से कुछ भी नहीं मिल पाता है।

नरकट का कार्य

नरकट एक प्रकार का जंगली पौधा है जो झांसी जनपद के अधिकांश क्षेत्रों में जंगलों या खेतों के चहारदिवारियों तथा ऊंची नीची भूमियों पर हुआ करता है। इसकप्रयोग बरतनों को रखने के लिए आधार बनाने और चारपायीके बांधं या रस्सी बनाने के कार्य में लाया जाता है। हरिजन की एक विशेष जाति द्वारा इस कार्य को कियाजाता है। यह कार्य विशेषकर महिलाओं द्वारा किया जाता है। पुरूषों द्वारा नरकट को खेतों तथा खुली जगहों से लाकर देने तथा इससे बने उत्पादों को बेचने के कार्य में मदद ली जाती है। इस कार्य में जहां कहीं से भी मिल जाता है, नरकट एकत्र करने का कार्य किया जाता है। महिलायें नरकट से बरतन स्टैण्ड और अन्य सामान बनाती हैं और नकद या अनाज के बदले में बेचती है। नरकट प्रायः अक्टूबर से नवम्बर माह में प्राप्त होता है। महिलायें दो या तीन की समूह में अपने बच्चों तथा पुरूषों के साथ जाकर हसिया से नरकट काटने का कार्य करती हैं और प्रत्येक परिवार द्वारा अधिक से अधिक नरकट काटकर रख लिया जाता है, जिससे वर्ष भर उत्पादन का कार्य किया जा सके, क्योंकि नरकट एक विशेष समय पर ही प्राप्त

होता है। इसलिए पूरे वर्ष के लिए नरकट का स्टाक रख लिया जाता है।

नरकट का किसी परिवार द्वारा कितना स्टाक रखा जाता है, यह अपने गांव तथा आस-पास के क्षेत्रों में उसके द्वारा बने उत्पादों की मांग तथा परिवार में कितनी महिलायें इस कार्य को करती है। इस पर भी निर्भर हैं। नरकट को बण्डल में बांधकर रखा जाता है तथा 150 से 250 बण्डल दो महीनों में काटकर रख लिया जाता है। मऊरानीपुर, बंगरा तथा चिरगांव में कहीं-कहीं 400 बण्डल तक एकत्रकरके रखा जाता है। जहां पर इसकी मांग अधिक नहीं होती, जैसा कि बीना विकास खण्ड में है, उन क्षेत्रों में 50 से 60 बण्डल तक एकत्र किये जाते हैं। नरकट को हंसिया से काटना एक कठिन कार्य है और महिलायें अधिकतर घायल भी हो जाती हैं। जंगलों में जाकर नरकट काटकर एकत्र करना भी एक कठिन कार्य है, उन्हें सात से दस किलोमीटर तक जाना पड़ता है, उन्हें जंगल में कांटों और झाड़ियों में घूमना पड़ता है, जिससे उन्हें चोट भी लग जाती हैं। कभी-कभी जिन किसानों के खेत के चारों ओर इस लगाया जाता है वे इसे काटने नहीं देते हैं। कभी-कभी उन्हें इसको काटने पर उन्हें मार खानी पड़ती है और उन्हें खेत से निकाल दिया जाता है। कुछ किसानों द्वारा इसे बेंच दिया जाता है और उन्हें कुछ आय प्राप्त होती है। किसान सोचते हैं कि यह उनके लिए कच्चा माल है, जो उन्हें मुफ्त में क्यों दिया जाय इसलिए उन्हें कुछ कीमत प्राप्त करके दिया जाता है। महिलायें दो रूपये का एक बण्डल नरकट प्राप्त करती हैं। जब नरकट खरीदने से प्राप्त होता है तो उनके पास जितना पैसा होता है, उसी के अनुसार वे खरीददारी करती हैं। नरकट बेचने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, पर अभी बड़ी मात्रा में नरकट खरीदने से ही नहीं प्राप्त होती है। महिलायें इसे अपने सिर पर लादकर घर पर लाती हैं। कभी-कभी पुरूषों द्वारा साइकिल का प्रयोग किया जाता है। जब नरकट की मात्रा अधिक होती है तो गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। जब परिवार में पर्याप्त सदस्य नहीं होते हैं तो श्रमिक काम में लगाये जाते हैं और उन्हें 15 बण्डल के लिए 10 रूपये

प्रतिदिन दिया जाता है। महिलायें ज्वार और धान के पौधे भी इन्हें बांधने के लिए एकत्र करती हैं।

नरकट को पहले तालाब, या पानी के गढ्ढे में एक माह के लिए डाल दिया जाता है, बाद में इसे पानी में डालकर मुलायम तथा चिकना बनाया जाता है। एक माह के बाद उसे पानी से निकालकर धूप में सुखाया जाता है। इसके बाद उसे छाया में किसी खम्बे या खूंटी में टांग दिया जाता है। ऐसे गांव जहां पानी नहीं मिलता है, वहां पर इसे पानी में भिगोने की समस्या होती है।

जब इसकी सहायता से बरतनों के रखने का स्टैण्ड (पाट होल्डर) बनाना होता है तो थोड़ी मात्रा में सूखे नरकटों का प्रयोग किया जाता है। इसे छीलकर और भी पतला करके पुनः पानी में भिगोया जाता है। इसके बाद उसे लकड़ी के हथौड़े से पीटा जाता है, जब तक कि यह मुलायम और लचीला नहीं हो जाता है और इसी से बिनकर बर्तनों के स्टैण्ड आदि बनाये जाते हैं। ज्वार व धान के पौधे के सूखे पुआल का प्रयोग इसके अन्दर डालकर ऊपर से नरकट से बुनायी की जाती है, जिससे बरतनों का स्वरूप बन जाता है। इसे गोले के आकार में बदला जाता है, इसके चारों ओर नरकट से गट्ठी देकर बिनाई का कार्य किया जाता है, कभी-कभी इसके बीच में कपड़े के टुकड़ों का प्रयोग पुआल और नरकट के बीच किया जाता है। धान का पुआल महिलाओं को उन किसानों से प्राप्त हो जाता है, जहां वे कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करती हैं तथा कपड़े के टुकड़े गांव के दर्जी के पास से प्राप्त हो जाते हैं। वे दर्जियों को कुछ बने हुए सामान देकर कपड़े के कटे हुए टुकड़े प्राप्त करती हैं। कहीं कहीं वे कपड़े के टुकड़े या कतरन वजन में तौलकर 5 रूपये किलो के हिसाब से प्राप्त करती हैं। बनी हुई सामग्री गांव के घरों में बेची जाती है। वे दूसरे गांव में जाकर भी इसे बेचती हैं या नगर के किसी दुकानदार को इकट्ठा बेच दिया करती हैं।

इस प्रकार बनी हुई टोकरी, बरतन स्टैण्ड आदि सामान 75 पैसे से एक रूपये की बिकती है। कुछ गांवों में इसे अनाज के बदले में बेचा जाता है। वर्ष भर लगातार इन सामानों को देने के लिए आधा मन अनाज दिया जाता है। पर ऐसे भी उदाहरण मिले हैं जहां एक से दो मन तक अनाज इसके लिए दिया जाता है। जिसके द्वारा परिवार में लगने वाले सभी सामानों की पूर्ति इनके द्वारा की जाती है। ये सामान अधिक दिनों तक नहीं चलते हैं।

एक बण्डल नरकट से एक अच्छे कार्यकर्ता द्वारा दस से बारह इनडोनीज बना सकता है। कुछ महिलायें केवल उतने ही बण्डलों से उसका आधी संख्या में इन्डोनीज बना सकती है। इन्डोनीज के अतिरिक्त वे सुधीयास भी बनाती हैं। बड़े बरतनों की मांग बहुत अधिक होती है। पर बड़ी मांग के बर्तनों का निर्माण आदेशों के आधार पर किया जाता है, क्योंकि इनमें अधिक समय और अधिक कच्चे माल की आवश्यकता होती है। एक दिन में दो या तीन सुधीयास उसी नरकट के बण्डल से बनायी जा सकती है। इसी प्रकार एक बर्तन स्टैण्ड (पाट होल्डर) जिसे सीधा (सीका) कहते हैं। यह बर्तन के शक्ल का एक प्लेट होता है, जिसे बर्तन को बदलने में प्रयोग किया जाता है। इसे भी आदेश प्राप्त होने पर बनाया जाता है। एक सीका बनाने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। सीका और सुधियास से इन्डोनीज की तुलना में अधिक दाम प्राप्त होता है। सुधियास लगभग दो रूपये की और सीका के लिए तीन से चार रूपये प्राप्त हो जाते हैं। पर इन वस्तुओं की मांग बहुत कम होती है। एक माह में चार या पांच सुधियास और दो सीका बनाया जाता है। जब इन्हें अनाज से बदला जाता है तो सुधियास के बदले दो से पांच सेर अनाज प्राप्त होता है। जब इसकी वार्षिक आधार पर आपूर्ति की जाती है तो इसके अन्तर्गत इन्डोनीज, सीका और सुधियास तीनों को शामिल किया जाता है। सामान्यतया आधा मन अनाज के बदले 10 से 15 इन्डोनीज दो सुधियास तथा दो सीका दिये जाते हैं।

जब इन्डोनीज की बिक्री महिलाओं द्वारा अपने ही गांव में की जाती है तो गांव के परिवों द्वारा इसकी आपूर्ति करने की सूचना समय-समय पर दी जाती है। जब महिलाओं को पैसे की या अनाज की आवश्यकता होती है तो वे गांव में घर-घर जाकर इन्डोनीज देने के लिए पूंछ्ती हैं। जब इन्हें अन्य गांवों में बेचा जाता है तो महिलायें दो या तीन टीम के समूह में घर-घर जाती हैं और इन्डोनीज बेचा करती हैं। जब वे किसी दुकानकार को अपना माल दिया करती हैं तो उसे अधिक मात्रा में उसकी आपूर्ति करती हैं। दो या तीन दिनों में वे गांव के बाहर इन्डोनीज बेचने के लिए निकलती हैं। जहां पर इनकी आपूर्ति दुकानदारों को की जाती है, उन्हें 15 दिनों में माल दिया जाता है। पर कभी-कभी इन लोगों के पास बस का किराया तक नहीं होता है, जब वे इसे दुकानदार के पास बेचने के लिए जाया करती हैं।

जब इन्डोनीज बेचने के लिए महिलायें दूर के गांवों में इन्डोनीज बेचने जाती हैं तो वे उस समय तक अपने गांव वापस नहीं आती हैं, जब तक उनका पूरा माल नहीं बिक जाता है। आवश्यकता पड़ने पर वे उस गांव में रात को भी रूक जाती हैं और अगले दिन उसे बेचने का प्रयास करती हैं। यही कारण यही कारण है कि वे बेचने के कार्य लिए अकेले न जाकर एक समूह में जाया करती हैं। जब इन सामानों की बिक्री वार्षिक खाद्यान्न के आधार पर की जाती है तो इनके परिवार निर्धारित होते हैं। एक नरकट का कार्य करने वाले परिवार द्वारा बारह से पन्द्रह परिवारों को इसकी आपूर्ति की जाती है। यदि किसी गांव में केवल दो या तीन परिवार इस कार्य को करने वाले होते हैं तो परिवारों का विभाजन बराबर संख्या के आधार पर होता है। इन परिवारों द्वारा अपने गांव से वस्तु की आपूर्ति द्वारा कितनी आय प्राप्त होगी यह उनके गांव वालों के साथ सम्बन्ध पर निर्भर है। यदि इनके सम्बन्ध गांव वालों से अच्छे नहीं होते तो गांव के अमीर लोग इन्डोनीज की खरीददारी या तो दूसरे गांव से या नगरों से करते हैं और गांव वालों से इसकी खरीददारी नहीं करते हैं। यह केवल बदले की भावनावश किया जाता है, जिससे इन श्रमिकों की स्थिति और भी खराब हो जाती है।

नरकट के कार्य से बहुत अधिक आय नहीं प्राप्त होती है, पर यह कुछ परिवारों के आय का साधन है। इन्हें प्राप्त होने वाला अनाज एक प्रकार से भूख के प्रति सुरक्षा का कार्य करता है, भले ही वह वर्ष के कुछ महीनों के लिए पर्याप्त होता है। जब इन श्रमिकों को धनराशि या नकद प्राप्त होता है, तो वे अपना खाद्यान्न खरीदते हैं। वे अपने माल की आपूर्ति के बदले खाद्यान्न लेगें या नकद यह उनके परिवार में प्राप्त खाद्यान्न की मात्रा पर निर्भर है। सभी परिवारों द्वारा अपने परिवार की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य कार्य करते हैं, वे कृषि कार्य, मिट्टी खोदने तथा अन्य श्रम प्रधान कार्य करते हैं जो भी उन्हें समय-समय पर प्राप्त होता है। पर ये कार्य मौसमी होते हैं और वे वर्ष के कुछ ही दिनों के लिए प्राप्त हुआ करते हैं। इन श्रमिकों द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है जो उन्हें प्राप्त होता है। वे नरकट का कार्य इसलिए करते हैं, क्योंकि अन्य जाति के लोग इसे करने को तैयार नहीं होते हैं। इसलिए वे अपनी आय को बढ़ाने के लिए कोई भी दूसरा कार्य करते हैं और जैसे ही दूसरा कार्य समाप्त हो जाता है वे नरकट के कार्य पर वापस आ जाते हैं। वे अपने परिवार के खाद्यान्नों की आवश्यकता को जानते हैं। उनका पहला उद्देश्य परिवार के लिए वर्ष भर के लिए पर्याप्त अनाज की प्राप्ति करना होता है। उन्हें नकद की भी आवश्यकता होती है और नकद के लिए अधिमान उस समय होता है, जब परिवार के लिए पर्याप्त अनाज एकत्र कर लिया जाता है। जब कभी उनके पास खाद्यान्न पर्याप्त होता है और उनके लिए नकद की आवश्यकता बहुत अधिक हाती है तो वे नकद प्राप्त करने के लिए अनाज को बेंच देते हैं और नकद प्राप्त करके इसकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। यह उन गांवों में होता है जहां उन्हें पर्याप्त मात्रा में अनाज (प्रति परिवार दो या तीन मन अनाज प्राप्त होता है) प्राप्त होता है। उन्हें अनाज मिलता है, नकद नहीं। वे उधार भी लिया करते हैं जिसे वे बाद में वापस करते हैं। यह इसलिए आवश्यक होता है, कि वे अपना पूरा अनाज बेच नहीं सकते, क्योंकि भोजन की आवश्यकता होती है। यदि वे अनाज प्राप्त करते हैं तो अनाज को दुकानों पर बेचकर आवश्यकता की अन्य वस्तुएं खरीद ली जाती हैं।

कुछ महिलायें नरकटों से रस्सियां भी बनाती हैं जो चारपाइयां बिनने के काम आती हैं। महिलायें रस्सियां बनाती हैं और पुरूष विभिन्न परिवारों में चारपायी के बुनाई का काम करने जाते हैं। एक चारपायी में दो या तीन बण्डल नरकट की आवश्यकता होती है। इस कार्य में उन्हें एक चारपायी की रस्सी के लिए दस रूपये व बुनाई के कार्य के लिए भी 5 से 10 रूपये प्राप्त होते हैं। पुरूषों द्वारा बुनाई का कार्य अन्य गांवों में भी किया जाता है। कभी-कभी चारपायी बिनने के बजाय केवल रस्सी ही बेच दी जाती है।

महिलायें नरकट के कार्य के साथ घरेलू कार्य भी करती हैं। घरेलू कार्य समाप्त करने के बाद वे इस कार्य को करती हैं। वे पांच से 6 घण्टे इस कार्य को करती हैं। बच्चों की देखरेख भी कार्य के साथ-साथ की जाती है। महिलायें इन्डोनीज बनाकर अपने दिन प्रतिदिन के व्ययों को पूरा करती हैं। जब वे नरकट प्राप्त करने के लिए जंगलों में जाती हैं तो वे इस कार्य को नहीं करती हैं, बल्कि वे पहले से कुछ इन्डोनीज बनाकर रख देती हैं, जिसे बेंचकर वे कुछ अनाज या पैसे प्राप्त करती रहती हैं। मौसम के समय वे एक दिन उत्पादन का कार्य तथा एक दिन नरकट एकत्र करने का कार्य करती हैं। वे इतने अधिक मात्रा में नरकट एकत्र करती हैं कि वह अगले मौसम तक चल सके।

बरसात के समय में नरकट को सूखे रखना एक समस्या होती है। सूखे महीनों में नरकट झोपड़ियों के छत पर रख दी जाती है पर बरसात में इसे पार के अन्दर रखा जाता है। यदि नरकट भीग जाती है तो वह बेकार हो जाती है और उस समय अन्य माल नहीं मिल पाती है। इन लोगों को अपना कच्चा माल सावधानी से बचाकर रखना होता है। यद्यपि इनकी झोपड़ियां छोटी होती हैं पर वे कच्चे माल को उसी में बचाकर रखते हैं। महिलायें अपनी गरीबी के बारे में बहुत ही जागरूक हैं उनका कहना था कि इस कार्य को करते हुए हम लोगों का जीवन बीत जाता है, हम लोग बूढ़ी हो गयी हैं पर कोई परिवर्तन नहीं आया है। हम लोगों

के हाथ में खरोंच पड़ गयी हैं पर कोई सुधार व विकास नहीं हुआ है। हम लोगों के हाथ थक गये हैं, हमारा शरीर एक ही स्थिति में बैठे-बैठे दर्द करने लगता है, यदि हम लोग अपने हाथों की खरोंच को देखें तो अपना पेट कैसे भरें। यदि हम लोग दूसरा काम करने जाते हैं तो प्रत्येक दिन खाना हम लोगों को नहीं मिलेगा। जब हम कृषि में कार्य करते हैं तो कुछ पैसा हाथ में दिखायी पड़ता है। जब कभी हमें नकद की आवश्यकता होती है घर के अनाज को बेचना पड़ता है।

अन्य पेशों की भांति इन श्रमिकों की कोई प्रतिनिधि संस्था कार्य नहीं कर रही है, जो इनके आर्थिक व सामाजिक हितों की रक्षा कर सके।

चमड़े का कार्य

यह एक जाति प्रथा पर आधारित पेशा है, जिसे चमार जाति के लोग करते हैं। हरिजन जाति में चमार एक उपजाति है। बर्तन उद्योग की भांति यह भी एक परम्परागत उद्योग है पर इस कार्य के कुछ स्तरों में तकनीकी परिवर्तन आये हैं। यह एक पारिवारिक कार्य है, जिसमें महिलायें कुछ कार्यों में मदद करती हैं। इस कार्य में कुछ काम घर के अन्दर तथा कुछ घर के बाहर पूरा किए जाते हैं।

जब गांव में कोई जानवर मर जाता है तो चमारों को सूचना दी जाती है। मरे हुए जानवर को पहले गांव के बाहर उठाकर ले जाया जाता है। चमार की बस्तियों में जो भी व्यक्ति उस समय खाली होता है, इस कार्य के लिए जाता है। यह एक अधिक परिश्रमी कार्य है, महिलायें भी इसमें सहायता करती हैं, जब पुरूषों की संख्या पर्याप्त नहीं होती हैं। अधिकांश गांवों में जानवर को खींचकर बाहर ले जाया जाता है। महिलायें तथा पुरूष दोनों ही जानवरों को खींचते-खींचते थक जाते हैं, कभी कभी उन्हें कंधे पर लादकर ले जाया जाता है। कुछ गांवों में

अब चमारों द्वारा एक गाड़ी का प्रयोग जानवरों को ले जाने के लिए किया जाता है, जिससे उनका कार्य हल्का हो जाता है। गांव के बाहर जानवर ले जाकर चाकू, और कैचियों से उसके खाल निकालने का कार्य किया जाता है। हड्डियों को काटने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग किया जाता है। पुरूष तथा महिलायें दोनों मिलकर इस कार्य को करती हैं। चमड़े को सावधानी के साथ निकाला जाता है, जिससे उसे नुकसान से बचाया जा सके। उसकी सीगें, पूंछ, बाल तथा खुर को निकालकर अलग कर लिया जाता है। मांस का उपयोग कर लिया जाता है और चमड़े को अलग निकाल कर रख लिया जाता है। जानवर के चमड़े निकालने का कार्य में दो या तीन घण्टे लग जाते हैं। इस कार्य के लिए चमारों द्वारा अपने यंत्रों और औजारों का प्रयोग किया जाता है। कुछ गांवों में किसानों द्वारा अपनी बैलगाड़ी जानवर को फेंकने के लिए दी जाती हैं और कहीं-कहीं चमारों को इसके लिए दस से पच्चीस रूपये तक किराया देना होता है।

चमड़ा निकालने के बाद इसे महिलाओं को दे दिया जाता है, जो नमक लगाकर इसके काटने का कार्य करती हैं। एक बड़े जानवर के चमड़े को साफ करने में लगभग दस किलो नमक लग जाता है। महिलायें यह नमक दुकानदार से खरीदकर इसका तुरन्त उपयोग करती हैं। नमक लगा हुआ चमड़े को सूखने के लिए 48 से 60 घण्टे तक लगते हैं। नमक द्वारा चमड़े की दुर्गन्ध दूर होती है तथा कीट नाशक होता है और यह चमड़े में नमी बनाये रखने में सहायक होता है। चमड़े को छाया में सुखाना अच्छा माना जाता है। इसके बाद इसे मोड़कर रखा जाता है। चमड़े की कीमत उसके सूखने के गुण पर निर्भर है। जिसका अर्थ है कि चमड़े में काले धब्बे नहीं होना चाहिए, जो सूरज की रोशनी में चमड़ा सुखाने के कारण या सम धरातल के न होने पर होता है। एक समान सूखने के लिए चमड़े को कुछ घण्टों के बाद उलटना होता है। जाड़े में चमड़ा गर्मियों की अपेक्षा अच्छी तरह सूखता है। बरसात में इसका सूखना कठिन कार्य है। महिलाओं द्वारा इसे अपने घरों के भीतर चमड़े के सूखाने का कार्य करती हैं, जिसके कारण उन्हें विभिन्न

कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

चमड़े के सूखने के बाद चमड़े के उत्पादन योग्य बनाने की प्रक्रिया में तकनीकी परिवर्तन हुए हैं। परम्परागत तरीके द्वारा चमड़े की सफाई, घास व पेड़ के छालों द्वारा की जाती है, जिसके अन्तर्गत प्रकृति प्रदत्त रसायन कुंआ करते हैं। इस तरीके में महिलाओं को बहुत से काम करने होते हैं, जैसे घास और पेड़ों की छाल को एकत्र करना, उन्हें पीस कर मिलाना आदि। इस विधि से साफ किया गया चमड़ा शोधन करने में तीन महीने लग जाता है, फिर भी यह उद्योगों के रसायन द्वारा साफ किये गये चमड़े की तुलना में अधिक कड़ा तथा मोटा होता है। चर्म शोधन की आधुनिक तकनीकों के विकास तथा चर्म शोधन की आधिुनिक तकनीकों के विकास तथा चर्म शोधन उद्योगों की स्थापना के परिणाम स्वरूप अब उद्योगों द्वारा शोधित चमड़े का प्रयोग बढ़ रहा है। अब परम्परागत तरीके से चर्म शोधन के बजाय उद्योगों द्वारा शोधन का कार्य किया जाने लगा है। इसके अतिरिक्त चमारों के पूंजी में ह्रास हुआ है और उनके पास चर्म शोधन के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है। चर्म शोधन की पुरानी विधि धीरे-धीरे समाप्त हो रही है और चमार अधिक तर आंशिक रूप से सूखे चमड़े को बेच देते हैं। इस प्रकार सूखे हुए चमड़े खरीदने के छोटे व्यापारियों का उदय हुआ है और उन चमारों में से ही कुछ लोग इस कार्य को करने लगे हैं। वे गांव-गांव घूमकर इस प्रकार प्राप्त चमड़े की खरीददारी करते हैं। चमार इन व्यापारियों का इन्तजार चमड़ा बेचने के लिए करते हैं, क्योंकि उनसे कुछ अधिक कीमत चमड़े की प्राप्त हो जाती है। यदि चमारों द्वारा इन व्यापारियों से ऋण प्राप्त किया गया होता है तो चमड़े की उन्हें कुछ कम मूल्य प्राप्त होता है। चमारों को रूपये की अधिक आवश्यकता होने पर वे अपने चमड़े को बेचने के लिए जाया करते हैं। यह मजदूरी में बिक्री की स्थिति होती है। व्यापारी इन चमड़े को शोधक कारखानों में बेचते हैं और इसका शोधन के पश्चात पुनः चमारों को इनकी वस्तुएं बनाने के लिए प्राप्त हो जाता है। कुछ केन्द्रों पर अभी भी पुराने तरीके से चमड़े का शोधन किया जाता है, फिर भी चमार शोधित चमड़े व्यापारियों से ही खरीदते हैं। व्यापारीगण

आस-पास के गांवों में जाकर सूखे चमड़े खरीदने का कार्य करते हैं। पुरानी तथा आधुनिक दोनों तरीकों से चमड़े के शोधन में पर्याप्त मात्रा में चमड़े की प्राप्ति का होना आवश्यक है और इसके लिए दोनों प्रकार के तरीकों से शोधन करने वाले अधिक मात्रा में सूखे चमड़े खरीदते हैं।

पुराने तरीके के शोधन विधि में बहुत सी महिलायें इसकी प्रक्रिया से परिचित हैं और वे स्वयं चर्म शोधन का कार्य भी करती हैं। आधुनिक तरीके में यह पूर्णतया पुरूषों का ही कार्य हो गया है। महिलाओं को श्रमिक के रूप में लगाया जाता है, जो शोधन कार्य में पानी भरने का कार्य करती हैं। आधुनिक तरीके में उद्योगों से बने रसायनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें रसायनों का अनुपात तथा समय दोनों ही अलग-अलग होता है और महिलायें इन नये तरीकों से परिचित नहीं हैं। आधुनिक तरीके से शोधित चमड़े को तैयार होने में लगभग एक माह का समय लग जाता है। यह पुरानी विधि से शोधित चमड़े की तुलना में अधिक मुलायम होता है पर यह कम टिकाऊ होता है।

विभिन्न गांवों मेंसूखे चमड़े अलग-अलग स्थानों पर बेचे जाते हैं। एक गाय का चमड़ा 15 से 45 रूपये, भैंस का चमड़ा, 30 रूपये से 80 रूपये तथा बैल का चमड़ा 35 से 80 रूपये तथा बकरी का चमड़ा 5 से 15 रूपये का बिकता है।

वर्तमान में इस पेशे से चमारों को यदा कदा आय प्राप्त होती है, जो आंशिक रूप से शोधित चमड़े की बिक्री का कार्य करते हैं, क्योंकि इन्हें आय केवल उस समय प्राप्त हो सकती है, जब गांव में कोई जानवर मरता है। इस घटना के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। यदि किसी गांव में एक या दो चमारों के परिवार होते हैं, उन्हें वर्ष में सात या आठ चमड़े प्राप्त हो जाते हैं। जब चमारों के परिवारों की संख्या अधिक होती है तो उन्हें एक या दो चमड़े वर्ष में प्राप्त हो

जाते हैं। जब जानवरों में कोई महामारी फैलती है तो उन्हें अधिक चमड़े प्राप्त हो जाते हैं। यदि जानवरों की अच्छी देखभाल की जाती है, उन्हें अच्छे भूसे और भोजन दिया जाता है तो वे स्वस्थ रहते हैं तथा अधिक दिनों तक जीवित रहते हैं। ऐसी स्थिति में उनके कम चमड़े प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार ऐसे गांव जहां लोग कम मात्रा में जानवर पालते हैं, वहां भी चमड़े अधिक मात्रा में नहीं प्राप्त होते हैं। यह उन लोगों का एक नियमित पेशा बन जाता है जो चमड़े के शोधन का कार्य करते हैं, क्योंकि यह एक लगातार चलने वाला कार्य होता है, जो लोग आंशिक रूप से शोधन का कार्य करते हैं, वे अपनी जीविका केवल इसी कार्य से नहीं अर्जित कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में उनका मुख्य पेशा कृषि श्रमिक या श्रम प्रधान कोई भी कार्य होता है और चमड़े का कार्य उनका उत्तराधिकारी पेशा होता है, क्योंकि यह कार्य कोई अन्य नहीं करता है। वे लोग जो चमड़े का शोधन पूरी तरह करते हैं और उससे चमड़े का सामान भी बनाते हैं वे इस कार्य से अपनी जीविका अर्जित करने के लिए एक युक्तिसंगत आय प्राप्त करते हैं। जिन गांवों में एक या दो चमारों के परिवार होते हैं, उनके लिए परिवार के सदस्यों की सहायता से जानवरों की खाल उतारना अधिक कठिन होता है, उन्हें अन्य जातियों के लोगों की सहायता लेनी होती है और उसके लिए उन्हें मेहनताना देना होता है।

जानवरों की हड्डियां, खुर तथा पूंछ के बाल गांव के सभी परिवारों द्वारा वर्ष भर एकत्र किये जाते हैं और वर्ष में एक बार व्यापारियों के हाथ 50 से 60 रूपये के बीच दाम लेकर बेंच दिए जाते हैं। बहुत से चमार परिवार इस प्रकार प्राप्त रकम का प्रयोग खुद नहीं करते हैं, बल्कि वे अपने पुरोहितों को दे देते हैं जो इधर उधर घूमकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अन्य लोग इसे एक फण्ड के रूप में रखते हैं और अपने जाति के लोगों को उनके आवश्यकता के समय दे दिया करते हैं।

चमारों में एक ऐसी परम्परा है कि अपने जाति के लोगों में चमड़े के कार्य से प्राप्त होने वाली आय के लिए सभी परिवारों को समान अवसर दिया जाता

है। इसके लिए एक क्रम बना दिया जाता है, जिसे सभी परिवार मानते हैं, यह विभिन्न जानवरों के लिए बनया जाता है। उदाहरण के लिए यदि एक गांव में दस परिवार हैं तो वे सभी परिवार के बैल का चमड़ा प्राप्त करने के लिए अवसर दिया जाता है। इसी प्रकार अन्य जानवरों जैसे भैंसा, गाय, ऊंट आदि जानवरों के चमड़े प्राप्त करने के लिए सभी का क्रम लगा दिया जाता है। अतः छोटे बड़े सभी जानवरों के लिए उन जानवरों के मृत्यु के अनुसार क्रम बांध दिया जाता है। पर किसी परिवार को कब मौका प्राप्त होगा, इसकी भविष्यवाणी करना कठिन है। यह प्रणाली बहुत ही उपयोगी है तथा इसके अनुसार परिवारों के बीच काम का बंटवारा समान रूप से हो जाता है। यदि किसी गांव में बहुत अधिक परिवार होते हैं तो एक परिवार को वर्ष में दो वर्ष में चमड़ा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। कुछ गावों में यह प्रणाली नहीं है, बल्कि चमारों के परिवार गांव के निश्चित परिवारों के साथ जुड़े होते हैं। वास्तव में यह पेशा जजमानी व्यवस्था के आधार पर चलता रहा है। किसानों द्वारा चमारों को अनाज दिया जाता है, जिसके बदले में चमारों द्वारा किसानों को बैलों के लिए चमड़े की लगाम, उन्हें तथा उनके परिवार वालों को चप्पल तथा जूते दिये जाते हैं। मरे जानवरों को ले जाने के बदले में उन्हें कच्चा माल (चमड़ा) दे दिया जाता है तथा शोधन के पश्चात चमड़ा उसी किसान को अनाज के बदले में दे दिया जाता है और दूसरे लोगों को नकद प्राप्त करके बेच दिया जाता है। वर्तमान में पूरी व्यवस्था का व्यापारीकरण हो चुका है और किसानों द्वारा अब कोई भी अनाज चमारों को नहीं दिया जाता है, बल्कि किसान मरे जानवरों के बदले उनसे कुछ पैस भी प्राप्त करते हैं। मऊरानीपुर तथा बंगरा विकास खण्डों के कुछ गांवों में अभी भी जजमानी प्रथा चालू है जहां पर चमारों द्वारा चमड़ा शोधन तथा उससे सामान बनाने का कार्य किया जाता है।

चमड़े का पुराने या आधुनिक तरीके से शोधन करने के लिए सूखे चमड़े को कुण्ड में रसायन लगाकर रखा जाता है और उसे कुछ दिनों के बाद तीन कुण्ड में रखा जाता है, जिनमें अलग अलग रसायन पड़े होते हैं। पुरानी विधि के अन्तर्गत

चमड़े को प्रत्येक कुण्ड में एक माह तक तथा आधुनिक विधि के अन्तर्गत दस दिनों तक रखा जाता है। पुरानी विधि में एक घास, जिसे जवासी कहते हैं, बबूल की गोंद, फिटकिरी हलदी तथा रेण्डी का तेल मिलाया जाता है। आधुनिक विधि के अन्तर्गत मैग्नेशियम सल्फाइड, बबूल की गोंद, हरदी और रेण्डी का तेल मिलाया जाता है। जिन चमारों द्वारा चर्म शोधन का कार्य स्वयं किया जाता है उन्हें कुण्ड बनवाने के लिए जल की सुविधा और रसायनिक पदार्थ खरीदने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त अन्य चमारों से चमड़ा खरीदने के लिए भी पूंजी की आवश्यकता होती है, जिससे यह कार्य हमेशा चलता रहे। इसी कारण से चर्म शोधन का कार्य केवल कुछ लोगों के हाथ में केन्द्रित हो गया है। कुण्ड बनवाने तथा जल की सुविधा के विकास के लिए लगभग पांच हजार रूपये की आवश्यकता होती है! यदि नये कुएं का निर्माण करना होता है तो दस हजार रूपये लगते हैं। उन गांवों में ज़हां चर्म शोधन का कार्य किया जाता है, ये सुविधायें बहुत दिनों से प्राप्त है। उन्हें नये शिरे से निर्माण नहीं किया जाता है। शोधन के लिए चमड़ा खरीदने का विनियोग उसके कार्य के अनुसार अलग-अलग है। जो लोग चर्म शोधन अपने गांव के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं वे वर्ष में यह कार्य दो बार करते हैं वे एक साथ आठ या दस चमड़े का शोधन एक बार करते हैं। यदि चर्म शोधन के सभी रसायन खरीदना होता है तो दस चमड़े के शोधन में एक हजार रूपये की रकम लगती है, जो लोग शोधन का कार्य लगातार करते हैं वे दो हजार से तीन इजार रूपये का विनियोजन करते हैं। शोधित चमड़ा 15 रूपये या 16 रूपये किलो के हिसाब से बिकता है। एक भैसें या बैल के चमड़े का वजन बीस किलोग्राम के आस-पास होता है। एक बार चमड़े को बेचकर अगले उत्पादन के लिए उसी राशि का विनियोग किया जाता है।

जजमानी प्रथा के अन्तर्गत चमड़ा बेचा नहीं जाता, बल्कि इसका शोधन अपने किसानों के लिए लगाम व चप्पल बनाने के लिए शोधन किया जाता है। उन्हें प्रत्येक परिवार से 100 किलोग्राम अनाज प्रतिवर्ष प्राप्त होता है तथा एक चमार के

पास आठ दस कृषक परिवार उसके ग्राहक होते हैं। शोधन कार्य के दौरान केवल दो घण्टों का कार्य प्रत्येक दिन होता है, जिसके अन्तर्गत कुण्ड में चमड़े को दिन में दो बार उलटना होता है। घास एकत्र करने एवं उसे कूटने के लिए महिलायें लगभग एक माह पहले से ही काम में लग जाती हैं। महिलायें यह कार्य अपने घरेलू कार्य तथा बच्चों की देखरेख के कार्य के साथ करती हैं।

चप्पल व जूते बनाने के लिए रसायनिक चमड़े, चमकीले चमड़े व प्लास्टिक के बीच बहुत स्पर्धा है। मुलायम चमड़ा फैन्सी चमड़े के समान बनाने और उत्तम कोटि के सामान बनाने के लिए उपयुक्त होता है। लगाम बनाने के लिए कड़े चमड़े का प्रयोग किया जाता है। कृषि में बैलों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इन वस्तुओं की मांग लगातार बनी होती है। इसी प्रकार ग्राम वासियों द्वारा पहनने वाले जूते भी इसी प्रकार के चमड़े से बनाये जाते हैं। चमार मुलायम चमड़े बाजार से खरीदते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो सूखे चमड़े को बेंचकर चप्पल बनाने के लिए मुलायम चमड़ा खरीदते हैं। महिलाओं द्वारा चप्पल बनाने में मदद की जाती है। उन्हें काटने का कार्य नहीं सिखाया जाता है। इन चप्पलों को 25 रूपये से 30 रूपये जोड़े की कीमत पर बेचा जाता है। बीस या पच्चीस जोड़े चप्पल बनाने के लिए 20 किलोग्राम चमड़े की आवश्यकता होती है। सुधारने के कार्य से दस से बीस किलो अनाज प्रतिवर्ष दस या पन्द्रह परिवारों से प्राप्त होता है। चप्पल बनाने वालों द्वारा प्रत्येक दिन कुछ घण्टों का समय इस कार्य में देना होता है। एक समय में सौ रूपये से दो सौ रूपये का विनियोग किया जाता है और चमड़ा लगभग दो माह तक ठीक बना रहता है। चप्पल बनाने के लिए अपने यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। एक बार बनाया गया माल जब बिक जाता है तब अगले उत्पादन के लिए और चमड़ा खरीदकर लाया जाता है।

चमारों तथा ऊंची जातियों के लोगों के सम्बन्ध हमेशा तनावपूर्ण होते हैं। ऊंची जाति के लोग चमारों को गन्दा एवं अछूत समझते हैं, क्योंकि उनके द्वारा

मरे जानवर उठाये जाते हैं, उनके चमड़े अपने घरों में सुखाते हैं, अपने घरों के समीप उनके चमड़े निकाले जाते हैं और उनके गोश्त खाते हैं। दूसरी ओर चमारों का सोचना है कि उनके द्वारा गांव के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है, जिसके न करने से बीमारी और गन्दगी फैल सकती है। वे गांवों को स्वच्छ बनाने में सहायक है तथा ऊंची जाति के लोगों को बीमार पड़ने से बचाते हैं और इन्हीं सेवाओं के लिए उन्हें अछूत कहा जाता है। चमारों का ऐसा अनुभव है कि यदि वे इस कार्य को न करें तो उनके साथ गांव वाले दुर्व्यवहार न करें। कुछ गांवों में मरे जानवरों के चमड़े निकालने के लिए खुली जगह गांव के बाहर नहीं होती वे उसे अपने ही घरों के आस-पास इस कार्य को करते हैं। कुछ गांवों में बरसात के कारण समस्या उत्पन्न हो जाती है। केवल ही कुछ ही गांवों में चमारों के लिए पक्की सड़के हैं। मिट्टी की सड़कें बरसात में कीचड़ से भर जाती हैं। ऐसे में मरे जानवरों को खींचकर लेजाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

जब चमारो के पास चर्म शोधन कार्य के लिए पैसा नहीं होता तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है, जिस पर 3 से 5 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज देना पड़ता है तथा अपने घर के गहने व आभूषण गिरवी रखना होता है। यदि चर्म शोधन उपयुक्त तरीके से कर लिया जाता है तो वे ऋण की अदायगी करने में समर्थ होते हैं। यदि शोधन कार्य में चमड़ा जल जाता है या खराब हो जाता है तो उसके कारण उन्हें हानि होती है और वे ऋण की अदायगी करने में असमर्थ होते हैं यह उनका दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि चर्म शोधन एक जोखिमपूर्ण कार्य है वे केवल इसके लिए अपने भाग्य को ही दोषी मानते हैं।

महिलायें अनपढ़ होने के कारण पैसे का छोटा-मोटा हिसाब करने में समर्थ है। वे बाहर शोधित चमड़े को बेचने नहीं जाती है। वे केवल उसी समय चमड़ा बेचती हैं जब पुरूष घर पर नहीं होते और बेचकर पैसा पुरूषों के हाथ दे दिया करती हैं।

चर्म शोधन की कुशलता का ज्ञान परिवार के सदस्यों द्वारा ही एक दूसरे को प्राप्त हो जाता है। बहुत से परिवारों द्वारा बहुत वर्षों से यह कार्य न किये जाने के कारण वे चर्म शोधन के कार्य की प्रक्रिया को भूल गये हैं। चर्म शोधन की आधुनिक विधि बहुत कम परिवारों को ज्ञात है। यदि और परिवारों द्वारा चर्म शोधन का कार्य करना भी पड़े तो उन्हें भी इसे सीखना पड़ेगा, जिसके लिए उनके पास सुविधायें नहीं प्राप्त हैं।

महिलाओं का कहना है कि जानवरों को उठाकर ले जाने में उनके कंधों में दर्द होने लगता है। उनका कहना था कि हम लोगों की आतें बाहर निकल आती हैं, जब बरसात के कीचड़ में मनुष्यों का चलना मुश्किल हो जाता है, ऐसे में भी हम लोग गाड़ी की सहायता से जानवरों को खींचकर ले आते हैं। उन्हें कुछ पैसे जानवरों के मरने पर ही प्राप्त होते हैं पर हम लोग अपने पैसें के लिए जानवरों के मरने को नहीं मना सकते हैं। हम लोग जानवरों के मरने तक बैठे नहीं रह सकते हैं। हमें तो अपना पेट भरना ही होता है। इसके लिए हमें दूसरा कार्य करना होता है। यह हमारे परिवार का काम है, इसलिए करते हैं।

उन्हें अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वयं प्रयास करना होता है। कुछ परिवार के बच्चों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है पर उन्हें कुल रकम का आधा ही प्राप्त होता है। जो अपने बच्चों को पढ़ाने में समर्थ हैं वे उन्हें स्कूल भेजते हैं। बच्चे अपने घर के कार्य के करने की कला अपने माता-पिता से ही सीखते हैं।

सभी लेन-देन मौखिक हुआ करते हैं। चमारों की एक सामाजिक संगठन है जो उनके हितों की रक्षा करती है। कुछ लोगों ने सहकारी समिति का गठन किया है, जिसके माध्यम से आधुनिक तरीके से चमड़े के शोधन का कार्य करते हैं।

मिट्टी के बरतन बनाने का कार्य

मिट्टी के बरतन बनाने का कार्य भारत का एक प्राचीन निर्माण क्रिया है। मिट्टी को बरतनों के रूप में छोड़कर खाना बनाने पानी रखने के बर्तन, छतों के टाइल्स और ऐसे ही उपयोगी वस्तुएं कुम्हार के चाक द्वारा बनाये जाते हैं। इस कार्य में कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता है। पहले मिट्टी को तैयार करके उसे चाक पर रखा जाता है और इसके पश्चात दो और लोगों की आवश्यकता होती है जो बर्तनों के बनाने के बाद उन्हें अन्य स्तरों पर लगाया जाता है। इस कार्य के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की आवश्यकता होती है, केवल चाक पर मिट्टी को बर्तन का रूप देने में पुरूष कार्य करते हैं। यह एक जाति विशेष का पेशा है - कुम्हार जाति के लोग इस कार्य को करते हैं, जिन्हें प्रजापति भी कहा जाता है। पूरा परिवार इस कार्य में लगा होता है। अन्य लोगों द्वारा यह कार्य नहीं किया जाता है।

मिट्टी के बर्तन बनाने योग्य मिट्टी या तो नदियों के घाटी में या नदियों के किनारे या झील या तालाब में प्राप्त होती है। कभी-कभी यह खेतों और खुले मैदानों में प्राप्त होती है। कौन सी मिट्टी इस कार्य के लिए उपयुक्त होती है, इसे कुम्हार ही जानते हैं। अधिकतर गांवों में यह मिट्टी कुम्हारों को निःशुल्क ही प्राप्त होती है। मिट्टी खोदकर उसे घर तक लाने का कार्य महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। यदि मिट्टी प्राप्ति का स्थान घर के पास होता है तो महिलायें तसला या टंगरा लेकर जाती हैं और सिर पर रखकर मिट्टी जाती हैं। एक दिन के कार्य के लिए कम से कम उन्हें तीन या चार बार मिट्टी लेने जाना होता है। यदि मिट्टी प्राप्ति का स्थान दूर होता है तो पुरूष और स्त्री दोनों ही उसे खोदने के लिए जाते हैं। कुछ गांवों में महिलाओं को मिट्टी लेने के लिए 5 किलोमीटर तक जाना होता है। कुछ कुम्हारों के पास खच्चर होते हैं, जिन पर वे मिट्टी लादकर लाया करते हैं और जिन लोगों के पास बैलगाड़ी, ट्रेक्टर या लोडिंग वैन पर

लादकर मिट्टी लाते हैं। कभी-कभी उन्हें मिट्टी के लिए धनराशि भी देनी होती है। जब मिट्टी के लिए लदायी देनी होती है तो परिवहन के जो भी साधन से मिट्टी लायी जाती है यह प्रयत्न किया जाता है कि अधिक से अधिक मिट्टी लादकर लाते हैं, जिससे अधिक से अधिक दिनों का कार्य किया जा सके और इसकी लागत भी कम हो सके।

जब किसी परिवार के पास कोई साधन नहीं होता तथा वे कुछ धनराशि व्यय करने में समर्थ नहीं होते और मिट्टी प्राप्ति का स्थान दूर होता है तो पुरूष एवं स्त्री दोनों मिल कर दिन भर मिट्टी एकत्र करने का कार्य करते है, वे एक दिन में उतनी मिट्टी एकत्र करने का प्रयास करते हैं, जिससे कम से कम दिन मिट्टी को एकत्र करने में लगाना पड़े। कुछ परिवारों द्वारा दैनिक मजदूरी पर श्रमिकों को मिट्टी ढोने के लिए लगाया जाता है।

गाड़ी से मिट्टी लादकर लाने के लिए उन्हें 15 से 25 रूपये किराया देना होता है, जिस पर 400 से 500 किलोग्राम मिट्टी एक बार में लादकर लायी जाती है, जो लगभग 15 दिनों तक चलती है। ट्रैक्टर के लिए 50 रूपया प्रति पाली किराया देना होता है, जिससे एक हजार से दो हजार किलोग्राम तक मिट्टी लादी जा सकती है जो पूरे सत्र तक कार्य के लिए पर्याप्त होती है। यदि इससे टाइल्स या खपड़ बनाने का कार्य किया जाता है तो मिट्टी का उपयोग दस गुना अधिक होता है। एक या दो दिनों में लगभग 500 किलो मिट्टी का उपभोग होता है। मिट्टी भी दो रूपये की 50 किलोग्राम की दर से खरीदी जाती है।

जब एक बार मिट्टी एकत्र कर ली जाती है तो इसे फैला दिया जाता है और उसमें से ईंट व पत्थर तथा कंकड़ बिनकर अलग किए जाते हैं, फिर इसे पानी डालकर भिगो दिया जाता है। पानी लाने का कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। जिन गांवों में पानी नहीं प्राप्त होता, वहां महिलाओं को कठिनाई उठानी पड़ती

हैं। मिट्टी में लकड़ी या कोयले की राख घोड़े या गदहे की लीद मिलायी जाती है। एक भाग राख और लीद तथा दो भाग मिट्टी की वस्तुएं बनाने का उपयुक्त कच्चा माल समझा जाता है। गोबर या लीद से मिट्टी मजबूत और राख मिट्टी के बर्तनों में पानी को ठण्डा रखने में सहायक होती है। जब मिट्टी पानी में ठीक तरह से भीग जाती है तो इसे मिलाकर उपयुक्त बना लिया जाता है। महिलायें अपने पैरों से मिट्टी कचर कर उसे मिलाती हैं। इसके बाद इसे गोला बनाकर चाक पर रखा जाता है। इस स्तर तक का कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसके बाद उन्हें बर्तन बनाने या टाइल्स बनाने का कार्य पुरूषों द्वारा किया जाता है। जब बरतन बनाने का कार्य पुरूषों द्वारा किया जाता है तो महिलायें उसे चाक से बर्तन उठाकर उसे सुरक्षित स्थान पर सूखने के लिए रखती हैं। बरतनों को लकड़ी के पटरे से ठोक पीट कर आवश्यकतानुसार बड़ा या छोटा या इच्छानुसार आकार का बनाया जाता है, जब वे कुछ सूख जाते हैं। इसके बाद उन्हें पूर्णतया सूखने दिया जाता है। एक दिन में 10 से 15 बड़े या 20 छोटे बर्तनों का निर्माण कर लिया जाता है। इन बर्तनों को सूर्य की धूप में सुखाया जाता है। बर्तन बनानें का कार्य कई दिनों तक चलता है। यह बर्तनों की मांग पर निर्भर है। वास्तव में बर्तन बनाने का कार्य दशहरा और होली के बीच दो या तीन बार किया जाता है और कभी भी गर्मी के अन्त तक चलता रहता है। वर्ष भर में इन बर्तनों के मांग का अन्दाज लगा लिया जाता है ओर उसी के अनुसार वर्ष में दो या तीन बार में बर्तनों का निर्माण किया जाता है। यह कार्य एक बार में दस या 15 दिनों तक लगातार चलता है। अन्य दिनों में इन बर्तनों के बेचने का कार्य तथा अन्य कार्य जैसे कृषि श्रमिक या कृषि करने का कार्य किया जाता है।

जब एक निश्चित समय में बरतन बनाने एवं उसके धूप में सुखाने का कार्य समाप्त हो जाता है तो उसे रंगने का कार्य किया जाता है, जिसे बरामती कहा जाता है। रंगने के कार्य में रंग में तेल मिलाया जाता है। यह कार्य महिलाओं द्वारा

किया जाता है। बरामती व तेल दोनों बाजार से नकद खरीदे जाते हैं। जब बरतनों पर रंगायी का कार्य समाप्त हो जाता है तो पकाने के लिए आंवा तैयार किए जाते हैं। इसके बाद बर्तनों को आग के ऊपर सावधानी से रखा जाता है। गोबर के कण्डे, धान की भूंसी और लकड़ियों द्वारा भट्ठा या आंव के जलाया जाता है। बरतनों के पास अधिक लकड़ी रखी जाती है, इसके बाद पूरे को मिट्टी से ढक दिया जाता है, एक छोटी सी जगह चिमनी के लिए छोड़ दी जाती है, जिससे धुआ निकल सके। भट्ठे को जलाकर चौबीस से छत्तीस घण्टे के लिए छोड़ दिया जाता है। यदि काले बर्तनों की आवश्यकता होती है तो चिमनी की जगह भी ढक दी जाती है। बर्तनों को गीली राख में रंगा जाता है और भट्ठे में वे आंच से काले हो जाते हैं। भट्ठे में बरतन पककर मजबूत हो जाते हैं। बरतन पकाने की प्रक्रिया में कुछ बरतन टूट भी जाते हैं। इसलिए बर्तनों को लगाने में सावधानी रखनी होती है। आंव या भट्ठा बनाना भी एक कुशलता का कार्य होता है। जब मौसम बादलों वाला या आंधी तूफान का होता है या लकड़ियां पर्याप्त नहीं होती तो बर्तन उपयुक्त रूप में नहीं पकते हैं और बड़ी मात्रा में बर्तन खराब हो जाते हैं।

बर्तन बनाने के लिए लकड़ी एकत्र करने का कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। जब बर्तन पकाने के लिए पर्याप्त मात्रा में लकड़ी एकत्र नहीं हो पाती तो आवश्यक मात्रा में लकड़ी बाजार से खरीदी जाती है। एक भट्ठे में 160 से 180 किलोग्राम लकड़ी की आवश्यकता होती है। बाजार में दस से पन्द्रह रूपये की बीस किलो लकड़ी प्राप्त होती है। गोबर की कण्डी 10 से 15 रूपये की प्रति सैकड़ा की दर से प्राप्त होती है और लगभग 6 हजार कण्डियों की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार की ईंधनों को मिलाकर प्रयोग किया जाता है। यह ईंधनों की प्राप्ति पर निर्भर है। वास्तव में ईंधन की मात्रा बरतनोंकी संख्या पर निर्भर है। औसतन एक भट्ठे में 150 से 200 बर्तनों को पकाया जा सकता है, जिसमें 50 बड़े, 70 छोटे तथा 100 छोटे बर्तनों को पकाया जाता है। बर्तनों के पकाते समय एक व्यक्ति को लगातार उसके पास बैठे रहना होता है, जो समय-समय पर लकड़ी के टुकड़े भट्ठे में डालता रहता है।

बर्तन पकने के बाद बिक्री के लिए तैयार हो जाते हैं। परम्परागत आधार पर कुम्हारी का धन्धा भी जजमानी सम्बन्धों पर आधारित है। कुम्हारी का गांव के किसानों के साथ जजमानी सम्बन्ध के अन्तर्गत इनके द्वारा किसानों को बर्तन दिये जाते हैं, जिसके बदले में इन्हें किसानों द्वारा अनाज, कृषि सम्बन्धी भूसे व अन्य वस्तुएं, कण्डे आदि बर्तन, मिट्टी के सामान और खपड़े आदि बनाने के लिए दिये जाते हैं। वर्ष में अनाज की एक निश्चित मात्रा प्रति परिवार निश्चित कर दी जाती है और प्रत्येक कुम्हार के पास एक निश्चित मात्रा में कृषक परिवार संरक्षक के रूप में होते हैं। ग्रामीण जीवन के विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक उत्सवों और अवसरों पर कुम्हारों का विशेष महत्व है। इसलिए प्रत्येक गांव में कम से कम एक कुम्हार का होना आवश्यक समझा गया। कुम्हारों द्वारा दिन प्रतिदिन में प्रयोग किये जाने वाले बर्तन उत्सवों के समय प्रयोग किये जाने वाले बर्तनों को तथा जब आवश्यकता होती है, दिये जाते हैं। प्रति परिवार लगने वाले बर्तनों की संख्या कृषक परिवार के आकार तथा उसके आर्थिक सम्पन्नता के आधार पर अलग-अलग होती है और उसी प्रकार उन परिवारों द्वारा कुम्हारों को प्राप्त होने वाला अनाज भी अलग-अलग मात्रा में होता है। इस प्रकार में वर्तमान में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। फिर भी परम्परागत तरीके से कुछ गांवों में जजमानी प्रथा अभी भी प्रचलित है और अन्य गांवों में कुम्हार अपने बर्तन नकद पर बेंचा करते हैं और कुछ गांवों में अन्य गांवों के लोग नकद भुगतान के आधार पर बर्तन प्राप्त करते हैं। कहीं-कहीं कुम्हारों द्वारा इस कार्य को त्योहारों की उपयोगिता के कारण यह धंधा किया जा रहा है। वे त्योहारों पर आवश्यक मात्रा के बर्तन अपना कर्तव्य समझकर बनाते हैं उनके जीविकोपार्जन का मुख्य साधन अन्य कार्य है।

इन सभी प्रणालियों में बर्तन के विक्रय का कार्य विभिन्न रूपों में किया जाता है। जजमानी प्रथा के अन्तर्गत कुम्हारों द्वारा एक परिवार को वर्ष में विभिन्न आकारों के 30 से 40 बर्तन दिये जाते हैं, इसके लिए उन्हें तीन से चार मन अनाज प्राप्त होता है। एक कुम्हार परिवार द्वारा यह सेवा गांव के आठ से दस कृषक

परिवारों को प्रदान की जाती है। कभी कभी प्रत्येक बर्तन के लिए अनाज दिया जाता है। एक बड़े बर्तन के लिए 15 सेर बाजरा तथा छोटे बर्तन के लिए दस सेर बाजरा आर्थिक रूप से सम्पन्न गांवों में दिया जाता है और साधारणतः गरीब गांवों में बड़े बर्तन के लिए पांच सेर तथा छोटे बर्तन के लिए दो या तीन सेर बाजरा प्राप्त होता है। इस प्रथा द्वारा कुम्हारों को उनके खाद्यान्नों की आवश्यकता पूरे करने में सहायक होती है पर उन्हें अन्य कार्यों के लिए नकद की आवश्यकता होती है, नकद प्राप्त करने के लिए उन्हें अन्य कार्य जैसे कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करना होता है।

प्रत्यक्ष विक्रय प्रणाली के अन्तर्गत बर्तनों की बिक्री किसी को भी उसकी इच्छानुसार की जाती है। इस प्रथा में खरीददार को कुम्हार के घर आना होता है। कुछ कुम्हार अपने बर्तनों को बेचने के लिए अन्य गांवों में जाना होता है और कुछ को आस-पास के नगरों में भी बेचने जाना होता है। वे एक टोकरी में कुछ बर्तन रखकर उसे अपने सिर पर लादकर एक गांव से दूसरे गांव बेचने जाते हैं। नगरों में बेचने जाने के लिए वे गाड़ी में बर्तन लादकर ले जाते हैं। नगरों में जो लोग मिट्टी के बर्तन बेंचने का कार्य करते हैं वे इन गांव के कुम्हारों से बर्तन खरीदकर बेचने का कार्य करते हैं। इनकी कीमतें इन आकार पर निर्भर हैं, जो 2.50 रूपये से दस रूपये तक तथा खाना बनाने के बर्तन 50 पैसे से दो रूपये तक के बेचे जाते हैं। बर्तनों की बिक्री वर्ष भर जब तक बने बर्तनों का स्टाक होता है, तब तक की जाती है।

मिश्रित विक्रय व्यवस्था के अन्तर्गत कुम्हारों को अनाज और नकद दोनों ही प्राप्त होता है। कुम्हारों द्वारा छत बनाने के खपड़े (टाइल्स) भी बेचे जाते हैं। टाइल्स बनाने का कार्य एक विशेष कुशलता का होता है, जो सभी कुम्हारों को ज्ञात नहीं होता है। सभी गांवों में छत के टाइल्स की मांग होती है। छत की टाइल्स का निर्माण अन्य बर्तनों के निर्माण से अधिक लाभदायक है, क्योंकि इसकी बिक्री की कीमत तथा कुल मांग की अन्य बर्तनों की तुलना में अधिक होता है।

इसके लिए मिट्टी बनाने की प्रक्रिया बर्तनों की ही भांति होती है। इसे बनाने के लिए मिट्टी को खोखला बेलन के आकार का बनाया जाता है तथा इसके सूखने के बाद इसे दो भागों में बांट दिया जाता है और अन्य बर्तनों के साथ पकाया जाता है। इन्हें देशी टाइल्स कहा जाता है। इसके अतिरिक्त चौकोर आकार के टाइल्स भी बनाये जाते हैं, जिन्हें मन्गलोरियन या विदेशी टाइल्स कहा जाता है। इन्हें बनाना कठिन होता है। इन्हें मशीन से भी बनाया जाता है। छत के टाइल्स प्रायः गर्मियों में बनाया जाता है, क्योंकि गांवों में अपने घरों के टाइल्स बरसात के पहले ही बदले जाते हैं। एक दिन में एक हजार टाइल्स तक बनाये जा सकते हैं और एक हजार टाइल्स की कीमत 150 रूपये से 250 रूपये तक हुआ करती है और कुम्हारों द्वारा 40 हजार से 50 हजार टाइल्स का निर्माण एक मौसम में किया जाता है।

इस कार्य से प्राप्त आय उत्पादन की मात्रा तथा वस्तु की कीमतों पर निर्भर है। यह साधारणतः एक मैदान में जितने बार भट्ठा या अलाव जलाया जाता है, उसी से गिनती कर ली जाती है। यदि बर्तनों की एक न्यायसंगत कीमत अपवित्र समझा जाता है। इसके अतिरिक्त पुराने प्रकार का चाक भारी होता है और इसे चलाने के लिए अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। इसे चलाने के लिए सर्तकता की आवश्यकता होती है, अन्यथा इससे उन्हें कभी-कभी चोट भी लग जाती है। महिलाओं के हाथ इतने लम्बे नहीं होते, जिससे वे चाक पर सही स्थिति में बैठ सके और चाक के बीच तक पहुंच सके। महिलायें बहुत मुश्किल कपड़े पहनती हैं। वे पुरूषों की तरह चाक पर कार्य नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनके कपड़े चलते हुए चाक में फंस सकते हैं और उन्हें चोट लग सकती है। इन्हीं सब कारणों से महिलायें चाक पर नहीं बैठती हैं। यह एक दर पुस्त दर का व्यवसाय है, जिसे युवक अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा करते हैं। लड़कियों को चाक चलाने का कार्य नहीं सिखाया जाता, क्योंकि शादी के बाद उन्हें दूसरे के घर जाना होता है तथा इसे केवल पुरूषों द्वारा ही चलाया जाता है।

बर्तन बेचने का कार्य पुरूष एवं महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है पर महिलायें अधिक पढ़ी लिखी नहीं होती। इसलिए छोटी-छोटी रकम अपने पास रखती हैं और नकद अधिकतर पुरूषों के पास ही होता है। महिलायें कच्चे माल खरीदने के लिए नहीं जाती हैं। कुछ महिलायें कच्चे माल की लागतें जानती हैं, क्योंकि वे कार्य के बारे में परिचित होती हैं, क्योंकि वे इस कार्य में पुरूषों के साथ-साथ लगी होती हैं।

कुम्हारी का काम वर्ष के सूखे महीनों में किया जाता है, बरसात के मौसम में वे कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं, जब उन्हें कुम्हारी के काम से पर्याप्त आय नहीं होती है। कुछ कुम्हार ईंट के भट्ठों में काम करते हैं और वर्ष के शेष महीनों में कुम्हारी का कार्य करते हैं।

कुम्हारी का कार्य करने की कला परिवार में ही सीखी जाती है। महिलायें अपने मां-बाप से यह कला सीखती हैं। कुछ परिवारों में बच्चे इस कार्य को नहीं सीखना चाहते, क्योंकि वे इस कार्य को एक अच्छा या प्रतिष्ठित पेशा नहीं मानते हैं। कुछ नवयुवकों के अनुसार यदि वे इस काम में लग जांय या अपने परिवार का पेशा अपना लें तो उनकी शादी नहीं होगी। कुछ परिवारों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया है और उन्हें अन्य कार्य सीखने के लिए भी स्वतंत्र कर दिया है। इस पेशे में भी स्पर्धा का जन्म हुआ है। मिट्टी के बर्तनों को प्लास्टिक के सामानों से स्पर्धा करनी होती है, इसलिए इनकी मांग भी कम हो गयी है, फिर भी पीने के पानी व खाना पकाने के बर्तनों व छत के टाइल्स की मांग, कम से भारत जैसे गर्म एवं गरीब देश में हमेशा बनी रहेगी। कुम्हारी का काम कुछ वस्तुओं के लिए उपयोगी बना रहेगा, भले ही उन्हें प्लास्टिक तथा धातु के बर्तनों से स्पर्धा क्यों न करनी पड़े।

इस व्यवसाय से प्राप्त आय जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त होती हैं।

इससे कुम्हार वर्ग जो केवल इसी कार्य पर निर्भर है, अपनी जीविका चला लेते हैं। इस कार्य में प्रयोग किये जाने वाले यंत्र एवं औजार घरों में होते हैं और वंश परम्परा के अनुसार पुरूषों से बच्चों को प्राप्त होते हैं।

कुम्हारों को अपने परिवार की सभी आवश्यकताओं को अपने साधनों द्वारा पूरा करना होता है। उन्हें कही और स्रोतों से सहायता नहीं प्राप्त होती है। महिलाओं को अपने घरेलू कार्य के अतिरिक्त आठ से नौ घण्टे तक कार्य करना पड़ता है। इनके सभी लेनदेन मौखिक होते हैं।

बुनाई का कार्य

कपड़े की बुनाई का कार्य भारत का एक प्राचीन कार्य है। कपड़े के मिलों की स्थापना के पहले सभी कपड़े हाथ से ही बुने जाते थे, जिसमें हांथ से काते हुए सूत से हथकरघों पर यह कार्य किया जाता है। इनमें विभिन्न प्रकार के सूत स्वर्ण, चांदी, सिल्क, सूती तथा ऊनी धागे बनाये जाते हैं पर मुख्यतया कपास के धागे तथा ऊन को धागे से हाथ से कपड़ों का निर्माण किया जाता है। देश में सूती मिलों का विकास लगभग डेढ़ सौ साल से हुआ है और अधिकांश कताई व बुनाई का कार्य इन्हीं मिलों द्वारा किया जाने लगा है, फिर भी जनपद के मऊरानीपुर तथा बंगरा विकास खण्डों में अभी भी हाथ से कताई और बुनाई का कार्य किया जाता है। बुनकर या तो मिल से बने धागों का प्रयोग या हाथ से बुने धागों का प्रयोग करते हैं। अधिकांशतः सूती धागों का प्रयोग किया जाता है और ऊनी कपड़ों के निर्माण में वे स्वयं ऊन की कताई का कार्य करते हैं या खरीदकर बुनायी का कार्य करते हैं।

बुनाई करने वालों को 'बुनकर' कहा जाता है और इन्हें भी अनुसूचित जाति के एक उपजाति वर्ग में रखा जाता है। केवल इन्हीं के द्वारा कपड़ा बुनने का कार्य किया जाता है, क्योंकि यह उनके जाति का पेशा होता है। वर्तमान में

तीन प्रणालियां हैं, जिनके अन्तर्गत कपड़ा बुना जाता है। पहली प्रणाली के अन्तर्गत बुनकर अपने संसाधनों से बाजार से सूती धागे खरीद लाते हैं और अपने मशीनों पर स्वयं कपड़ा बुनते हैं और इसे व्यक्तियों तथा व्यापारियों को बाजार में बेचते हैं। दूसरी प्रणाली के अन्तर्गत बुनकर किसी व्यापारी के लिए पीस रेट के आधार पर कपड़े की बुनाई करते हैं जो उन्हें सूत देते हैं और बुनकर उन्हें कपड़े बुनकर दिया करते हैं। इस प्रणाली के अन्तर्गत मशीनों आदि बुनकरों की होती है पर कार्यशील पूंजी उनकी नहीं लगी होती है। ऐच्छिक संगठनों की भी प्रणाली विद्यमान है। खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन के केन्द्रों को भी पीस रेट के आधार पर बुने हुए कपड़े प्राप्त होते हैं। इन केन्द्रों द्वारा सूत और कभी-कभी ऋण और मशीन यंत्रों की आपूर्ति की जाती है। बुनकरों द्वारा बुना हुआ कपड़ा उनसे ले लिया जाता है तथा मशीनों की लागत भी उनसे कुछ वर्षों में वसूल कर ली जाती है, जिससे बुनकरों के पास उनके करघे हो सकें। कुछ ऐसे भी ऐच्छिक संगठन हैं, जो बुनकरों को अपने भवन में बुलाकर पीस रेट के आधार पर बुनाई के कार्य करवाते हैं।

बुनाई का कार्य एक गृह पर आधारित, परिवार की इकाई के उत्पादन का कार्य है। एक व्यक्ति करघे को चलाने के लिए पर्याप्त होता है। इसके अतिरिक्त दो या तीन व्यक्ति सूत के धागे को ठीक करने तथा कपड़ा बुनने के योग्य बनोन का कार्य करते हैं। महिलायें इसके पहले के सभी कार्य करती हैं पर वे करघे पर नहीं बैठती हैं। महिलाओं द्वारा किये गये कार्य को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है, भले ही इनके कार्यों के बिना बुनाई कार्य सम्भव नहीं होता है। केवल उन्हीं महिलाओं को कार्यकर्ता समझा जाता है, जो केवल करघे पर बैठकर कार्य करती हैं। बुनकर भी महिलाओं के कार्यों के महत्व को समझते हैं पर आय कपड़े को बेचने के बाद प्राप्त होती है। इसलिए महिलाओं को आय अर्जित करने वाला नहीं समझा जाता है। उनके परिवार वाले उन्हें सहायक मानते हैं।

चाहे स्वयं कपड़ा बुनने या पीस रेट के आधार पर कपड़ा बुनने का कार्य किया जाता है, बुनकर धागे या सूत प्राप्त करते हैं। स्वयं कपड़ा बुनने के

लिए धागे वे बाजार से खरीदते हैं, जो मिलों द्वारा बने होते हैं, कभी-कभी द्वितीय श्रेणी के या बेकार धागे बुनकरों द्वारा खरीदे जाते हैं, वे झांसी के कताई मिल से धागे खरीदने आते हैं और माह में एक बार आकर 500 रूपये तक के धागे खरीदकर ले जाया करते हैं। धागे खरीदने, उनकी कीमतों तथा बाजार के अन्य कार्य पुरूषों द्वारा किए जाते हैं, महिलायें यद्यपि धागे प्राप्त करने की जगह जानती हैं पर वे धागे खरीदने नहीं जाया करती हैं। उनसे यह पूंछे जाने पर कि आप खुद सूत खरीदने क्यों नहीं जाती तो उनका कहना था कि इसकी आवश्यकता ही नहीं होती, सभी कार्य पुरूषों द्वारा किया जाता है। एक बार जब सूत खरीदकर आ जाता है, तो उसके ताना-बाना निकालने व बनाने का कार्य अलग से किया जाता है। बाना को अधिक मजबूत बनाने के लिए इसे दोहरे सूत से बनाया जाता है तथा करघे के चारों ओर लपेट दिया जाता है। कुछ सूतों में माड़ी लगाकर बाना बनाया जाता है। ताना से धागों की संख्या गिनी जाती है और आवश्यक लम्बाई के कपड़े बुने जाते हैं। बाने को करघे पर स्थित कर दिया जाता है, केवल जब कार्य करना होता है तभी करघे को चलाया जाता है। महिलायें एवं बच्चे सभी इस कार्य को करते हैं। वास्तव में एक दिन में कितना कपड़ा बुना जायेगा तथा कितना धागा खरीदा जायेगा, यह परिवार के सदस्यों की संख्या पर निर्भर है।

स्वयं द्वारा बुनाई करने के लिए बुनकरों द्वारा एक समय में दस से बीस किलोग्राम सूत खरीदा जाता है। इसमें से आधा ताना व आधा बाना का होता है। जितने बुनकरों से बातचीत हुई उनमें स्वयं बुनने वालों द्वारा धोतियां बनायी ही बनायी जाती हैं जो पच्छेदीस (परम्परागत धोतियां) कहलाती हैं। उनके द्वारा 20 से 30 रूपये किलो का सूत खरीदा जाता है और वे 250 रूपये से 500 रूपये तक का विनियोग करते हैं। दस किलो सूत द्वारा एक किलो वजन की दस 750 ग्राम वजन की 15 और 500 ग्राम वजन की बीस धोतियां बनायी जाती हैं, जिनके बनाने में दस से पन्द्रह दिनों का समय लगता है। इन्हें प्राप्त होने वाली आय कच्चे माल की कीमतों एवं धोती के बिकने वाली कीमत के अन्तर पर निर्भर है। वे लोग

जो कच्चे माल सस्ती कीमत पर खरीदते हैं (एक किलो सूत 20 रूपये में) और बना हुआ माल 30 से 35 रूपये की एक धोती बेचते हैं तो वे प्रत्येक दस किलो वजन के सूत से एक सौ से एक सौ पच्चास रूपये की आय प्राप्त करते हैं। कुछ लोग अपनी धोतियों को 50 रूपये की बेचते हैं। इन परिवारों द्वारा अधिकांशतः पन्द्रह दिनों के लिए 250 रूपये का विनियोग किया जाता है और पन्द्रह दिनों में उन्हें एक सौ रूपये से एक सौ पच्चास रूपये की आय प्राप्त होती है। एक दिन में दो धोती बनाने के लिए तीन से चार व्यक्तियों को नौ से दस घण्टे प्रतिदिन कार्य करना होता है। इतना परिश्रम करने के बाद ही उन्हें कोई आय प्राप्त होती है।

पीस रेट के आधार पर कार्य करने में उन्हें 65 पैसा और दो रूपया 35 पैसा प्रति मीटर के बुने कपड़े (खादी) के आधार पर भुगतान प्राप्त होता है। इन्हें यह भुगतान पन्द्रह दिनों में प्राप्त होता है। जब वे किसी संगठन के लिए कार्य करते हैं तो उन्हें अपनी दस से पन्द्रह प्रतिशत मजदूरी अनिवार्य बचत के रूप में देना होता है। इस बचत के एक भाग को वर्ष के अन्त में उन्हें कपड़े के रूप में दिया जाता है। कुछ परिस्थितियों में उन्हें बोनस प्राप्त होता है। यदि वे साड़ी की बुनाई का कार्य करते हैं तो उन्हें 4 रूपये सत्तर पैसे प्रति साड़ी के हिसाब से प्राप्त होता है। धोती के लिए उन्हें तीन रूपये पच्चास पैसा प्रति धोती प्राप्त होता है। तीन या चार व्यक्तियों के एक समूह द्वारा एक दिन में बारह से तेरह मीटर कपड़ा, तीन साड़ियों या दो धोतियों की बुनाई नौ या दस घण्टे काम करके बुना जा सकता है। जब वे व्यापारियों के लिए कार्य करते हैं तो उन्हें मजदूरी के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। उन्हें प्रत्येक पन्द्रह दिनों में कच्चे माल खरीदने के लिए जाना होता है। कुछ एच्छिक संगठन कच्चे माल की आपूर्ति भी करते हैं तथा गांवों से बने हुए माल को एकत्र भी करते हैं। कुछ संगठन इन्हें एक तरफ के बस का किराया भी प्रोत्साहन के रूप में देते हैं, जिससे बुनकर अधिक कपड़े की बुनाई के लिए प्रोत्साहित कर सकें। संगठनों एवं व्यापारियों दोनों द्वारा कच्चे

माल दिये जाते हैं, निश्चित किया जा सके कि बने हुए माल में कच्चे माल का उपयोग उपयुक्त तरीके से किया गया है। यदि कच्चे माल का अधिक दुरूपयोग होता है, तो मजदूरी में से कटौती की जाती है। इसके लिए एक सौ किलो कच्चे माल में यदि तीन किलो से अधिक सूत नष्ट होता है तो यह कटौती की जाती है। कपड़ों की बिक्री पुरूषों द्वारा की जाती है, इसलिए नकद भी इन्हीं के पास होता है, महिलाओं को जब इसकी आवश्यकता होती है तो वे पुरूषों से प्राप्त करती हैं।

कपड़ा बुनने की कला परिवार में ही सीखी जाती है, विशेषकर उन परिवारों में जिनमें यह पेशा उनके जातियों द्वारा किया जाता है। कुछ परिवारों द्वारा इस पेशे को कई कारणों से छोड़ दिया गया है। कुछ लोग बुनाई का कार्य भूल गये हैं। कुछ परिवार पूंजी की कमी के कारण पेशा छोड़ दिया गया है। कुछ लोग बुनाई का कार्य भूल गये हैं। कुछ परिवार पूंजी की कमी के कारण पेशा छोड़ दिया है। यदि बुनकर इस कार्य को करना चाहते हैं तो वे इसको वे किसी ऐच्छिक संगठन या खादी ग्रामोद्योग के प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए वे मशीनें उधार प्राप्त कर सकते हैं और उन पर पीस रेट के आधार पर कार्य करते हैं और धीरे-धीरे मशीनें आदि का स्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जो बुनाई का कार्य कहीं से सीखे हैं या परिवार से ही जानते हैं वे मशीन व यंत्र प्राप्त करने के लिए ऋण ले सकते हैं। यदि वे ऋण नहीं ले सकते तो वे भी पीस रेट के आधार पर कार्य कर सकते हैं।

महिलायें करघा चलाने की कुशलता अपने माता, पिता से, पति से या अपने ससुराल वालों की सहायता से सीख लेती हैं। यदि परिवार में कोई उन्हें सिखाने वाला नहीं होता है तो वे केवल सूत से कपड़ा बुनने के लिए तैयारी के कार्य करती हैं। जिन परिवारों में प्रौढ़ महिलायें करघा चलाना जानती हैं उनमें अन्य महिलायें भी से सीख लेती हैं। जिन परिवारों में पुरूष सदस्यों की संख्या कम होती है, उनमें महिलायें पुरूषों के साथ करघा चलाने का कार्य करती हैं और पुरूष भी तैयारी के

कार्य में महिलाओं की सहायता करते हैं। जिन परिवारों में सदस्यों की संख्या अधिक होती है पर उनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं होती है, जिससे अधिक सूत या करघे न खरीदे जा सके तो उनमें महिलायें पुरूषों के साथ करघा चलाने का कार्य करती हैं और पुरूष भी तैयारी के कार्य में महिलाओं की सहायता करते हैं। जिन परिवारों में सदस्यों की संख्या अधिक होती है पर उनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं होती है, जिससे अधिक सूत या करघे न खरीदे जा सकें तो उनमें पुरूष व महिलाओं के बीच काम का बंटवारा कर दिया जाता है। पुरूष तथा महिलायें दोनों मिलकर करघा चलाने तथा सभी कार्य किया जाता है।

इस व्यवसाय में पूंजी की कमी एक सबसे बड़ी बाधा है। इस कार्य में चार से पांच सदस्यों की आवश्यकता होती है। अतः इससे प्राप्त आय परिवार के सदस्यों पर ही व्यय हो जाती है। बुनकरों के लिए बचत करना एवं अपनी पूंजी को बढ़ाना एक कठिन कार्य है। जो रकम व्यवसाय में लगी होती है, उसे लगा रहने दिया जाता है, अतिरिक्त प्राप्त रकम को परिवार के व्यय पर लगाया जाता है। यदि उनके पास पूंजी में वृद्धि होती है तो उससे वे उत्पादन बढा सकते हैं। इसके द्वारा अधिक करघे लगाकर अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। बुनाई व्यवसाय के लिए बैंक ऋण की व्यवस्था की गयी है पर गरीब बुनकर इससे अधिक लाभ नहीं उठा सके हैं। अधिकतर विकास निगमों द्वारा प्राप्त ऋण की सुविधायें बुनकरों की सहकारी समितियों से जोड़ी गयी हैं और सभी बुनकर इनके सदस्य नहीं हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सी समितियां कार्यशील नहीं हैं, जिसके कारण वे निगम से साख सुविधायें नहीं प्राप्त कर पाती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समितियों ने ऋण लिया है पर उसे वापस नहीं किया है, क्योंकि सदस्यों द्वारा ऋण का दुरूपयोग किया गया है। इससे सभी सदस्यों को हानि उठानी होती है, क्योंकि समितियों द्वारा पुराने ऋणों की अदायगी नहीं की जा सकी है। पूंजी इस व्यवसाय के लिए एक आवश्यकता है, विशेष कर महिलाओं की सहायता करने के लिए। ऋण प्रायः पुरूषों के नाम दिया जाता है, महिलायें ऋण नहीं प्राप्त कर पाती हैं। यह महिलाओं के साथ

एक विशेष परिस्थिति है। यदि महिलाओं को भी उनके नाम से करघे दिये जांय तो इससे परिवार की आय में वृद्धि हो सकती है पर यह अभी नहीं किया जा रहा है।

कच्चे माल की प्राप्ति भी एक सरल कार्य नहीं है। बुनकर थोड़ी मात्रा दस से बीस किलोग्राम में खरीददारी करते हैं तथा उन्हें फुटकर मूल्यों पर खरीदना होता है। सूत का मिलना मिलों के उत्पादन पर निर्भर है और और सूत की मांग हमेशा बनी रहती है। समय - समय पर इसकी कमी बनी रहती है। नये धागे खरीदना महंगा पड़ता है, इसलिए बुनकर, जिनके पास कम पूंजी हुआ करती है, द्वितीय श्रेणी के धागे खरीदते हैं। इस प्रकार के धागों को उत्पादन के योग्य बनाने के लिए अधिक मेहनत और सावधानी रखनी पड़ती है। धागों की लागत कम होती है, जिससे बुनकर अधिक मेहनत करके अधिक रूपये प्राप्त कर सकते हैं। द्वितीय श्रेणी का धागा मिलना भी कठिन होता है, इसके प्राप्ति के लिए बुनकरों को किसी व्यापारी के साथ सम्पर्क बनाये रखना आवश्यक होता है, यह पूर्णतया व्यक्तिगत सम्पर्क पर निर्भर होता है।

धागों को घरों पर लाना एक कठिन कार्य होता है। इसी प्रकार बने हुए माल को बेचने के लिए उन्हें पुनः शहरों में आना होता है। कुछ लोग तो अपना माल व्यक्तियों को, जो उनके घरों पर लेने आते हैं, बेच देते हैं। कभी-कभी वे छोटे नगरों या एक गांव से दूसरे गांव में फुटकर व्यापारियों को अपना माल बेंच देते हैं और कुछ केवल उपभोक्ताओं के आदेश पर ही काम करते हैं, जो लोग शहरों में अपना माल बेचने जाते हैं, उनके व्यापारी निश्चित होते हैं और उनके बीच मौखिक समझौता होता है कि वे जितना भी उत्पादन करेगें, उन्हीं के हाथ बेचेगें, जबकि कच्चे माल का गुण वही बना रहे माल घटिया न हो। उन्हें अपने माल का नकद तुरन्त ही प्राप्त हो जाता है। अतः इन लोगों द्वारा नकद कीमत प्राप्त होने के कारण वे अगले उत्पादन के लिए कच्चा माल खरीद लेते हैं। जो लोग फुटकर

बिक्री करते हैं, उन्हें रकम थोड़ी-थोड़ी मात्रा में प्राप्त होती है। अतः उन्हें कच्चे माल खरीदने के लिए कुछ समय का इन्तजार करना होता है। इनके द्वारा छोटी-छोटी रकमों का ऋण लिया जाता है; जब उनकी पूंजी उनके उत्पादन में फंस जाती है, तो कच्चा माल खरीदने के लिए एक सौ से दो सौ रूपये का ऋण लिया जाता है। जो लोग पीस रेट पर काम करते हैं, उन्हें अपना माल व्यापारियों या संगठनों को देने जाना होता है।

इन बुनकरों द्वारा धोती, पन्चेदीस, साड़ी और सूती धागों से मोटे कपड़े तथा ऊनी धागों से कम्बल व शाल बनाते हैं। तेज काम करने वाले श्रमिकों द्वारा एक दिन में दो धोती, बारह या तेरह मीटर कपड़ा दो पछेदिश या तीन साड़ियां बना सकते हैं। उनकी आय उनके द्वारा कच्चे माल के आर्थिक उपयोग, क्रय कीमत, काम करने की गति, एक दिये समय में उत्पादन की मात्रा पर निर्भर है। जो लोग महंगे कच्चे माल का क्रय, अधिक मात्रा में कच्चे माल का उपयोग करते हैं उनका अनुभव है कि उन्हें कोई आय नहीं होती है। जो लोग सस्ती कीमत पर कच्चा माल खरीदकर उसका आर्थिक दृष्टि से उपयोग करके पर्याप्त आय प्राप्त कर लेते हैं, जिससे वे अपने परिवार की आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं।

जो लोग ऊन का प्रयोग करते हैं उनके द्वारा शाल व कम्बल बनाने का कार्य करते हैं। ये लोग अपनें माल की बिक्री अपने गांव तथा आस-पास के गांवों में करते हैं। इनकी आय अस्सी से सौ रूपये मासिक हुआ करती है, क्योंकि इनके माल की मांग सीमित हुआ करती है, इसके अतिरिक्त इनके माल अधिक टिकाऊ होते हैं। इसलिए इनकी आवश्यकता जल्दी-जल्दी नहीं होती है। जो लोग ऊन के आधार पर काम करते हैं, उनके लिए शीतकाल में अधिक काम होता है। इनका कच्चा माल सरलता से नहीं प्राप्त होता है। इनका भेड़ पालने वालों से समझौता होता है और वे प्रत्यक्ष इनसे ऊन खरीद लेते हैं, जिसे बुनने के पहले साफ करके

काता जाता है। ऊन द्वारा बुनाई का कार्य कच्चे माल की प्राप्ति पर निर्भर है। ऊन की खरीददारी जब ऊन काटा जाता है उसी समय में अधिक से अधिक मात्रा में खरीदा जाता है, जिससे मौसम तक उससे काम किया जा सके। इनकी आय वर्ष भर में होती है। रूपया केवल उसी समय प्राप्त होता है जब उनका माल बिक जाता है।

बुनाई करने वाले परिवार बुनाई के कार्यों के अतिरिक्त कृषि श्रमिक के रूप में तथा अन्य श्रम प्रधान कार्य किये जाते हैं।

कच्चे माल की खरीददारी व बिक्री नकद हुआ करती है। पीस रेट के आधार पर कार्य करने वालों को उनके श्रम की कीमत प्राप्त होती है, उन्हें कच्चे माल के खरीदने और बेचने का प्रश्न ही नहीं होता है।

किसी संगठन के लिए कार्य करने वाले बुनकरों व संग०नों के बीच एक लिखित समझौता होता है। व्यापारियों के साथ यह मौखिक होता है, जब वे अपना माल दुकानों में बेचते हैं तो अपनी सुविधा के लिए अपने लेन देन को लिखते हैं, क्योंकि दुकानों में उन्हें बिल देना होता है। जब वे व्यक्तियों के साथ क्रय-विक्रय करते हैं तो उनके लेन-देन मौखिक होते हैं। अधिकांश बुनकरों के पास मशीनें व करघे अपने पिता या परपिता द्वारा प्राप्त होत हैं। अधिकांश बुनकर धोतियों का निर्माण करते हैं, क्योंकि उनके करघे पुराने होते हैं और उन पर छब्बीस इंच चौड़े कपड़े की ही बुनाई की जा सकती है। वे इस पर अन्य कपड़े नहीं बना सकते हैं। इसकी मरम्मत गांव के बढ़ई या स्वयं उनके द्वारा ही की जाती है। कुछ इसके पुर्जे खरीदने होते हैं तथा कुछ पुरजे गांव के बढ़ई द्वारा ही बना लिए जाते हैं।

महिलायें लेखा जोखा रखना नहीं जानती हैं, कुछ महिलायें करघे पर लगाने वाले धागों के बारे में जानती हैं। हिसाब किताब न रख सकने के कारण वे माल बेचने का कार्य नहीं करती हैं। इन परिवारों के बच्चों में अपने परम्परागत कार्य के सीखने के प्रति मिली जुलीप्रतिक्रियायें व्यक्त की हैं। जिन परिवारों द्वारा इस कार्य से पर्याप्त आय प्राप्त की जाती है, उनके द्वारा अपने बच्चों में इस कार्य के प्रति रूचि का वातावरण बनाने में समर्थ हैं। जिन परिवारों को इस कार्य से पर्याप्त आय नहीं प्राप्त होती है वे अपने बच्चों को इस कार्य के प्रति अरूचि उत्पन्न करते हैं तथा उन्हें इस कार्य को न सीखने की सलाह देते हैं। यहां तक कि स्कूल जाने वाले बच्चे भी इस कार्य को सीख लेते हैं तथा अपने परिवार की आय को बढ़ाने में सहायता करते हैं।

वे बुनकर जो केवल बुनाई के ही कार्य पर निर्भर हैं वे इस पेशे से अपने परिवार के भरण पोषण तथा बच्चों के पालन पोषण करना होता है। घर के काम धाम आय सृजन कार्य के साथ-साथ किया जाता है। पीस रेट के आधार पर कार्य करने वाले बुनकरों की बच्चों के पालन-पोषण, स्वास्थ्य या शिक्षा के सुविधाओं के लिए कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति उन्हें अपने संसाधनों द्वारा ही करनी होती है।

यह कार्य बहुत ही परिश्रम वाला है। जो लोग करघे पर बैठकर कार्य करते है उनके कंधों में दर्द होने लगता है और जो लोग बुनाई के कार्य में सहायता का कार्य करते हैं उनके पीठ में दर्द होने की शिकायत करते हैं उनकी आंखें भी कभी-कभी खराब हो जाती हैं।

बुनकरों के हितों की रक्षा के लिए कुछ सहकारी समितियों का गठन किया गया है, उनमें से कुछ क्रियाशील तथा कुछ निष्क्रिय पड़ी हैं, इसके अतिरिक्त उनकी कोई प्रतिनिधि संगठन नहीं है। महिहलायें किसी भी संगठन की सदस्य नहीं हैं।

सब्जी उगाने का कार्य

सब्जी उगाने का कार्य एक आय सृजन करने वाली क्रिया के रूप में एक विशेष जाति के लोगों द्वारा किया जाता है, जिन्हें काछी या कुशवाहा कहते हैं। यह कार्य मौसमी होता है। अतः इसके साथ अन्य कार्य जैसे कृषि श्रम तथा मुर्गी पालन का धंधा किया जाता है। सब्जी एवं फलों का उत्पादन मौसम के अनुसार किया जाता है, जो पानी के प्राप्त होने और मिट्टी की दशा पर निर्भर है। परिवार के सभी कार्य करने योग्य सदस्यों द्वारा यह कार्य किया जाता है। सब्जी उगाने में सबसे अधिक आवश्यक भूमि है, जो गरीबों के लिए सबसे बड़ी अड़चन है। अधिकांश गरीब भूमिहीन मजदूर हैं, उन्हें मौसम के अनुसार भूमि प्राप्त करनी होती है। इन लोगोंको भूमि या तो बंटाईप्रथा के आधार पर प्राप्त होती है या पंचायतों से विघौती पर प्राप्त होती है। बिघौती एक प्रकार का कर है, जो प्रति बीघा भूमि के लिए देना होता है। कुछ सब्जी उगाने वालों के पास भूमि है। झांसी जनपद की अधिकांश भूमि असिंचित है और वर्षा भी कम होती है। सब्जी उगाने का कार्य बड़ी मात्रा में मानसून पर निर्भर है। इसलिए यह कृषि की ही भांति मौसमी कार्य है। यह एक जोखिम युक्त कार्य है, क्योंकि किसी मौसम में होने वाला उत्पादन तथा इसकी बिक्री में मिलने वाली कीमत दोनों ही अज्ञात होती है। अतः जो परिवार जोखिम लेने को तैयार होते हैं, वही इस कार्य को करते हैं। वास्तव में यह जाति पर आधारित व्यवसाय है। कुशवाहा जाति के लोग ही इस कार्य को करते हैं, अन्य जातियां इस कार्य को नहीं करती हैं वे सब्जी उगाना, व्यापारिक आधार पर नहीं करना चाहते हैं, वे केवल अपने उपयोग के लिए ही सब्जी उगाते हैं, कुशवाहा जाति के लोगों में भूमिहीनता के बढ़ने के कारण उन्हें अन्य कार्य करने और आय प्राप्त करने के अन्य साधनों को ढूंढ़ने के लिए विवश होना पड़ रहा है, केवल वही लोग इस पेशे में हैं जो भूमि की कुछ मात्रा प्राप्त करने में समर्थ हैं। बहुत से परिवारों ने भूमिहीनता के कारण सब्जी उगाना बन्द कर दिया है और वे उसी समय इस कार्य को करते हैं जब उन्हें कहीं से कुछ भूमि मिल जाती है। बंटाई प्रथा पर प्राप्त भूमि खेत

हुआ करते हैं। सिंचाई के लिए कुओं की सुविधा कुछ क्षेत्रों में प्राप्त है। सिंचित क्षेत्रों में जल की सुविधा प्राप्त हो जाती है। पंचायत से प्राप्त भूमि अधिकतर सूखे तालाब, नदियों के किनारे की भूमि या नदियों के बीच की भूमि होती है। पंचायतों से अधिकांशतः आधे से दो बीघा की भूमि प्राप्त होती है। यह भूमि उपजाऊ होती है, क्योंकि यह नदियों के किनारे हुआ करती है। इन भूमियों में पानीकी मात्रा विद्यमान रहती है, अतिरिक्त जल की आवश्यकता बहुत थोड़ी होती है। यदि जल की सुविधा न भी हो तो भी भूमि उत्पादक बनी रहती है। भूमि की कभी अधिक मात्रा में है, इसलि कभी-कभी भूमि अन्य गांव में भी प्राप्त करने का प्रयास कियाजाता है। जब भूमि की मात्रा सीमित होती है और परिवार में कई लड़के हुआ करते हैं तो संयुक्त परिवार सब्जी उगाने का कार्य करता है, साथ ही में अन्य कार्य भी करते हैं।

पंचायतों से प्राप्त होने वाली भूमि कुछ गांवों में वार्षिक आधार पर नीलाम की जाती हैं और सबसे अधिक रकम की बोली बोलने वाला उसे एक वर्ष के लिए प्राप्त कर लेता है। इस प्रथा के अन्तर्गत जिस परिवार के पास वर्तमान मे भूमि होती है उस पर होने वाली उपज यदि अच्छी नहीं होती तो वे नीलामी में भाग नहीं ले पाते और उन्हें अगले वर्ष के लिए भूमि प्राप्त करने से वंचित रद्द जाते हैं। यह एक अन्य प्रकार की अनिश्चितता है जो भूमिहीन परिवार को उठानी होती है। कुछ गांवों में भूमि उसी परिवार के प्रत्येक वर्ष एक निश्चित किराये पर दी जाती है। अक्सर पंचायतों द्वारा उन्हें कोई रसीद नहीं दी जाती, बल्कि उनसे भूमि के अवैध प्रयोग के लिए उनसे अर्थदण्ड वसूल किया जाता है। यह इन परिवारों से रकम प्राप्त करने का एक अन्य तरीका है। भूमि के लिए दिया गया किराया विघौती कहलाता है, जो क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग होता है। विघौती दस से पन्द्रह रूपये प्रति बीघा हुआ करती है पर नीलामी प्रथा के अन्तर्गत यह एक सौ से डेढ़ सौ रूपये प्रति बीघा तक पहुंच जाती है।

भूमि पर महिला एवं पुरूष दोनों कार्य करते हैं। सब्जी उगाने का कार्य गर्मी एवं जाड़ा दोनों में किया जाता है। कुछ परिवारों को ट्रैक्टर से जुती भूमि प्राप्त होती है और कुछ को हल से जोती हुयी भूमि प्राप्त होती है। जिनके पास मशीन और यंत्र नहीं होते उन्हें किराये पर लेना होता है। ट्रैक्टर के लिए 50 रूपये और हल के लिए 25 से 30 रूपये प्रति दिन किराया देना होता है। भूमि तथा उसमें बोये जाने वाले बीज के अनुसार इसे एक से तीन बार जोतना आवश्यक होता है। नदियों के किनारों और उसके आस-पास तथा तालाबों की भूमियों में हाथ से ही गढ्ढे खोदकर बीज की बुवाई की जाती है। इसे जोते जाने की आवश्यकता नहीं होती है। गढ्ढे खोदने का कार्य पुरूष एवं महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है, यह एक कठिन परिश्रम का कार्य है और बोने के बाद बीज को नियमित रूप से जल देना आवश्यक होता है।

सब्जी के प्रकार के अनुसार बीज को तीन से- लेकर आठ बाट पानी देना आवश्यक होता है। जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है वहां पर छोटे छोटे गढ्ढे खोद लिये जाते हैं और उनसे पानी निकालकर सिंचाई का कार्य किया जाता है। इसके लिए एक बांस की सहायता से हाथ से पानी निकालने का कार्य किया जाता है, जिसे ढेकुआ या ढेकुली प्रणाली कहा जाता है। जो लोग सिंचाई की सुविधा का उपयोग करते हैं उन्हें 8 से दस रूपया प्रति घण्टे केहिसाब से किराया देना होता है। महिलायें इस कार्य को जानती हैं और वे पुरूषों के साथ सिंचाई का कार्य करती हैं। वे अपने बच्चों को प्लाट पर साथ ले जाती हैं।

बीज या तो बाजार से खरीदे जाते हैं या पिछली फसल से ही घर पर उगा लिये जाते हैं। यह सब्जी या फल के पिछले वर्ष के उपज उनके पास नकद की मात्रा पर निर्भर हैं। जब बीज बाजार से खरीद जाते हैं तो इन्हें पुरूषों द्वारा खरीदा जाता है। महिलायें भी इस बात को जानती हैं कि विभिन्न सब्जियों के कितने बीज की आवश्यकता है। औसतन दस रूपये से पन्द्रह रूपये प्रति किलो बीज की लागत होती है तथा कुछ सब्जियों के बीज 30 रूपये प्रति किलोग्राम तक

होती है और एक बीघे में एक किलो बीज लगता है। जब बीजों को घर में उगाया जाता है तो इस कार्य को महिलाओं द्वारा किया जाता है, वे सब्जियों को सुखाकर बीज बनाकर रखती हैं। कुछ का विश्वास हैं कि बाजार के बीज घटिया किस्म के होते हैं। अतः घर में उगाये गये बीजों का उपयोग किया जाना चाहिए।

कुछ परिवारों द्वारा यूरिया और कैल्शियम उर्वरकों का उपयोग पैदावार बढ़ाने के लिए किया जाता है। वे दो से तीन किलोग्राम तक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। उर्वरक पुरूषों द्वारा खरीदे जाते हैं पर महिलायें उनकी लागत, नाम तथा कितनी मात्रा में खरीदना चाहिए और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, आदि बातों की जानकारी रखती हैं। अन्य परिवारों द्वारा गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उनके अनुसार, सब्जियों का स्वाद इससे उत्तम प्रकार का बना रहता है। यह 60 रूपये से 80 रूपये प्रति ट्रैक्टर प्राप्त हो जाती है। एक बीघे में दो से तीन ट्रैक्टर गोबर की खाद देना एक उत्तम इकाई माना जाता है। उन्हें श्रमिकों को तीस रूपये प्रति ट्रैक्टर लदायी तथा उसकी गिरवायी देनी होती है।

कभी कभी जब सब्जियों में बीमारियां लग जाती हैं तो कीट नाशक दवाओं का प्रयोग करना होता है। जब वे कीटनाशक दवाइयां खरीद नहीं पाते हैं या इनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती है तो उन्हें हानि उठानी होती है। उन्हें रसायन के बारे में ज्ञान नहीं होता, बल्कि वे किसी विशेष बीमारी के लक्षण बताकर उस पर छिड़कने के दवा की मांग करते हैं। महिलाओं को इनके बारे में जानकारी नहीं होती है।

जब सब्जी उगायी जाती है और वह तैयार हो जाती है तो उसके तोड़ने का कार्य पूरे परिवार द्वारा किया जाता है। स्थानीय गांव की मांग, सब्जी उगाने वाले क्षेत्र तथा एक विशेष दिन के उत्पादन तथा पास के नगर के बाजार की निकटता आदि को ध्यान में रखकर सब्जियां या तो थोक मूल्य पर इकट्ठा बेच दी जाती हैं

या गांव में ही एक घर से दूसरे घर तक जाकर बेंचा जाता है। सब्जियां और फल दो या तीन दिनो के अन्तर में तोड़ी जाती हैं। परिवार के सभी सदस्य सब्जियां तोड़ने का कार्य करते हैं। दो बीघा जमीन पर दस से पन्द्रह सेर सब्जी प्राप्त हो जाती है। जब फसल खराब होती है तो सब्जी की इतनी मात्रा एक सप्ताह में प्राप्त होती है। जब एक बार सब्जी तैयार हो जाती हैं तो अच्छे मौसम में दो से तीन माह तक सब्जी प्राप्त होती रहती हैं तथा फसल के खराब होने पर एक माह या दो माह तक सब्जी की फसल प्राप्त होती है। सब्जी उगाने में एक माह से डेढ़ माह का समय लगता है। उगाने वाली सब्जियों के टमाटर, बैगन, सेम, हरी मिर्च, आलू, प्याज, खरबूजा, कोहड़ा आदि उगायी जाती है। एक अच्छे मौसम में 85 किलो के आलू के एक बोरे बीज से एक हजार से 2000 हजार किलोग्राम तक आलू की फसल तैयार होती है। जब सब्जियां खेत पर उगती हैं तो उसे रास्ते पर आने जाने वाले पथिकों, जानवरों, और चोरों से सकी सुरक्षा करनी होती है। छोटे बच्चे कभी - कभी फल तोड़ कर या सब्जी तोड़कर हानि ॅचाते हैं। जानवर सब्जियों को हानि पहुंचाते हैं। सब्जियों को इन हानियों से बचाने के लिए उन्हें सब्जी उगते समय खेतों पर रात को रहना होता है और औसत भर वहां सोना होता है। दिन में बच्चे व रात को प्रौढ़ों द्वारा खेत की रखवाली करते हैं। जब इसे थोक में बेचना होता है तो सब्जी तोड़ने का कार्य दोपहर के बाद किया जाता है तथा इसे अगले दिन प्रातः भेज दिया जाता है। यदि इसे फुटकर गांव में बेचना होता है तो सब्जी प्रातः तोड़ी जाती है और शाम तक उसे बेचा जाता है। दूसरे गांवों में फुटकर भाव पर बेचने के लिए दोपहर के बाद तोड़कर अगले दिन प्रातः इसे बेचा जाता है।

सब्जी को थोकभाव पर बेचने में इसे पास के नगर के बाजार में इसे बस, ट्रक, ट्रैक्टर या बैलगाड़ी से भेजना होता है। बाजार में सब्जी बेचने के कार्य में दलाल की सहायता लेनी होती है। बाजार के भाव दिन प्रतिदिन घटते-बढ़ते

रहते हैं। कभी-कभी भाव इतने निम्न होते हैं कि सब्जी को बेचने के बजाय खेत में ही लगे रहना अधिक अच्छा समझते हैं, क्योंकि इसे बाजार में लाने के लिए परिवहन का व्यय करना, होता है और कीमतों के कम होने पर परिवहन व्यय भी नहीं पूरा होता है। थोक बिक्री नकद आधार पर की जाती है। थोक कीमत 20 से 40 रूपये की 20 किलोग्राम हुआ करती है और परिवहन लागत आलू के लिए पांच रूपये प्रति बोरा होती है। ट्रक द्वारा लाने के लिए तथा बस से लाने में एक से दो रूपये प्रति टोकरी किराया लगता है तथा यह दूरी पर निर्भर है। मेटाडोर द्वारा लादकर लाने पर एक सौ रूपये से दो सौ रूपये प्रतिलोंड किराया देना होता है। यह दूरी पर निर्भर है। महिलाओं को थोक बिक्री के तरीके नहीं मालूम होता है।

जब सब्जी की बिक्री फुटकर भाव में की जाती है तो इस कार्य को महिलायें भी करती हैं, वे टोकरी में लादकर सिर पर रखकर या हाथ गाड़ी में लादकर एक घर से दूसरे घर अपने तथा आस-पास के गांवों में बेचने जाती हैं। कभी-कभी पुरूष साइकिल में रखकर बेचने जाते हैं। इस प्रकार फुटकर के बिक्री में इसे अनाज के बदले भी बेचा जाता है। सामान्यतया बराबर वजन के अनाज द्वारा बदले का कार्य किया जाता है।

महिलाओं द्वारा प्रत्येक बार सब्जी तोड़ने पर उन्हें बेचने जाना होता है। सब्जी के बदले में प्राप्त होने वाला अनाज बहुत कम होता है। परिवार के व्यय को पूरा करने के लिए दूसरा कार्य करना होता है। एक अच्छे मौसम में आधे बीघा जमीन में फसलों के बदले में प्राप्त होने वाला अनाज पांच या छः सदस्यों के परिवार में तीन माह तक के लिए पर्यान्त होता है। अधिक भूमि पर प्राप्त अनाज पांच से छः माह तक के लिए पर्यान्त होता है। यदि वे इसे बेचते हैं तो तीन से चार रूपये प्रति किलोग्राम के भाग पर बिकता है। जब अनाज के बदले लेन-देन किया जाता है तो परिवार को नकी की आवश्यकता को दूसरे स्रोतों से पूरा किया जाता है। जब सब्जियों की बिक्री नकद पर की जाती है तो खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यकताओं को खरीदकर पूरा किया जाता है। एक बीघा जमीन पर सब्जी उगाने की लागत औसतन 200 रूपये तथा उससे होने वाली पैदावार लगभग 400 किलोग्राम तक होती है।

महिलायें अधिकतर अनपढ़ होती हैं पर वे छोटे-मोटे हिसाब-किताब रखना जानती हैं। अधिकांश आय पुरूषों के हाथ आती है। थोक व फुटकर दोनों बिक्री में लेन-देन सब मौखिक होती है। केवल उर्वरक व कीटनाशक खरीदने के लिए लिखा पढ़ी की जाती है। जिन्हें पंचायत से भूमि प्राप्त होती है, उन्हें लगान की रसीद प्राप्त होती है।

जब इन परिवारों के पास सब्जी उगाने के व्यवसाय के लिए फन्ड नहीं होता है तो इस कार्य में पैसा लगाने के लिए ऋण लिया जाता है। वास्तव में इन्हें ऋण कभी कठिनाई से प्राप्त होता है क्योंकि ऋण देने वालों को यह विश्वास नहीं होता कि ये ऋण वापस भी करेंगे या नहीं जो ऋण लेकर कार्य करते हैं। उनके द्वारा अधिक बचत नहीं की जा सकती है। यह कार्य आय प्रदान करने वाला बन सकता है जब सब्जी की फसल अच्छी होती है तथा बाजार में कीमतें युक्तसंगत होती हैं।

जब वे फुटकर बिक्री का कार्य करते हैं तो वे उसकी कीमत नगर के थोक मूल्य के आधार पर निश्चित करते हैं जिसे वे अन्य से ज्ञात कर लेते हैं जो नगर में अपना माल बेचते हैं। यदि किसी विशेष दिन में बिक्री बहुत कम होती है तो उसे वे फुटकर में ही बेचने का निर्णय ले सकते हैं भले ही वे थोक में माल बेचते हों।

सब्जी बोने की कला परिवार में ही या पड़ोसी को देखकर सीख ली जाती है। कभी–कभी परिवार नगर में माल भेजने का कार्य करते हैं। प्रत्येक परिवार अपने पास भूमि रखती है और वे टमाटर तोड़ने में एक दूसरे की सहायता करते हैं। कुछ परिवारों के पास दो मकान होत हैं। एक वहाँ पर जहाँ भूमि किराये पर लेकर कृषि की जाती है और दूसरा गांव में हुआ करता है।

जब फसल समाप्त हो जाती है तो उन्हें आय नहीं प्राप्त होती। उस समय इनके द्वारा अन्य श्रम प्रधान कार्य किया जाता है। महिलाओं को कठिन परिश्रम करना होता है। साथ ही में उन्हें घरेलू कार्य भी करना पड़ता है। मौसम के समय में उन्हें आठ से नौ घण्टे काम करना होता है। इनके बच्चे मुश्किल से स्कूल जाते हैं और बड़े होकर यही कार्य सीख लेते हैं।

<u>मुर्गी पालन</u> :

यह परम्परागत रूप में घरेलू कार्य है जिसमें महिलाएं मुर्गी तथा उनके बच्चों के पालन का कार्य अन्य कार्य के साथ करती हैं। यह कार्य मुख्यतया निम्न जाति के गरीब परिवारों द्वारा किया जाता है। यह कार्य उन जातियों द्वारा किया जाता है जो मांसाहारी होते हैं। इस कार्य को भंगियों एवं खटीक जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। मुर्गी पालन के धन्धे के कारण उच्च जाति एवं निम्न जाति के लोगों में एक तनाव बना होता है क्योंकि उच्च जाति के लोगों द्वारा निम्न जाति के लोगों पर गांव के वातावरण को चिड़ियां मार कर प्रदूषित करने का अभियोग लगाते हैं। गांव में कोई भी घटना यदि ऐसी होती है जिससे उच्च जाति के लोग प्रभावित होते हैं तो इसके लिए गरीबों को जिम्मेदार बनाया जाता है क्योंकि उनके द्वारा पाप के कार्य जैसे मुर्गी पालन, चिड़ियों को मारना और उनके खाने का कार्य किया जाता है।

मुर्गी पालन जीविकोपार्जन के साधन के रूप में कई रूपों में अपनाया जाता है। कुछ परिवार इसे अपने प्रयोग के लिए करते हैं। कुछ लोग अण्डे बेचने के लिए, कुछ लोग इन्हें एक बड़ी संख्या में एक सम्पत्ति के रूप में एकत्र करने के लिए और कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो चिड़ियों या बच्चों को बेचने का कार्य करते हैं, अण्डे नहीं बेचते हैं। इस व्यवसाय के ये विभिन्न रूप परिवार की आवश्यकताओं पर निर्भर है– परिवार में सदस्यों की संख्या, गांव का वातावरण और गांव के पास बाजार की प्राप्ति आदि पर निर्भर है।

इस कार्य को प्रारम्भ करने का एक सरल तरीका एक जोड़ा चिड़िया खरीद कर प्रारम्भ किया जाता है। महिलायें इस कार्य को अपने माता–पिता, गांव में या पड़ोसियों को देखकर या अपने दोस्तों के सलाह पर यह कार्य प्रारम्भ करती हैं। जब इन लोगों का जीवन स्तर नीचा होता है और आय प्राप्ति के कोई साधन नहीं होते हैं या जब कभी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसते हैं या लोग वृद्ध हो जाते

हैं तो वे लोग इसी कार्य को अपना लेते हैं। इस कार्य में विनियोग की राशि थोड़ी होती है। चिड़िया का एक जोड़ा 50 रूपये या 60 रूपये में प्राप्त हो जाता है। कभी–कभी इन चिड़ियों का एक जोड़ा या बच्चे अन्य परिवारों से, सम्बन्धियों से या दोस्तों से प्राप्त हो जाता है जिसके लिए कोई धनराशि व्यय नहीं करनी होती है। उन्हें यह सहायता उसी रूप में वापस करनी होती है जब मुर्गियों का स्टाक अधिक हो जाता है तो एक जोड़ा उन्हें वापस करना होता है।

गरीबों द्वारा केवल देशी मुर्गियां पाली जाती है। देशी मुर्गियों में एक मुर्गी और एक मुर्गा आवश्यक होता है क्योंकि इसके द्वारा उर्वरक अण्डे प्राप्त करना, मुर्गी पालन के प्राकृतिक तरीके से ही सम्भव होता है। देशी अण्डों की कीमत भी फार्म अण्डों की तुलना में अधिक होती है। जब कुछ परिवारों द्वारा अधिक मात्रा में मुर्गियां पाली जाती हैं तो उन्हें मुर्गे की आवश्यकता नहीं होती है यदि कुछ परिवारों के पास मुर्गे होते है तो उससे सभी का काम चल जाता है।

मुर्गी पालन के कार्य में मुर्गे व मुर्गी को प्रत्येक दिन घूमना पड़ता है और यह कार्य अन्य कार्य के साथ मिलाकर किया जाता है। कभी कभी यह कार्य बच्चों के दे दिया जाता है जो खेलने के साथ इस कार्य को करते हैं। प्रत्येक दिन केवल दो घण्टों का कार्य होता है जब मुर्गियों द्वारा अण्डे दिये जाते हैं। महिलायें इस कार्य को अपने घरेलू कार्य के साथ करती हैं। मुर्गियों को दिन में एक सीमित क्षेत्र में घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है।इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वे ऊँची जाति के लोगों के रास्ते में न जायें या उनके आंगन तथा खेतों में न जाने पावें। यदि ऐसा कभी होता है तो मुर्गी पालन के प्रति इन लोगों को उनकी बातें सुननी पड़ती है। उन्हें गाली भी सुननी होती है तथा मुर्गियों को ईट –पत्थर से मारा जाता है जिससे उन्हें हानि उठानी पड़ती है। अतः मुर्गी पालन करने वाले परिवारों को दिन के समय में मुर्गियों पर निगाह रखनी पड़ती

है। जब इस प्रकार के कई परिवार आस-पास होते हैं तो यह भी सावधानी रखनी पड़ती है कि एक परिवार की मुर्गियां दूसरे में मिल न जायें। इन्हें कौआ और बिल्ली तथा अन्य जानवरो से बचाना आवश्यक होता है। कभी-कभी इन्हें सुरक्षित रखने के लिए कांटों का घर बनाया जाता है और उनमें इन्हें रखा जाता है। इसी के अन्दर इन्हें छोड़ दिया जाता है जिसके अन्दर वे अपने खाने का प्रबन्ध भी कर लेती हैं।

कुछ परिवारों द्वारा खुले मैदान में अनाज फेंक कर चारा दिया जाता है। कुछ परिवारों द्वारा बाजार से इनके आहार खरीद कर इन्हें खिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न अन्नों में से निकले हुए अन्न और कच्ची सब्जियां जो खाने के योग्य नहीं होती, इन्हें खाने के लिए फेंक दिया जाता है।

किसी परिवार द्वारा कितनी मुर्गियां पाली जाती हैं यह परिवार के सदस्यों की संख्या जो इन्हें देखभाल कर सके और रात में उन्हें रखने के लिए प्राप्त स्थान पर निर्भर है। यदि किसी परिवार के सदस्यों की संख्या कम होती है और वे सभी आवश्यक कार्य करने में समर्थ हैं तो मुर्गी पालन के लिए केवल बच्चों को ही लगाया जाता है। ऐसी स्थिति में मुर्गियों की संख्या कम होती है। यदि परिवार में कोई प्रौढ़ व्यक्ति होता है जो घर पर रह सके तो इनके समूह को बढ़ने दिया जाता है। मुर्गियों के अण्डे बेंचे जायेंगे या उनके बच्चे पैदा कराये जायेंगे इन्हीं सब बातों पर यह निर्णय निर्भर होता है। इसी प्रकार छोटे बच्चे बेचे जायेंगे या बड़े किये जायेंगे। कभी-कभी बड़ी मुर्गियां भी बेची जाती है। मानव व भौतिक संसाधनों के अतिरिक्त अन्य बातें भी इस पेशे को प्रभावित करती है जैसे इनकी बिमारियां, जिससे मुर्गियों की संख्या नियंत्रित होती है। मुर्गी पालन कुछ निश्चित बिमारियों से जुड़ा होता है और इससे मुर्गियां तेजी से प्रभावित होती हैं। बिमारी के प्रभाव से मुर्गियों की संख्या एकाएक कम हो जाती है। बची हुई मुर्गियों को

सावधानी से रखा जाता है। मुख्य रूप से ध्यान अण्डे देने पर रखा जाता है। उन्हें बेचने पर नहीं। यदि पालने वाला परिवार गरीब है तो मुर्गियों के बड़े होने की प्रतीक्षा नहीं करता है। इन परिवारों द्वारा अण्डे ही बेंच दिये जाते हैं और मुर्गियों के बड़े होने की प्रतीक्षा नहीं की जाती है। इसमें मौसम का भी प्रभाव पड़ता है। गर्मी के दिनों में अण्डे सरलता से खराब हो जाते हैं उनसे बच्चे निकालना सम्भव नहीं होता अतः उन्हें बेच कर नकद प्राप्त किया जाता है और शीतकाल में अण्डों को अधिक समय तक रखा जा सकता है और उनसे बच्चे प्राप्त किये जा सकते हैं।

मुर्गियाँ औसतन एक दिन छोड़कर बीस से पच्चीस दिनों तक लगातार अण्डे देती हैं इसके बाद कुछ दिन अण्डे नहीं देती हैं। यह खाली समय होता है। वे परिवार जो अण्डों से बच्चे पैदा करते हैं उनका कहना है कि मुर्गियों का अण्डा देना उनको दिये गये भोजन पर निर्भर है। अधिक खाने पर वे अण्डे अधिक देती हैं। जब मुर्गियों को अण्डा देना होता है तो वे एक विशेष प्रकार की आवाज निकालती हैं जिससे परिवार के सभी सदस्य परिचित होते हैं। ऐसे में मुर्गियों को झोपड़ी के अन्दर रखा जाता है या उनके ऊपर परिवार के सदस्यों द्वारा एक टोकरी उनके ऊपर रख दी जाती है। यह इसलिए किया जाता है कि अण्डों को कोई दूसरा न उठा ले जाय या नष्ट हो जाय या किसी कुत्ते या बिल्ली द्वारा न खा लिया जाय। यह सयम देखने का होता है। जैसे ही अण्डा दे दिया जाता है उसे सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। यदि अण्डे को बेचना होता है तो खरीदने वाले घर पर आते हैं और ले जाया करते हैं। वे अण्डे बेचने बाहर नहीं जाते क्योंकि इससे उन्हें उसकी कम कीमत मिलती है। जब अण्डों से बच्चे प्राप्त करना होता है तो आठ या दस अण्डे एक साथ इक्ट्ठे करके एक मुर्गी के पास रखे जाते हैं। कभी–कभी अण्डों का उपयोग परिवार में ही कर लिया जाता है विशेषकर जब कोई परिवार का सदस्य बीमार होता है। मुर्गी पालने का एक प्रमुख कारण यह है कि परिवार के बीमार व्यक्ति को दवा के साथ अण्डे और बच्चों को दिया जाता है। अण्डे को सीने, गले और फेफड़े के बीमारी को ठीक करने की एक दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है।

जब मुर्गियों की संख्या कुछ होती है तो आठ या दस अण्डे एक या दो दिनों में एकत्र हो जाते हैं। मुर्गी को झोपड़ी के अंधेरे और छाया में रखा जाता है। अण्डों का एक कपड़े या पुआल या भूसा रखी टोकरी में रख दिया जाता है उस पर मुर्गी को बैठने दिया जाता है और मुर्गी को एक बड़ी टोकरी से ढक दिया जाता है जिससे मुर्गी अण्डों को छोड़कर कहीं और न जाय। इक्कीस दिनों तक अण्डे को देखा जाता है। इन इक्कीस दिनों में कुत्ते और बिलली से इसकी सुरक्षा करनी होती है। इन छोटे बच्चों को खिलाया जाता है, उन्हें साफ–सुथरा और उन्हें अन्दर रखा जाता है जिससे उनकी रक्षा की जा सके। कुछ दिनों के लिए छोटे बच्चों को एक टोकरी में रखा जाता है। इसके बाद उन्हें घर में चारों ओर घूमने दिया जाता है। जब वे एक माह के हो जाते हैं तो उन्हें आंगन या खुले में घूमने दिया जाता है पर उन पर कड़ी नजर रखी जाती है क्योंकि उन्हें अभी भी खतरा रहता है। दो माह के बाद इन्हें घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है।छः माह बाद छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं।

छोटे बच्चे अनाज नहीं खा पाते उन्हें जमीन पर अनाज पानी में मिलाकर कुछ दिनों तक खिलाया जाता है। धीरे–धीरे उन्हें नियमित रूप से भोजन देने का कार्य किया जाता है और उन्हें इधर–उधर घूमने दिया जाता है और वे बड़ी मुर्गियों की भाँति खाना खाने लग जाते हैं।

सभी मुर्गियों को रात में सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है इसके लिए मिट्टी का घर जमीन के ऊपर या जमीन के अन्दर बनाया जाता है। यह अर्ध चन्द्राकार होता है और मिट्टी से ढक दिया जाता है और थोड़ी जगह खुली छोड़ दी जाती है। रात में मुर्गियां एक साथ रहती हैं जब इनके रहने की जगह परिवार द्वारा नहीं बनाया जा सकता तो इन्हें घर में ही रखा जाता है। उनके लिए बांस की आलमारी के आकार का मकान बनाया जाता है और सभी मुर्गियों को उसी में रात को बन्द कर दिया जाता है।

जब झोपड़ी में मुर्गी के रहने का मचान बनाने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता है तो इन्हें एक बड़ी टोकरी में रखा जाता है। कहीं–कहीं पर इन्हें घर के बाहर पेड़ों के डालियों पर पुआल से झोपड़ा बनाकर रखा जाता है। इनकी सुरक्षा करना परिवार का पहला कर्तव्य होता है। वास्तव में इनके झोपड़ी में इतनी कम जगह होती है कि परिवार के सदस्य व मुर्गी के बनाये दोनों को स्थान की कमी बनी रहती है। बरसात के दिनों में स्थान की अधिक समस्या बनी रहती है। मुर्गियों को घर से बाहर रखना सुरक्षित नहीं होता पर झोपड़ियों में स्थान की कमी को ध्यान में रखकर इसका प्रबन्ध बाहर करना होता है। इनके रहने के स्थान को प्रतिदिन साफ करना आवश्यक होता है। उनके मल–मूत्र को साफ करना होता है अन्यथा झोपड़ी के अन्तर्गत कीटाणु पैदा हो जाते हैं। मुर्गियों के मल को या तो जला दिया जाता है या फेंक दिया जाता है या जमीनमें गाड़ दिया जाता है। यद्यपि इसका उपयोग खाद के रूप में किया जा सकता है पर मुर्गियों की संख्या कम होने से इसकी मात्रा थोड़ी होती है कि इसे खाद के रूप में बेचना उपयुक्त नहीं होता है। जब मुर्गियों को घर के अन्दर रखा जाता है तो कीड़े–मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं और मुर्गियों द्वारा रात में आवाज की जाती है जिससे उनकी नींद खराब होती है।

अण्डों की कीमत 75 पैसे से डेढ़ रूपये के बीच होती है और मुर्गियों के छोटे बच्चे कुछ रूपये तथा बड़ी मुर्गियां तीस से पचास रूपये के बीच होती है। इनकी विक्री नकद आधार पर की जाती है। मुर्गे अक्सर बेच दिये जाते हैं यदि उस परिवार में दूसरा बड़ा मुर्गा होता है। मुर्गियों को बड़ी होने दिया जाता है जिससे उनके समूह में वृद्धि हो सके। बीमार मुर्गियों को भी बेच दिया जाता है जिससे वह बीमारी अन्य मुर्गियों को न पकड़ ले। इस प्राप्त आय से स्त्री व पुरूष दोनों के हाथ आती है। मलिलायें गांव के बाहर मुर्गी बेचने नहीं जाती हैं बल्कि खरीदने वाले स्वयं उनके घर लेने आते हैं। कभी–कभी पुरूषों द्वारा टोकरी में इन्हें रखकर नगरों व कस्बों में गली–गली घूमकर बेचते हैं या गांवों के आस–पास लगने वाले बाजारों में बेचते हैं। इससे प्राप्त होने वाली आय

मौसमी होती है इसलिए इसका उपयोग परिवार के छोटे–छोटे व्ययों को पूरा करने में किया जाता है। जैसे मसाला, सब्जी, तेल, दूध, चाय और मिट्टी का तेल खरीदने में व्यय दैनिक आधार पर किया जाता है। महिलायें अनपढ़ होती हैं पर वे कार्य के बारे में पूरी तरह जानती हैं।

इन परिवारों को चिड़ियों के डाक्टर या पशु अस्पताल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वे केवल परम्परागत इलाज जानते हैं जैसे जब मुर्गियां प्रभावित होती हैं तो उन्हें सूखी प्याज दिया जाता है। इन परिवारों द्वारा मुर्गियों के चमड़े को कोयले में जलाने की प्रथा है। जब ये मुर्गियां बीमार पड़ती हैं तो कुछ पूजा पाठ करके यह कार्य किया जाता है। यह कार्य गांव में बहुत प्रचलित हे और इसे जादू का कार्य कहा जाता है। इसका प्रयोग मानव व जानवरों दोनों की बिमारी के समय किया जाता है। जब मुर्गियां छुआछूत से प्रभावित होती हैं तो उनके पूंछ के पंख नीलें पड़ जाते हैं, उनके सिर नीचे गिर जाते हैं, वे खाना बन्द कर देती है और पानी भी नहीं पीती हैं। ये सब बाते महिलाओं द्वारा जान ली जाती है। छोटे बच्चों को टीके नहीं लगवाये जाते क्योंकि उन्हें यह बात मालूम ही नहीं है पर कभी–कभी मुर्गियों को असप्रीन की गोलियां दी जाती है इसका ज्ञान उन्हें आस–पड़ोस के लोगों से हो जाती है जिन्होंने ऐसा सुना होता है। इनके द्वारा अच्छी नस्ल की मुर्गियां स्थान तथा पूंजी के अभाव में नहीं पालते हैं बल्कि वे मुर्गियों को सीमित आहार दिया जाता है वे इन्हें उनके भाग्य पर छोड़ दिया जाता है और भाग्य के सहारे ही रहने तथा ठीक होने पर छोड़ दिया जाता है।

महिलाओं द्वारा अक्सर मुर्गियों को जब ऊंची जाति के बच्चे उन्हें मांगने आते हैं तो देना होता है वे इसके लिए पैसे की मांग नहीं करती है जिससे उन्हें मौद्रिक हानि होती है।

मुर्गी पालन का कार्य कृषि श्रम, मिट्टी खोदने, निर्माण कार्य, सब्जी उगाने आदि कार्यो के साथ किया जाता है क्योंकि केवल इस पेशा से प्राप्त आय परिवार के व्यय के लिए पर्याप्त नहीं होती हैं। वृद्धों, बिमारों एवं निर्बल या कमजोर व्यक्तियों के लिए मुर्गी पालन सापेक्ष रूप से एक सरल आय का स्रोत है क्योंकि इन लोगों से कठिन परिश्रम नहीं हो सकता है इसलिए वे मुर्गियां पालना सरल समझते हैं। इसे करने पर अपने को किसी पर आश्रित एवं असहाय नहीं समझते हैं।

कुछ स्थानों पर मुर्गियों को वित्तयों के समय देवी देवता के नाम से काटा जाता है। कुछ परिवारों द्वारा न तो मुर्गियां और न ही अण्डे बेचे जाते हैं बल्कि इन्हें एक देवी के रूप में पाला जाता है। वे केवल अण्डे या छोटे बच्चे दे दिये जाते हैं और इनसे कोई आय नहीं प्राप्त की जाती है। यह ऊँची जाति के लोगों से झगड़े और विवाद से बचने का एक सरल तरीका है। अण्डों को एक दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है जब बैलों या अन्य जानवरों को चोट लग जाती है तो उनके घाव पर इसे लगाया जाता है। यह एक दूसरा कारण है जिससे मुर्गियां पाली जाती है और ऊँची जाति के लोग इस पर इतराज नहीं करते हैं।

मुर्गियां गरीबों के लिए सम्पत्ति होती हैं। इन्हें सम्पत्ति इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जब परिवार को नकद की एकाएक आवश्यकता होती है तो इन्हें तुरन्त बेचा जा सकता है। नगरों में इन्हें बेचकर नकद प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार एक थोड़ी मात्रा के विनियोग द्वारा एक सुरक्षा का भण्डार एक निश्चित समय में बनाया जा सकता है।

महिलाओं से जब उनके मुर्गी पालन के बारे में विस्तार से पूंछा गया तो वे गम्भीर हो गयीं और उन्होंने कहा कि क्या आप सरकार को हम लोगों के बारे में लिखने जा रही हैं? कृपया कोई खराब न लिखें अच्छी बातें लिखें। कम से कम बरसात का मौसम शान्तिपूर्वक बीत जाने दें। हम लोग अपने मुर्गी पालन के कारण किसी संकट में न पड़

जायें। कुछ लोगों का कहना था कि हम लोगों के पास सब्जी खरीदने का पैसा नहीं होता जब हम मुर्गियां खरीद लेते हैं इन मुर्गियों को हम लोग जब खाने को कुछ नहीं होता तो खा लेते हैं। कुछ महिलाओं ने कहा कि हम अण्डे बेंचकर पैसा एकत्र करते हैं। मेरा आदमी बाहर काम करने चला जाता है मैं उसे पैसे के लिए कहाँ ढूंढने जाये।

महिलायें जो मुर्गी पालन का कार्य करती हैं उन्हें कोई भी सुविधा नहीं प्राप्त होती है। इन्हें मुर्गियों को तथा अपने को दोनों को खाने–खिलाने का कार्य करती हैं। बच्चे भी इस कार्य को बड़े होते होते सीख जाते हैं। अधिकांश बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं क्योंकि महिलाओं को मुर्गी पालन के लिए इनके मदद की आवश्यकता होती है। यदि बच्चे घर पर मुर्गियों का कार्य देखते हैं लेते हैं तो बड़े लोग बाहर काम करके आय अर्जित कर लेते हैं।

<u>दूध का उत्पादन और डेरी का कार्य</u> :

पशुपालन का कार्य गांवों में मुख्यतया महिलाओं द्वारा किया जाता है। गाय और भैंसों को दूध के लिए और पशुपालन की क्रिया द्वारा अन्य कार्य भी हो जाते हैं। यह कार्य किसी जाति या वर्ग द्वारा किया जा सकता है बशर्ते कि उनके पास गाय या भैंस खरीदने के लिए पर्याप्त साधन होना चाहिए। कुछ विशेष जातियों द्वारा गाय पालना उनका मुख्य पेशा होता है। इन परिवारों के पास जानवरों के बड़े समूह हुआ करते हैं और वर्ष के कुछ महीनों में बनजारे का जीवन व्यतीत करते हैं। इन जातियों के अतिरिक्त अन्य परिवारों द्वारा भी गाय और भैंसों के पालन का कार्य किया जाता है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ बड़ी योजनाएं हैं जिसके अन्तर्गत गांवों में पशुपालन के कार्य को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाता है। इसके अन्तर्गत दुधारू पशुओं को खरीदने के लिए ऋण दिया जाता है जिससे इन परिवारों को गरीबी की रेखा के ऊपर उठाया जा सके। इसके अतिरिक्त दुग्ध उत्पादकों द्वारा सहकारी संगठनों का निर्माण आपरेशन

फ्लड प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा दूध के लिए बाजार प्राप्त हो जाता है जहाँ दूध बेचा जाता है तथा दूध द्वारा अन्य उत्पाद सहकारी डेयरी में बनाये जाते हैं।

गाय व भैसों द्वारा दूध बछड़ों के जन्म होने के बाद आठ या नौ माह तक दिया जाता है। इसके बाद सूखे समय व गर्भधारण के समय में जानवरों को खिलाना पड़ता है पर उनसे कोई आय नहीं प्राप्त होती है। दूध के उत्पादन का कार्य एक चक्रीय कार्य है, जानवरों को सूखे व दूध देने के समय में समान भाव से देखना होता है। केवल उन्हीं परिवारों द्वारा पशुपालन या डेरी का व्यवसाय किया जाता है जिनके पास पशुओं को सूखे समय में भी खिलाने और रखने की क्षमता होती है। पशुओं को रखने की कला माँ–बाप, ससुराल या पड़ोसियों से सीख ली जाती है।

दुधारू पशुओं के पालने के साथ परिवार के आर्थिक स्तर पर मूल्य भी जुड़ा हुआ है। बहुत से गरीब परिवार पशुपालन के कार्य की ओर आकर्षित होते हैं। ज जब इनके खरीदने के लिए ऋण प्राप्त होता है। इसके लिए वे दुधारू जानवरों को रखने के लिए आवश्यक संसाधनों पर विचार नहीं करते हैं। इसे वे जानवरों को पालने के बाद जान पाते हैं और कभी–कभी तो वे अपने को इस पेशे को चालू रखने में असमर्थ पाते हैं।

दूध देने वाले जानवर भारवाद या अन्य परिवारों से, जो अपने जानवर बेचना चाहते हैं, खरीद लेते हैं। बेचने वालों का पता व्यक्तिगत सम्पर्क के आधार पर लगाया जाता है। एक भैंस की कीमत पांच से सात हजार रूपयों के बीच होती है और अधिक दूध देने वाली भैंस की कीमत दस हजार रूपये तक होती है। इसी प्रकार गाय की कीमत एक हजार से दो हजार के बीच होती है। कुछ परिवारों द्वारा जानवरों की खरीददारी बैंक के ऋण द्वारा की जाती है और कुछ लोगों द्वारा अपने संसाधनों से इनकी खरीददारी की जाती है। कुछ लोग बकरियों को बेंचकर उसमें अपनी पुरानी बचत मिलाकर

गाय या भैंस खरीद ली जाती है। एक दूसरी बछड़ों या छोटे बच्चों को बड़ा करना होता है। यदि किसी परिवार के पास बछड़ा होता है और वह उसे खिलाने में असमर्थ होता है तो बछड़े को ऐसे परिवार को दे दिया जाता है जो उसे खिला सके। जब छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसकी कीमत निश्चित किया जाता है जब वह परिवार उसे अपने पास रखना चाहता है तो वह उसके मूल्य को दे देता है। यह कीमत बाजार के कीमत से कम होती है और सात व आठ सौ रूपये के बीच होती है। देशी नस्ल के पशु सामान्य रूप से पाले जाते हैं। अच्छी नस्ल के पशु बहुत नहीं पाले जाते क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए अधिक प्रयास करना होता है। जानवरों के खरीदने का कार्य नकद आधार पर किया जाता है।

जानवरों को रखने के लिए छोटे-छोटे छायादार घर बनाये जाते हैं। किसी परिवार द्वारा कितने मात्रा में जानवरों को पाला जाता है वह प्राप्त स्थान, महिलाओं की संख्या और भूसा रखने व खरीदने की क्षमता पर निर्भर है। गरीब परिवारों के पास जानवरों को रखने के लिए अधिक स्थान नहीं प्राप्त होता है। कभी -कभी उनके पास जानवरों को रखने के लिए अलग से स्थान नहीं होता है वे जानवरों को अपनी झोपड़ी में रात को अपने साथ रखा करते हैं।

जानवरों के खरीदने का कार्य पुरूषों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्य जैसे जानवरों को नहलाने, उनके रहने के स्थान की सफाई, चारा देने, भूसा लाने, दूध निकालने, दूध बेचने या उससे अन्य उत्पाद बनाने, गोबर उठाने तथा कन्डे बनाने व गोबर से खाद बनाने और जानवरों को उनकी बिमारी में देखरेख का कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं को प्रत्येक दिन कुछ घण्टों का कार्य दूध देने वाले पशुओं के लिए करना होता है तभी उनसे कुछ आय प्राप्त हो पाती है। इनमें सबसे कठिन कार्य हरे चारे की व्यवस्था करना है साथ भूसा तथा अन्य चारे की व्यवस्था करनी होती है। सूखे क्षेत्रों में हरे चोर की व्यवस्था कराना एक कठिन कार्य है। भूमिहीन परिवारों को

सभी खाद्य पदार्थ–भूसा, चारा, अनाज खली व चूनी सभी कुछ खरीदना पड़ता है। महिलायें बाहर जाकर जो भी हरा चारा मिल जाता है उसे लाती हैं। भूसा उन्हें बन्डल के रूप में प्राप्त होता है। कभी–कभी उन्हें भूसा, डंठलदार चारे और भूसी आदि लाने के लिए श्रमिक लगाना होता है। पशुओं को चरने के लिए भी भेजा जाता है। यदि परिवार में कई सदस्य होते हैं तो उनमें से बड़े जानवरों को चराने भेजा जाता है। यदि परिवारों में पर्याप्त सदस्य नहीं होते तो चराने के लिए एक श्रमिक रखा जाता है। फैक्टरी द्वारा बनाये गये चारों का प्रयोग बहुत से परिवार द्वारा नहीं पंसद किया जाता है। बिनौला तथा उससे बनी खली सरसों अलसी से बनी खली भी जानवरों को खाने के लिए दी जाती है। यह सब नकद खरीदना पड़ता है जो परिवार के आर्थिक स्थिति पर निर्भर है। इसी प्रकार के भोजन से दूध में चर्बी की मात्रा बढ़ाता है।

सूखे हुए भूसे और चरी के बन्डल 30 रूपये से 60 रूपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से प्राप्त होते हैं। यह इस बात पर निर्भर है कि वह धान, बाजरा या ज्वार का भूसा है। इसमें ज्वार का भूसा सबसे महंगा होता है। भूसा एक जानवर के लिए आठ से दस दिन के लिए पर्याप्त होता है। सरसों और अलसी की खली 40 रूपये से 55 रूपये प्रति बीस किलो के हिसाब से प्राप्त होती है जो प्रति जानवरों के लिए दस से पन्द्रह दिन के लिए पर्याप्त होती है। अन्य चारों के मक्का, अरहर की पत्तियां, मटर व चना के भूसी आदि है। इन्हें भी प्रति जानवरों को दस से 15 दिनों के लिए दिया जाता है। जिन परिवारों के पास खेती की भूमि होती है वे जानवरों को अनाज के गिरे हुए और बेकार पदार्थ खाने के लिए दिये जाते हैं। जिन परिवारों के पास कृषि भूमि होती है। उनको पशुपालन एक लाभदायक व्यवसाय होता है जिन्हें सब कुछ बाजार से खरीद कर खिलाना होता है उनको कोई बचत नहीं होती है।

पशुओं को चरने के लिए वहीं भेजा जाता है जहाँ चरागाह की भूमि हुआ करती है। इसके लिए उन्हें चरवाहों को 5 से दस रूपये प्रति जानवर प्रति माह देना

होता है। कभी–कभी उन्हें अनाज के रूप में 30 से 60 किलोग्राम अनाज प्रतिवर्ष प्रति पशु देना होता है।

जानवरों से दोनों समय दूध निकाला जाता है। प्रतिदिन औसतन चार से पांच लीटर दूध प्राप्त होता है। दूध को परिवार द्वारा ही प्रयोग कर लिया जाता है या एक भाग का उपयोग और उसके दूसरे भाग को बेच दिया जाता है। जिन क्षेत्रों के आस–पास दूध का बाजार है और परिवार को नकद की आवश्यकता होती है तो दूध बेंच दिया जाता है। जिन गांवों में बड़ी मात्रा में दूध बेंचा जाता है उन गांवों में ठेकेदार, निजी डेरी, या सहकारी डेरी द्वारा एकत्र करने का कार्य किया जाता है। दूध विभिन्न शर्तों एवं दशाओं के अन्तर्गत खरीदा जाता है जैसे दूध में प्राप्त चर्बी की मात्रा आदि। औसत न चार रूपये प्रति लीटर दूध की खरीददारी की जाती है। जहाँ पर दूध के लिए बाजार नहीं होता है तो दूध का उपयोग परिवार द्वारा कर लिया जाता है या उसका घी बनाया जाता है या माठा बनाया जाता है जिससे मिठाइयां बनती हैं। माठा प्रतिदिन तथा घी दो या तीन दिन के बाद बनाया जाता है। माठा या घी दोनों नकद बेचे जाते हैं। घी सौ रूपये प्रति किलो बेचा जाता है। घी प्रत्येक दूसरे या तीसरे दिन बनाया जाता है। यदि एक जानवर के पूरे दूध से घी बनाने का कार्य किया जाता है तो तीसरे दिन एक किलो घी प्राप्त हो जाता है। सामान्यतया कुछ दूध का उपयोग परिवार द्वारा कर लिया जाता है। एक दिन में एक लीटर। घी की बिक्री गांव में ही कर दी जाती है। यदि गांव में कुछ ही लोगों द्वारा घी बनाने का कार्य किया जाता है यह उस समय किया जाता है जब गांव में दूध बेचने का कोई प्रबन्ध होता है। जिन गांवों में दूध की बिक्री का कोई प्रबन्ध नहीं है वहां सभी परिवारों द्वारा घी बनाया जाता है और गांव में इसे बेचने का बाजार नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वे अन्य गांवों में या पास के नगर के व्यापारियों से घी बेचने का प्रबन्ध कर लिया जाता है। मक्खन का उपयोग परिवार में कर लिया जाता या आस–पास के लोगों को दे दिया जाता है।

दूध देने वाले पशुओं को पालने से परिवार के उपयोग के लिए शुद्ध घी की प्राप्ति के साथ पशुओं के बच्चे भी मिल जाते हैं। भूमिहीन परिवारों को इस व्यवसाय से अधिक नकद की प्राप्ति नहीं होती क्योंकि उन्हें पशुओं के खिलाने का सारा चारा बाजार से खरीदना होता है। कुछ परिवारों में दुधारू पशु बिमार सदस्यों को पौष्टिक भोजन देने का कार्य करते हैं। दूसरा लाभ कन्डे प्राप्त करना है। गोबर एक स्थान पर पूरे वर्ष एकत्र किया जाता है और उसे खाद के रूप में बेंच दिया जाता है। इसके एक भाग से कन्डे या उपले बनाये जाते हैं जिससे उन्हें लकड़ी एकत्र करने नहीं जाना होता है। खाद की बिक्री गांव में ही की जाती है जो ट्रैक्टर या बैलगाड़ी से लाद कर खेतों तक पहुंचाई जाती है यदि गोबर से उपले या कन्डे न बनाये जायें तो एक पशु से एक वर्ष में सात से आठ बैलगाड़ी या दो से तीन ट्रैक्टर खाद बनती है।एक बैलगाड़ी खाद की कीमत 30 से 35 रूपये और एक ट्रैक्टर की कीमत 60 से 80 रूपये होती है। कहीं–कहीं पर एक सौ रूपये से एक सौ पच्चीस रूपये प्रति ट्रैक्टर खाद बेची जाती है। कुछ परिवारों द्वारा खाद के बदले भूसा प्राप्त किया जाता है विशेषकर भूमिहीन परिवारों द्वारा ऐसा किया जाता है। कुछ लोग खाद को अनाज से बदलते हैं। एक जानवर के एक वर्ष के गोबर से बनी खाद के बदले एक सौ किलोग्राम अनाज प्राप्त होते हैं।

पशुओं के स्वास्थ्य व दवाओं की सुविधाएं हमेशा नहीं प्राप्त होती है। अधिकतर गरीब लोगों द्वारा जो जानवरों के पालने का कार्य पहली बार करते हैं वे जानवरों के बिमार होने पर उनके घरेलू इलाज भी नहीं जानते हैं या दूध बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए नहीं जानते हैं। मौका पड़ने पर वे अन्य लोगों से ज्ञात करते हैं। साथ ही उन्हें सूखे व बरसात के मौसम में उन्हें कैसा भोजन दिया जाना चाहिए इसे भी सीखना होता है।

दूध से प्राप्त होने वाली आय महिलाओं के हाथ में आती है और दूध से बने पदार्थों की आय महिलाओं व पुरूष दोनों के हाथ आती है यह इस बात पर निर्भर

है कि बिक्री गांव में होती है या गांव के बाहर की जाती है इससे प्राप्त आय परिवार के छोटे–छोटे व्ययों को पूरा करने तथा जानवरों के चारे के लिए प्रयोग की जाती है।

महिलाएं सामान्यतया अनपढ़ होती हैं फिर भी छोटे–मोटे हिसाब करने में समर्थ हैं जिन महिलाओं द्वारा दूध की बिक्री की जाती है उन्हें हिसाब रखना आता है। इनके सभी लेन–देन, सहकारी डेरी के हिसाब को छोड़कर, मौखिक हुआ करते हैं। सहकारी डेरी में दूध की आपूर्ति, दूध में वसा की मात्रा, प्राप्त रूपया आदि का हिसाब–किताब लिखित हुआ करता है।

पशुओं के पीने की पानी समस्या सूखे क्षेत्रों में अधिक है। गांवों में जानवरों के लिए पानी कुओं से लाया जाता है और हौदे का प्रबन्ध किया जाता है जहाँ जानवर पानी पी सकते हैं पर गर्मियों में पानी के लिए उन्हें 5 रूपये प्रति जानवर देना होता है। जानवरों को चराने और उनके देखभाल का कार्य प्रतिदिन का कार्य होता है जो महिलाएं करती हैं। कम से कम परिवार के व्यक्ति को इस कार्य के लिए हमेशा लगे रहना पड़ता है। किसी परिवार द्वारा कितने पशु रखा जायेगा यह परिवार के सदस्यों पर निर्भर है। वे अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं क्योंकि किसी न किसी को जानवरों को हरा चारा लेने के लिए प्रतिदिन भेजा जाता है।

जिन व्यक्तियों द्वारा कठिन परिश्रम नहीं किया जाता है वे भारी कार्यो के लिए भैंसे रखते हैं।जो लोग काम करने के लिए इधर–उधर जाते हैं उनका सोचना है कि भैंसो से प्राप्त होने वाली आय से वे इधर–उधर आने जाने से बच जाते हैं। हरिजन जातियों के के साथ छुआछूत की समस्या लगी होती है। उनकी जाति के अतिरिक्त अन्य जातियों के लोगों द्वारा उनके दूध नहीं लिये जाते हैं। इसलिए वे दूध से घी बनाने का कार्य करते हैं और उसे नगर में कम कीमत पर बेचते हैं।

महिलाएं डेरी समितियों की सदस्य नहीं बनायी जाती भले ही सारा काम

उन्हीं के द्वारा किया जाता है, जो सहकारी समितियों के सदस्य होते हैं उन्हें संगठन का लाभ प्राप्त होता है जिनके माध्यम से वे दूध की ऊँची कीमत की मात्र, जानवरों को खिलाने के भूसा व खाद्यान्न की प्राप्ति तथा पशुओं के दवाओं की सुविधाएं प्राप्त हो जाती है, फिर भी उन्हें अपने जीवन में बहुत सी सुविधाओं की प्राप्ति अपने आप करनी पड़ती है।

सिलाई का कार्य :

गांव के लोगों के लिए तोशक, तोशक की खोली बनाने, दरवाजे के पर्दे, पुराने कपड़े की जोड़ाई, बेल–बूटा कसीदा की सेवायें प्रदान करने का कार्य उन लोगों द्वारा प्रदान की जाती है जो लोग सिलाई के कार्य से अपनी जीविका अर्जित करते हैं। पुरूष और महिलाएं दोनों ही मिलकर कार्य करते हैं। परम्परागत तौर पर यह भी जाति पर आधारित पेशा है दर्जी जाति के लोग इसे करते हैं। पर आज कल जिसके पास सिलाई मशीन होती है और इस कार्य को सीख कर इस कार्य को कर सकता है। बहुत से गांव ऐसवे है जिनमें एक भी परिवार ऐसा नहीं है जो सिलाई की सेवा प्रदान कर सके ऐसी स्थिति में गांव वालों को आस–पास के गांवों या नगरों में अपने कपड़े सिलाने के लिए जाना पड़ता है। बहुत सी एजेन्सियों द्वारा वर्तमान में सिलाई से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। बहुत से गांवों में लोग सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है पर वे इससे जीविका अर्जित नहीं किया करते हैं। जिन लोगों द्वारा सिलाई के कार्य से जीविका अर्जित करते हैं वे गांव में अपना एक सम्पर्क बना लेते हैं। कुछ परिवार केवल सिलाई के कार्य से अपनी जीविका अर्जित करते हैं और कुछ सिलाई के कार्य के साथ अन्य कार्य कृषि श्रम करते हैं, जिससे उनकी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। महिलाएं इस कार्य की कुशलता अपने घर में ही प्राप्त कर लेती हैं। इन लोगों को पुरूषों द्वारा सिलाई की कुशलता सिखाई जाती है। ऐसी भी महिलाएं मिली जिन्होंने सिलाई की शिक्षा अपने पुरूषों को शिक्षा दी है।

सिलाई मशीन कई तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। कुछ लोगों के परिवार से बहुत दिनों पहले प्राप्त कर सकती है। कुछ लोगों ने ऋण लेकर इसे खरीदा गया है और कुछ लोगों ने इसे किराये पर लिया है। कुछ लोगों ने पन्द्रह से बीस वर्ष पहले मशीन प्राप्त की है। कभी–कभी लोगों ने पुरानी मशीन सस्ती कीमत पर खरीदी है। मशीनों के रखरखाव का कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। यदि इसे ठीक करने में मिस्त्रियों की सेवा में आवश्यक होती है तो इसे नगरों में ही प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में मशीन को किसी प्रकार उस स्थान तक ले जाना होता है जहाँ मिस्त्री रहते हैं। इस कार्य को पुरूषों द्वारा किया जाता है। कभी–कभी मशीन ले जाने का व्यय मरम्मत के व्यय से अधिक होता है।

सिंलाई के कार्य में सबसे लोकप्रिय तरीका लोगों के कपड़े सिलने का कार्य निश्चित दरों पर किये जाते हैं। सिलने के लिए लोग अपने कपड़े टेलर को देते हैं। इन कपड़ों में ब्लाउज, पेटीकोट, शर्ट, पैजामा और अन्डर बियर आदि सिलाये जाते हैं। सभी महिलाएं इन कपड़ों को नहीं सिल सकती हैं। विभिन्न कपड़ों के सिलाई के रेट अलग–अलग होते हैं यह गांव के लोगों के आर्थिक स्थिति पर निर्भर है। इस पेशे में मौसम के अनुसार मांग होती है। त्योहार के समय, शादी–विवाह के समय और फसल तैयार होने के समय कपड़े सिलाने के कार्य अधिक मात्रा में लोगों द्वारा कराये जाते हैं। ऐसे समय में महिलाओं को समय पर काम समाप्त करने के लिए अधिक परिश्रम करना होता है। इन्हीं समयों में इन्हें अधिक आय प्राप्त होती है। अन्य समयों में मांग बहुत कम हुआ करती हे। क्रेताओं की आर्थिक स्थिति और उनसे सम्बन्धों पर कपड़े के सिलाई के चार्ज की मांग की जाती है। कभी–कभी भुगतान वस्तुओं के रूप में प्राप्त होता है यह उन लोगों के साथ अधिक मात्रा में है जिनके पास नकद कम होता है पर उनके पास दूध या दूध के उत्पाद अधिक हुआ करता है। कभी–कभी टेलरों द्वारा इन घरों से दूध की प्रतिदिन प्राप्ति के लिए सौदा कर लिया जाता है जिसके बदले में वे परिवार

के सभी सदस्यों के कपड़े सिला करते हैं जब भुगतान फसल के तैयार होने के समय प्राप्त होता है। वर्तमान में इस प्रकार के भुगतान के तरीके को स्वीकार नहीं किया जाता है।

नई मशीन में विनियोग डेढ़ हजार से तीन हजार तक के बीच और पुरानी मशीन खरीदने में 500 रूपये से एक हजार रूपये तक का व्यय होता है। डोरे, सुइयों और अन्य औजार जैसे कैंची, सभी नगरों से खरीदे जाते हैं। जब वे अन्य कार्य करने के लिए शहर में जाते हैं तो इन्हें भी खरीद कर लाते हैं। उनके पास विभिन्न रंग के धागों का स्टाक रखने का समर्थ नहीं होती बल्कि आवश्यकतानुसार इन्हें खरीद कर लाया जाता है। यदि नगर की दूरी गांव से अधिक होती है तो छः माह के लिए डोरे का स्टाक रखना होता है। कभी-कभी टेलर ब्लाउज में बटन नहीं लगाते हैं क्योंकि ब्लाउज सिलने के लिए बहुत कम पैसा प्राप्त होता है अतः वे बटन नहीं लगाते हैं जो लोग बटने लगाते हैं वे अधिक पैसा चार्ज करते हैं। शर्ट और कोट और कुर्ता में बटन लगाये जाते हैं क्योंकि इसके लिए अधिक पैसा लिया जाता है।

डोरे की एक रील डेढ़ रूपये से ढाई रूपये के बीच प्राप्त होती है। अधिकांश महिलाएं एक समय में केवल एक रील खरीदी जाती है। एक रील से तीन ब्लाउज, एक ड्रेस या एक घंघरा के लिए पर्याप्त होती है। डोरे का उपयोग कपड़ा सिलने के लिए प्राप्त होने वाले आर्डर पर निर्भर है जो लोग नियमित रूप से कार्य करते हैं वे दर्जन के हिसाब से रील खरीदा करते हैं। एक दर्जन रील की कीमत 15 रूपये से बीस रूपये तक होती है और वह एक माह के लिए पर्याप्त होती है। बटन का एक छोटा बैग जिसमें एक एक सौ बटन हुआ करते हैं इसकी लागत तीन रूपये होती है। मशीन के तेल के 100 ग्राम की कीमत 5. रूपये होती है। ये सब वस्तुएं 15 दिनों के लिए होती है यदि बहुत अधिक काम न रहे। यदि कपड़े सिलने के आदेश अधिक तेजी से प्राप्त होते हैं तो और मशीन का लगातार प्रयोग होता है तो 15 दिनों में एक लीटर तेल की आवश्यकता

होती है जिसके लिए उन्हें 50 रूपये व्यय करने होते हैं। बहुत से लोग मशीन का तेल स्वयं किरोशिन और नारियल का तेल मिलाकर बनाया करते हैं।यह सब वस्तुएं शहरों से क्रय की जाती है। यद्यपि यह क्रम पुरूषों द्वारा किया जाता है पर महिलाएं इन सबकी कीमतें जानती हैं।

औसतन इन परिवारों को एक माह में एक सौ रूपये से डेढ़ सौ रूपये के काम मिल जाते हैं। सबसे व्यस्त टेलरों को चार सौ रूपये प्रति माह का काम मिल जाता है। एक दिन में तीन ब्लाउज, एक ड्रेस या एक शर्ट बना सकते हैं। एक तेज काम करने वाले व्यक्ति द्वारा एक दिन में पांच या छः छोटे कपड़े आदि दो या तीन बड़े कपड़े, आठ या नौ घण्टे कार्य करके बनाये जा सकते हैं। जिनके पास काम अधिक होता है वे आठ से नौ घण्टे और अन्य व्यक्तियों द्वारा दो से तीन घण्टे प्रतिदिन कार्य किये जाते हैं। जिनके घरों में बिजली की सुविधा है वे रात में भी काम करके अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं ।

विभिन्न कपड़ों के लिए सिलाई के अलग–अलग चार्ज किये जाते हैं। ब्लाउज के लिए 10 रूपये से 15 रूपये, पैजामा के लिए पांच रूपये, पेटीकोट के लिए तीन से पांच रूपये, पोलकास के लिए चार रूपये (एक विशेष प्रकार का ब्लाउज) फ्राक के लिए 5 से 7 रूपये, बुश शर्ट के लिए पांच रूपये, शर्ट के लिए 15 रूपये, मैक्सी स्कर्ट के लिए दस रूपये, पिलो कवर के लिए दो रूपये तथा पर्दो के लिए चार रूपये लिये जाते हैं।

कुछ महिलाएं पेटीकोट की सिलाई पीस रेट के आधार पर करती हैं इसके लिए उन्हें डोरे हमेशा लाना होता है। कपड़े काटने के पहले के सभी सामान नगर के व्यापारी द्वारा दिया जाता है। इस कार्य के लिए उन्हें छः से 8 रूपये प्रति दर्जन पेटीकोट प्राप्त होता है। एक दिन में एक दर्जन पेटीकोट बनाये जा सकते हैं। कुछ महिलाएं स्वयं कच्चे माल खरीद कर लाती हैं जैसे तोशक की खोल में लगने के कपड़े, टोरन (दरवाजे

पर पर्दे लगाने के छल्ले) आदि वे इसे लाकर अपने गांव व आस-पास के गांवों में बेचती हैं । इस प्रकार की महिलाएं बहुत कम है पर वे सभी कार्य करती हैं। वे इस कार्य में 60 रूपये का विनियोग करके दस से 15 रूपये प्रति सप्ताह की आय प्राप्त कर लेती हैं।

महिलाएं अधिकतर हल्की सिलाई का कार्य करती हैं। उन्हें विशेष आधार के कपड़े काटने का ज्ञान होता है। अन्य महिलाएं सिलाने वाले के आधार के अनुसार कटाई का कार्य कर लेती है जो लीग कटाई का कार्य नहीं कर पाती वे पुराने सिले कपड़े मांग कर उसके आधार पर कटाई करती है। कुछ पुरूषों एवं महिलाओं द्वारा मिल कर कार्य करते हैं। कपड़े की कटाई पुरूष द्वारा तथा सिलाई महिलाओं द्वारा की जाती है।

अशिक्षा इन परिवार में सामान्य है पर इसके कारण वे किसी कठिनाई का अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि कपड़े के मापने के बहुत से तरीकों को खोज निकाला है। वे छोटे मोटे लेखों का कार्य कर लेते हैं। सभी लेन देन गांवों में मौखिक होते हैं। नगरों में कुछ सामान खरीदने एवं मशीन की मरम्मत के लिए उन्हें कुछ लिखित लेन देन करने होते हैं।

जिन गांवों में टेलरों की संख्या अधिक होती है उनमें सभी के कपड़े सिलने के आदेश कुछ परिवारों से प्राप्त होते हैं। ऐसे में उन्हें प्राप्त होने वाली आय भी सीमित होती है और उससे जीविकोपार्जन करना कठिन होता है जिन लोगों ने मशीन ऋण लेकर प्राप्त किया जाता है उन्हें ऋण की किश्त भी वापस करना कठिन होता है। कभी-कभी उन्हें ऋण की किश्त देने के लिए गांव से ऋण लेना होता है और जब उनके पास पैसा होता है तो वे ऋण की अदायगी करते हैं। जब मशीन खराब होती है तो वे पुराने कपड़ों की मरम्मत का कार्य हाथ से करते हैं। इस कार्य से प्राप्त आय महिलाओं को मिलती हैं। पर पुरूष व महिलाएं दोनों परिवार का व्यय पूरा करते हैं।

इस कार्य में लगी महिलाओं को सारी सुविधाएं स्वयं जुटानी पड़ती है। वे लोग जो सिलाई का प्रशिक्षण ट्राइसेम के अन्तर्गत प्राप्त की है उन्हें मशीन खरीदने के लिए सहायता व छात्रवृत्ति प्राप्त होती है जो अनुदान प्राप्त करने की पात्र है उन्हें 33 प्रतिशत अनुदान मशीन खरीदने के लिए प्राप्त ऋण में प्राप्त होता है। इसके बाद वे स्वयं उसके जिम्मेदार होती है। उन्हें अपनी सभी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति अपने संसाधनों से करनी होती है। महिलाएं इस कार्य को घरेलू कार्य के साथ–साथ करती हैं। बच्चों को स्कूल भेज दिया जाता है और जो परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने में समर्थ नहीं होते वे यही कार्य बच्चों को सिखाते हैं और सीखकर वे इस कार्य को करने लगते हैं।

इस पेशे में आंखों की रोशनी कम होने, आंखों में दर्द होने, पीठ व सिर में दर्द होने का भय होता है विशेष कर महिलाओं को उपरोक्त समस्यायें होती हैं फिर भी उन्हें इस कार्य को चालू रखना आवश्यक होता है। इस पेशे से प्राप्त आय द्वारा परिवार के छोटे मोटे व्यय पूरे कर लिये जाते हैं उन्हें इन कार्यो के लिए दूसरों से नकद मांगने की आवश्यकता नहीं होती है जिन परिवारों को इससे पर्याप्त आय प्राप्त होती है वे अपने सभी व्यय इसी व्यवसाय से प्राप्त आय से कर लेते हैं।

किराना की दूकान चलाना :

यह कार्य किसी भी जाति द्वारा किया जा सकता है। वे महिलायें जो अपने बुरे स्वास्थ्य, बुढापा या जो सामाजिक कारणों से घर के बाहर काम करने नहीं जा सकत‍ या जो अधिक परिश्रमी कार्यो को नहीं कर सकती वे अपने घर में एक छोटी सी किराना की दुकान खोल लेती है या किराये के मकान में यह दूकान खोल लेती हैं। ऐसी महिलाएं जिनके बच्चे छोटे हैं या उन्हें देखने वाला कोई नहीं होता या विधवायें भी इस कार्य को करना पसन्द करती हैं क्योंकि इसमें कम परिश्रम करना पड़ता है अतः यह सत्य है कि

साथ ही इस काम को करने पर वे अपने घर में ही बनी रहती हैं वे अपने घरेलू कार्य भी करने में समर्थ होती है। यह कार्य वर्ष भर किया जाता है।

इस कार्य के लिए आंवश्यक आगत स्थान, पूंजी, और उस प्रकार की दूसरी दूकान गांव में नहीं हांनी चाहिए। इस कार्य को करने का विचार लोगों में उसी समय उठता है जब गांव में इस प्रकार के स्टाल का अभाव होता है या पड़ोसियों या सम्बन्धियों द्वारा इसे किये जाने का सुझाव दिया जाता है। एक परिवार में ऐसा स्टाल हो सकता है और इसे लोग परिवार के व्यवसाय के रूप में चलाते हों। महिलाएं अपने पति के साथ इसे एक समूह में चलाती हों या विधवा होने पर इस कार्य को करती हैं। विधवा होने की दशा में वे कार्य स्वयं अपने लिए करती हैं और वे सामान अपने पड़ोसियों एवं बच्चों की सहायता से सामान प्राप्त करती हैं जो स्टाल चलाने का कार्य पहली बार प्रारम्भ करती है। सामान्यतया वे परिवार के भरण पोषण का दायित्व उनके ऊपर पड़ने के कारण यह कार्य प्रारम्भ करती है। इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे पति की बिमारी, जब पति को आय का मिलना बन्द हो जाता है, पति की मृत्यु या स्वयं महिला के क्षमता और योग्यात में कमी या दूसरे कार्य न कर सकने के कारण में बुढापा या स्वास्थ्य के ठीक न होने के कारण किया जाता है।

यदि उनके पास थोड़ी सी भी जगह होती है तो वे अपने घरों में ही यह स्टाल चलाती हैं। यदि घर में थोड़ी जगह नहीं होती तो इसे चलाने के लिए किराये पर स्थान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। वह स्थान ऐसी जगह पर होना चाहिए जिससे क्रेता वहां तक सरलता से पहुंच सके। यदि उनका घर गांव के बीच नहीं होता तो वे गांव के बीच किराये पर स्थान प्राप्त करते हैं भले ही उनकें घर में इसके लिए स्थान क्यों न प्राप्त हो। वे लोग जो परिवार में पहले से चल रहे व्यवसाय को आगे चलाते हैं उनके पास एक पहले से स्थापित स्थान प्राप्त होता है उन्हें किसी दूसरे स्थान की

आवश्यकता नहीं होती है। यदि वे किराये पर स्थान प्राप्त करते हैं तो उन्हें 60 रूपये प्रति माह किराया देना होता है। इस पर उन्हें कम से कम पांच सौ रूपये और भी बिजली, आलमारी खरीदने, टीन के कनस्टर और सामान रखने के बरतन होते हैं। एक तराजू, बटखरे और अन्य आवश्यक वस्तुएं जो व्यवसाय के लिए आवश्यक होती हैं खरीदने होते हैं। इस प्रकार के स्थिर विनियोग के अतिरिक्त उन्हें विभिन्न वस्तुओं के स्टाक खरीदने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है यदि वे यह स्टाक अपने घर में ही चलाते हैं तो वे बिना फिटिंग इत्यादि कराये हुए कम विनियोग में ही कार्य शुरू कर सकते हैं। ऐसे भी उदाहरण मिले हैं जहाँ इसे प्रारम्भ करने के लिए छः हजार रूपये तक का विनियोग किया गया है।इस प्रकार के प्रारम्भिक विनियोग के बाद उन्हें अपने स्टाक को बनाये रखने के लिए दैनिक या सामयिक आधार पर जब भी स्टाक समाप्त हो जावे उसे पूरा करना होता है ।स्टाक में रखी जाने वाली वस्तुएं दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे सब्जी, मटर की फली, तेल, आटा, चना, बिस्कुट, मिठाई, गुड़, चीनी, चाय, साबुन, मिट्टी का तेल, दालें, नमक, बीडी, सिगरेट, घड़ियां, सुपाडी आदि हुआ करती है। विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के स्टाक की मात्रा परिवार के वित्तीय स्थिति पर निर्भर है। जो व्यक्ति स्टाल चलाता है उसकी आर्थिक स्थिति के साथ–साथ गांव के लोगों के आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर है जहाँ वह स्टाल चलाया जाता है।

स्टाक खरीदने के लिए उन्हें नगरों या कस्बों में जाना होता है। महिलाएं इस खरीददारी करने के लिए नहीं जाती है।यदि परिवार में पुरूष सदस्य पुत्र या पति होता है तो उसे भेजा जाता है। वे सायकिल या बस या पैदल जाते हैं । वे उनसे यह सामान खरीदते हैं जिनके पास सामान होते हैं और उन्हें उपयुक्त कीमतों पर प्राप्त होते हैं। इसके लिए कोई निश्चित दूकान नहीं होती है। जब वे पहली बार इस सामान को खरीदने जाते हैं तो वे दूकानदारों से सम्पर्क, किसी के माध्यम से या अपने से ही बनाते हैं। कभी कभी जब वे नगरों के अन्य उद्देश्य से भी जाते हैं तो वे अपने को विभिन्न

दुकानों से परिचित बनाने का प्रयास करते है। इस प्रकार की सूचना जब वे स्वयं स्टाल खोलते हैं तो काम में आती है, नगरो में खरीददारी नगद आधार पर की जाती है जब वे दिन प्रतिदिन का स्टाक जमा करते हैं तो वे दो सौ रुपये का माल बैक दिन में खरीद कर ले जाते है। जिन व्यक्तियों के स्टाक की बिक्री अधिक तेजी से होती है वे अपने स्टाक प्रत्येक दिन पूरा करते हैं।अन्य लोग सप्ताह एक दिन छोड़कर या सप्ताहिक या मासिक आधार पर स्टाक की पूर्ति करते हैं। स्टाक अधिकाशतः साइकिल से ,हाथ गाड़ी द्वारा या अपने सिर पर लाद कर लाया करते हैं। गाड़ी से उन्हें किराया देना होता है। सर्वेक्षण के दौरान एक ऐसे परिवार से मुलाकात हुई जो मेटाडोर द्वारा वस्तुयें खरीद कर लाता है और उसके लिए 150 रुप्ये प्रति पाली देना होता है। बरसात के समय स्टाक लाने में कठिनाई होती है। महिलायें वस्तुयें खरीदने नहीं जाती हैं इसलिए वे गाँव के ही दुकानदारों से थोड़ी मात्रा में खरीददारी करती हैं कुछ महिलायें दूसरे व्यक्तियों को एक विशेष दुकानदार, जिनसे उनके व्यापारिक सबंध अच्छे होते हैं, को चिट लिखकर दे देती है तो सामान बैलगाड़ी से भेज दिया जाते है और उसका भुगतान महिलाओं द्वारा कर दिया जाता हैं। ऐसा उस समय होता है जब महिलायें व्यवसाय पूरी तरह अपने लिए करती है पर सबसे अधिक लोकप्रिय प्रणाली किसी को भेजकर माल मंगाने की हैं।

वस्तुयें नकद या वस्तुयें के बदले में वस्तुयें प्राप्त करने के आधार पर बेंची जाती हैं । कभी – कभी जान पहचान के क्रेताओं को उधार भी दिया जाता हैं। महिलायें वस्तुओं की माँग और उनकी कीमतों के बारे में पूरी जानकारी रखती हैं। उनकी बिक्री उस समय अधिक होती है जब स्टाक किसी स्कूल, बस स्टेशन या गाँव के प्रमुख गली में होता हैं।उनके द्वारा प्रतिदिन 30 रुपयें से 150 रुपयें का माल बेंच दिया जाता है यह गाँव के आकार तथा उसमें किराना के दुकान की आवश्यकता दोंनो पर निर्भर हैं। गाँवो में अनाज के बदले में अन्य समान प्राप्त करने की प्रथा प्रचलित हैं। यही किराना दूकान पर भी होता हैं। महिलायें अपने स्टाल में वस्तुयें के बदले में अनाज स्वीकार कर लेती हैं जब वह उनके खाद्यान के उपयोग के लिए उपयुक्त होता हैं। यदि अनाज उनकी आवश्यकता से अधिक होता है तो वे अन्य व्यक्तियों को अनाज बेंच कर नकद प्राप्त कर लेती हैं। गाँवो में लोग गाँव के स्टाल से थोड़ी मात्रा में वस्तुयें खरीदतें हैं यह मुख्यतया उन

व्यक्तियों के लियें होता हैं जो दिन प्रतिदिन के आधार पर अपनी मूल आवश्यकता की वस्तुयें प्रत्येक दिन खरीदते हैं या उन लोगों के लिये जिन्हें किसी वस्तु की एकाएक और आवश्यक रुप में आवश्यकता पड़ जाती हैं । महिलाओं का कहना था कि लोग 25 पैसे से एक रुपयें तक की वस्तुयें खरीदतें हैं इसलिए हमें इनके गिनने में कठिनाई नहीं होती हैं। यह स्टाल सुबह से शाम को देर रात तक खुले रहते हैं क्योंकि इनके द्धारा सेवायें प्रदान की जाती हैं अतः क्रेता किसी समय भी आ सकते हैं।महिलायें इसे अपने घरेलू कार्य के साथ चलाती हैं बीच–बीच में वे बच्चों या अपने पति को कुछ देर के लिए स्टाल पर बैठा देती हैं । बहुत कम स्टाल को बन्द करके घरेलू कार्य किये जाते हैं। उन्हें दिन भर की बिक्री से दस या बीस रुपयें प्रतिदिन बच जाते हैं। यदि उनकी बिक्री 80 रुपयें से एक सौ रुपयें के बीच होती हैं तो वे 20 से 25 रुपयें की आय प्राप्त कर लेती हैं। इस रकम को घरेलू कार्यो पर व्यय कर लिया जाता हैं। पूँजी को अलग रखा जाता हैं जिससे स्टाक को पूरा किया जाता हैं। वे पूँजी को बचा कर रखने में पूरी तरह सजग हैं उसका उपभोग नहीं करती हैं । यद्यपि महिंलायें पढ़ी लिखी नहीं होती फिर भी वे छोटे –मोटे एकाउन्ट रख लेती हैं। वे अपने पास नकद रखती हैं और घर का खर्च चलाती हैं।यदि वे उधार लेकर माल लाती हैं तो वापसी के लिए भी प्रबंध करती हैं। महिलायें कभी – कभी इस बात से परिचित पाई गई कि वे किसी वस्तु की और अधिक मात्रा बेंच सकती हैं यदि उनके पास अधिक मात्रा में पूँजी होती तो लाकर बेंच देती ।इस व्यवसाय से इतनी बधिक आय नहीं होती कि इससे पूँजी में वृद्धि की जा सकें। बल्कि प्राप्त आय परिवार के आधारभूत आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए ही पर्याप्त होती हैं। इस व्यवसाय से प्राप्त आय महिलाओं की मानी जाती है जब वे स्वयं इसे अपने लिए चलाती हैं और पुरुष महिला दोंनो की आय उस समय मानी जाती हैं जब यह दोंनो मिलकर चलाते हैं।

महिलायें उस समय स्टाल चलाती हैं जब वे अन्य कार्य से पर्याप्त आय नहीं प्राप्त कर पाती हैं। वे स्टाल तक गाड़ी खींच कर ले जाती हैं। कुछ महिलायें कृषि मजदूरी से बचत कर के छोटा स्टाल प्रारंम्भ कर देती हैं।एक छोटी दूकान चलाना अधिक सम्मान जनक कम मेहनत वाला कार्य समझा जाता हैं। जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता या वे भैतिक कार्य करने में असमर्थ होती हैं तो हाथ की गाड़ी खींचना व्यवहारिक नहीं होता हैं। कुछ महिलाओं ने

अपने पति की आज्ञा लेकर स्टाल चलाया है उन्होंने इस कार्य को उसी प्रकार का कार्य करके , या पड़ोसियों से सीख कर चलाया हैं।

सामान्यतया स्टाल चलाने का कार्य दोस्तो , सगे सम्बंधियों ,महाजनों या बैंक से लेकर चलाया लाता हैं इसके लिए उनहें 5 प्रतिशत प्रति माह से 25 प्रतिशत प्रतिवर्ष का ब्याज भी दैय होता हैं। कुछ महिलाओं ने इसे चलाने के लिए अपने जेवर को गिरवी रख कर पैसा प्राप्त किया है , अधिकांश महिलायें स्टाल से प्राप्त आय द्वारा ऋण को अदा करने में समर्थ हुई है पर कुछ महिलायें की आय स्टाल से पर्याप्त नहीं होती हैं इसलिए उनके ऋण अदा नहीं किए जा सके हैं। एक परिवार के अपने आभूषण तक देने पड़ गये क्योंकि वे ऋण का ब्याज नहीं दे सके थे।

यह कार्य आय प्राप्त करने का एक अच्छा साधन माना जाता हैं। यदि इनके पास पूँजी अधिक हो तो अधिक आय प्राप्त हो सकती हैं ऐसा प्रायः अधिकांश महिलाओं के विचार थे । यद्यपि इससे बहुत अधिक बचत नहीं की जा सकती पर ऋण की स्थिति में भी नहीं रहा जा सकता हैं। इस आय से परिवार के दिन प्रतिदिन का व्यय चल जाता हैं। इस व्यवसाय में अधिकांश लेन देन मौखिक होते हैं महिलायें इस परिचित हैं कि जब वे उधर माल खरीदती है तो उन्हें अधिक कीमत नकद माल खरीदने की अपेक्षा देनी होती हैं।

कुछ लोगो को छोड़कर महिलाओं के इस कार्य के लिए कोई सहायता या सुविधा कहीं से भी नहीं प्राप्त होती हैं। उन्हें ग्रामीण व्यवसाय में अपना स्थान स्वयं बनाना होता हैं। उन्हें अपने जीवन की सभी अनिश्चितताओं और जोखिमो को स्वयं पूरा करना होता हैं।

उनके बच्चें उसी समय स्कूल जाते है जब परिवार उन्हें स्कूल भेजने में समर्थ होता हैं अन्यथा उन्हें भी दूकान में लगा लिया जाता है तथा बड़े होने पर उन्हें भी यह काम सिखा दिया जाता है।

अध्याय - पांच

लाभार्थी महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन

वर्तमान अध्ययन झांसी जनपद के चार विकास खण्ड मऊरानीपुर, चिरगांव, बबीना तथा बंगरा के कुल 500 महिलाओं से सम्बन्धित है, जो विभिन्न व्यवसायों में लगी हुयी है। अध्ययन में प्राप्त महिलायें एक तो स्वयं परिवार की मुखिया हैं और परिवार का आर्थिक बोझ स्वयं संभाल रही है या कुछ महिलायें ऐसी है, जो अपनी आय द्वारा अपने पति के आय में सहायक के रूप में परिवार के आर्थिक जीवन में सहायता प्रदान कर रही है। यद्यपि किसी भी सरकारी कार्यक्रम में कुल अनुसूचित जाति व जनजाति महिलाओं को ही नहीं रखा जाता, बल्कि उन सभी महिलाओं को शामिल किया जाता है, जो उस कार्यक्रम की पात्र होती है फिर भी किसी भी कार्यक्रम में जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन होता है। समाज का ढांचा कुछ इस प्रकार का है, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी अधिकांशतः भूमिहीन मजदूरों में होती है जो अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। इन महिलाओं का जाति के आधार पर वर्गीकरण को सारणी संख्या 58 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या 58

लाभार्थी महिलाओं का जातीय, वर्गीकरण

क्रम सं0	विकास खण्ड	सामान्य वर्ग	%	पिछड़ा वर्ग	%	अनुसूचित जाति व जनजाति	%	कुल
1.	मऊरानीपुर	16	7.2	85	43.1	96	48.7	197
2.	चिरगांव	6	6.8	54	46.1	57	47.1	117
3.	बबीना	12	11.0	44	41.7	50	47.3	106
4.	बंगरा	8	8.7	34	43.2	38	48.1	80
	कुल	42	8.4	217	43.4	241	48.2	500

सारणी संख्या 58 से स्पष्ट है कि मऊरानी पुर विकास खण्ड की कुल 197 लाभार्थी महिलाओं में 7.2 प्रतिशत सामान्य वर्ग, 43.1 प्रतिशत पिछड़े वर्ग तथा 48.7 प्रतिशत अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग की हैं । चिरगांव विकास खण्ड में 6.8 प्रतिशत सामान्य, 46.1 प्रतिशत पिछड़ी जाति तथा 47.1 प्रतिशत अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग की थीं । बबीना विकास खण्ड में इन महिलाओं का विभाजन सामान्य वर्ग की 11 प्रतिशत 41.7 प्रतिशत पिछड़ी जाति तथा 47.3. प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग की रही है । बंगरा विकास खण्ड में 8.7 प्रतिशत सामान्य 43.2 प्रतिशत पिछड़े वर्ग तथा 48.1 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग की थीं। सम्पूर्ण रूप से विचार करने पर 8.4 प्रतिशत सामान्य, 43.4 प्रतिशत पिछड़े वर्ग तथा 48.2 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग की महिलायें लाभार्थी रही हैं ।

1. **परिवार का आकार :**

किसी समाज के परिवार के आकार द्वारा उसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सम्पन्नता स्पष्ट होती है । पहले परिवार का ढांचा अधिकांशतः आर्थिक तथ्यों पर आधारित था । आदिवासी जातियां और जन जातियां समूहों में घूमा करती थीं । कृषि समुदाय बड़े आकार के परिवार चाहता था जिससे कृषि के श्रम की आवश्यकता को पूरा कियाजा सके । जैसे-जैसे सभ्यता का विकास होता गया व्यक्तिवाद के विचार का विकास हुआ जिसके कारण सीमित परिवार का विकास होता गया । कुछ सीमा तथा औद्योगीकरण, नगरीकरण और शिक्षा के विकास द्वारा छोटे आकार के परिवारों को बल मिला । जनसंख्या अप्रवासन तथा आप्रावस के तथ्यों द्वारा परिवार के आकार को छोटा करने में सहायता प्राप्त हुई है ।

समाज की अर्थ व्यवस्था तथा परिवार का आकार दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं । भारतीय अर्थ व्यवस्था, विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में, मुख्यतया कृषि प्रधान है । यहां तक कि देश के उद्योग कृषि क्षेत्र द्वारा उत्पादित कराये माल पर आधारित हैं । परम्परागत उद्योगों द्वारा एक बड़ी मात्रा में मानव क्रम पर आधारित है । मशीनीकरण द्वारा इस दिशा में कोई भी सुधार नहीं किया जा सका है । अभी भी लगभग 70

से 80 प्रतिशत देश की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और लगभग इतनी ही जनसंख्या अशिक्षित है । एक विकासशील अर्थव्यवस्था में शिक्षा और रोजगार एक दूसरे से सम्बन्धित होते हैं । इसलिए जो अशिक्षित है उनको केवल निम्न स्तर तथा शारीरिक श्रम पर आधारित रोजगारों में अवसर प्राप्त है ।

वर्तमान सर्वेक्षण में इन महिलाओं के परिवारों को उनके सम्बन्धों को एक के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है । इसके लिये उनके परिवार के सदस्यों और उनके परिवार के मुखिया के साथ सम्बन्ध को भी ज्ञात किया गया । इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि 47.1 प्रतिशत अनुसूचित जाति के महिलाओं के परिवार छोटे रहे हैं जबकि 47.3 प्रतिशत पिछड़ी जाति की महिलाओं के परिवार 6 से 10 सदस्यों के पाये गये । सम्पूर्ण दृष्टिकोण से लगभग 44.4 प्रतिशत सभी जाति के परिवारों में 6 से 10 सदस्य जब कि 5.0 प्रतिशत परिवारों में 11 से 15 सदस्य तथा 2.8 प्रतिशत परिवार, यदि उन्हें यह कहा जाये, केवल एक सदस्य के परिवार थे ।

अनुसूचित जाति व जनजाति परिवारों के आकार का छोटा होना, यद्यपि यह आशा के विपरीत है अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में उनके भूमिहीन कृषि श्रमिक होने का परिचायक है । भारत के ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में भू स्वामित्व एक सम्मान की वस्तु मानी जाती है लेकिन कृषि श्रमिकों को एक कम मात्रा की आय प्राप्त होती है क्योंकि यह मौसमी पेशा है । ऐसी स्थिति में केवल छोटे परिवार ही जीवित रह सकते हैं । कृषि के क्षेत्र में कार्य न होने पर उन्हें अपनी जीविका के लिए अन्य साधन ढूढ़ने होते होते हैं । कभी - कभी उन्हें रोजगार ढूढ़ने के लिए इधर उधर आवास करना होता है जिसके कारण परिवार के कुछ सदस्य वहीं रह जाते हैं जिससे एक अलग परिवार बन जाता है ।

अधिकांश महिलायें परम्पराओं तथा अंध विश्वासों में विश्वास करने वाली पाई गई तथा अपने बच्चों की शादी एवं विवाह अल्पायु में ही करती हैं जिसके कारण परिवारों का बंटवारा हो जाता है जिससे परिवार के आकार में और भी कमी होती है । कभी कभी संविधान के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले लाभ, विशेषकर आर्थिक और

शिक्षा के सम्बन्धी प्रेरकों का परिवार के आकार को प्रभावित करते हैं । अनुसूचित जाति के परिवारों को शिक्षा तथा रोजगार की सुविधा आरक्षण के कारण प्राप्त होती है वे अपना परिवार अलग कर लेते हैं और वे सामान्य रूप से नगरों में रहने लग जाते हैं । सारणी संख्या 59

वर्तमान अध्ययन में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के पारिवारिक सम्बन्धों को केवल प्राथमिक सम्बन्ध तक ही सीमित रखा है । वर्तमान अध्ययन में परिवार का अर्थ केवल माता-पिता और उनके बच्चों से लिया जाता है । लगभग 89.2 प्रतिशत महिलाओं ने यह स्पष्ट किया कि उनके परिवार में केवल प्राथमिक सम्बन्धों तक के सदस्य शामिल है । लगभग यही ढांचा सामान्य वर्ग के महिलाओं के परिवारों का भी रहता है । ऐसे परिवार जिनमें प्राथमिक और द्वितीयक सम्बन्धियों के सदस्य थे उनका प्रतिशत केवल 7.4 प्रतिशत रहा है ।

पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति के परिवारों का आकार तुलनात्मक रूप से छोटा रहा है । सम्बन्धों का ढांचा, जैसा कि स्पष्ट किया गया है, उसमें केवल प्राथमिक समूह के सदस्यों द्वारा ही बना है । इसमें से 2.8 प्रतिशत परिवार जिन्हें "नही लागू होता है" लिखा गया है ऐसे परिवारों में केवल एक सदस्य का परिवार रखा गया है । सारणी संख्या

यद्यपि कृषि क्षेत्र की मांग बड़े आकार के परिवारों की होती है पर अध्ययन में शामिल महिलाओं द्वारा इस बात को स्पष्ट किया गया कि वे बड़े आकार के परिवारों का जोखिम उठाने के लिये तैयार नहीं थी क्योंकि अधिकांशतः वे भूमिहीन कृषक श्रमिक या आकस्मिक श्रमिक रही हैं । यह परिवार के छोटे आकार बनाये रखने का एक प्रमुख कारण रहा है ।

सारणी संख्या 59 महिलाओं के परिवार का आकार

परिवारमें सदस्य संख्या	सामान्य वर्ग		पिछड़ी जाति		अनूसूचितजाति		कुल	
	सं0	प्रति0	सं0	प्रति0	सं0	प्रति0	संख्या	प्रतिशत
एक सदस्य	2	2.4	3	1.4	9	2.3	14	2.8
2 से 5 सदस्य	20	48.8	100	46.2	115	48.1	235	47.1
6 से 10सदस्य	18	43.3	109	47.3	93	0.7	222	44.4
11 से 15 सदस्य	4	4.8	8	4.1	10	0.7	5..	5.1
16 से 20 सदस्य	7	0.6	4	1.0	11	0.6		0.5
21 से अधिक	1	0.1	-	-	13	0.8		0.1
कुल	42	100.0	217	100.0	241	100.0	500	100.0

सारणी संख्या 60 महिला परिवारों में सम्बन्धों का प्रारूप

गृह मुखिया से सम्बन्ध	सामान्य वर्ग		पिछड़ीजातिवर्ग		अनुसूचित जाति वर्ग		कुल	
	सं0	प्रतिशत	सं0	प्रतिशत	सं0	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
प्राथमिक	33	85.1	187	90.4	206	90.4	426	89.2
द्वितीयक	-	-	3	0.2	7	0.3	10	0.2
तृतीयक	-	-	2	0.1	2	0.1	4	0.1
प्राथमिक व द्वितीयक	4	9.8	13	6.6	14	6.6	31	7.4
प्राथमिक व तृतीयक	1	0.2	2	0.1	2	0.1	5	0.1
प्राथमिक,द्वितीयक व तृतीयक	1	0.2	-	-	-	-	1	0.5
प्राथमिक,द्वितीयक नौकर	1	0.2	3	0.2	5	0.2	9	0.2
लागू नहीं होता	2	4.5	5	2.3	5	2.3	12	1.8
कोई सम्बन्ध नहीं	-	-	2	0.1	-	-	2	0.2
योग	42	100.0	217	100.0	241	100.0	500	100.0

2. **उम्र लिंग तथा परिवार का ढांचा :**

जनसंख्या संरचना एवं उसकी बनावट को उम्र व लिंग का एक अधिक मात्रा तक प्रभावित करते हैं । उम्र का प्रभाव शिक्षा, रोजगार, विवाह तथा अवकाश ग्रहण, पेशे के ढांचे, व मृत्युदर तथा कुछ विशेष सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं पर पड़ता है ।

लिंग की अनुपात भी सामाजिक व आर्थिक तथ्यों को उतना ही प्रभावित करता है जितना उम्र । यह पिछड़े वर्षों के प्रजनन दर, मृत्यु दर तथा प्रवास द्वारा प्रभावित होती है, तथा जन्म व मृत्यु दर में महत्वपूर्ण स्थान रखता है । लिंग अनुपात विवाह तथा वैधानिक जन्म को प्रभावित करते हैं ।

सामान्यतया भारतीय जनगणना में लिंग अनुपात को एक हजार पुरूषों के पीछे महिलाओं की संख्या द्वारा स्पष्ट कियाजाता है । भारत में महिलाओं की कमी रही है । यदि इसी को वर्तमान अध्ययन में लागू किया जाये तो यह कहा जा सकता है कि विभिन्न जाति वर्ग की महिलाओं में यह पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति महिलाओं के साथ भी यह बात लागू होती है ।

विभिन्न वर्ग की महिलाओं के परिवार से सम्बन्धित आंकड़ों को प्राप्त करते समय उनके परिवार के पुरूषों एवं स्त्रियों की संख्या भी ज्ञात की गई परिवार के सदस्यों में लिंग के अनुपात की व्याख्या करते समय । से 9 पुरूष/स्त्रियों को अलग समूह में रखा गया ।

सारणी संख्या 61 से यह स्पष्ट है कि विभिन्न जाति वर्ग की महिलाओं के लिंग अनुपात में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं है । प्रायः प्रत्येक वर्ग की महिलाओं के परिवार में एक से चार पुरूष और स्त्रियां रही है । यह प्रत्येक वर्ग में समान रहा है । दो पुरूष व दो स्त्रियों के सदस्य वाले परिवार 24.2 प्रतिशत तथा 24.3 प्रतिशत पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के परिवारों में रहे हैं । इसी प्रकार 22.6 प्रतिशत तथा 23 प्रतिशत परिवारों में 3 पुरूष व 3 स्त्रियां के सदस्य रहे हैं । जैसे जैसे पुरूषों एवं स्त्रियों की सख्या बढ़ती गयी है इनका प्रतिशत गिरता गया है । पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति के महिलाओं के परिवारों को उम्र के अनुपात विवरण ज्ञात करने के लिये इन्हें उम्र के वर्गों में बांटा गया और प्रत्येक उम्र के समूह में । से 9 सदस्य वाले परिवारों को भी अलग से वितरित किया गया ।

सारणी संख्या 61 परिवारों के सदस्यों के उम्र का ढांचा

उम्र वर्ग	एक		दो		तीन		चार		पांच		छः		लागू नहीं होता		कुल	
	स्त्री	प्रतिशत	स्त्री	प्रतिशत	स्त्री	प्रतिशत	स्त्री	प्रतिशत	स्त्रियां	प्रतिशत	स्त्रियां	प्रतिशत	स्त्रियां	प्रतिशत	स्त्रियां	प्रतिशत
6 वर्ष तक	129	25.8	113	22.6	46	9.2	10	2.1	8	0.6	4	0.1	190	38.6	500	100
7 से दस वर्ष	161	32.0	88	17.6	9	1.7	7	0.2	5	0.1	-	-	242	48.4	500	100
11 से पन्द्रह वर्ष	151	30.3	65	13.0	11	2.0	9	0.2	5	0.1	-	-	259	54.3	500	100
16 से बीस वर्ष	145	29.3	61	12.2	15	3.0	3	0.6	2	0.1	2	0.1	273	54.6	500	100
21 से 30 वर्ष	217	43.5	88	17.7	19	3.9	7	1.4	4	0.6	-	-	165	32.5	500	100
31 से 40 वर्ष	214	47.3	45	9.1	4	0.7	6	0.2	-	-	-	-	231	42.5	500	100
41 से 50 वर्ष	200	40.0	23	4.7	3	0.2	5	0.1	-	-	-	-	269	55.0	500	100
51 से 60 वर्ष	128	25.6	9	1.8	2	0.1	-	-	-	-	-	-	361	72.4	500	100
61 वर्ष से अधिक	71	14.2	7	1.2	2	0.1	5	0.1	-	-	-	-	415	84.1	500	100

सारिणी संख्या *61* से स्पष्ट है कि 48 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिनमें एक से दो सदस्य 6 वर्ष या उससे कम उम्र के थे । लगभग 38.8 प्रतिशत परिवारों में इस उम्र के सदस्य नहीं थे जो एक आश्चर्य की बात है । इसमें 2.2 प्रतिशत ऐसे परिवार भी शामिल हैं जिनमें केवल एक सदस्य थे लगभग सभी परिवारों में 6 से अधिक बच्चे इस उम्र वर्ग के नहीं है । इस आधार पर छोटे परिवार के तथ्य को स्पष्ट किया जा सकता है ।

उम्र वर्ग 7 से 10 वर्ष के वर्ग में 48.3 प्रतिशत परिवारों में एक भी सदस्य नहीं थे तथा शेष 49.6 प्रतिशत परिवारों में एक से दो सदस्य इस उम्र वर्ग के थे । इसी प्रकार 54.2 प्रतिशत परिवारों में 11 से 15 वर्ष के उम्र का कोई सदस्य नहीं था । शेष 43.3 प्रतिशत इस वर्ग के अन्तर्गत एक या दो सदस्य थे लेकिन 30.3 प्रतिशत इस वर्ग के अन्तर्गत एक सदस्य वाले परिवार है । इसी प्रकार की स्थिति 16 से 20 वर्ष के उम्र वर्ग के सदस्यों के साथ भी है । औसतन 54.6 प्रतिशत परिवारों में इस उम्र वर्ग का कोई सदस्य नहीं था । शेष 29 प्रतिशत परिवारों में एक व्यक्ति सदस्य इस उम्र वर्ग में था ।

इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 11 से 20 वर्ष की उम्र वाली लड़कियों को अधिकांशतः विवाह कर के उन्हें दूसरे घर भेज दिया जाता है । यही कारण है कि 11 से 20 वर्ष उम्र के सदस्यों का प्रतिशत बहुत ही कम रहा है । जब 21 से 30 वर्ष के प्रौढ़ों पर विचार किया जाये तो 60 प्रतिशत परिवारों में इस उम्र वर्ग में एक या दो सदस्य पाये गये । 35 प्रतिशत परिवारों में इस उम्र वर्ग में कोई सदस्य नहीं था । यही कारण है कि पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति के महिला परिवारों में प्रौढ़ों की संख्या अधिक रही है । 31 से 40 वर्ष के प्रौढ़ों की संख्या 56 प्रतिशत परिवारों में एक से दो रही है और 42 प्रतिशत परिवारों में इस उम्र वर्ग में कोई सदस्य नहीं रहा है । इस वर्ग में बहुत कम परिवार ऐसे रहे हैं जिनमें तीन सदस्यों से अधिक रहे हैं ।

जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बहुत कम सदस्यों की संख्या पाई जाती है। 41 से 50 वर्ष के उम्र के सदस्य 55 प्रतिशत परिवारों में नहीं थे । बहुत

कम परिवारों में उसे अधिक सदस्य इस उम्र वर्ग के पाये गये । लगभग 40% प्रतिशत परिवारों में इस उम्र वर्ग में एक सदस्य प्रत्येक परिवार में पाया गया । इस उम्र वर्ग के समूह में कोई भी परिवार नहीं पाया गया । अधिकांशतः अनुसूचित जाति के परिवारों में 50 वर्ष से अधिक उम्र से अधिक के सदस्य बहुत कम पाये गये लगभग 72 प्रतिशत परिवारों में इस उम्र वर्ग के कोई सदस्य नहीं है । परिवारों में इस प्रकार के केवल एक सदस्य पाया गया । 84 प्रतिशत परिवारों में 60 वर्ष से अधिक के सदस्य नहीं थे ।

उपरोक्त से यह निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है कि जनसंख्या में बच्चों तथा प्रौढ़ों की संख्या अधिकतर रही है । जब कि 6 वर्ष से कम उम्र के लोग 60 प्रतिशत जो 7 से 10 वर्ष के उम्र वर्ग में कम और 50 प्रतिशत हो जाता है और 11 से 20 वर्ष उम्र वर्ग में कम परिवार 45 प्रतिशत हो जाता है । लेकिन जब प्रौढ़ों की बात की जाती है तो 21 से 30 वर्ष के उम्र वर्ग के लोग 68 प्रतिशत परिवारों में पाये गये और पुनः 31 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के प्रौढ़ों के परिवार में कमी हुई है और केवल 58 प्रतिशत परिवारों में ही 31 से 40 वर्ष के प्रौढ़ हैं । 41-50, 51-60, तथा 61 वर्ष से अधिक आयु वर्गों में होने वाले प्रौढ़ों के परिवारों के प्रतिशत में निरन्तर कमी हुई है जो क्रमशः 45 प्रतिशत, 28 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत ही रहे हैं । नव जात शिशुओं के परिवारों का प्रतिशत 50 से कम रहा है और यही बात 40 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की रही है । सामान्य रूप से भारतीय जन संख्या में शिशु मृत्यु दर का ऊंचा होना है । जब 40 प्रतिशत परिवारों में 6 वर्ष से कम के उम्र के बच्चे नहीं है । इसी से यह बात स्पष्ट हो जाती है यद्यपि भारत में शिशु मृत्यु दर में कमी हुई है । सन 1901 में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार 215 थी जो 1961 में कम हो कर 98 प्रति हजार 1971 में 78 प्रति हजार, तथा 1981 में 68 प्रति हजार हो गई है ।[1] अनुसूचित जाति के परिवारों में इस तथ्य की अधिक जानकारी की आवश्यकता है और यही विचार वृद्धावस्था वर्ग

---

1. Chandrasekar S. Indian Population facts, Problem and Policy, Meenakshi Prakashan Meerut Page - 27.

के लिये भी आवश्यक है । भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में भी वृद्धि हुई है । सन 1901 में 23.6 से 1961 में 36 वर्ष 1971 में 46 वर्ष तथा 1981 में 54 वर्ष हो गई है । अध्ययन में शामिल महिलाओं (विशेषकर अनुसूचित जाति) के सम्बन्ध में कुछ अलग ही बात स्पष्ट हुई है क्योंकि 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोग बहुत ही कम पाये गये हैं ।

3. लोगों की नागरिक दशायें :

वैवाहिक स्थिति द्वारा जन संख्या के सामाजिक दशाओं को स्पष्ट करने में सहायता मिलती है । नागरिक दशायें जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण अंग है महिलाओं की वैवाहिक स्थिति को परिवारों के आधार पर स्पष्ट किया गया है । लगभग 9 प्रतिशत परिवारों को छोड़ कर 91 प्रतिशत परिवारों में एक से 9 सदस्य अविवाहित रहे हैं । 2 या तीन अविवाहित सदस्यों वाले परिवार 37.4 प्रतिशत और 14 प्रतिशत परिवारों में एक से चार व्यक्ति अविवाहित रहे हैं । यह प्रायः सभी वर्ग के महिला परिवारों में रहा है ।

विवाहित लोगों में 89 प्रतिशत परिवारों में 1 से 9 विवाहित सदस्य रहे हैं । 4 विवाहित सदस्य वाले परिवार 14.6 प्रतिशत रहे हैं । विशेष बात यह है कि 11 प्रतिशत परिवार बिना विवाहित सदस्यों वाले रहे हैं । सारणी संख्या 62 से यह स्पष्ट है कि 3.6 प्रतिशत परिवारों में 3 विवाहित सदस्य रहे हैं । इसका कारण यह स्पष्ट किया जा सकता है कि कुछ परिवारों में लड़कियों एवं लड़कों की शादी कम उम्र में ही होने पर ये अपने माता-पिता के साथ रह रहे है और कुछ वैवाहिक समूह सर्वेक्षण के समय नहीं प्राप्त हो सके जिन्हें इनमें नहीं शामिल किया जा सका है । दो विवाहित सदस्यों वाले परिवार अधिक मात्रा में पाये गये जिससे छोटे परिवार होने की बात स्पष्ट हो जाती है । यद्यपि 31 प्रतिशत महिलाओं के परिवार विधुर/विधवाओं के परिवार थे जिसमें से 27 प्रतिशत परिवारों में केवल एक इस प्रकार के सदस्य रहे हैं, यद्यपि अध्ययन में वरिष्ठ नागरिक उम्र के लोग नहीं शामिल किए गए । अधिकांशतः विधवायें अपने बच्चों के साथ रह रही हैं।

तलाक शुदा या अलग अलग रहने के अधिक परिवारों की जानकारी नहीं हुई । 99 प्रतिशत परिवारों में ऐसे सदस्य नहीं पाये गये । यहां तक कि अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं में भी अकेलें रहने वाली महिलायें, अपने पति से अलग किए जाने पर, नहीं पाई गई । इससे यह स्पष्ट होता है कि परिवार के सदस्यों में सामान्य तथा परिवार के साथ रहने की प्रवृत्ति है । इससे यह वक्तव्य निम्न जाति के लोगों के परिवारों में तलाक व अलग रहने की प्रवृत्ति अधिक होती है वर्तमान अध्ययन मेंयह सिद्ध नहीं होता है ।

4. **शैक्षिक स्तर :**

अध्ययन में प्राप्त महिलाओं के शैक्षिक स्तर भी ज्ञात किया गया यद्यपि जनसंख्या के विशेषताओं शिक्षा एक अंग नहीं है फिर भी सामाजिक आर्थिक समस्याओं के परिवेश में शिक्षा के स्तर द्वारा इसे समझने में सहायता मिलती है । तीसरी पंच वर्षीय योजना के पश्चात से सरकार द्वारा शिक्षा पर अधिक जोर दिया जा रहा है । एक तरह से शिक्षा के स्तर को किसी वर्ग विशेष के विकास का चिन्ह माना जा सकता है । इसे ध्यान में रखा कर अध्ययन में शामिल महिलाओं तथा उनके परिवार के शैक्षिक स्तर को ज्ञात करने का प्रयास किया गया है ।

भारतीय अर्थ व्यवस्था के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि समाज के निम्न जाति व गरीब वर्ग में अशिक्षा का साम्राज्य है यह तथ्य इस बात से भी स्पष्ट हो जाता है कि 52 प्रतिशत परिवारों में सभी अशिक्षित सदस्य पाये गये । शेष परिवारों में । से 8 अशिक्षित सदस्य 2 से 7 प्रतिशत परिवारों में पाये गये ।

प्राथमिक/प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत उन महिलाओं को भी शामिल किया गयाजो अपना नाम लिख सकती थीं और पढ़ सकती हैं । लगभग 69 प्रतिशत परिवारों में कोई भी सदस्य न तो पढ़ सकता था और न ही लिख सकता था । लेकिन 31 प्रतिशत परिवारों में एक या उससे अधिक व्यक्ति प्राथमिक या प्रौढ़ शिक्षा प्राप्त थे उन्हें शिक्षित में नहीं शामिल किया गया । लगभाग 69 प्रतिशत परिवार जिन्हें "नहीं लागू होता" वर्ग के अन्तर्गत रखा गया उनके बच्चों को भी शामिल किया गया जो स्कूल जाने के उम्र के अन्तर्गत नहीं थे । लगभग 20 प्रतिशत परिवारों में एक

सदस्य प्राथमिक या प्रौढ़ शिक्षा प्राप्त था । लगभग 41 प्रतिशत अनुसूचित परिवारों में एक से पांच सदस्य इस वर्ग के अन्तर्गत पाये गये ।

माध्यमिक स्तर की शिक्षा बहुत ही समिति रही है केवल 20 प्रतिशत परिवारों में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त सदस्य पाये गये । इनमें से 14 प्रतिशत परिवारों में एक सदस्य माध्यमिक शिक्षा स्तर प्राप्त पाया गया । केवल 13 प्रतिशत परिवारों में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त सदस्य पाये गये ।

जहां तक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का सम्बन्ध है सामान्य रूप से 17 प्रतिशत परिवारों में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त सदस्य पाये गये । इनमें से 10 प्रतिशत परिवारों में एक सदस्य इस वर्ग के अन्तर्गत था ।

कालेज शिक्षा के सम्बन्ध में कोई भी परिवार नहीं था । सभी महिलायें माध्यमिक शिक्षा वर्ग के स्तर तक ही समिति रहा है । शैक्षिक स्तर को सारणी संख्या 62 में स्पष्ट किया गया है ।

सारणी संख्या 62 परिवारों की वैवाहिक स्थिति

वैवाहिक स्थिति	एक स्त्रियां	प्रतिशत	दो स्त्रियां	प्रतिशत	तीन स्त्रियां	प्रतिशत	चार स्त्रियां	प्रतिशत	पांच स्त्रियां	प्रतिशत	छः स्त्रियां	प्रतिशत	सात स्त्रियां	प्रतिशत	आठ स्त्रियां	प्रतिशत	लागू नहीं स्त्रियां	%	कुल स्त्रियां	प्रतिशत
अविवाहित	73	14.9	95	19.0	92	18.4	69	14.8	50	10.3	33	6.9	18	3.6	13	2.8	57	8.9	500	99.9
विवाहित	9	1.6	313	62.7	18	3.6	73	14.6	4	1.0	16	3.2	30.56		0.9	58	11.6		500	99.8
विधवा	138	27.6	12	3.2	2	0.2	40.1		-	-	-	-	-	-	-	344	68.8		500	100.0
तलाकशुदा	3	0.6	1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	496	99.3	500	100.0
अलग की गई	2	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	498	99.9	500	100.0
विधवा में पुर्न विवाहित	3	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	497	99.8	500	100.0

सारणी सँख्या–63 परिवार के सदस्यों का शिक्षा का स्तर

शिक्षा स्तर	सदस्यों की सँख्या एक		दो		तीन		चार		पाँच		छःऔर अधिक		सभी सदस्य		कोई भी नहीं		कुल	प्रतिशत
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
अनपढ़	24	4.7	30	5.9	37	7.2	39	7.5	31	6.2	63	12.7	261	52.5	15	3.1	500	100
लिखना /पढ़ना																		
प्राथमिक	102	20.4	36	7.3	—	2.5	4	0.5	7	0.1	07	0.1	—	—	345	69.0	500	100
माध्यमिक शिक्षा	70	14.3	14	3.5	8	1.3	5	0.3	3	0.1	—	—	—	—	403	80.6	500	100
सेकेन्डरी स्कूल	53	10.6	19	3.8	7	1.4	3	0.5	2	0.2	—	—	—	—	416	83.4	500	100
कालेज	29	5.9	5	0.9	2	0.4	1	0.1	—	—	—	—	—	—	463	96.7	500	100
स्नातक	14	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	481	96.7	500	100
परा स्नातक	3	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	497	99.5	500	100

5. आवासीय दशायें :

आवासीय दशाओ द्वारा कभी कभी लोगों के आर्थिक स्तर और रहन सहन के स्तर का बोध होता है । वर्तमान में गृह निर्माण में सुधरी डिजाइन का प्रयोग किया जाने लगा है । फिर भी इस दिशा में जो भी सुधार हुआ है वह अधिकतर नगरों और शहरों तक ही समिति रहा है । औद्योगिक बस्तियों को छोड़कर , जो नगरीय क्षेत्रों में स्थित है, अन्य क्षेत्रों में गृह निर्माण एवं पर्यावरण के बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है । आधुनिक गृह निर्माण तकनीक के प्रभाव से ग्रामीण क्षेत्र की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या अछूती है । इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी नगरों और शहरों में रहने वाले लोग आधुनिक भवनों में ही रहते हैं । लगभग सभी नगरीय केन्द्र कभी गांव ही रहे हैं । नियोजित ढंग से बसे शहरी केन्द्र एक नयाऔर हाल का ही विकास है । साथ ही आधुनिक औद्योगीकरण जिसके परिणाम स्वरूप नगरीकरण के कारण वर्ग और जाति के अनुसार आवासीय वितरण को प्रोत्साहित किया है । अतः जाति एवं वर्ग के आधार पर लोगों का विभक्तीकरण गृहों के स्थान निर्धारण में महत्व रखता है । इस परिवेश में अध्ययन में शामिल महिलाओं के गृह के स्थान, प्रकार, क्षेत्र , कीमत और निर्माण के वर्ष तथा इन घरों में प्राप्त सुविधायें जैसे जल प्राप्ति के स्रोत , स्नानगृह, और शौच व्यवस्था आदि के दृष्टिकोण से उनके घरों के ढांचों पर विचार किया जायेगा । साथ ही इन परिवारों द्वारा पालतू जानवरों के रहने की व्यवस्था, तथा उनके चारे आदि के लिये प्राप्त स्थान पर भी विचार करेंगे।

वर्तमान अध्ययन में 500 महिलाओं तथा उनके परिवारों के ढांचे पर विचार किया गया है । इन महिलाओं में 42 सामान्य जाति वर्ग 217 पिछड़ी जाति वर्ग तथा 241 अनुसूचित जाति वर्ग की रही है । झांसी जनपद में गांव दूर - दूर तथा अधिक घरों वाले बड़े आकार के बने हैं और उनमें बनने वाले घर जातियों के आधार पर गांव का विभाजन स्पष्ट देखने को मिलता है । सामान्य जाति के लोगों के आवास उनके आवासों से पीछे या आस - पास बने हैं यह अनुसूचित जातियों के लोगों को गांव के एक कोने में अलग गृह निर्माण की सुविधा दी जाती है । सामान्य बस्तियों से अलग एक ही क्षेत्र में अधिकांशतः अनुसूचित जाति के लोग बसते हैं ।

जिन्हें देखने मात्र से यह ज्ञात किया जा सकता है कि यह बस्ती गांव के सामान्य गृहों से अलग तथा थोड़ी दूर पर स्थित होती है । अनुसूचित जाति की जनसंख्या यद्यपि जिले के प्रायः सभी गांवों में वितरित है पर आदिवासी जनसंख्या केवल जनपद के दक्षिणी भाग बबीना विकास खण्ड में ही केन्द्रित है फिर भी कुछ जनसंख्या विभिन्न गांवों के सामान्य जनसंख्या के साथ निवास करती है पर उनके रहने का स्थान भी गांव के अन्दर ही अन्य जनसंख्या से अलग होता है । उच्च जाति के लोगों और आदिवासी जनसंख्या के लोगों के बीच होने वाले लेन देन और अन्य सम्बन्ध अनुसूचित जाति के लोगों की भांति ही हुआ करता है ।

गृह निर्माण ढांचे द्वारा जाति के आधार पर सामाजिक स्तर का ज्ञान होता है । एक विशेष जाति के लोग सामान्यतया गांव के एक विशेष क्षेत्र में निवास करते हैं और उनके लिए एक विशेष गली में रहते हैं । गांव के किसी क्षेत्र में मकान बनाने के लिए सामान्य जाति के लोगों को सामाजिक मानदण्डों द्वारा कोई रूकावट नहीं है लेकिन कोई अनुसूचित जाति या अछूत जाति के लोग अन्य जाति के लोगों के बस्तियों में अपना मकान नहीं बना सकते हैं । गांवों में एक सामान्य ढांचा है कि अनुसूचित जाति के लोग गांव के मुख्य क्षेत्र से अलग छोटी बस्तियों में रहते हैं यही बात आदिवासी जनसंख्या के बारे में भी सही है । अभी भी आधुनिक शक्तियां अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय दशाओं के सम्बन्ध में इस प्रकार की प्रवृत्तियों को परिवर्तित करने में समर्थ नहीं है ।

ग्रामीण क्षेत्रों के आवास सम्बन्धी दूसरी विशेषता विभिन्न जाति वर्ग के उप जातियों के आधार पर गांवों का विभाजन है । अनुसूचित जाति के लोग भी इसके अपवाद नहीं है । गांवों के सामान्य जनसंख्या से अलग अनुसूचित जाति के लोगों के मकान बने होते हैं और इनके साथ भेदात्मक व्यवहार किया जाता है इनके मकानों की स्थिति, अन्य जातियों से मकानों की दूरी, आदि अनुसूचित जाति के लोगों की पहचान बनी है । अनुसूचित जाति के अन्तर्गत निम्न जातियों जिन्हें अछूत कहाजाता है वे इनसे भी दूर गांवों में रहते हैं । अनुसूचित जाति में भी निम्न श्रेणी के लोगों को अलग रखा जाता है । अधिकांशतः गांवों में विभिन्न जाति

के लोगों के लिए अलग - अलग कुएं हैं । बहुत से गांवों में अनुसूचित जाति के लोगों में उप - जाति के लोगों को सामान्य कुओं और तालाबों से पानी लेने नहीं दिया जाता है ।

(क) स्थिति :

समाज में अनुसूचित जाति के लोगों को अन्य लोगों द्वारा अलग तथा आर्थिक दृष्टि से उन्हें गिरा हुआ माना जाता है । वे अधिकांशतः गांव के बाहर अलग बस्तियों में रहते हैं । इस प्रकार का विभक्तीकरण कभी - कभी गलियों या सड़कों द्वारा भी किया जाता है और उनके पूरी बस्ती को एक विशेष जाति के नाम पर पुकारा जाता है जिस जाति के लोग अधिकांशतः वहां पर रहते हैं । इस प्रकार का विभाजन गांवों में विशेषकर देखने को मिलता है । सर्वेक्षण में 48.2 प्रतिशत अनुसूचित जाति की महिलायें थीं जिनमें से इस प्रकार का विभक्तीकरण लगभग 83.7 प्रतिशत अनुसूचित जाति की महिलाओं के परिवारों के साथ पाया गया पिछड़ी जाति की महिलाओं के साथ इस प्रकार का विभक्तीकरण नहीं पाया गया इनमें से 53.8 प्रतिशत पिछड़ी जाति के महिलाओं के आवासगांव के अन्दर ही था अनुसूचित जातियों में भी सभी जातियों को अछूत वर्ग के अन्तर्गत नहीं रखा जाता है, इनमें से 11.6 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोगों के घर गांव के अन्दर पाये गये यद्यपि उन्हें अनुसूचित जाति के अन्तर्गत रखा जाताहै पर उन्हें अछूत नहीं समझा जाता है ।

आवास की इस स्थिति को सारणी संख्या 64 में स्पष्ट किया गया है ।

सारणी संख्या 64 महिलाओं के घरों की स्थिति

स्थिति	सामान्य वर्ग की महिलाये		पिछड़े वर्ग की महिलाये		अनुसूचित जाति की महिलाये		कुल	
	सं0	प्रतिशत	सं.	प्रतिशत	सं.	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
गांव के अन्दर या मध्य में	40	97.2	116	53.8	27	11.6	183	36.6
गांव के बाहर अलग बस्ती में	-	-	42	19.4	201	83.7	243	48.6
बिखरे हुए घरों में	2	2.8	59	26.8	13	4.7	74	14.8
योग	42		217	100.0	241	100.0	500	100.0

संविधान के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों के अनुसार आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को सामाजिक विभक्तीकरण व अलगाव से बचाने के लिए बहुत सी कल्याण की योजनायें प्रारम्भ की गई है जिससे इनके सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके । इसके अन्तर्गत बहुत से बड़ी स्कीमें उनके आवासीय सुविधायें, पीने के पानी की सुविधायें आदि प्रदान की गई हैं जिससे अनुसूचित जाति के लोगों को सामाजिक विभक्तीकरण से बचाया जा सके । इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति बस्तियों का निर्माण और उनके लिये कुओं की व्यवस्था की गई है । ऐसा कहा जा सकता है कि इन सुविधाओं का पर्याप्त मात्रा में विस्तार के कारण इन समुदायों के समक्ष अधिक समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं । इन सुविधाओं के विस्तार के पीछे सरकार का जो भी उद्देश्य या विचार रहा हो । इन जाति के लोगों को क्षति पूर्ति दृष्टिकोण अपनाने के बजाये यदि धर्म निरपेक्षता के विचार को बढ़ावा दिये जानें की आवश्यकता जिससे समाज के बहुत सी बुराईयों को दूर किया जा सकता है ।

(ख) निवास स्थान :

मानव जीवन की एक आधार भूत आवश्यकता रहने के लिये घर है इस प्रकार की आवश्यकता के स्वामित्व द्वारा मनोवैज्ञानिक सन्तुष्टि प्रदान करती है । सर्वेक्षण में ऐसा पाया गया कि लगभग सभी महिलायें अपने निजी घरों में रहती है, भले ही वे छोटे और भले ही उनमें आधुनिक घरों में प्राप्त सुविधाओं का अभाव हो । केवल कुछ ही महिलायें बिना घर के रही हैं । सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लोगों को गृह निर्माण के लिए जमीन दिलाने का कार्य किया गया है और उन्हें ऐसी सुविधा प्रदान की गई है जिससे उन्हें रहने के लिए छत प्राप्त हो सके । यद्यपि यह स्पष्ट करना कठित है कि सरकारी सहायता द्वारा कितने लोगों को घर निर्माण के लिए जमीन या घर प्रदान किए गये हैं फिर भी सर्वेक्षण में शामिल अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति की महिलाओं के निवास स्थान की दशायें प्रायः सन्तोषजनक रही है । पर इसका अर्थ यह नहीं है कि वे एक अच्छे निवास स्थान में रहती हैं । इनके रहने वाले मकानों के प्रकार, इसका क्षेत्र, उसका मूल्य तथा उनमें प्राप्त सुविधाओं के सम्बन्ध

में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया ।

सर्वेक्षण में यह ज्ञात हुआ कि 86.3 प्रतिशत महिलाओं के परिवार अपने निजी स्थानों में रहते हैं । 8.5 प्रतिशत महिलायें किराये के मकान तथा 5.2 प्रतिशत महिलाये बिना किराया दिये घरों में रहती हैं । बिना किराया दिये जो महिलायें मकानों में रहती है उनके सम्बन्ध में यह ज्ञात हुआ कि गांव के कुछ भू स्वामियों द्वारा कुछ महिलाओं को अपने खेत के पास के घरों में रहने के लिए स्थान दे दिया है जो कभी कभी उनके खेत तथा खलिहानों की देखरेख तथा उनके घरेलू कार्यों में सहायता करती हैं । इस स्थिति को सारणी संख्या 65 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या 65 महिलाओं के निवास स्थान

विवरण	सामान्य वर्ग		पिछड़ी जाति वर्ग		अनुसूचित जाति वर्ग		कुल	
	सं0	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1. निजी मकान	37	91.0	142	64.1	219	91.0	398	86.3
2. किराये के मकान	3	6.7	70	32.4	4	1.5	77	8.5
3. बिना किराये के मकान	2	2.3	5	3.5	18	7.5	25	5.2
योग-	42	100.0	217	100.0	241	100.0	500	100.00

भूजोत के सम्बन्ध में बदलते कानूनों के परिवेश में ऐसे परिवार जो अपने भू स्वामियों के खेतों के मकानों में रहते हैं उन्हें मकान खाली करने की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है । इस प्रकार की 18 अनुसूचित जाति के परिवारों के (अध्ययन में शामिल) समक्ष रहने के लिए स्थान नहीं है ।

(ग) गृहों के प्रकार :

घर की बनावट द्वारा लोगों के आर्थिक स्थिति को व्यक्त किया जाता है जो उसमें रहते हैं । आधुनिक भवन निर्माण की सामग्री और तकनीकी ज्ञान के अभाव में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भवन बहुत ही पुराने प्रकार के रहे हैं । इसका प्रमुख कारण गरीबी रही है । ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक तरीके के मकान कहीं कहीं ही देखने को मिलते हैं । अभी भी लोगों के आर्थिक स्थिति के सुधार आवासीय घरों के निर्माण पर अधिक प्रभाव नहीं डाल सका है पर स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है । सभी आधुनिक मकानों या उत्तम मकानों में रहने की आशा नहीं कर सकते क्योंकि कुछ सीमायें हैं जिनके कारण आधुनिक प्रकार के मकान सभी को उपलब्ध नहीं हो सकते हैं । कुछ सम्पन्न लोगों को छोड़कर शेष लोग साधारण मकानों में रहते हैं । अनुसूचित जाति के लोग जिन्हें सरकार द्वारा मकान उपलब्ध कराये गये हैं उन्हें छोड़कर शेष लोग अभी भी जीर्णशीर्ण मकानों में रहते हैं जिनकी दशा दयनीय है ।

वर्तमान अध्ययन में घरों का वर्गीकरण उस आधार पर किया गया है जिसमें उत्तर देने वाली महिलायें रहती है चाहे वह उनका हो या न हो । अनुसूचित जाति के 18 परिवार जो बिना किराये के मकानों में रह रहे हैं उनके पास अपना स्वयं का मकान नहीं है उन्हें "लागू नहीं होता" वर्ग के अन्तर्गत रखा गया है ।

अध्ययन में जो गृहों का प्रकार के ढांचे को स्पष्ट किया गया है । इसके द्वारा एक निश्चित प्रवृत्ति स्पष्ट होती है इसमें यह पाया गया कि जैसे जैसे भवन निर्माण की लागत में वृद्धि हो रही है ऐसे मकानों के स्वामित्व के लोगों के प्रतिशत में कमी हो रही है । सारणी संख्या 66 से यह स्पष्ट है कि 47.4 प्रतिशत परिवार (फूस की छाजन वाले) झोपड़ों में रह रहे हैं । जिसमें विभिन्न वर्ग के 53.2 प्रतिशत या अनुसूचित जाति के 78.6 प्रतिशत लोग हैं ।

सम्पूर्ण दृष्टिकोण से 14.8 प्रतिशत घर मिट्टी की दिवाल तथा देशी खपड़ों से बने हुए है । इस प्रकार के मकान लागत तथा डिजाइन के दृष्टिकोण

में फूस वाले झोपड़ों की तुलना में कुछ अच्छे हैं । अधिकांश अनुसूचित जाति तथा कुछ मात्रा में पिछड़ी जाति के परिवार मिट्टी की बनी दिवालों द्वारा देशी खपरैल के छाजन वाले स्थान में रहते हैं । मकानों के प्रकार की स्थिति को सारणी संख्या 66 में स्पष्ट किया गया है ।

सारणी संख्या 66 महिलाओं के मकानों के प्रकार

प्रकार	सामान्य वर्ग सं.	सामान्य वर्ग प्रतिशत	पिछड़ी जाति वर्ग सं.	पिछड़ी जाति वर्ग प्रतिशत	अनुसूचित जाति वर्ग सं.	अनुसूचित जाति वर्ग प्रतिशत	कुल सं.	कुल प्रतिशत
1. फूस के झोपड़े	-	-	115	53.2	188	78.6	303	47.4
2. मिट्टी की दीवार व छत	-	-	7	3.1	32	13.3	39	10.5
3. मिट्टी की दिवाल व देशी खपरैल	4	9.4	20	9.6	16	6.9	40	8.4
4. पत्थर की दीवार तथा मिट्टी की छत	2	1.3	5	2.7	3	0.9	10	2.6
5. ईट की दीवार तथा देशी खपरैल	3	4.9	4	0.9	2	0.3	9	1.8
6. पत्थर की दीवार तथा छत	33	74.4	66	30.5	-	-	99	29.3
योग-	42	100.0	217	100.0	241	100.0	500	100.0

फूस व मिट्टी के बने झोपड़े सबसे सस्ते और उनके निर्माण में कोई कुशलता की आवश्यकता नहीं होती है । सामान्यतया पत्थर व आस-पास से मिट्टी खोद कर दिवारे बना ली जाती हैं और बांस के लकड़ियों पर जंगली पत्तियां डाल कर छत बना ली जाती है । चार मिट्टी की दीवारें बना कर उन पर छाजन डाल

लिया जाता है इस प्रकार के घरों के निर्माण में सबसे प्रमुख बात सस्ते कच्चे माल की प्राप्ति है ।

वर्तमान अध्ययन में यह अनुभव किया गया कि गांव में झोपड़ों की संख्या तथा इसी प्रकार के चार दिवारों के छोटे - छोटे मकानों की संख्या के आधार पर गांव में अनुसूचित जाति की जनसंख्या काअनुमान लगाया जा सकता है । गांवों में इस प्रकार के मकानों की संख्या जितनी ही अधिक होती है, उस गांव में उतनी ही अनुसूचित जाति की जनसंख्या अधिक होती है, जो सारणी संख्या 66 में झोपड़ों की संख्या द्वारा स्पष्ट किया गया है ।

देशी खापड़ों से बने मकानों की दशा झोपड़ों की द्वारा कुछ ही अच्छी है जब कि दिवारे मिट्टी की तथा छत देशी खपरैलों से बना ली जाती है । अध्ययन में यह स्पष्ट है कि सामान्य वर्ग के जनसंख्या के अधिकांश मकान पत्थर की दीवार तथा छतों से बने हैं । साथ ही यही प्रवृत्ति पिछड़ी जाति की जनसंख्या के मकानों की भी है ।

(घ) मकानों का क्षेत्रफल :

एक एक घर का मालिक होना या सिर के ऊपर छत होना ही समस्या का समाधान नहीं है क्योंकि सब कुछ निर्मित क्षेत्र के या स्थान पर निर्भर है । निर्मित क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं ? यह महत्व रखता है । गृह निर्माण के ढांचे के अतिरिक्त बना हुआ क्षेत्र वर्ग फिट में ज्ञात किया गया । घर के क्षेत्र का हिसाब रसोई स्नानघर तथा शौचालय को छोड़ कर लिया गया । अतः घर के क्षेत्र के बारे में एक अनुमान लगाया गया जो वास्तविकता के करीब माना जा सकता है यदि वास्तविक न माना जाय । यद्यपि 82.3 प्रतिशत महिलाओं के पास अपना घर पाया गया उनमें से अधिकांश के घर बहुत छोटे थे । सामान्यतया एक कमरे के घर में सभी आवश्यकतायें उसी एक कमरे से पूरी होती हैं । परिवार का औसत आकार 2 से 6 सदस्यों का रहा है और सभी सदस्य एक ही कमरे वाले झोपड़ों या घरों में रहते हैं । ग्रामीण क्षेत्र की यह सामान्य विशेषता रही है कि परिवार के सभी सदस्य घर का क्षेत्रफल छोटा होने के कारण कोई अलग क्षेत्र नहीं लेता बल्कि वे अपने जानवरों के साथ ही रहते हैं । यह बात अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के महिलाओं में अधिक

पाई गई । अध्ययन में यह पाया गया कि 54 प्रतिशत घर 4 वर्ग के क्षेत्र से छोटे रहें हैं । अनुसूचित जाति के लोगों में 44.8 प्रतिशत मकान 2 से 4 वर्ग के रहे हैं । सम्पूर्ण में 9.8 प्रतिशत घर 5 से 7 वर्ग के रहे हैं । 11 वर्ग तथा उससे अधिक वर्ग के क्षेत्र के मकानों में 8.8 प्रतिशत अनुसूचित जाति के परिवार रहते हैं । इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि वे बड़े आराम से रहते हैं । गांवों के घरों का क्षेत्र परिवार के सदस्यों की संख्या व क्षेत्र दोनो दृष्टिकोणों से बड़ा होता है । अधिकांशतः बड़े परिवार विशेषकर संयुक्त परिवार प्रणाली के अन्तर्गत बड़े घरों में रहते हैं । इस स्थिति को सारणी संख्या 67 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या 67 घरों का आकार

घरों का क्षेत्र	सामान्य	जाति वर्ग	पिछड़ी जाति		अनुसूचित जाति		कुलप्रतिशत	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
एक वर्ग से कम	-	-	-	-	5	2.02	5	1.0
एक वर्ग	-	-	-	-	24	9.9	24	4.8
दो से चार वर्ग	-	-	-	-	109	44.8	109	21.8
5 से 7 वर्ग	2	2.2	28	13.1	41	16.8	71	14.2
8 से 10 वर्ग	4	9.0	135	63.5	16	6.8	155	31.3
11या इससे अधिक	36	88.8	50	22.8	21	8.8	107	21.1
लागू नहीं होता/ घर नहीं है।	-	-	4	0.6	25	12.7	29	5.8
योग	42	100.0	217	100.0	241	100.0	500	100.0

(च) **निर्माण का वर्ष :**

मकानों के क्षेत्र तथा प्रकार के साथ उसके निर्माण का वर्ष महत्व रखता है । अधिकतर मकान के निर्माण का वर्ष वहीं लिखा गया जो जवाब देने वाली महिलाओं द्वारा बताया गया । बहुत से घरों का निर्माण वर्ष 25 से भी अधिक

पुराना पाया गया और कुछ महिलाओं ने अपने घरों के निर्माण वर्ष को नहीं स्पष्ट कर सकी हैं । लगभग 7.8 प्रतिशत परिवारों के संख्या में यह लागू नहीं होता क्योंकि वे किराये के मकान में रह रहे हैं । लगभग 38.4 प्रतिशत परिवार ऐसे मकानों में रह रहे हैं जो 21 वर्षों से अधिक पुराने रहे हैं । 15 वर्षों से पहले बने मकानों में 12.00 प्रतिशत परिवार तथा 18.8 प्रतिशत परिवार 6 से 10 वर्षों पुराने रहे हैं । जिसे सारणी संख्या 68 में स्पष्ट किया गया है ।

सारणी संख्या 68 घरों के निर्माण के वर्ष

घरों के निर्माण का वर्ष	संख्या	प्रतिशत
एक वर्ष से कम	6	0.8
एक से पांच वर्ष पूर्व	74	12.8
6 से 10 वर्ष पूर्व	104	18.8
11 से 15 वर्ष पूर्व	75	12.4
16 से 20 वर्ष पूर्व	5	9.0
21 वर्ष पूर्व	197	38.4
नहीं जानते किराये के मकान में रहते हैं	44	7.8
योग	520	100.0

(छ) घरों का मूल्य :

घरों के निर्माण के वर्ष के ज्ञात करने के सम्बन्ध में जो समस्या सामने आई वही समस्या घर का मूल्य ज्ञात करने में भी आई पर ऐसा सोचा गया कि घरों के मूल्य द्वारा उनमें रहने वाले लोगों के आर्थिक स्थिति का ज्ञान कुछ सीमा तक होता है । इसलिए घरों के मूल्य के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई लेकिन जवाब देने वाली महिलाओं द्वारा विश्वसनीय सूचना नहीं दी जा सकी । अतः इस सम्बन्ध में

कोई अनुमान अपने से नहीं दिया जा सकता क्योंकि भूमि व भवन की कीमत विभिन्न स्थानों तथा विभिन्न समयों पर अलग अलग होती है । अतः एक अनुमान के आधार पर घरों की कीमत को स्पष्ट किया गया है । अध्ययन में यह पाया गया कि 66.0 प्रतिशत मकानों की लागत दोहजार पांच सौ रूपये तक स्पष्ट की गई । जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है कि 47.0 प्रतिशत अनुसूचित जाति की महिलाये कच्चे झोपड़ों में रहती हैं और उनकी कीमत 2500 रूपये से अधिक नहीं हो सकती है शेष में 14 प्रतिशत घरों की लागत 2500 से 500 रूपये आंकी गई । इसके अतिरिक्त 12 प्रतिशत जवाब देने वाली महिलायें पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग की 4 प्रतिशत तथा 8 प्रतिशत क्रमशः किराये पर रहती हैं या बिना किराया दिये जाने वाले मकान में रहती हैं । जिसे सारणी संख्या 69 में स्पष्ट किया गया है ।

न्यून लागत वाले मकानों की अधिकता उनकी गरीबी की स्थिति को स्पष्ट करती है । इसके अतिरिक्त जो भी थोड़ा बहुत उनके द्वारा प्राप्त किया जाताहै वह परिवारों में विभाजित तथा बंट जाया करता है यदि यही प्रवृत्ति बनी रही तो भविष्य में उनके आर्थिक स्थिति में सुधार की कोई आशा नहीं की जा सकती है ।

सारणी संख्या 69 घरों का अनुमानित मूल्य

लागत	परिवारों की संख्या	प्रतिशत
रू. 1000 से 2500	330	66.0
रू. 2500 से 5000	74	14.3
रू. 5000 से 10,000	22	4.1
रू. 10,000 से अधिक	37	7.1
किराये के मकान में रहते हैं	22	4.3
बिना किराया दिये हुए रहने वाले	15	4.2
योग	500	100.0

(ज) स्नान तथा अन्य सुविधायें :

आवासीय सुविधाओं में स्नान तथा शौचालय की सुविधायें जुड़ी हुई हैं । इन सुविधाओं द्वारा कुछ विशेष प्रकार के तथा कुछ स्तर के व्यवहारों का निर्धारण होताहै जाति, स्वच्छता, शुद्धता का विचार तथा प्रदूषण आदि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं । सामान्य रूप से शौचालय तथा स्नान गृह आदि की सुविधायें किसी क्षेत्र में जल प्राप्ति के स्रोतों पर निर्भर हैं । पर्याप्त जल आपूर्ति की सुविधा के अभाव में किसी परिवार व समाज से इस सम्बन्ध में स्वच्छता तथा सफाई की आशा नहीं की जा सकती है ।

ग्रामीण क्षेत्र में स्नान के सुविधा के सम्बन्ध में कुछ कहना आवश्यक है ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश लोगों के घरों में इस प्रकार की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं । ऐसा महिलाओं ने बताया कि वे तथा उनकी लड़कियां घरों के एक कोने में अस्थाई प्रबन्ध कर के स्नान करने का प्रबन्ध बना लिया जाता है । कभी - कभी स्नान की व्यवस्था घरों के पास पत्थर की सहायता से बना लिया जाता है जिससे कभी - कभी गन्दगी व नालियों के अभाव में कीचड़युक्त स्थान विकसित हो जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है ।

गांवों में सामान्य बात यह है कि स्नान के लिए गांवों के लोग अपने स्नान, पशुओं को स्नान कराने तथा घर के बर्तनों को साफ करने के लिए गांवों के तालाब व पोखरों का प्रयोग करते हैं । अनुसूचित जाति एवं जन जाति वर्ग के लोगों कोसामान्य रूप से इनका प्रयोग नहीं करने दिया जाता क्योंकि उनके छूने एवं प्रयोग करने से तालाब का पानी प्रदूषित हो जाता है और उच्च जाति के लोगों के प्रयोग के लायक नहीं रह जाता है । इस प्रकार की धारणा के कारण तथा उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें एक लम्बे समय तक अस्वच्छ रहने के लिए बाध्य होना पड़ता है । अधिकांश महिलाओं ने सर्वेक्षण के समय यह बताया कि उनके पास स्नान करने के बाद पहनने के लिय दूसरे कपड़े भी नहीं हैं । इन महिलाओं में अधिकांश भूमिहीन कृषि मजदूर वर्ग की थी और उनके पास इतना समय नहीं रहता जिससे वे अपने कपड़े साफ कर सकें । स्नान करना भी कभी - कभी उनके लिए एक विलसता की वस्तु होती है वे कभी - कभी ही स्नान करती हैं । स्वास्थ्य तथा सफाई के प्रति जागरूकता

का अभाव तथा बीमारी के प्रति तटस्थता के दृष्टिकोण लोगों में शिक्षा के अभाव को स्पष्ट करता है । ऐसी स्थिति में लोग भाग्यवादी हो जाते हैं तथा गन्दगी में ही जीवन व्यतीत करते हैं । सामान्य वर्ग की महिलाओं में 51 प्रतिशत महिलाओं के घर में स्नान की अलग से सुविधायें प्राप्त हैं । इनकी आर्थिक स्थिति एवं शिक्षा के स्तर के साथ - साथ इनके द्वारा स्वास्थ्य के सम्बन्ध में अधिक परवाह तथा सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है । लगभग 2.5 प्रतिशत महिलायें कभी कभी अपने पड़ोसियों के स्नान घरों का प्रयोग कर लेती हैं लगभग 47 प्रतिशत सामान्य जाति वर्ग की महिलाओं के घरों में स्थायी स्नान गृहों की सुविधा नहीं प्राप्त है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य रूप से लोग अपने घरों के पास शौचालय बनाना पसन्द नहीं करते हैं । खुले खेत या खाद के गढ़ों का प्रयोग इसके लिए किया जाता है

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि अनुसूचित जाति एवं कुछ सीमा तक पिछड़ी जाति के महिलाओं को सामान्य जनसंख्या की तुलना में जिन्हें जल प्राप्ति की सुविधायें नहीं प्राप्त हैं वे अस्वस्थ्य दशाओं में रहती हैं । सर्वेक्षण में ऐसा पाया गया कि अनुसूचित जाति की महिलाओं को खाना बनाने के लिए पानी लाने के लिए घरों से दूर तक जाना होता है ।

अध्याय - छः

आर्थिक दशायें

अध्ययन में शामिल महिलाओं व उनके परिवारों की वित्तीय स्थिति का ज्ञान उनके मासिक आय के आधार पर स्पष्ट किया गया है। परिवार की आय ज्ञात करने के लिए कोई विशेष तरीका नहीं अपनाया जा सका, क्योंकि किसी परिवार के वित्तीय स्थिति के बारे में सही जानकारी प्राप्त करना कठिन है तथा जो भी स्पष्ट किया जाता है वह अधिकतर कम विश्वसनीय होता है। कुछ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों में कुछ निश्चित तरीके अपनाये जाते हैं, इनमें से परिवार के उपभोग का स्तर, प्राप्त श्रम शक्ति, प्रत्येक परिवार की आय एवं तरलता की स्थिति आदि।

वर्तमान अध्ययन में ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करना है, इसके लिए कोई विशेष विधि का प्रयोग नहीं किया गया। बल्कि प्रश्न का उत्तर देने वाली महिलाओं को एक माह में प्राप्त होने वाली लगभग आय की रकम नकद या वस्तुओं के रूप में स्पष्ट करने के लिए कहा गया। वास्तविक रकम का ज्ञान प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है फिर भी उन्हीं के द्वारा बतायी गयी संख्या के बारे में उन्हीं से बार-बार पूंछा गया और उसी को सही मान लिया गया।

सर्वेक्षण के पश्चात इसे ज्ञात करने के लिए एक सामान्य तरीका अपनाया गया। सभी प्राप्त आंकड़ों को मासिक परिवार की आय में बदल लिया गया। प्राप्त रकम को मासिक के आधार पर स्पष्ट किया गया, इसे प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा किये जाने वाला कार्य या पेशा, आय प्राप्त करने की अवधि आदि पर विचार नहीं किया गया। अध्ययन में लागू किये गये इस तरीके को पूर्ण तथा दोषमुक्त नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि (1) आय के बारे में स्पष्ट की गयी रकम जवाब देने वाली महिलाओं के ऐच्छिक स्पष्टीकरण या वक्तव्य पर आधारित है। इसलिए जिस

विधि का प्रयोग किया गया है, उसे पूरी तरह दोषमुक्त नहीं है। (2) उनके द्वारा स्पष्ट संख्या या रकम को जांच करने का कोई विश्वसनीय तरीका उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग, विशेषकर गरीब और अशिक्षित लोग, आय और अन्य बातों के सम्बन्ध में बहुत कम विचारशील हैं। बहुत सी महिलाओं ने इस प्रकार की बातों को बताने में बहुत आश्चर्य किया। किसी प्रकार का हिसाब-किताब रखना उनके लिए बिल्कुल नया लगता था, फिर भी वे अपनी आवश्यकताओं के बारे में एक विचार की रूपरेखा अवश्य उनके दिमाग में रहती हैं, उसी के आधार पर वे उन पर होने वाले व्ययों के सम्बन्ध में एक निश्चित रकम का अनुमान रखती हैं और जहां तक सम्भव होता है वे आय व व्यय में संतुलन बनाये रखने का प्रयास भी करती हैं। सर्वेक्षण के दौरान ऐसा अनुभव किया गया कि कुछ महिलायें जानबूझ कर अपने परिवार के वास्तविक आय को कम बताया, क्योंकि उन्हें इस बात का डर बना हुआ था कि सही-सही आय बता देने पर सरकार को मालूम हो जायेगा और इसके कारण उनके परिवार वालों को हानि हो सकती है, क्योंकि सरकार द्वारा बहुत सी आर्थिक सहायता गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को ही प्राप्त होती है।

यह अनुभव करना और अनुमान लगाना सम्भव था कि इनके द्वारा स्पष्ट की गयी संख्या में कितनी वास्तविक है और कितनी नहीं। यद्यपि आय को कम बताने की प्रवृत्ति अनुसूचित जाति की महिलाओं में अधिक रही पर पिछड़ी एवं सामान्य जाति की महिलाओं में भी यही प्रवृत्ति रही है, क्योंकि सामान्य जाति वर्ग की महिलाओं अपने को गरीब दिखाना चाहती थी। महिलाओं के रहन-सहन की दशायें, उनके पास प्राप्त माल व असबाब, भूमि व पशु, उपयोग का ढांचा तथा व्यय व ऋण ग्रस्तता की स्थिति से भी किसी वस्तुनिष्ठ अनुमान पर नहीं पहुंचा जा सकता है। अधिकांश महिलायें भूमिहीन मजदूरें तथा आकस्मिक श्रमिक वर्ग के परिवारों की रही हैं (80 प्रतिशत) शेष सीमान्त कृषक परिवार को भी उन्हें वर्ष के सभी महीनों में रोजगार भी नहीं मिल पाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें प्राप्त मजदूरी एक से दूसरे क्षेत्र में अलग-अलग होती हैं, जो उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों, मौसम, लिंग तथा उम्र पर निर्भर है।

इन सभी तथ्यों पर विचार करने के पश्चात प्रत्येक परिवार के लगभग मासिक आय पर विचार किया गया है और इसमें सभी जवाब देने वाली महिलाओं को शामिल किया गया है। विभिन्न वर्ग की महिलाओं के परिवारों को उनके द्वारा स्पष्ट आय के आधार पर इन्हें विभिन्न आय वर्ग में विभाजित किया गया है। सारणी संख्या 70 में विभिन्न आय वर्ग में इन महिला परिवारों को बांटकर उनके आय के औसत मूल्य को रखा गया है।

सारणी संख्या 70 से स्पष्ट है कि औसत सीमान्त कृषक परिवार द्वारा लगभग 5023 रूपये की वार्षिक आय प्राप्त करता है अधिकतम आय वर्ग द्वारा प्रति परिवार की अधिकतम आय लगभग 9675 रूपये वार्षिक है तथा मध्यम वर्ग आय वर्ग के अन्तर्गत औसत आय 5312.83 रूपये तथा न्यून आय वर्ग के अन्तर्गत औसत आय 3019.40 रूपये वार्षिक है।

सारणी संख्या 70 में यह भी स्पष्ट है कि आय के विभिन्न स्रोतों में लगभग सभी आय वर्गों में समानता है। सभी साधनों से प्राप्त आय जैसे-जैसे न्यूनतम आय वर्ग से मध्यम तथा ऊंचे आय वर्ग में बढ़ती जाती है। कृषि क्षेत्र से मजदूरी आधारित रोजगार से प्राप्त आय द्वारा एक अलग ढांचा स्पष्ट होता है। एक औसत परिवार द्वारा 229.36 रूपये की आय कृषि क्षेत्र में लगे श्रम मजदूरी पर आधारित श्रम द्वारा प्राप्त की जाती है, मध्य आय वर्ग में इस श्रोत से प्राप्त आय अधिकतम (244.30 रूपये) है और न्यूनतम आयवर्ग के परिवारों में यह 220.15 रूपये है और अधिकतम आय वर्ग में यह 202.50 रूपये मात्र है। गैर कृषि क्षेत्र से मजदूरी पर आधारित रोजगार से सभी आय वर्ग के परिवारों की औसत आय 321.47 रूपये मात्र है। न्यून आय वर्ग के परिवारों को औसतन 223.97 रूपये मध्यम आय वर्ग में 281.77 रूपये तथा उच्चतम आय वर्ग के द्वारा 738.33 रूपये की आय प्राप्त की गयी।

सारणी संख्या 70

महिला परिवारों के आय का स्तर (वर्ग के अनुसार औसत रूपये में)

क्रम सं0	विवरण	प्रथम आय वर्ग 4000 रू0 से कम	द्वितीय वर्ग 4000 से 8000रूपये	तृतीय वर्ग 8000रूपये से अधिक	सभी वर्ग
अ.	निजी भूमि (जोत) का औसत आधार	1.34	1.51	1.73	1.52
ब.	कृषि से प्राप्त आय				
1.	कुल कृषि उत्पादन का भू-मूल्य	6333.96	9118.53	18750.93	9354.84
2.	माल की लागत	2118.51	3065.86	7746.79	3336.61
3.	श्रम लागत	222.51	164.75	887.49	284.97
4.	अन्य लागत (भूमि का किराया)	2452.22	2647.70	4487.03	2822.00
5.	कृषि व्यवसाय से प्राप्त आय .	1540.64	3240.22	5629.62	2911.26
स.	गैर कृषि आय				
1.	डेरी कार्य	749.34	1324.35	2465.04	1258.11
2.	मुर्गी पालन	8.31	9.25	35.00	12.38
3.	कृषि क्षेत्र से मजदूरी आधारित रोजगार से प्राप्त आधार	220.15	244.30	202.50	229.36
4.	गैर कृषि क्षेत्र के मजदूरी रोजगार से प्राप्त आय	223.97	281.77	738.33	321.47
	योग	3019.40	5312.83	9674.70	5023.17

कुल आय में विभिन्न स्रोतों के सापेक्षिक महत्व को सारणी संख्या 7। में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या 7।

महिला परिवारों की आय का ढांचा

(कुल आय में प्रतिशत)

क्रम सं0	विवरण	प्रथम आय वर्ग 4000 रु0 से कम	4000 से 8000रु0 द्वितीय आय वर्ग	8000से अधिक	सभी आय वर्ग की स्थिति
अ.	कृषि व्यवसाय से प्राप्त	21.02	30.99	38.19	33.40
ब.	गैर कृषि आय				
1.	डेरी कार्य	14.82	19.92	24.48	25.05
2.	मुर्गी पालन	10.28	5.18	0.36	5.29
3.	कृषि में मजदूरी पर आधारित रोजगार से प्राप्त आय	27.29	24.60	22.09	24.57
4.	गैर कृषि उद्योगों से प्राप्त आय	26.59	19.30	13.88	16.59
	योग	100.00	100.00	100.00	100.00

सारणी संख्या 7। से यह स्पष्ट परिवारों के मुख्य आय के स्रोतों में विभिन्न स्रोतों का विभिन्न आय वर्गों में अलग-अलग महत्व है। औसतन कुल आय का लगभग 33.40 प्रतिशत कृषि व्यवसाय से प्राप्त होने वाली आय है। विभिन्न आय वर्गों में महत्वपूर्ण कमी और वृद्धि की प्रवृत्ति है। मध्य आय वर्ग

द्वारा लगभग 30.99 प्रतिशत निम्न आय वर्ग द्वारा 21.02 प्रतिशत तथा उच्चतम आय वर्ग के परिवारों द्वारा 38.19 प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त करता है। आय का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत डेरी का कार्य है। कुल आय का लगभग 25.05 प्रतिशत इस स्रोत से प्राप्त होता है। विभिन्न आय वर्गों में यह प्रतिशत अलग-अलग है। न्यून आय वर्ग में 14.82, प्रतिशत मध्यम आय वर्ग में 19.92 तथा उच्च आय वर्ग में 24.48 प्रतिशत आय डेरी के कार्यों से प्राप्त होती है।

कृषि क्षेत्र में मजदूरी पर आधारित रोजगार से प्राप्त आय औसत परिवार के लिए 24.57 प्रतिशत है। उच्च आय वर्ग के लिए यह 22.09 प्रतिशत और न्यूनतम आय वर्ग द्वारा 27.29 प्रतिशत आय इस स्रोत से प्राप्त होती है। गैर कृषि उद्यमों द्वारा परिवारों की औसत आय का 16.59 प्रतिशत आय प्राप्त होती है। न्यूनतम आय वर्ग के पविारों के द्वारा 26.59 प्रतिशत मध्यम आय वर्ग के परिवारों द्वारा 19.30 तथा उच्च आय वर्ग के परिवारों द्वारा 13.88 प्रतिशत आय गैर कृषि उद्यमों से प्राप्त की गयी थी।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अध्ययन में शामिल महिलाओं के परिवारों के आय का प्रमुख स्रोत मजदूरी आधारित कृषि एवं कृषि रोजगार है। जिन परिवारों के पास कुछ भूमि है वे कृषि तथा डेरी से भी आय प्राप्त करते हैं। इन परिवारों द्वारा विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के अतिरिक्त गैर कृषि क्षेत्र में मजदूरी आधारित रोजगार प्राप्त किया जाता है।

प्रति व्यक्ति आय

महिला परिवारों के कुल आय स्तर तथा आय के ढांचे का विश्लेषण करने के पश्चात प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जा सकती है। अध्ययन में प्राप्त महिला परिवारों का औसत आकार लगभग 6 सदस्यों का आता है। विभिन्न आय वर्ग में

सारणी संख्या - 72

महिला परिवारों की प्रति व्यक्ति आय

(रूपयों में)

क्रमांक	विवरण	निम्न आय रू0 4000 से कम	मध्यम आय वर्ग 4000 8000 रू0तक	उच्चआय वर्ग रू08000 से ऊपर	सभी वर्ग सम्मिलित
1.	कृषि से प्राप्त आय	139.01	208.38	344.84	206.58
2.	गैर कृषि क्षेत्र से प्राप्त आय	282.69	506.28	776.50	473.38
3.	कृषि क्षेत्र में मजदूरी रोजगार से प्राप्त आय	40.39	38.17	27.93	37.29
4.	वेतन	9.58	17.46	20.12	15.20
5.	अन्य अध्याय	41.25	15.82	63.21	32.05
6.	गैर कृषि क्षेत्र में मजदूरी पर आधारित रोजगार से प्राप्त आय	41.10	41.02	101.84	52.28
	कुल योग	554.02	830.12	1334.44	816.78

परिवार के आकार अलग-अलग हैं। उच्चतम आयवर्ग के परिवार का औसत आकार लगभग 7 का मध्यम व निम्न आय वर्ग के परिवारों का औसत आकार 6 व 5 का आता है। इस प्रकार विभिन्न आय वर्ग में परिवारों के विभाजन के आधार पर परिवार का आकार विभिन्न आय वर्गों में अलग-अलग है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय स्तर तथा आय के ढांचे पर आय वर्ग के आधार पर विचार करना आवश्यक हो जाता है।

विभिन्न आय वर्ग के परिवारों द्वारा अर्जित औसत प्रति व्यक्ति आय को सारणी संख्या 72 में स्पष्ट किया गया है। एक औसत परिवार की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 816.78 रूपये मात्र आती है। विभिन्न आय वर्ग के परिवारों में प्रति व्यक्ति आय स्तर अलग-अलग रहा है। अचल आय वर्ग परिवारों की व्यक्ति आय 1334 रूपये, मध्यम आय वर्ग के परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 830.13 रूपये तथा न्यून आय वर्ग परिवारों की यह 554.02 रूपये रही है।

सारणी संख्या 72 में विभिन्न आय के स्रोतों द्वारा लगभग एक सा ढांचा स्पष्ट होता है। कृषि क्षेत्र में मजदूरी पर आधारित रोजगार से प्राप्त आय से यह ज्ञात होता है कि जैसे-जैसे उच्च आय वर्ग की ओर देखा जाता है, कृषि क्षेत्र में मजदूरी आधारित रोजगार से प्राप्त आय क्रमशः कम होती जाती है और सभी परिवारों को औसतन 37.29 रूपये की आय इस स्रोत से प्रापत होती है। दूसरी ओर गैर कृषि क्षेत्र के मजदूरी पर आधारित रोजगार से प्राप्त आय निम्न तथा मध्यम आय वर्ग को लगभग समान आय और उच्च आय वर्ग के परिवारों की औसत आय 101.84 रूपये रही है और औसतन 52.28 रूपये की आय प्राप्त हुयी है।

उपभोग का ढांचा

ग्रामीण महिला परिवारों की आय स्तर के ढांचे का विश्लेषण के पश्चात

उनके उपभोग के ढांचे पर विचार करने के लिए प्रति परिवार और प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय तथा विभिन्न आय वर्ग के परिवारों के उपभोग ढांचे का विश्लेषण के साथ-साथ उपभोग व्यय के विभिन्न मदों के महत्व को स्पष्ट करके उनके आर्थिक स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या 73 में महिला परिवारों के उपभोग व्यय के औसत रकम को स्पष्ट किया गया है। एक औसत परिवार का वार्षिक उपभोग लगभग 6385 रूपया आता है। विभिन्न आय वर्गों के उपभोग व्यय की औसत राशि अलग-अलग रही है और इसमें महत्वपूर्ण अन्तर है। उच्चतम आय वर्ग के परिवारों का प्रति परिवार उपभोग व्यय अधिकतम लगभग 9888 रूपये रहा है। मध्यम आय वर्ग के पविारों द्वारा उपभोग पर 6448.64 रूपये वार्षिक व्यय किया था। इसी प्रकार न्यूनतम आय वर्ग के परिवारों का उपभोग व्यय 5069 रूपये रहा है। सारणी से यह स्पष्ट है कि आय स्तर जैसे-जैसे बढ़ता जाता है, उसयोग व्यय बढ़ता गया है।

उपभोग के विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय में एक औसत ढांचा स्पष्ट होता है। जैसे-जैसे उच्च आय वर्ग की ओर विचार किया जाता है, उपभोग के विभिन्न मदों पर होने वाला औसत व्यय आय बढ़ने के साथ-साथ बढ़ता जाता है। इस सम्बन्ध में टिकाऊ वस्तुओं पर होने वाला व्यय एक अपवाद प्रस्तुत करता है। मध्यम आय वर्ग के परिवारों द्वारा टिकाऊ वस्तुओं पर किया जाने वाला व्यय अधिकतम रहा है। इसके पश्चात उच्चतम तथा न्यूनतम आय वर्ग के परिवारों का व्यय रहा है।

सारणी संख्या 73

ग्रामीण महिला परिवारों के उपभोग व्यय का स्तर

(औसत व्यय रूपयों में)

क्रमांक	उपभोग के मद	प्रथम आय 4000 से कम	मध्यम आय 4000 से 8000 रूपये	उच्च आय 8000 रू0से अधिक	सभी आय वर्ग सम्मिलित रूप में
क.	वर्तमान उपभोग				
1.	खाद्यान्न	1232.14	1534.03	2256.86	1515.05
2.	चटनी, मसाला तथा जायकेदार चीजें	90.25	111.27	171.08	111.32
3.	फल व सब्जियां	179.11	247.24	385.63	239.83
4.	दूधव उससे बने पदार्थ	669.42797.42		385.63	239.83
5.	खाद्य तेल	167.91	292.02	373.25	293.77
6.	चीनी, गुड़, शक्कर व खाण्डसारी	723.47	924.00	1057.13	866.93
7.	मांस व अण्डे	33.55	63.59	185.00	68.53
8.	चाय	168.50	195.25	293.33	128.27
9.	अचार	26.75	31.64	54.08	32.80
10.	बिस्कुट तथा मिठाइयां	40.38	55.34	85.83	53.73
11.	नशीली वस्तुएं	139.17	164.38	267.13	168.62
12.	ईंधन तथा प्रकाश	114.98	134.89	202.22	136.37
13.	कपड़े	655.60	894.12	1571.66	894.35
14.	जूते व चप्पलें	132.77	158.41	240.25	159.65
15.	कपड़े, झूलने व साबुन आदि	111.85	135.53	289.67	147.33

ख.	टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुए	69.75	163.87	160.71	127.28
ग.	सेवायं				
1.	शिक्षा	58.68	69.35	94.17	68.32
2.	स्वास्थ्य	135.87	202.78	354.58	197.66
3.	सवारी गुड़िया	86785	117.99	236.09	122.04
4.	मनोरंजन	9.27	2.94	4.58	6.59
योग		290.67	393.06	689.42	393.91
घ.	विवाह तथा अन्य सामाजिंक उत्सव	117.35	152.53	286.25	157.15
	कुल उपभोग	5068.62	6448.64	9887.54	6384.75
कुल उपभोग विवाह व अन्य सामाजिक उत्सवों को घटाकर		4951.27	6296.11	9601.29	6227.60

सारणी संख्या 73 में स्पष्ट उपभोग के विभिन्न मदों पर विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि जैसे-जैसे आय का स्तर बढ़ता जाता है, उपभोग के प्रत्येक मद पर होने वाले व्यय में वृद्धि होती जाती है। उपभोग के मदों को चालू उपभोग व्यय व टिकाऊ उपभोग वस्तुओं पर किए जाने वाला व्यय में विभाजित किया गया है। चालू उपभोग व्यय को खाद्यान्नों, मसाला, चटनी और अन्य जायकेदार वस्तुओं, फल व सब्जियां, दूध और उससे समबन्धित उत्पादों, खाद्य तेलों, चीनी व खाण्डसारी, मांस व अण्डे, चाय, अचार, बिस्कुट व कपड़े व जूतों तथा धुलाई व स्वच्छता के व्ययों को शामिल किया गया है। इसी प्रकार टिकाऊ उपभोग वस्तुओं के

व्यय के अन्तर्गत भवन निर्माण, नये कमरों का निर्माण, मरम्मत कार्य, रेडियो ट्रांजिस्टर तथा टी0वी0 घड़ियों, विद्युत पंखों व उपकरणों, सिलाई मशीन, चारपाइयां, तोशक तथा गढ्ढे, कम्बल, बरतन, लकड़ी एवं लोहे के बक्सों और खादी कपड़ों पर किये गये व्यय को शामिल किया गया है। इसी प्रकार विभिन्न सेवाओं के अन्तर्गत पविारों द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, सवारी गाड़ियों और मनोरंजन पर किये व्यय को शामिल किया गया है। यदि कुल उपभोग व्यय में विभिन्न मदों के महत्व पर विचार किया जाता है तो विभिन्न मदों में चालू उपभोग व्यय कुल उपभोग व्यय का निम्न आय वर्ग के परिवारों का 90.57 प्रतिशत, मध्यम आय वर्ग परिवारों का 89.00 प्रतिशत तथा उच्च आय वर्ग के परिवारों का 88.50 प्रतिशत और सभी परिवारों को सम्मिलित रूप से कुल उपभोग का 89.38 प्रतिशत रहा है। सभी मदों के सापेक्ष महत्व को सारणी संख्या 73 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या 74 से स्पष्ट है कि चालू उपभोग व्यय, कुल उपभोग व्यय का सबसे बड़ भाग है। कुल उपभोग वयय में चालू उपभोग व्यय निम्न आय वर्ग का 90.57 प्रतिशत रहा है पर आय के बढ़ने के साथ-साथ यह कम होता गया है। मध्यम आय वर्ग में 89.00 प्रतिशत तथा उच्च आय वर्ग परिवारों का 88.50 तथा सभी आय वर्ग के परिवारों का चालू उपभोग व्यय कुल उपभोग व्यय का 89.38 प्रतिशत रहा है। चालू वस्तुओं के उपभोग व्यय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्नों पर किया गया व्यय रहा है। सभी आय वर्गों के परिवारों का खाद्यान्नों पर किया गया व्यय कुल उपभोग व्यय का 23.74 प्रतिशत रहा है।

सारणी संख्या 74

परिवारों के उपभोग का ढांचा

(कुल उपभोग व्यय के प्रतिशत के रूप में)

क्रम सं0	उपभोग के मद	निम्न आय वर्ग 4000 रू0 तक	मध्यम आय वर्ग 4000 से 8000	उच्च आय वर्ग 8000 रू0से अधिक	सभी आय वर्ग
क.	चालू उपभोग				
1.	खाद्यान्न	24.31	23.79	22.83	23.74
2.	मसाले व चटनी आदि	1.73	1.73	1.73	1.74
3.	फल तथा सब्जियां	3.53	3.83	3.90	3.76
4.	दूध व उसके उत्पाद	13.21	12.37	13.22	12.83
5.	खाद्य तेल	5.29	4.53	3.77	4.60
6.	चीनी, खाण्डसारी, गुड़ व शक्कर	14.37	14.33	10.69	13.58
7.	मांस व अण्डे	0.66	0.99	1.87	1.07
8.	चाय	3.32	3.03	2.97	3.11
9.	अचार	0.53	0.49	0.55	0.51
10.	बिस्कुट व मिठाइयां	0.80	0.86	0.87	0.84
11.	नशा के पदार्थ (तम्बाकू, शराब तथा अफीम आदि)	2.75	2.55	2.70	2.64
12.	ईधन व प्रकाश	2.27	2.09	2.05	2.14
13.	कपड़े	12.93	13.87	15.90	14.01
14.	जूते व चप्पलें	2.62	2.46	2.43	2.50

15.	सफाई एवं स्वच्छता के सामान	2.21	2.10	2.92	2.31
	योग चालू उपभोग	90.57	89.00	88.50	89.38
ख.	टिकाऊ उपभोग वस्तुएं	1.38	2.53	1.63	1.99
ग.	सेवायें				
क.	शिक्षा	1.16	1.08	0.95	1.07
ख.	स्वास्थ्य	2.67	3.11	3.59	3.10
ग.	सवारियां	1.72	1.83	2.39	1.91
घ.	मनोरंजन	0.18	0.05	0.05	0.09
	योग सेवायें	5.73	6.10	6.97	6.17
घ.	विवाह तथा अन्य सामाजिक उत्सव	2.32	2.37	2.90	2.46
	कुल उपभोग	100.00	100.00	100.00	100.00
	विवाह तथा अन्य उत्सवों को छोड़कर कुल उपभोग	97.68	97.63	97.10	97.54

विभिन्न आय वर्गों पर विचार करने पर यह स्पष्ट है कि आय बढ़ने के साथ-साथ खाद्यान्नों पर हुआ व्यय कुल उपभोग में क्रमशः घटता जाता है। निम्न आय वर्ग परिवारों के उपयोग में खाद्यान्नों पर हुआ व्यय 24.31 जबकि मध्यम आय वर्ग में यह 23.79 प्रतिशत तथा उच्च आय वर्ग में यह 22.83 प्रतिशत रहा

है। चालु वस्तुओं के उपभोग व्यय में दूसरा मद कपड़ों पर किया गया व्यय है। सभी आय वर्गों के परिवारों का कपड़ों पर किया गया व्यय कुल उपभोग व्यय का 14.01 प्रतिशत रहा है। विभिन्न आय वर्गों में जैसे-जैसे आय बढ़ती गयी है यह व्यय बढ़ता गया है। निम्न आय वर्ग के परिवारों द्वारा 12.93 प्रतिशत मध्यम अय वर्ग द्वारा 13.87 प्रतिशत तथा उच्च आय वर्ग में 15.90 प्रतिशत रहा है।

उपभोग का तीसरा महत्वपूर्ण मद गुड़ एवं खाण्डसारी आदि का रहा है। सभी आय वर्ग के परिवारों द्वारा कुल उपयोग व्यय का 13.58 प्रतिशत गुड़, खाण्डसारी और शक्कर आदि पर व्यय किया गया था। इस व्यय में आय वर्ग के साथ बिलोम दिशा में परिवर्तन की प्रवृत्ति स्पष्ट है। जैसे-जैसे आय बढ़ती गयी है, गुड़, खाण्डसारी पर किया गया क्रमशः कम होता गया है। निम्न आय वर्ग के परिवारों का गुड़ व खाण्डसारी पर वयय 14.37 प्रतिशत, मध्यम आय वर्ग का 14.33 तथा उच्च आय वर्ग में कम होकर 10.69 प्रतिशत हो गया है।

उपभोग का चौथा मद दूध व दूध से बने पदार्थों का है। सभी आय वर्गों के परिवारों द्वारा इस मद पर कुल उपभोग व्यय का 12.83 प्रतिशत व्यय किया गया था। इस मद पर किया गया व्यय विभिन्न आय वर्ग के परिवारों में लगभग समान रहा है। निम्न आय वर्ग में 13.21 प्रतिशत, मध्यम आय वर्ग का 12.37 प्रतिशत तथा उच्च आय वर्ग में 13.32 प्रतिशत रहा है।

पांचवां स्थान खाद्य तेलों का रहा है। जैसे-जैसे ऊंचे आय वर्ग की बढ़ा जाता है खाद्यान्नों, चीनी व खाण्डसारी और खाद्य तेलों पर किया गया उपभोग व्यय क्रमशः कम होता गया है। न्यूनतम आय वर्ग के परिवारों द्वारा खाद्य तेलों पर 5.29 प्रतिशत, मध्यम आय वर्ग द्वारा 4.53 प्रतिशत तथा उच्चतम आय वर्ग के परिवारों द्वारा 3.77 प्रतिशत उपभोग व्यय खाद्य तेलों पर किया गया है। कपड़ों के व्यय के बारे में विलोम प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है।

सारणी संख्या 75

महिला परिवारों के उपभोग की औसत प्रवृत्ति

क्रम सं0	आय वर्ग	औसत उपभोग (रूपये) सी	औसत आय रूपये में वाई	उपभोग की औसत प्रवृत्ति = सी/वाई
1.	4000 रूपये से कम आय के परिवार	5068.62	3019.40	1.68
2.	4000 से 8000 रूपयों के मध्य परिवार	6448.64	5312.83	1.21
3.	8000 रूपये से अधिक आय के परिवार	9887.54	9674.70	1.07
	सभी आय वर्ग के परिवार	6384.75	5023.17	1.27

सभी परिवारों का सम्मिलित आय वर्गों की उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति 1.27 आती है। यह सभी आय वर्गों के परिवारों के उपभोग की औसत प्रवृत्ति एक से अधिक है। जैसे - जैसे आय वर्ग में ऊपर की ओर बढ़ा जाता है, उपभोग की औसत प्रवृत्ति कम होती जाती है। यह निम्न आय वर्ग के परिवारों की यह 1.68 रही है। मध्यम आय वर्ग की 1.21 तथा उच्चतम आय वर्ग की 1.02 रही है। सभी आय वर्गों की उपभोग की औसत क्षमता एक से अधिक है। अतः प्रत्येक आय वर्ग के परिवार को एक घाटा सहन करना पड़ता है। सभी परिवारों पर सभी आय वर्ग के परिवारों को लगभग 1362 रूपये का घाटा सहन करना पड़ता है। निम्न आय वर्ग के परिवारों का उपभोग व आय के बीच का घाटा 2049.23 रूपये मध्यम आय वर्ग का 1135.81 रूपये तथा उच्चतम आय वर्ग का घाटा 212.84 रूपये का रहा है।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि सभी परिवारों द्वारा जीवन निर्वाह स्तर के उपभोग स्तर को बनाये रखने का प्रयास किया जाता है। भले ही विभिन्न आय वर्ग के परिवारों में यह अलग-अलग है पर सभी आय वर्ग के परिवारों में आय व उपभोग के बीच घाटे की स्थिति बनी हुयी है।

प्रतिव्यक्ति उपभोग

सारणी संख्या 76 में विभिन्न आय वर्ग के ग्रामीण परिवारों के प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को स्पष्ट किया गया है। सभी आय वर्गों के परिवारों पर एक साथ विचार करने पर यह स्पष्ट है कि प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय लगभग 1038.17 रूपया रहा है। विभिन्न आय वर्ग के परिवारों के प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में महत्वपूर्ण अन्तर रहा है। उच्च आय वर्ग के परिवारों द्वारा अधिकतम प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 1364 रूपया किया गया। मध्यम आय वर्ग का प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 1007.60 और न्यून आय वर्ग का प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 930.02 रूपये रहा है।

सारणी संख्या - 76

परिवारों का प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय

(रूपये में)

क्रम सं0	उपभोग के मद	4000 रू0 से कम	4000 से 8000 रू0	8000 रू0से अधिक	सभी आय वर्ग
क.	चालू उपभोग व्यय	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.	खाद्यान्न	226.08	239.68	311.29	246.51
2.	मसाले, चटनी व जायकेदार वस्तुएं	16.56	17.39	23.60	18.10
3.	फल व सब्जियां	32.86	38.63	53.19	39.00
4.	दूध व दूध के उत्पाद	122.43	124.60	181.80	133.15

5.	खाद्य तेल	49.16	39.63	51.48	47.77
6.	चीनी, गुड़ व खाण्डसारी	133.66	144.38	148.81	140.96
7.	मांस व अण्डे	6.16	9.94	25.52	11.14
8.	चाय	30.92	30.51	40.46	32.24
9.	अचार	4.91	4.94	7.46	5.33
10.	बिस्कुट व मिठाइयां	7.41	8.65	11.84	8.74
11.	नशे की वस्तुएं	25.54	25.68	36.85	27.42
12.	ईधन व प्रकाश	21.10	21.08	27.89	22.17
13.	कपड़े पर व्यय	120.29	139.71	216.78	145.42
14.	जूते व चप्पल	24.36	24.75	33.14	25.96
15.	कपड़े धोने व शौचालय की वस्तुएं	20.52	21.18	39.95	23.96
	योग 12 से 15	842.36	896.75	1207.06	927.87
ख.	टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	12.80	25.60	22.17	20.70
ग.	सेवांए				
क.	शिक्षा	10.77	10.84	12.49	11.16
ख.	स्वास्थ्य	24.93	31.68	48.91	32.14
ग.	सवारियां	15.94	18.44	32.56	19.84
घ.	मनोरंजन	1.70	0.46	0.63	0.91
यदि क से घ		53.30	61.42	95.09	64.05
योग - उपभोग		930.02	1007.60	1363.60	1038.17

घ. विवाद तथा अन्य सामाजिक उत्सव	21.53	23.83	39.48	25.55
योग - उपभोग	930.02	1007.60	1363.60	1038.17
विवाह व उत्सव व्यय को घटाकर उपयोग व्यय	908.49	983.77	1324.32	1012.62

सारणी संख्या 76 में स्पष्ट है कि प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के सबसे अधिक व्यय खाद्यान्नों पर है। सभी आय वर्ग के परिवारों का खाद्यान्नों पर होने वाला व्यय 246.51 रूपये रहा है। विभिन्न आय वर्गों में जैसे-जैसे आय बढ़ती जाती है, खाद्यान्नों पर किया गया प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय बढ़ता गया है। निम्न आय वर्ग का खाद्यान्नों पर किया गया व्यय 226.08 रूपया मध्यम आय वर्ग का प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 239.68 रूपये तथा उच्चतम आय वर्ग का खाद्यान्नों पर उपभोग व्यय 311.29 रूपये रहा है। प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में दूसरा स्थान कपड़े पर किया गया व्यय है। सभी परिवारों का औसत व्यय 145.42 रूपया रहा है और जैसे-जैसे आय बढ़ती है, कपड़े पर किया गया व्यय बढ़ता गया है। निम्न आय वर्ग का कपड़े पर किया गया व्यय प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 120.29 रूपये मध्यम वर्ग का 139.71 तथा उच्चतम आय वर्ग का 216.78 रूपये रहा है। उपभोग में तीसरा स्थान गुड़ व खाण्डसारी पर किया गया व्यय है। सभी आय वर्ग के परिवारों का गुड़ व खाण्डसारी पर किया गया व्यय 140.96 रूपया रहा है। यहां व्यय भी आय स्तर बढ़ने के साथ-साथ बढ़ता गया है। निम्न आय वर्ग का प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 133.66 रूपये, मध्यम आय वर्ग का 144.38 रूपया तथा उच्चतम आय वर्ग का 148.81 रूपये रहा है। चौथे क्रम पर दूध व दूध से बने पदार्थों का है।

टिकाऊ वस्तुओं के उपभोग व्यय में विभिन्न प्रकार की वसतुओं जैसे गृह निर्माण व मरम्मत, रेडियो, ट्रांजिस्टर व टी0वी0 घड़ियों, विद्युत पंखों, सिलाई मशीन, चारपायी व गढ़ढे, कम्बल बरतन, लकड़ी व लोहे के बक्से, आदि पर किया गया व्यय शामिल है। सभी आय वर्गों का सम्मिलित रूप से इन वस्तुओं पर प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 20.70 रूपये रहा है पर जैसे-जैसे परिवारों का आय स्तर बढ़ता गया है, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर किया गया प्रति व्यक्ति व्यय बढ़ता गया है। निम्न आय वर्ग के परिवारों का टिकाऊ वस्तुओं पर कियागया प्रति व्यक्ति उपयोग व्यय 12.80 रूपये रहा है। मध्यम आय वर्ग परिवारों का 25.60 तथा उच्च आय वर्ग का 22.17 रूपये रहा है। उच्च आय वर्ग के परिवारों में टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर किया गया व्यय मकान आय वर्ग के व्यय की तुलना में कम है। इस सम्बन्ध में दो कारण स्पष्ट किए जा सकते हैं। एक तो यह है कि उच्च आय वर्ग के परिवारों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं पहले से ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हैं, नई वस्तुएं खरीदने के लिए कोई विशेष इच्छा व व्यस्तता नहीं होती है। दूसरे यह कि मध्यम आय वर्ग के लोगों में अधिक मात्रा में नवीन टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं प्राप्त करने की चाहत अधिक होती है, क्योंकि वे अपना जीवन स्तर उच्च आय वर्ग के समान बनाने का प्रयास करते हैं। रैगनर नर्क्स के अनुसार इसे प्रदर्शन प्रभाव (डिमांस्ट्रेशन इफेक्ट) कहा जा सकता है। नर्क्स ने इसकी व्याख्या (कान्सपीसियस कन्जम्प्सन) नकलची उपभोग के रूप में की है। निम्न आय वर्ग के लोग अधिक मात्रा में आधुनिक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं खरीदने में समर्थ नहीं होते, क्योंकि उनकी आय इतनी पर्याप्त नहीं होगी। अतः इनके आय का एक बड़ा भाग चालू उपभोग पर व्यय हो जाता है, दूसरी ओर एक भाग की बचत की जाती है और एक छोटे भाग से टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं खरीदी जाती है, इसलिए निम्न आय वर्ग के परिवारों का प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर) केवल 12.80 रूपये मात्र रहा है, जबकि मध्यम आय वर्ग के परिवारों का टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर किया गया प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय निम्न आय वर्ग परिवारों का दुगना या 25.60 रूपये रहा है।

सेवाओं के व्यय के सम्बन्ध में सभी आय वर्ग के परिवारों द्वारा प्रति व्यक्ति व्यय 64.05 रूपये रहा है। विभिन्न आय वर्गों में निम्न आय वर्ग का सेवाओं पर किया गया प्रति व्यक्ति व्यय 53.30 रूपये मात्र मध्यम आय वर्ग के परिवारों का 61.42 रूपये तथा 95.09 रूपये रहा है जो आय स्तर बढ़ने के साथ-साथ बढ़ा है।

उपरोक्त आय व व्यय (उपभोग व्यय) का विशेषण से यह स्पष्ट है कि परिवारों के आय व व्यय के बीच बड़ा अन्तर नहीं है, लोगों की उपभोग की औसत प्रवृत्ति अधिक ऊंची है तथा बचत स्तर निम्न है के गरीब परिवारों के सम्बन्ध में होता है।

XXX

अध्याय - सात

दायित्व एवं सम्पत्तियां

ग्रामीण महिला परिवारों के आय व उपयोग व्यय पर विचार करने के पश्चात इन परिवारों के दायित्व एवं सम्पत्तियों पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। दायित्व एवं सम्पत्तियों के ढांचे पर विचार सम्पूर्ण रूप एवं उन्हें विभिन्न आय वर्गों में विभाजित करके किया जा सकता है।

सम्पत्तियों का प्रारूप

किसी भी परिवार के रहन-सहन के स्तर को निर्धारित करने में उस परियार के पास प्राप्त परिसम्पत्तियों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इन सम्पत्तियों में उत्पादक परिसम्पतितयों जिन सम्पत्तियों के द्वारा उत्पादन का कार्य किया जाता है) का प्रत्यक्ष प्रभाव उस परिवार के आय व उपयोग स्तर पर पड़ता है।

महिलाओं द्वारा अपने परिवार की परिसम्पत्तियों के बारे में जो भी बताया गया उसे सारणी संख्या 77 में स्पष्ट किया गया है। सभी परिवारों पर सम्मिलित से विचार करने पर यह स्पष्ट है कि परिवारों के पास 19488 रूपये की परिसम्पत्तियां हैं। परिवार की परिसम्पत्तियों एवं आय स्तर में एक घनिष्ठ सह-सम्बन्ध हैं, जो इस बात से स्पष्ट होता है कि जैसे-जैसे आय का स्तर बढ़ता जाता है, परिसम्पत्तियों के मूल्य में वृद्धि होती जाती है।

जहां तक परिवारों में विभिन्न सम्पत्तियों के महत्व का प्रश्न है, सभी परिवारों में घरेलू, टिकाऊ वस्तुएं सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त हैं। घरेलू टिकाऊ वस्तुओं या परिसम्पत्तियों का आय स्तर के साथ विलोम सह-सम्बन्ध है। दूसरे

स्थान पर पशु सम्पत्तियां हैं, जो परिवारों की कुल सम्पत्तियों में 23 प्रतिशत हैं। पशु सम्पत्तियों एवं आय स्तर में धनात्मक सह-सम्बन्ध है। कृषि सम्बन्धी परिसम्पत्तियों में भूमि को छोड़कर, सभी परिवारों में तुलनात्मक रूप से कम है। सभी आय वर्ग परिवारों में कृषि सम्पत्तियों का मात्र कुछ सम्पत्तियों का केवल 9.42 प्रतिशत रहा है। पशु सम्पत्तियों की ही भांति कृषि सम्पत्तियां एवं आय स्तर में धनात्मक सम्बन्ध है। उन्हें सारणी संख्या - 77 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या 77

महिला परिवारों के सम्पत्तियों का अनुमानित मूल्य (रूपये में)

क्रम सं0	सम्पत्तियां	निम्न आय वर्ग 4000रू0 स कम	मध्यम आयवर्ग 4000 से 8000 रूपये	उच्च आयवर्ग 8000रू0 से अधिक	सभी आय वर्ग
1.	घरेलू परिसम्पत्तियां				
क.	प्रति परिवार	10196.73	13067.26	21593.03	13120.49
ख.	प्रति व्यक्ति	1870.96	2041.76	2133.41	
ग.	कुल में प्रतिशत	69.04	67.59	64.64	67.32
2.	पशुधन				
क.	प्रति परिवार	3277.08	4526.08	8112.50	4532.53
ख.	प्रति व्यक्ति	601.30	707.20	1118.97	737.00
ग.	कुल में प्रतिशत	22.19	23.41	24.28	23.26
3.	कृषि सम्पत्तियां				
क.	प्रति परिवार	1296.46	1739.80	3700.85	1835.38
ख.	प्रति व्यक्ति	237.88	271.84	510.46	298.44
ग.	कुल में प्रतिशत	8.77	9.00	11.08	9.42
4.	कुल				
क.	प्रति परिवार	14770.27	19333.12	33406.38	19488.41
ख.	प्रति व्यक्ति	2710.14	3020.80	4607.78	3168.85
ग.	कुल में प्रतिशत	100.00	100.00	100.00	100.00

सारणी संख्या - 78

महिला परिवारों के घरेलू टिकाऊ परिसम्पत्तियों का अनुमानित

मूल्य रूपये में (प्रति परिवार)

क्रम सं0	सम्पत्तियां	निम्न आय वर्ग 4000 रू0 से कम	मध्यम आयवर्ग 4000 से 8000 रूपये तक	उच्च आयवर्ग 8000रू0 से अधिक	सभी आय वर्ग
1.	आवासीय मकान	7088.55	8735.29	15208.33	8980.23
2.	रेडियो ट्रांजिस्टर व टी0वी0 आदि	46.54	56.24	70.83	54.49
3.	घड़ियां	90.52	112.59	208.33	117.09
4.	बिजली के पंखे	42.79	48.53	115.83	55.45
5.	सिलाई मशीन	78.97	114.59	161.67	107.29
6.	चारपाइयां	203.97	244.12	316.67	238.53
7.	बिस्तर व बिछौने	680.91	840.18	1357.92	849.19
8.	फर्नीचर	31.54	31.88	53.96	34.75
9.	बरतन	358.24	457.42	748.25	458.75
10.	नकद/बैंक में जमा	-	105.88	133.33	68.93
11.	गहने व जेवरात	1107.35	1728.24	2383.33	1578.53
12.	लकड़ी व स्टील के बक्से	266.10	275.59	348.75	281.86
13.	हैण्ड पम्प	152.21	216.88	402.08	217.15
14.	खादी	29.19	43.06	25.83	35.40
15.	अन्य सम्पत्तियां	20.19	56.77	57.92	42.85
	कुल	10196.73	13067.26	21593.03	13120.49

घरेलू टिकाऊ सम्पत्तियां

सारणी संख्या - 78 घरेलू टिकाऊ सम्पत्तियों को प्रति परिवार के अनुसार स्पष्ट किया गया है। सभी परिवार पर सम्मिलित रूप से विचार करने पर यह और स्पष्ट है कि लगभग 13120 रूपये के मूल्य की घरेलू टिकाऊ सम्पत्तियां एक परिवार के पास थी। विभिन्न आय वर्गों के अनुसार विचार करने पर प्रति परिवार के पास घरेलू टिकाऊ सम्पत्तियों के मूल्य में बड़ा अन्तर पाया गया है। उच्च आय वर्ग के परिवारों में इसका मूल्य प्रति परिवार सबसे अधिक जो 21593 रूपया था, जबकि मध्यम आय वर्ग में यह 13067.26 रूपये और न्यूनतम आय वर्ग में यह 10196.73 रूपये प्रति परिवार रहा है।

घरेलू टिकाऊ परिसम्पत्तियों के विभिन्न मदों पर विचार करने पर यह ज्ञात होता है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण घरेलू टिकाऊ सम्पत्ति आवासीय मकान है, जो एक परिवार में घरेलू टिकाऊ सम्पत्तियों के मूल्य में 68.44 प्रतिशत का हिस्सा प्राप्त कर सका है। विभिन्न आय वर्गों में आवासीय मकानों का कुल घरेलू टिकाऊ सम्पत्तियों में उच्चतम आय वर्ग में कुल सम्पत्तियों का 70.42 प्रतिशत मध्यम आय वर्ग में 66.85 प्रतिशत और न्यूनतम आय वर्ग के परिवारों में 69.51 प्रतिशत आवासीय मकानों का हिस्सा रहा है। जेवरात व गहनों का इन परिवारो में दूसरा स्थान रहा है। विभिन्न आय वर्ग के परिवारों में इसमें कोई विशेष अन्तर नहीं रहा है। बिस्तर और बिछौनों का तीसरा स्थान रहा है। विभिन्न आय वर्ग में यह 6.29 से 6.68 प्रतिशत के बीच रहा है। इसके पश्चात बरतनों, लकड़ी एवं स्टील के बक्से, चारपाइयां व हैण्ड पम्प का क्रम से रहा है। यही क्रम प्रायः सभी आय वर्ग के परिवारों में रहा है। टिकाऊ घरेलू सम्पत्तियों के विभिन्न मदों के महत्व को कुल सम्पत्तियों के मूल्य के प्रतिशत के रूप में सारणी संख्या 79 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 79

परिवारों के घरेलू टिकाऊ सम्पत्तियों का महत्व

(कुल मूल्य से प्रतिशत के रूप में)

क्रम सं0	परिसम्पत्तियां	निम्न आय वर्ग 4000 रू0 से कम	मध्यम आयवर्ग 4000से 8000 रूपये तक	उच्च आयवर्ग 8000 रू0 से अधिक	सभी आय वर्ग
1.	आवासीय मकान	69.51	66.85	70.42	68.44
2.	रेडियो, ट्रांजिस्टर व टी0वी0	0.46	0.43	0.32	0.42
3.	घड़ियां	0.89	0.86	0.96	0.89
4.	विद्युत पंखे	0.42	0.37	0.54	0.42
5.	सिलाई मशीन	0.77	0.88	0.75	0.82
6.	चारपाई	2.00	1.87	1.47	1.82
7.	बिस्तर व बिछौने	6.68	6.43	6.29	6.47
8.	फर्नीचर	0.31	0.24	0.25	0.26
9.	बरतन	3.15	3.50	3.47	3.50
10.	नकद/बैंक जमा	-	0.82	0.62	0.53
11.	जेवरात व गहने	10.86	13.22	11.04	12.03
12.	लकड़ी व स्टील के बक्से	2.61	2.11	1.63	2.15
13.	हैण्ड पम्प	1.49	1.66	1.86	6.65
14.	हैण्डलूम	0.29	0.33	0.12	0.27
15.	अन्य सम्पत्तियां	0.20	0.43	0.27	0.33

सारणी संख्या - 80

परिवारों में प्रति व्यक्ति घरेलू टिकाऊ वस्तुओं का मूल्य

(रुपये में)

क्रम सं0	परिसम्पत्तियां	निम्न आय वर्ग 4000 रू0से कम	मध्यम आयवर्ग 4000से 8000 रूपये तक	उच्च आयवर्ग 8000 रु0 से अधिक	सभी आय वर्ग
1.	आवासीय मकान	1300.60	1364.89	2097.70	1460.23
2.	रेडियो/ट्रांजिस्टर व टी0वी0	8.54	8.79	9.78	8.86
3.	घड़ियां	16.61	17.59	28.73	19.03
4.	विद्युत पंखे	7.85	7.58	15.98	9.02
5.	सिलाई मशीन	14.49	17.90	22.30	17.44
6.	चारपाई	37.43	38.14	43.68	38.79
7.	बिस्तर व बिछौने	124.93	131.28	187.30	138.08
8	फर्नीचर	5.79	4.98	7.44	5.65
9.	65.73	71.47	103.20	74.59	
10.	नकद/बैंक जमा	-	16.54	18.39	11.21
11.	जेवरात	203.18	270.04	328.74	256.67
12.	लकड़ी व स्टील के बक्से	48.82	43.06	48.10	45.83
13.	हैण्ड पम्प	27.93	33.89	55.46	35.31
14.	हैण्डलूम	5.36	6.74	3.56	5.76
15.	अन्य सम्पत्तियां	3.70	8.87	7.99	6.97
	योग	1870.96	2041.76	2978.35	2133.44

यदि घरेलू टिकाऊ सम्पत्तियों पर प्रति व्यक्ति के आधार पर विचार किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि विभिन्न आय वर्ग के परिवारों में एक औसत ढांचा ही प्राप्त है। यद्यपि परिवार के आकार में अन्तर है पर प्रति व्यक्ति घरेलू टिकाऊ सम्पत्तियों का मूल्य और आय स्तर के बीच धनात्मक सम्बन्ध स्पष्ट है। प्रति व्यक्ति घरेलू टिकाऊ वस्तुओं के मूल्य को सारणी संख्या - 80 में स्पष्ट किया गया है।

पशु सम्पत्तियां

परिवारों में पशु धन के रूप में सम्पत्तियों का औसत मूलय 45.33 रूपये का रहा है, पर विभिन्न आय वर्गों के अनुसार परिवारों द्वारा पशुधन के रूप में अलग-अलग मूल्यों की परिसम्पत्तियां रही हैं। उच्चतम आय वर्ग या तृतीय आय वर्ग के परिवारों में 8112.50 रूपये के मूल्य की जबकि मध्यम वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के परिवारों में 4526.08 रूपये एवं 3277.08 रूपये के मूल्य की पशु सम्पत्तियां रही हैं, जिसे सारणी संख्या - 81 में स्पष्ट किया गया है।

विभिन्न प्रकार के पशुधन में सबसे अधिक महत्व दूध देने वाली तथा न देने वाली और गाय के बच्चों का सबसे अधिक महत्व है। सभी परिवारों पर एक साथ विचार करने पर सबसे अधिक प्रतिशत (62.47) गायों का कुल पशुधन में रहा है। यह प्रतिशत विभिन्न आय वर्ग के परिवारों में 56.03 तथा 65.59 के बीच रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण पशुधन कार्य करने वाले बैंक रहे हैं। विभिन्न आय वर्ग में यद्यपि इनके मूल्य आय बढ़ने के साथ-साथ बढ़ा है पर प्रतिशत के दृष्टिकोण से यह विलोम प्रवृत्ति स्पष्ट कर रहा है। बकरियों तथा मुर्गियों का स्थान तीसरा व चौथा रहा है। विभिन्न पशुओं के पशुधन के महत्व को कुल पशुधन के प्रतिशत के रूप में सारणी संख्या 82 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 81

परिवारों में पशु सम्पत्तियों का अनुमानित मूल्य

प्रति परिवार (रूपये में)

क्रम सं0	पशुधन	प्रथमआय 4000रू0 से व्यय	द्वितीय आय 4000से 8000 रू0 तक	तृतीय आयवर्ग 8000 रू0से अधिक	सभी आय वर्ग
1.	कार्यकारी बैल	746.32	823.53	1462.50	880.51
2.	दूध देती गाय	1383.09	215.12	3083.33	1983.90
3.	बिना दूध देती गाय	204.41	401.77	1566.67	483.90
4.	पशुओं के बच्चे	248.85	413.02	512.08	363.38
5.	दूध देने वाली भैंसें	103.31	129.40	654.17	190.54
6.	बिना दूध वाली भैंसे	52.35	70.52	212.50	82.82
7.	भैंस के बच्चे	50.29	77.06	130.00	73.95
8.	बकरियां	338.00	298.12	292.06	270.34
9.	भेड़ें	89.93	68.94	82.92	78.90
10.	मुर्गियां	294.12	257.06	250.00	197.86
11.	सुअर	100.41	95.59	70.33	88.77
	योग	3277.08	4526.08	8112.50	4532.53

सारणी संख्या - 82

परिवारों की पशु सम्पत्तियों का महत्व

(कुल पशु सम्पत्तियों में प्रतिशत के रूप में)

क्रम सं0	पशु सम्पत्तियों का विवरण	प्रथम आय वर्ग 4000 रू0 से कम	द्वितीय आयवर्ग 4000से 8000 रू0 तक	तृतीय आयवर्ग 8000रू0 से अधिक	सभी आय वर्ग
1.	कृषि कार्य में प्रयुक्त				
	बैल	22.78	18.20	18.03	19.43
2.	दूधारू गायें	42.20	47.59	38.01	43.77
3.	गायें	6.24	8.88	19.31	10.68
4.	बच्चे	7.59	9.12	6.31	8.02
5.	दुधारू भैसें	3.16	2.86	8.06	4.20
6.	बिना दुधारू भैसें	1.60	1.56	2.62	1.83
7.	भैंस के बच्चों	1.53	1.70	1.60	1.63
8.	बकरियां	2.74	1.52	1.02	1.74
9.	भेड़ें	8.98	5.68	3.08	5.96
10.	मुर्गियां	2.10	2.79	1.91	2.44
11.	सुअर	1.08	0.10	0.5	0.30
	कुल योग	100.00	100.00	100.00	100.00

सारणी संख्या - 83

परिवारों में प्रति व्यक्ति पशुधन का मूल्य

(रूपये में)

क्रम सं0	पशुधन का विवरण	प्रथम आय वर्ग 4000 रू0 तक	द्वितीय आयवर्ग 4000से 8000 रू0 तक	तृतीय आयवर्ग 8000रू0 से से अधिक	सभी आय वर्ग
1.	कृषि में प्रयुक्त बैल	136.64	128.68	201.72	143.17
2.	दुधारू गाय	253.78	336.58	425.29	322.59
3.	गाय (बिना दूध देती)	37.50	62.78	216.09	78.68
4.	पशु बच्चे	45.66	64.53	70.63	59.09
5.	दुधारू भैसें	18.96	20.22	90.23	30.98
6.	भैंसें	9.61	11.03	29.32	13.47
7.	बच्चे	9.22	12.04	17.93	12.02
8.	बकरियां	16.50	10.77	11.44	12.83
9.	भेड़ें	53.97	40.17	34.48	43.96
10.	मुर्गियां	21.84	16.03	7.09	14.98
11.	सुअर	12.07	4.37	-	5.48
	कुल योग	601.30	707.20	1118.97	737.00

यद्यपि विभिन्न आय वर्ग के परिवारों के आकार में अन्तर है, प्रति व्यक्ति पशुधन का मूल्य प्रति परिवार के पशु धन के मूल्य की भांति आय स्तर से धनात्मक रूप से सम्बन्धित है। प्रति व्यक्ति विभिन्न पशुधन के मूल्य में वही प्रवृत्ति है, जो पशुधन के प्रति परिवार के मूल्य में पायी गयी है, जिसे सारणी संख्या - 83 में स्पष्ट किया गया है।

कृषि सम्पत्तियां

अध्ययन में शामिल अधिकांश महिलायें पिछड़े व अनुसूचित जाति वर्ग परिवार की हैं, जिन्हें गरीबी की रेखा पर या उससे नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों में शामिल किया जाता है, जिनके पास आधारभूत साधन या भूमि की मात्रा थोड़ी है, जिससे स्वाभाविक है कि कुल सम्पत्तियों में कृषि से सम्बन्धित सम्पत्तियों का हिस्सा भी थोड़ा ही होगा और वह भी परिवारों के आय स्तर के साथ प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है। परिवारों के कृषि सम्पत्तियों के औसत मूल्य को सारणी संख्या - 84 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 84 में परिवारों में कृषि सम्पत्तियों के औसत मूल्य को स्पष्ट किया गया है। सभी परिवारों पर सम्मिलित रूप से विचार करने पर एक परिवार के पास 1835.39 रूपये के कृषि यंत्र सम्बन्धी सम्पत्तियां आती हैं। विभिन्न आय वर्गों में परिवारों को विभाजित करने पर यह स्पष्ट होता है कि आय स्तर बढ़ने के साथ कृषि सम्पत्तियों के मूलय में वृद्धि होती गयी है। उच्चतम श्रेणी आय वर्ग में 3700 रूपये के मूल्य के कृषि सम्पत्तियां हैं, जबकि मध्यम आय वर्ग के परिवारों में 1740 रूपये तथा निम्न आय वर्ग के परिवारों में कृषि सम्पत्तियों का औसत मूलय 1296 रूपये मात्र है।

विभिन्न प्रकार के कृषि सम्पत्तियों में पम्पिंग सेट का सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कुल कृषि सम्पत्तियों में पम्पिंग सेट का हिस्सा 32.72 प्रतिशत रहा

सारणी संख्या - 84

प्रति परिवार कृषि सम्पत्तियों का औसत मूल्य

(रूपये में)

क्रम सं0	कृषि सम्पत्तियां	प्रथम आयवर्ग वर्ग 4000 रू0 तक	द्वितीय आयवर्ग 4000 से 8000 रू0 तक	तृतीय आयगर्व 8000रू0 से से अधिक	सभी आय वर्ग
1.	कृषि भवन (सिंचाई के साधनों के लगाने के लिए बनाये गये)	22.06	20.58	317.92	61.47
2.	बिजली के ट्यूबवेल	25.00	158.81	225.00	116.38
3.	पम्पसेट	-	517.65	1150.00	600.56
4.	कुएं	5.88	88.24	-	44.63
5.	बैलगाड़ी	222.21	348.23	897.29	374.35
6.	साइकिल	82.50	110.00	220.83	114.46
7.	लोहे/लकड़ी के हल, जुआं, पटेला और सीड ड्रिल	75.48	97.83	148.33	96.08
8.	छोटे दवाई यंत्र	52.21	81.17	225.00	89.55
9.	चारा काटने की मशीन	117.65	125.33	197.50	132.18
10.	कुल्हाड़ी, हसिया, फावड़ा	51.83	56.43	67.64	56.18
11.	अन्य यंत्र	123.99	141.43	250.43	149.55
	योग	1296.46	1739.80	3700.85	1835.99

सारणी संख्या - 85

परिवारों के कृषि सम्पत्तियों में विभिन्न सम्पत्तियों का महत्व

(प्रतिशत में)

क्रम सं0	कृषि सम्पतितयां	प्रथम आयवर्ग 4000रू0तक	द्वितीय आयवर्ग 4000 से 8000 तक	तृतीय आयवर्ग 8000रू0 से अधिक	सभी परिवार वर्ग
1.	सिंचाई के साधनों को लगाने के लिए भवन	1.70	1.18	8.59	3.35
2.	बिजली के ट्यूबवेल	1.93	9.13	6.08	6.34
3.	पम्प सेअ	39.93	29.42	31.07	32.72
4.	कुएं	0.45	5.07	-	2.43
5.	वैलगाड़ी	17.14	20.02	24.26	20.40
6.	साइकिल	6.36	6.32	5.97	6.24
7.	लोहे/लकड़ी के हल, जुआं, पटेला और सीड ड्रिल	5.82	5.62	4.03	5.23
8.	छोटे दवाई यंत्र	4.03	4.67	6.08	4.88
9.	चारा काटने की मशीन	9.08	7.20	5.34	7.20
10.	कुल्हाड़ी, हसिया, फावडा	4.00	3.24	1.83	3.06
11.	अन्य यंत्र	9.56	8.13	6.77	8.15
	कुल योग	100.00	100.00	100.00	100.00

है। विभिन्न आय वर्ग में यह प्रतिशत 29.42 और 39.93 के बीच रहा है। इसके बाद इन परिवारों में दूसरी सम्पत्ति बैलगाड़ी रही है। विभिन्न आय वर्ग के परिवारों में बैलगाड़ी का हिस्सा आय बढ़ने के साथ-साथ बढ़ता गया है। इसी प्रकार अन्य सम्पत्तियां जिसमें विभिन्न प्रकार की कृषि सम्पत्तियां शामिल हैं, उनका तीसरा स्थान है। यह विभिन्न आय स्तर के परिवारों से विलोम रूप से सम्बन्धित है। इसके पश्चात चारा काटने की मशीनें तथा बिजली के ट्यूबवेलों का स्थान है। विभिन्न प्रकार की कृषि सम्पत्तियों और विभिन्न आय स्तर के परिवारों के साथ इनका ढांचा अलग-अलग रहा है। प्रथम व दूसरी महत्वपूर्ण सम्पत्तियां (पम्प सेट तथा बैलगाड़ी) का ढांचा विभिन्न आय वर्ग के साथ सामान्य रहा है। विद्युत ट्यूबवेल, अन्य सम्पत्तियां और चारा काटने की मशीनों का स्थान मध्यम आय वर्ग के परिवारों में तीसरा, चौथा और पांचवां रहा है। उच्च आय वर्ग के परिवारों में सिंचाई के साधनों को लगाने के लिए कृषि भवन, अन्य सम्पत्तियां और विद्युत ट्यूबवेल तीसरें चौथे और पांचवें स्थान पर रहे हैं, जिसे सारणी संख्या - 85 में स्पष्ट किया गया है।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि पम्पसेट तथा बैलगाड़ी कुल कृषि सम्पत्तियों में सबसे अधिक महत्व पूर्ण है। उच्च आय वर्ग के परिवारों में सिंचाई के साधनों को लगाने के लिए कृषि भवन का निर्माण और फसल साफ करने के मशीनों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है।

यद्यपि विभिन्न आय वर्ग के परिवारों के आकार में महत्वपूर्ण अन्तर है, और कृषि सम्पत्तियों के प्रति व्यक्ति मूलय उच्च आय वर्ग के परिवारों में सापेक्षिक रूप से अधिक रहा है, जैसा कि सारणी संख्या - 86 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 86

परिवारों में कृषि परिसम्पत्तियों का प्रति व्यक्ति

अनुमानित मूल्य (रूपये में)

क्रम सं0	कृषि सम्पतितयां	प्रथ्म आयवर्ग 4000रू0 तक	द्वितीय आयवर्ग 4000से 8000 तक	तृतीय आयवर्ग 8000 रू0से अधिक	सभी परिवार वर्ग
1.	सिंचाई के साधनों को स्थापित करने के लिए भवन निर्माण	4.05	3.22	43.85	10.00
2.	बिजली के ट्यूबवेल	4.59	24.81	31.03	18.92
3.	पम्प सेट	1514	79.96	158.63	97.65
4.	कुएं	1.08	13.79	-	7.26
5.	बैलगाड़ी	40.77	54.40	123.85	60.87
6.	साइकिल	94.98	17.19	30.46	18.62
7.	लोहे/लकड़ी के हल, हुंआ, पटेला और सीड ड्रिल	13.85	15.29	20.46	15.62
8.	छोटे दवाई यंत्र	9.58	12.68	31.03	14.56
9.	चाराकाटने की मशीन	21.59	19.58	27.24	21.49
10.	कुल्हाड़ी, फावड़ा, हसिया	9.50	8.82	9.33	9.13
11.	अन्य यंत्र	22.75	22.10	34.58	24.32
	कुल योग	237.88	271.84	510.46	298.44

परिवारों के दायित्व

विभिन्न ग्रामीण महिला परिवारों की आय व उपभोग व्यय के विश्लेषण में यह पाया गया[1] कि उनकी आय उपभोग व्यय की तुलना में कम रही है। यह बात सभी आय वर्ग के परिवारों के बारे में लागू होती है। परिणामस्वरूप सभी आय वर्ग के परिवार अपने उपभोग तथा उत्पादन कार्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण लेते हैं। इसके अतिरिक्त इन परिवारों द्वारा गृह निर्माण और घरों में बड़ी मरम्मत के कार्य के लिए तथा पुराने ऋणों की अदायगी के लिए भी ऋण लेते हैं। इन परिवारों का सम्पत्ति-दायित्व अनुपात 1:0.16 रहा है। विभिन्न आय वर्गों में परिवारों के विभाजन के पश्चात यह स्पष्ट हुआ कि सम्पत्ति दायित्व अनुपात तथा आय स्तर में विलोम सम्बन्ध पाया गया। निम्न आय वर्ग के परिवारों में सम्पत्ति-दायित्व अनुपात 1:0.23 मध्यम आय वर्ग परिवारों का 1:0.15 तथा उच्च आय वर्ग परिवारों का 1:0.11 आता है। इन परिवारों के ऋण की स्थिति पर विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रति परिवार 3192.39 रूपये का ऋण है और यह ऋण की मात्रा परिवारों के आय स्तर बढ़ने के साथ-साथ यह बढ़ती गयी है। निम्न आय वर्ग के परिवारों में ऋण की मात्रा कम रही है और उच्चतम आय वर्ग के परिवारों में ऋण की मात्रा अधिकतम प्रति परिवार 930.75 रूपये रही है। उत्पादन कार्य के लिए लिये गये ऋण की मात्रा आय स्तर बढ़ने के साथ-साथ बढ़ती गयी है। न्यूनतम आय वर्ग के परिवारों द्वारा उत्पादन कार्य के लिए लिये गये ऋण की मात्रा 615.47 रूपये, मध्यम आय वर्ग पर 103.88 रूपये तथा अधिकतम आय वर्ग पर 1469.38 रूपये रही है। दूसरा क्रम उपभोक्ता वस्तुओं को क्रय करने के लिए लिया गया ऋण है, जो मध्यम आय वर्ग के लोगों ने सबसे अधिक 432.94 रूपये प्रति परिवार रहा है। निम्न आय वर्ग के परिवारों पर 276.10 रूपये प्रति परिवार ऋण रहा है। सभी परिवारों पर 339.97 रूपये का ऋण उपभोक्ता वस्तुओं के क्रय के लिए प्राप्त किया गया है। पुराने ऋण की अदायगी के लिए मुख्यतया न्यून

---

1. अध्याय में पृष्ठ

आय वर्ग द्वारा प्रति परिवार 111.03 रूपये तथा अधिकतम आय वर्ग द्वारा 125.00 रूपये का ऋण किया गया था, मध्यम आय वर्ग के परिवार द्वारा कोई भी रकम पुराने ऋण की अदायगी के लिए नहीं ली गयी।

विभिन्न परिवारों द्वारा लिये गये ऋणों में उनका वर्गीकरण उद्देश्यों के अनुसार करने पर यह स्पष्ट होता है कि परिवारों पर लगा हुआ, पुराना ऋण दायित्व में सबसे अधिक रहा है। कुल दायित्व का 57.79 प्रतिशत पुराने ऋणों का बकाया ही रहा है। न्यूनतम आय वर्ग के परिवारों पर बकाया ऋण कुल दायित्वों का सबसे अधिक भाग 70.62 प्रतिशत रहा है। पुराने बकाया ऋणों का कुल दायित्व में मध्यम व उच्च आय वर्ग के परिवारों में प्रतिशत 50 से कम रहा है। यद्यपि की सर्वेक्षण में बकाया ऋण किस या किन उद्देश्यों के लिए लिया गया था, इसके बारे में जानकारी नहीं की गयी, बल्कि वर्तमान में जो ऋण लिये गये हैं, वे किस उद्देश्य के लिए प्राप्त किये गये हैं, इसकी जानकारी की गयी। चालू ऋणों में उत्पादन कार्यों के लिए प्राप्त ऋणों का अनुपात सबसे अधिक रहा है। समस्त परिवारों में उत्पादक ऋण 29.15 प्रतिशत प्रति परिवार कुल ऋण का भाग रहा है। उत्पादक कार्यों के लिए प्राप्त ऋण का अनुपात आय स्तर बढ़ने के साथ-साथ बढ़ता गया है। उपभोक्ता वस्तुओं के क्रय के लिए प्राप्त ऋण की प्रवृत्ति अलग ही रही है। उपभोक्ता ऋणों का सबसे अधिक उपयोग मध्यम आय वर्ग के परिवारों द्वारा किया गया जो कुल ऋण का 15.08 प्रतिशत रहा है, जबकि न्यून आय वर्ग तथा उच्च आय वर्ग के परिवारों में इस प्रकार के ऋण का प्रतिशत क्रमशः 7.97 व 5.38 क्रमशः रहा है। गृह निर्माण तथा पुराने ऋणों के भुगतान के लिए लिये गये ऋण का अनुपात बहुत कम रहा है। इस स्थिति को सारणी संख्या 87 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या - 88 से यह स्पष्ट है कि विभिन्न आय वर्ग के परिवारों द्वारा सबसे अधिक ऋण उत्पादन कार्य के लिए लिया गया है। वर्तमान ऋण के

सारणी संख्या - 87

महिला परिवारों के दायित्व की स्थिति प्रति परिवार

(रूपये में)

क्रम सं0	विवरण	प्रथम आयवर्ग 4000रू0तक	द्वितीय आयवर्ग 4000रू0से तक	तृतीय आयवर्ग 8000रू0 से अधिक	सभी परिवार
1.	परिवारों पर पुराना लागू ऋघ	2445.91	1382.92	1779.16	1844.98
2.	चालू ऋण				
क.	उत्पादन कार्य	615.47	1030.88	1469.38	930.75
ख.	गृह निर्माण, मरम्मत तथा नये कमरे का निर्माण	15.07	23.53	-	17.09
ग.	उपभोक्ता वस्तुएं खरीदने के लिए	276.10	432.94	191.67	339.97
घ.	पुराने ऋण की अदायगी	111.03	-	125.00	59.60
	योग	3464.59	2870.17	3565.21	3192.39

अतिरिक्त सभी आय वर्ग के परिवारों पर पुराना ऋण बकाया के रूप में लगा हुआ है इस प्रकार के ऋण की मात्रा सभी परिवारों पर 1844.98 रूपये और न्यून आय वर्ग पर पुराना ऋण सबसे अधिक 2445.91 रूपये रही है । मध्यम आय वर्ग के परिवारों पर यह सबसे कम 1382.92 रूपये रही है । चालू ऋणों में उत्पादन के कार्य के लिये लिए गये ऋण की मात्रा

सारणी संख्या 88 परिवारों के दायित्वों की स्थिति (प्रतिशत में)

विवरण	प्रथम आय वर्ग 4000 रूपये तक	द्वितीय आय वर्ग 4000 से 8000रू. तक	तृतीय आय वर्ग 8000 रू.से अधिक	सभी आय वर्ग परिवार
1. बकाया ऋण	70.62	48.18	49.90	57.79
2. चालू ऋण				
क) उत्पादक कार्य	17.77	35.92	41.21	29.15
ख) गृह निर्माण व मरम्मत	0.44	0.82	-	0.54
ग) उपभोक्ता वस्तुओं का क्रय	7.97	15.08	5.38	10.65
घ) पुराने ऋण की अदायगी	3.20	-	3.51	1.87
योग	100.00	100.00	100.00	100.00

विभिन्न आय वर्ग के परिवारों में परिवार का आकार अलग अलग रहा है अतः इन परिवारों के प्रति व्यक्ति दायित्व की तुलना करना अधिक उपयुक्त है । प्रति व्यक्ति दायित्व की स्थिति को सारणी संख्या 88 में स्पष्ट किया गया है । सभी परिवारों पर एक साथ विचार करने पर ओसतन प्रति व्यक्ति ऋण 519 रूपये का था जो निम्न आय वर्ग के परिवारों पर 636 रूपये मध्यम आय वर्ग पर 492 रूपये तथा निम्न आय वर्ग के परिवारों पर 449 रूपये आता है । विभिन्न प्रकार के ऋण दायित्वों में प्रति व्यक्ति बकाया ऋण सभी परिवारों में 300 रूपये प्रति व्यक्ति रहा है । विभिन्न आय वर्गों में जैसे जैसे आय स्तर के बढ़ने पर विचार किया जाता है प्रति व्यक्ति बकाया

ऋण की धनराशि क्रमशः कम होती गयी है। मध्यम आय वर्ग, न्यून आय वर्ग के परिवारों में बकाया ऋण का दायित्व 448.79 रूपया प्रति व्यक्ति रहा है, जो मध्यम आय वर्ग के 216.06 रूपये तथा उच्चतम आय वर्ग में 245.40 रूपये प्रति व्यक्ति हो गया है। इसी प्रकार चालू ऋण प्रति व्यक्ति औसतन 151.34 रूपये रहा है। आय वर्ग बढ़ने के साथ-साथ यह रकम बढ़ती गयी है। न्यून आय वर्ग के परिवारों में प्रति व्यक्ति चालू ऋण 112.93 रूपये, मध्यम आय वर्ग में 161.08 रूपये तथा उच्चतम आय वर्ग के परिवारों में 202.67 रूपये हो गया है। चालू ऋणों में सबसे अधिक ऋण उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिए प्राप्त किये गये थे। सभी परिवारों में प्रति व्यक्ति उपभोक्ता वस्तुओं का ऋण 55.28 रूपये था, जो निम्न आय वर्ग में 50.66 रूपये, मध्यम आय वर्ग में बढ़कर 67.65 रूपये तथा उच्चतम आय वर्ग में कम होकर 26.44 रूपये हो गया है। पुराने ऋणों की अदायगी में न्यून आय वर्ग द्वारा अन्य आय वर्गों के परिवारों की तुलना में अधिक ऋण लिया गया था। न्यून आय वर्ग के परिवारों में 20.37 रूपये प्रति व्यक्ति ऋण पुराने ऋण की अदायगी के लिए लिया गया था।

कुल परिवारों में ऋणी परिवारों के अनुपात को कुल परिवारों के प्रतिशत के रूप में सारणी संख्या 69 में स्पष्ट किया गया है, सिसे स्पष्ट है कि सभी परिवारों में से लगभग 88 प्रतिशत परिवारण ऋण ग्रस्त हैं। ऋणी परिवारों का अनुपात और विभिन्न आय स्तर में ऋणात्मक सह सम्बन्ध है। निम्न आय वर्ग परिवारों का लगभग 90 प्रतिशत तथा मध्यम आय वर्ग में 87 प्रतिशत तथा उच्चतम आय वर्ग क 83 प्रतिशत परिवार ऋण ग्रस्त हैं। कुल परिवारों में से 47.46 प्रतिशत परिवारों पर बकाया ऋण था। विभिन्न आय वर्गों में यह अनुपात न्यून आय वर्ग के परिवारों में 54.41 प्रतिशत मध्यम आय वर्ग में 42.35 तथा उच्च आय वर्ग में 45.83 प्रतिशत रहा है। लगभग 28 प्रतिशत परिवारों द्वारा उपभोग के लिए ऋण लिया था। उपभोग उद्देश्य के लिए सबसे अधिक ऋण न्यून आय वर्ग के परिवारों द्वारा (30.88 प्रतिशत) इसके बाद मध्यम आय वर्ग परिवारों द्वारा (29.41 प्रतिशत) तथा सबसे कम उच्च आय वर्ग के परिवारों द्वारा (12.50 प्रतिशत) लिया

गया था। सिका अर्थ यह है कि निम्न आय वर्ग के परिवारों द्वारा उपभोग व्यय को पूरा करने के लिए धनी व्यक्तियों की तुलना में अधिक ऋण पर निर्भर रहना होता है।

सारणी संख्या - 89

ऋणी परिवारों का कुल परिवारों में अनुपात (प्रतिशत में)

क्रम सं0	विवरण	प्रथम आयवर्ग 4000रू0तक	द्वितीय आयवर्ग 4000से 8000 रूपये तक	तृतीय आयवर्ग 8000रू0 से अधिक	सभी आय वर्ग के परिवारों में प्रतिशत
1.	कुल ऋणी परिवार	89.71	87.06	83.33	87.57
2.	बकाया ऋण	54.41	42.35	45.83	47.46
3.	चालू ऋण				
क.	उत्पादक कार्यों के लिए	48.53	63.53	70.83	58.76
ख.	गृह निर्माण व मरम्मत	1.47	1.18	-	1.13
ग.	उपभोग उद्देश्य	30.88	29.41	12.50	27.68
घ.	पुराने ऋण की अदायगी	2.94	-	417	1.69

यदि ऋण प्राप्त करने वाली संस्थाओं पर विचार किया ाय और उनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले ब्याज की दर पर विचार किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि 62.58 प्रतिशत परिवारों द्वारा महाजनों से ऋण प्राप्त किया गया था। 25.16 प्रतिशत परिवारों द्वारा गांव की सहकारी समिति तथा 9.68 प्रतिशत राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा 2.58 प्रतिशत परिवारों द्वारा भू-स्वामियों से ऋण प्राप्त किया गया था। जैसे-जैसे आय वर्ग में बढ़ते क्रम में विचार किया जाता है, महाजनों द्वारा लिया गया ऋण के परिवारों का अनुपात क्रमशः कम होता जाता है। पर सहकारी समिति से प्राप्त

ऋणी परिवारों का अनुपात बढ़ता जाता है। इसी प्रकार राष्ट्रीयक्रत बैंकों द्वारा उच्च आय वर्ग के परिवारों को ही ऋण दिया गया था। इसलिए उच्च आय वर्ग के परिवारों में 25 प्रतिशत ऋणी परिवार राष्ट्रीयकृत बैंकों के थे।

सारणी संख्या - 90

कुल परिवारों में विभिन्न एजेन्सियों से ऋण प्राप्तकर्ता ऋणी परिवार (प्रतिशत में)

क्रम सं0	विवरण	ब्याज दर %	प्रथम आयवर्ग 4000रू0तक	द्वितीय आयवर्ग 4000से 8000 रूपये तक	तृतीय आयवर्ग 8000रू0 से अधिक	सभी आयवर्ग के परिवारों में प्रतिशत
1.	सहकारी समितियों से प्राप्त ऋण	11से 14%	16.39	27.03	45.00	25.16
2.	महाजन	24 से 60%	81.97	55.41	30.00	62.58
3.	राष्ट्रीयकृत बैंक	3 से 11%	-	13.51	25.00	9.68
4.	भू-स्वामी	12से 14%	1.64	4.05	-	2.58

सारणी संख्या - 90 से यह स्पष्ट है कि अधिकांश गरीब परिवार या न्यून आय स्तर के परिवारों में 81.97 प्रतिशत परिवारों को महाजनों द्वारा ही ऋण प्राप्त हुआ था, जिनके द्वारा 24 से 0 प्रतिशत तक ब्याज की दर ली जाती है। केवल 16.39 प्रतिशत न्यून आय वर्ग के परिवारों को सहकारी समितिसे ऋण प्राप्त हुआ था। मध्यम आय वर्ग के 55 प्रतिशत तथा उच्च आय वर्ग के 30 प्रतिशत परिवारों द्वारा महाजनों से ऋण लिया गया था। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उच्च आय वर्ग के परिवारों को ऋण दिया गया था और 25 प्रतिशत परिवारों को इन बैंकों से ऋण प्राप्त हुआ था। निम्न आय वर्ग के परिवारों को इन बैंकों द्वारा ऋण नहीं दिया गया ।

सारणी संख्या - 90 से यह भी स्पष्ट है कि जैसे - जैसे आय स्तर के बढ़ते हुए क्रम में परिवारों पर विचार किया जाता है, सहकारी समितियों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्राप्त ऋण के परिवारों में वृद्धि होती जाती है और इन संस्थाओं द्वारा ब्याज की दर भी कम ली जाती है। सबसे अधिक ब्याज की दर महाजनों द्वारा ली जाती है। जो 24 से 60 प्रतिशत वार्षिक के बीच रही है। सहकारी समितियों द्वारा 11 से 14 प्रतिशत तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 3 से 11 प्रतिशत ब्याज दर प्राप्त की जाती है।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि कुल परिवारों में 4/5 परिवार ऋणी हैं। परिवारों पर बकाया ऋण का भार परिवारों पर अधिक है। यह अभी भविष्य में चालू ऋणों को देखते हुए कम होने की सम्भावना नहीं है। इन परिवारों की ऋण ग्रस्तता में वृद्धि होगी और उनकी आर्थिक स्थिति इसी प्रकार बनी रहेगी, यदि उनकी अर्थ व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के विशेष प्रयास नहीं किये जाते हैं।

xxx

अध्याय - आठ

सारांश एवं निष्कर्ष

गरीबी उन्मूलन देश के नियोजित आर्थिक विकास का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है । सन् 1970 के दशक के प्रारम्भ से गरीबी उन्मूलन के लिये सरकारी हस्तक्षेप, नामान्वित लक्ष्य कार्यक्रमों तथा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ता रहा है और 1980 के दशक में ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया गया । छठी एवं सातवीं दोनो पंचवर्षीय योजनाओं में सामाजिक न्याय के साथ विकास किये जाने की बात पर जोर दिया गया । ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी सम्बन्धी अनुमानों के आधार पर सन् 1987-88 में 2000 लाख व्यक्ति या ग्रामीण जनसंख्या का लगभग 33 प्रतिशत गरीब थे । आठवीं पंचवर्षीय योजना में (1992-97) में इस बात को पुनः दोहराया गया कि गरीबी उन्मूलन नियोजित विकास का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है । विकास प्रक्रिया के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाना है जिसके लिये ऐसे क्षेत्रों व उप क्षेत्रों में विनियोजन किया जाये जिनमें रोजगार के अवसरों के सृजन की अधिक से अधिक सम्भावनायें हैं और भौगोलिक दृष्टि से उन क्षेत्रों में विनियोजन किया जाये जिनमें विकास कर के रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सकती है , इसके लिये ऐसी उत्पादन तकनीकों और उत्पादों का चुनाव किया जाना चाहिये जो श्रम प्रधान उत्पादन तकनीक द्वारा उत्पादन किया जा सकता है । इस कार्य के लिये ऐसा अनुभव किया गया कि अल्पकालीन दृष्टिकोण से गरीबों और अल्प बेरोजगारों को सरकार द्वारा अतिरिक्त पूरक रोजगार प्रदान किये जा सकते हैं । सन् 1992-93 में गरीबों के आर्थिक सुधारों की जो प्रक्रिया को अपनाया गया उस गरीबी उन्मूलन रणनीति पर गहन अध्ययन की आवश्यकता का अनुभव किया गया।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मानवीय जीवन के विभिन्न पक्षों के विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखकर गरीबों के परिवार के मुखिया को आर्थिक सहायता प्रदान कर के उन्हें आय अर्जित सम्पत्तियों को प्राप्त करने का कार्यक्रम बनाया गया जिनके माध्यम से परिवार को आय प्राप्त

हो सके तथा भविष्य में परिवार के लिये आय प्राप्ति का आधार बना रहे । पुरूषों को आय सृजित सम्पत्तियों के प्राप्त करने का आधार प्रदान करने के साथ - साथ महिलाओं को भी स्वावलम्बी बनाने के लिए भी उन्हें आय अर्जित करने के लायक बनाने का प्रयास किया गया । साथ ही परिवार के युवकों को कुशल श्रमिक या स्वरोजगार चलाने के लिये प्रशिक्षित करने का प्रयास किया गया । एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से विकसित करने के लिए अलग से कार्यक्रम ड्वाकरा (DWACARA) प्रारम्भ किया गया ।

वर्तमान अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं, जिन्हें विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करके स्वावलम्बी बनाने तथा आय अर्जित करने के योग्य बनाने का प्रयास किया गया, के रहन सहन के स्तर का विश्लेषण करना है । उद्देश्य उनके आय के स्रोत, आय स्तर तथा उपभोग के ढांचों का अध्ययन करना रहा है । इसके अतिरिक्त उनके परिवार के सम्पत्तियों एवं दायित्व का विश्लेषण करने के साथ साथ उनकी आर्थिक सामाजिक दशाओं का भी अध्ययन करना रहा है । ग्रामीण महिलाओं के उनके परिवारों से उनके आय स्तर तथा उपभोग स्तर के सम्बन्ध को भी ज्ञात करने का प्रयास किया गया है । महिलाओं को उनके द्वारा किये जाने वाले व्यवसायों में कार्यक्रम द्वारा कुछ सुधार, नये व्यवसायों को अपनाने की प्रवृत्ति, व्यवसाय से प्राप्त आय व व्यवसाय के वर्तमान स्थिति पर विचार किया गया है ।

सैम्पुल डिजाइन व अध्ययन विधि : वर्तमान अध्ययन का क्षेत्र झांसी जनपद निर्धारित किया गया । जनपद आठ विकास खण्डों में विभाजित है पर ग्रामीण महिला विकास कार्यक्रम वर्तमान में चार विकास खण्डों में लागू है,यह मऊरानीपुर, चिरगाँव, बबीना तथा बंगरा में लागू है । इन विकास खण्डों में सन् 1996 के अन्त में कुल लाभान्वित ग्रामीण महिला परिवारों में सैम्पुल के आधार पर इनका चुनाव किया गया अध्ययन में कई स्तरों पर सैम्पलिंग का सहारा लिया गया । प्रथम स्तर पर विकास खण्डों में लाभान्वित ग्रामीण महिला परिवारों की संख्या का विकास स्तर पर चुनाव कुल लाभान्वित महिला परिवारों के अनुपात के आधार पर किया गया ।

विकास खण्ड स्तर पर चयनित महिला परिवारों में विभिन्न व्यवसायों में प्राप्त प्रशिक्षण तथा आर्थिक सहायता के परिवारों का विभाजन व्यवसाय के आधार पर कर के विभिन्न व्यवसाय की महिलाओं की संख्या की अपर्याप्तता के कारण उनका चुनाव व्यवसायों के आधार पर किया गया ।

आंकड़ों का संग्रहीकरण : ग्रामीण महिलाओं के जीवन के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित सूचनायें एकत्र करने के लिए एक विस्तृत प्रश्नावली बनाई गई प्रश्नावली का परीक्षण करने के लिये एक अग्रगामी सर्वेक्षण किया गया जिसके पूरा होने पर प्रश्नावली में छोटे छोटे आवश्यक परिवर्तन किये गये ।

प्रश्नावली के आधार पर उन व्यवसायों से सम्बन्धित महिलाओं से उनके जीवन के विभिन्न पक्षों के के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर के प्रश्नावली को पूरा किया गया । उसी के आधार पर ग्रामीण महिला परिवारों से सम्बन्धित सूचनाएं एकत्र की गई ।

आंकड़ों का विश्लेषण चारों विकास खाण्डों से ग्रामीण महिला परिवारों की आय विभिन्न आय वर्गों में विभाजित कर के किया गया । अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष निम्न प्रकार रहे हैं :-

अध्ययन में चुनी गयी ग्रामीण महिलायें 84 प्रतिशत सामान्य जाति वर्ग, 43.4 प्रतिशत पिछड़ी जाति वर्ग तथा 48.2 प्रतिशत महिलायें अनुसूचित जाति वर्ग की रही हैं । इनके परिवारों का आकार अलग-अलग रहा है । लगभग 44.4 प्रतिशत परिवारों में 6 से 10 सदस्य 5 प्रतिशत परिवारों के 11 से 15 सदस्य तथा 2.8 प्रतिशत परिवारों में एक सदस्य वाले परिवार रहे हैं ।

यद्यपि कृषि क्षेत्र में बड़े परिवारों की मांग होती है पर अध्ययन में शामिल महिलाओं के परिवारों में बड़े परिवारों के जोखिम उठाने के लिये लोग तैयार नहीं दिखे क्योंकि इनके अधिकांश परिवार भूमि हीन मजदूर रहे हैं । लगभग 47.1 प्रतिशत अनुसूचित जाति के महिलाओं के परिवार छोटे रहे हैं । इसी प्रकार 47.3 प्रतिशत पिछड़ी जाति के महिलाओं के परिवारों के सदस्यों की संख्या 6 से 10 सदस्यों की रही है ।

लिंग के अनुसार परिवारों के विभाजन से यह स्पष्ट हुआ कि प्रत्येक वर्ग की महिला परिवारों में एक से ले कर चार पुरूष और स्त्रियां रही हैं । 24.2 प्रतिशत पिछड़ी जाति तथा 24.3 प्रतिशत अनुसूचित जाति के परिवारों में दो पुरूष व दो स्त्रियों का अनुपात रहा है । इसी प्रकार 22.6 तथा 23 प्रतिशत परिवारों में 3 पुरूष व 3 स्त्रियों का अनुपात रहा है परिवार के ढांचे में 48 प्रतिशत परिवारों में एक से दो सदस्य 6 वर्ष या उससे कम उम्र वाले तथा 38.8 प्रतिशत परिवारों में इस उम्र के सदस्य नहीं रहे हैं । लगभग सभी परिवारों में 6 से अधिक बच्चे इस उम्र वर्ग के नहीं है। 48.3 प्रतिशत परिवारों में 7 से 10 वर्ष उम्र वाले सदस्य नहीं थे, शोध 49.6 प्रतिशत पविारों में इस उम्र वर्ग के एक से दो सदस्य रहे हैं। इसी प्रकार 11 से 15 वर्ष के उम्र वाले सदस्य 54.2 प्रतिशत परिवारों में नहीं रहे हैं। शेष 43.3 प्रतिशत परिवारों में एक से दो सदस्य इस उम्र वर्ग के थे। औसतन 54.6 प्रतिशत परिवारों में 16 से 20 वर्ष उम्र के सदस्य नहीं पाये गये। इन परिवारों के सम्बन्ध में एक विशेष बात यह है कि अभी भी 11 से 20 वर्ष के उम्र वाली लड़कियो का विवाह करके परिवार से अलग कर दिया जाता है। इसी कारण से 11 से 20 वर्ष के उम्र वर्ग के सदस्यों की संख्या परिवारों में कम ही है। जबकि 60 प्रतिशत परिवारों में 21 से 30 वर्ष के प्रौढ़ों की संख्या एक या दो सदस्यों की रही है। इससे अधिक उम्र के सदस्यों की संख्या 56 प्रतिशत परिवारों में एक से दो सदस्य रहे हैं। इन परिवारों की जनसंख्या में बच्चों एवं प्रौढ़ों की संख्या अधिक रही है।

शैक्षिक स्तर के दृष्टिकोण से 5.2 प्रतिशत परिवार अशिक्षित तथा 2 से 7 प्रतिशत परिवारों में 1 से 8 सदस्य अशिक्षित पाये गये। 31 प्रतिशत परिवारों में एक या उससे अधिक सदस्य प्राथमिक या प्रौढ़ शिक्षा प्राप्त था। लगभग 69 प्रतिशत परिवारों को लागू नहीं होता? कें अन्तर्गत विभाजित किया गया जिनमें स्कूल जाने वाले उम्र के अलग के बच्चे शामिल किए गये। लगभग 41 प्रतिशत परिवारों में एक से पांच सदस्य प्राथमिक या प्रौढ़ शिक्षा प्राप्त थे। 20 प्रतिशत परिवारों में माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त सदस्य पाये गये। 17 प्रतिशत परिवारों में माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त सदस्य पाये गये।

आवासीय दशाओं के दृष्टिकोण से 86.3 प्रतिशत परिवारों के पास अपने निजी मकान थे, 8.5 प्रतिशत किराये के मकान तथा 5.2 प्रतिशत परिवार भू-स्वामियों द्वारा दिये गये मकानों में रहते हैं, जो बिना किराया दिये रह रहे हैं। घरों के बनावट के सम्बन्ध में 47.4 प्रतिशत परिवारों के घर फूस के छाजन वाले थे। इनमें से 78.6 प्रतिशत घर अनुसूचित जाति के थे। लगभग 14.8 प्रतिशत परिवारों के घरों की दिवाल मिट्टी की तथा छत देशी खपरैल की रही है। मकानों का औसत आकार 7 से 12 वर्ग गज का रहा है। इन मकानों में अधिकांश मकान 15 वर्ष के पूर्व के नहीं रहे हैं। लगभग 70 प्रतिशत मकान 20 वर्ष पूर्व बनाये गये थे। इन मकानों में अधिकांश आधुनिक सुविधाओं का अभाव रहा है, केवल 51 प्रतिशत परिवारों में स्नान के लिए सुविधायें अलग से प्राप्त हैं। लगभग 91.7 प्रतिशत परिवारों में शौचालय की सुविधा नहीं है।

आर्थिक स्थिति

ग्रामीण परिवारों के सभी वर्गों की आय लगभग समान रही है। सभी महिलायें कृषि श्रमिक परिवारों या भूमिहीन परिवारों की रही हैं। इसलिए उनके आय का प्रमुख स्रोत कृषि क्षेत्र से प्राप्त मजदूरी रहा है। एक परिवार द्वारा औसतन 229.36 रूपये की आय कृषि क्षेत्र से मजदूरी आधारित श्रम से प्राप्त हुयी है। मध्यम आय वर्ग परिवारों में प्रति परिवार 244.30 रूपये तथा उच्च आय वर्ग में 202.50 रूपये रही है। जबकि न्यूनतम आय वर्ग के परिवारों में कृषि क्षेत्र में मजदूरी आधारित श्रम से प्राप्त आय औसतन 220.15 रूपये की रही है। इसी प्रकार गैर कृषि क्षेत्र में मजदूरी आधारित श्रम द्वारा औसतन प्रति परिवार 321.47 रूपये रही है। विभिन्न आय वर्गों में विभाजित परिवारों में न्यून आयवर्ग परिवार के गैर कृषि क्षेत्र के मजदूरी आधारित श्रम द्वारा 223.97 रूपये, मध्यम आय वर्ग परिवारों को औसतन 281.377 रूपये तथा उच्च आय वर्ग परिवारों को औसतन 738.33 रूपये प्राप्त हुए थे। आय के विभिन्न स्रोतों का विभाजन करने पर मजदूरी से कुल आय का 41.16

प्रतिशत आय प्राप्त हुआ था, जिसमें 24.57 प्रतिशत कृषि क्षेत्र तथा 16.59 भाग गैर कृषि क्षेत्र के मजदूरी आधारित श्रम से प्राप्त हुआ था। निम्न आय वर्ग के परिवारों की आय में मजदूरी पर आधारित श्रम से कुल आय कर 53.88 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ था, जिसमें 27.29 प्रतिशत कृषि क्षेत्र तथा 26.59 प्रतिशत गैर कृषि क्षेत्र की मजदूरी से प्राप्त हुआ था। मध्यम आय वर्ग में कुल आय का 43.90 प्रतिशत भाग मजदूरी से तथा उच्च आय वर्ग के परिवारों में मजदूरी से कुल आय कर 35.97 प्रतिशत हिस्सा ही प्राप्त हुआ था। इस प्रकार इन परिवारों के आय का प्रमुख स्रोत मजदूरी आधारित रोजगार रहा है। अपनी आय में वृद्धि के लिए मुख्य व्यवसाय के साथ-साथ दूसरे भी कार्य करते हैं, जेसे डेरी का कार्य, जूते बनाने का कार्य तथा अन्य कार्य बहुत ही छोटे पैमाने पर किये जाते हैं। कृषि से प्राप्त होने वाली आय, जो मजदूरी के रूप में प्राप्त की जाती है, उसमें गुणात्मक अन्तर है। उच्च आय वर्ग के परिवारों द्वारा एक अधिक मात्रा में प्राप्त आय स्थायी श्रमिक के रूप में प्राप्त करते हैं। अन्य आय वर्गों (मध्यम व निम्न आय वर्ग) के परिवारों द्वारा कृषि मजदूरी की प्राप्ति एक आकस्मिक श्रमिक के रूप में प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि परिवारों की आय में वृद्धि परिवार के आकार में वृद्धि के साथ हुयी है। प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। सामान्य रूप से एक परिवार में की औसत प्रति व्यक्ति आय 816.78 रूपये मात्र रही हैं। विभिन्न आय स्तरों में परिवारों के विभाजन के आधार पर उच्च आय वर्ग के परिवारों में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 1334 रूपये, मध्यम आय वर्ग में 850.13 रूपये तथा न्यून आय वर्ग परिवारों में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 554.02 रूपये रही है। कृषि एवं गैर क्षेत्र के मजदूरी स्तर पर विचार कने पर यह स्पष्ट होता है कि कृषि क्षेत्र में मजदूरी से प्राप्त प्रति व्यक्ति औसत आय 37.29 रूपये में और गैर कृषि क्षेत्र के मजदूरी आधारित रोजगार है, 52.28 रूपये की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हुयी है। विभिन्न आय वर्ग के परिवारों में यह विलोम प्रवृत्ति स्पष्ट करता है। कृषि क्षेत्र से प्राप्त प्रति व्यक्ति आय निम्न आय वर्ग के परिवारों में 40.39 रूपये, मकान आय वर्ग के परिवारों में 38.17 रूपये तथा उच्च आय वर्ग के परिवारों द्वारा कृषि क्षेत्र से 27.93 रूपये प्रति व्यक्ति आय

प्राप्त की गयी है। इसी प्रकार गैर कृषि क्षेत्र से उच्च आय वर्ग के परिवारों के द्वारा अधिकतम प्रति व्यक्ति आय 101.84 रूपये रही है। मध्यम आय वर्ग के परिवारों द्वारा गैर कृषि मजदूरी आधारित रोजगार से प्राप्त प्रति व्यक्ति आय केवल 41.02 तथा निम्न आय वर्ग द्वारा भी यही आय प्राप्त की गयी है जो 41.10 रूपये प्रति व्यक्ति आय रही है।

सामान्य रूप से ग्रामीण महिला परिवारों के उपभोग को ढांचा एक सा रहा है। इन परिवारों द्वारा अपनी आय का एक बड़ा भाग खाद्यान्नों, कपड़े, चीनी तथा खाण्डसारी पर व्यय किया जाता है। विभिन्न आय वर्गों के उपभोग व्यय कैसे विभिन्न मदों के सापेक्षिक महत्व में अन्तर रहा है। औसतन एक परिवार का वार्षिक उपभोग व्यय 6385 रूपया रहा है। उच्च आय वर्ग के परिवारों का प्रति परिवार उपभोग व्यय 9888 रूपये वार्षिक रहा है, जो मध्यम व निम्न आय वर्ग के परिवारों का वार्षिक उपभोग व्यय 6448.64 रूपये तथा 5069 रूपये रहा है। उपभोग के विभिन्न मदों के महत्व के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है। चालू उपभोग पर व्यय आय का 89.38 प्रतिशत रहा है। इन परिवारों द्वारा विभिन्न सेवाओं पर एक छोटा हिस्सा, कुल उपभोग का केवल 6.17 प्रतिशत ही व्यय किया जाता है। विभिन्न आय वर्गों के परिवारों में भी यही प्रतिशतरहा है। सेवाओं के व्यय में शिक्षा तथा मनोरंजन पर किया जाने वाला व्यय बहुत ही कम है। चालू उपभोग व्यय में खाद्यान्नों पर कुल उपभोग का 23.74 प्रतिशत चीनी व खांडसारी पर 13.58 प्रतिशत, कपड़े पर 14.01 प्रतिशत रहा है। प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय की लगभग परिवार के व्यय के उपभोग के ही समान रहा है। प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय का स्तर आय स्तर से बढ़ता गया है। सामान्य रूप से एक परिवार का प्रति व्यक्ति चालू उपभोग व्यय 246.51 रूपये मात्र रहा है। निम्न आय वर्ग के परिवारों में प्रति व्यक्ति उपभोग 226.08 रूपये तथा उच्च आय वर्ग का 311.29 रूपये रहा है। प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में भी आय स्तर बढ़ने के साथ-साथ बढ़ने की प्रवृत्ति है। उपभोग व्यय के आधार पर उपभोग की औसत उपभोग प्रवृत्ति 1.27 रही है। विभिन्न आय वर्ग की उपभोग की ओसत प्रवृत्ति एक से अधिक

रही है। निम्न आय वर्ग की औसत प्रवृत्ति सबसे अधिक 1.68 रही है और उच्च आय वर्ग की उपभोग की औसत प्रवृत्ति 1.07 रही है। उपभोग की ऊंची औसत प्रवृत्ति का अधिक होना एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता कही जाती है तथा यह इस बात को स्पष्ट करता है कि परिवारों को प्राप्त होने वाली आय उनके उपभोग व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जबकि उपभोग व्यय में अधिकांश व्यय खाद्यान्नों पर किया जाता है। इस स्थिति में टिकाऊ वस्तुओं पर किये गये व्यय के लिए अधिक अवसर नहीं शेष बचता है। इन परिवारों का औसत प्रति व्यक्ति व्यय 20.70 रूपये मात्र रहा है। उच्च आय वर्ग का प्रति व्यक्ति टिकाऊ वस्तुओं पर किया गया उपभोग व्यय मात्र 22.17 रूपये रहा है। मध्यम आय वर्ग के परिवारों का टिकाऊ वस्तुओं पर किया गया व्यय उच्च आय वर्ग की तुलना में अधिक रहा है।

ग्रामीण परिवारों की परिसम्पत्तियों का मूल्य 19488 रूपये रहा है। परिसम्पत्ति का मूल्य आय स्तर के बढ़ने के साथ-साथ बढ़ता गया है। विभिन्न प्रकार की सम्पत्तियों में घरेलू सम्पत्तियां सबसे अधिक, इसके पश्चात पशु सम्पत्तियां, जिनका मूल्य प्रति परिवार 4532 रूपये रहा है, तीसरे स्थान पर कृषि सम्पत्तियां रही हैं। घरेलू टिकाऊ सम्पत्तियों में मकान ही प्रमुख है। प्रति परिवार के पास 8980 रूपये औसत मूल्य के आवासीय मकान रहे है, दूसरे स्थान जेवरातों का रहा है। कुल घरेलू परिसम्पत्तियों में आवासीय मकानों का हिस्सा 68.44 प्रतिशत, जेवरातों का 12.03 प्रतिशत, बिस्तर तथा बिछौनों का 64.7 प्रतिशत, और 6.65 प्रतिशत हैण्ड पम्प का स्थान रहा है। पशुसम्पत्तियों का प्रति परिवार औसत मूल्य 4533 रूपये का रहा है, जिनमें दूध देने वाली गायों का स्थान प्रथम है, जो कुल पशु सम्पत्तियों का 43.77 प्रतिशत और दूसरे स्थान पर कृषि कार्य में प्रयोग होने वाले बैलों का 19.43 प्रतिशत रहा है। कृषि सम्पत्तियों का प्रति परिवार औसत मूल्य 183539 रूपये का रहा है, जिसमें सबसे अधिक महत्व पम्पिंग सेटों का है, जो कुल कृषि सम्पत्तियों के मूल्य का 32.72 प्रतिशत रहा है। बैलगाड़ी का क्रम

दूसरा, जो कृषि सम्पत्तियों के मूल्य का 20.40 प्रतिशत रहा है। कृषि सम्पत्तियों का प्रति व्यक्ति औसत मूल्य 298 रूपये का था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण वस्तु बैलगाड़ी रही हैं।

जहां तक परिवारों पर दायित्व का प्रश्न है, इन परिवारों में प्रति परिवार 3192 रूपये का ऋण प्रति परिवार लगा हुआ है। कुल दायित्व में पुराना लगा हुआ ऋण का दायित्व कुल दायित्व का 57.79 प्रतिशत रहा है, जो न्यूनतम आय वर्ग के परिवारों के कुल दायित्व का 70.62 प्रतिशत रहा है। वर्तमान लिए गये ऋणों में यह बात पायी गयी थी कि प्रति परिवारों के वर्तमान ऋणों में 29.5 प्रतिशत ऋण उत्पादक कार्यों के लिए गये हैं, जिसका अर्थ है कि अभी भी 70 प्रतिशत ऋण उपभोग उद्‌देश्यों के लिए किये जा रहे हैं। उत्पादक ऋण अधिकांशतः उच्च आय वर्ग के परिवारों द्वारा लिया जा रहा है और उपभोक्ता ऋण अधिकांशतः मध्यम आय वर्ग के परिवारों द्वारा लिया जा रहा है। कुल परिवारों में 88 प्रतिशत परिवार ऋण ग्रस्त हैं। निम्न आय वर्ग के 90 प्रतिशत तथा उच्च आय वर्ग के 83 प्रतिशत परिवार ऋणी हैं। इन परिवारों द्वारा लिये जाने वाले ऋणों में अभी भी महाजनों द्वारा लिये गये ऋणों का महत्वपूर्ण स्थान है। परिवारों द्वारा 62.58 प्रतिशत ऋण महाजनों द्वारा ही प्राप्त किया जा रहा है। इस प्रकार कुल परिवारों का 4/5 भाग ऋण ग्रस्त है। इस ऋण में भविष्य में बढ़ने का अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि इन परिवारों की आय उपभोग व्यय की तुलना में कम रही है, जब तक इनके आय स्तर में अधिक तीव्रता से वृद्धि नहीं की जाती है तब तक ऋण ग्रस्तता समाप्त नहीं हो सकती है।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के आर्थिक-सामाजिक जीवन में सुधार के लिए जो भी कार्यक्रम चलाये गये हैं, उनका प्रभाव आंशिक तथा अल्पकालीन रहे हैं और जिन परिवारों के कल्याण के लिए कार्यक्रम चलाये जाते हैं, उनको इसके लाभ नहीं मिल पा रहे हैं तथा उनकी आर्थिक दशायें लगभग समान बनी हुयी है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र से बेरोजगार और गरीबी की समस्या

हल होने की आशा बहुत ही कम प्रतीत होती है। इसीलिए अर्थशास्त्री गरीबी उन्मूलन के लिए पुर्नविचार का प्रश्न उठाने लगे हैं। इस सम्बन्ध में विकास के सिद्धान्तों के प्रवर्तकों में लिबस्टीन (Leibenstein) तथा नेलशन के विचारों से सहमति व्यक्त करते हुए यह कहा जा सकता है कि अल्पविकसित देश या उसमें रहने वाले परिवार 'न्यून आय स्तर संतुलन जाल' में फंसे हैं। इन्हें इस स्थिति से निकालने के लिए एक 'न्यूनतम स्तर के प्रयास' की आवश्यकता है, पर इसके लिए रोजेनस्टीन 'रोडान के बड़े धक्के' का सिद्धान्त सबसे उपयुक्त माना जा सकता है और इन परिवारों को गरीबी के जाल से निकालने में एक बड़ी मात्रा में विनियोग के साथ-साथ कुशल प्रशासन की भी आवश्यकता के महत्व को व्यक्त किया जा सकता है।

XXX

परिशिष्ठ - एक

सर्वेक्षण के लिये प्रयुक्त प्रश्नावली

(क) सामान्य :

-----

(1) विकास खण्ड ---------------- गाँव का नाम ---------

विकास खण्ड कार्यालय से दूरी ------------- पक्की सड़क से दूरी

---------------- ।

(2) गाँव में स्कूल स्तर -------------- (क) पोस्ट आफिस -----------

सहकारी समिति -------------- बैंक की दूरी ----------

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम व दूरी ------------------

(ख) जनांकीय :

(3) नाम ----------------- पति का नाम -------------

(4) परिवार के मुखिया का नाम ----------------- मुखिया से

सम्बन्धा------------------ जाति -----------------

परिवार के सदस्यों का विवरण :-

क्रम संख्या	लिंग	उम्र	शिक्षा स्तर

5. परिवार में अर्जित करने वाले सदस्यों की संख्या --------- तथा उनका

विवरण :-

1.	नाम	कार्य	मजदूरी की दर

6. परिवार में आय अर्जित करने वाली महिला सदस्यों की संख्याा :–

नाम कार्य मजदूरी

7. विवाहित सदस्यों की संख्या ------------ तथा विवरण :-

नाम उम्र लिंग बच्चों की संख्या उम्र

8. परिवार के सदस्यों का शिक्षा स्तर :-

नाम सदस्य उम्र लिंग शिक्षा का स्तर

(ग) आवास सम्बन्धी दशायें:-

9. घर अपना/किराये/बिना किराये का:-------------------------

10. घर प्राप्ति का स्रोत --

11. घर के लिये भूमि की प्राप्ति --------------------------------

12. निर्माण का वर्ष : --------------------------------

13. घर की स्थिति : गाँव के बीच/गाँव के बाहर/अलग कालोनी

बिखरे हुए --

14. घर के प्रकार : पक्का/कच्चा/दोनो मिला हुआ/मिट्टी की दीवाल और छत/पत्थर की दिवाल व छत/फूस का छाजन/अन्य ------------------------

15. घर का क्षेत्रफल --

16. कमरों की संख्या ------------- आकार -------------------

17. घर में प्राप्त स्थान तथा सुविधायें -----------------------------

(क) कमरों की संख्या (ख) स्नानघर (ग) शौचालय (घ) भोजनालय (च) अन्य --

----

18. घर का वर्तमान मूल्य ---------------------------------------

19. पशुओं के रहने की व्यवस्था : ------------------------------

साथ/अलग/मिली जुली/अन्य --------------------------------

20. पानी प्राप्त करने के श्रोत - सार्वजनिक कुंए/निजी कुंए/सरकारी हैण्ड पम्प/व्यक्तिगत हैण्ड पम्प/नदिया/तालाब/नहर/अन्य ----------------------------

21. घर निर्माण के लिए प्राप्त आर्थिक सहायता :

(क) सरकार से ------------ (ख) बैंकों से ----------------

(ग) भूमि स्वामियों से --------- (घ) अन्य श्रोतों से -------------

(घ) आय के श्रोत :

1. कृषि से प्राप्त आय — रकम

(क) माल व सामानों की लागत

(ख) श्रम की मजदूरी

(ग) भूमि का लगान

(घ) कृषि व्यवसाय से आय

2. गैर कृषि आय :

(क) पशुपालन

(ख) मुर्गीपालन

(ग) कृषि में मजदूरी

(घ) वेतन

(च) अन्य आय

(छ) गैर कृषि क्षेत्र की मजदूरी

22. परिवार में आय अर्जित करने वाले सदस्यों का विवरण :

(च) उपभोक्ता ढांचा :

23. खाद्यान्नों का प्रयोग — साप्ताहिक मात्रा — मासिक मात्रा

(क) गेहूं,

(ख) चावल

(ग) मक्का

(घ) ज्वार

(च) बाजरा

(छ) दालें

24. चटनी व मसाले :

25. फल एवं सब्जियां

26. दूध व उससे बने पदार्थ :

27. खाद्य तेल

28. चीनी, गुड़, खाण्डसारी

29. गोश्त व अण्डे

30. चाय

31. अचार

32. बिस्कुट, मिठाइयां

33. नशे की वस्तुएं

34. ईंधन तथा प्रकाश

35. कपड़े

36. जूते व चप्पल

37. कपड़े धोने व शौचालय के सामान

(छ) टिकाऊ वस्तुएं :

38. गृह निर्माण / मरम्मत/नये कमरों का निर्माण

39. रेडियो, ट्राजिस्टर, टी. वी.

40. घड़िया

41. विद्युत पंखे व उपकरण :

42. सिलाईमशीन

43. चारपाई

44. गद्दे

45. कम्बल/रजाई

46. बर्तन

47. लकड़ी/लोहे के बक्से

48. हैण्डलूम

(ज) सेवायें :

(क) शिक्षा

(ख) स्वास्थ्य रक्षा

(ग) साईकिल

(घ) मनोरंजन

(झ) विवाह/अन्य सामाजिक उत्सव :

49. पारिवारिक परि सम्पत्तियाँ :

(क) आवासीय मकान

(ख) रेडियो/ट्रांजिस्टर

(ग) घड़ियां

(घ) बिजली पंखे

(च) सिलाई मशीन

(छ) चारपाई

(ज) बिस्तर

(झ) फर्नीचर

(ण) बर्तन

(त) नकद/बैंक जमा

(थ) गहने व जेवरात

(द) लकड़ी/लोहे के बक्से

(न) हेण्ड पम्प

(प) हेण्ड लूम

(फ) अन्य सम्पत्तियां

50. पशु धन :

(क) कृषि कार्य के बैल

(ख) दूध देने वाली गायें :

(ग) बिना दूध वाली गायें

(घ) गाय के बच्चे

(च) दुधारु भैंसें

(छ) बिना दूध देने वाली भैंसें

(ज) भैंस के बच्चे

(ण) बकरियाँ

(त) सुअर

(थ) भैंड़ें

51. **कृषि सम्पत्तियाँ:**

(क) कृषि फार्म में घर का निर्माण सिंचाई के साधनों को लगाने के लिए

(ख) बिजली के ट्यूबवेल , पम्पसेट

(ग) कुंए

(घ) बैलगाड़ी

(च) साईकिल

(छ) लकड़ी व लोहे के हल , जुआ/बीज बोने का यंत्र

(ज) छोटे दवाई के यंत्र

(झ) चारा काटने की मशीन

(ण) कुल्हाड़ी/फावड़ा आदि

(त) अन्य कृषि यंत्र

52. दायित्व :

(क) पुराना बकाया ऋण

(ख) चालू ऋण

(ग) उत्पादन कार्य

(घ) गृह निर्माण तथा मरम्मत

(च) उपभोक्ता वस्तुयें खरीदने के लिये

(छ) पुराने ऋण की अदायगी के लिये

53. **ऋण के स्रोत**

(क) सहकारी समिति

(ख) महाजन

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंक

(घ) भू स्वामी

(च) अन्य

54. **विविध :**

(क) आपको योजना के बारे में जानकारी कैसे हुयी

(ख) आपको योजना में क्या सहायता दी गई

(ग) आपको योजना से क्या लाभ हुआ

(घ) आप योजना को अधिक उपयोगी बनाने के लिए क्या सुझाव देना चाहेगी ।

B I B L I O G R A P H Y

Aggarwal, B.K. "Socio-Economic Development of Weaker Sections: A comparative of Farmers and Agricultural Labourers in the Rural Punjab," a Ph.D. thesis, Punjab Agricultural University, Ludhiana, 1980.

Aggarwal, B.K. and A. K. Gupta "Socio-Economic Disparities and Social Tension in Rural Punjab," Social Change, Vol. 11, No. 1, March 1981.

Aggarwal, P.C. "Impact of Green Revolution on Landless Labour, "Economic and Political Weekly, Vol. VI, No. 47, 20 Nov. 1971.

Aggarwal, P.C. The Green Revolution and Rural Labour A Study in Ludhiana, Shri Ram Centre for Industrial Relations and Hukan Resources (New Delhi, 1973).

Azad, N.S. "Small Peasantry in Punjab - An Analysis of production Conditions," a Ph.D. thesis, Punjabi University, Patiala, 1981.

Bagechi, B. and K. Sain. "Minimum Wages for Agricultural Labourers in West Bengal. " Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. XXIX, No. 3, July-Sept. 1974.

Bal, H.S. and Gurbachan Singh. "Pattern of Income Distribution in Rural India, "Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. 25, No. 3, Conference Number, July-Sept., 1970.

Bardhan, K. Factors Affecting Wage Rates for Agricultural Labour," Economic and Political Weekly, Vol. 8, No. 26, 30 June, 1973.

Bardhan , P . "Green Revolution and Agricultural Labourers " Economic and Poltical Weekly , Vol . V . Nos . 9, 30 and 31 , Special Number , July 1970 .

Bhalla , G . S . Changing Agrarian Structure in Indian : A Study of the Imact of Green Revolution In Haryana , Meenakshi Prakashan ,(Meerut -Delhi1974).

Bhalla , G. S. and . K . Chadda . Structural Changes in Income Distribution : AStudy of the Imact of Green Revolution in Punjab, "Jawaharlal Nehru University ,Unpublished Report (New Delhi , 1981) .

Bhalla , S . " Real Wages Rate of Agriculture Labourers In Punjab 1961- 1977 ", Economic and Political Weekly, Vil . XIV NO. 26 , 30 June 1979 .

Bhatti , I. Z . " Inequality and Poverty in Rural India , " Sakhya , Vol . 36 , Series C 1974 .

Billings , H . M. Arjun Singh . " Mechanisation and the Wheat Revolution : Effects of Female Labour in Punjab," Economic and Political Weekly , Vol .V , 52 , 26 December 1970 .

Chattopadhyay , M . " Some Aspects of Employment and Unemployment In Agriculture " , Economic and Political Weekly , Vol . XII , No . 39 , 24 Sept 1977 .

Chattopadhyay , M , " Agriculture Labourers of Birbhum" , Indian Journal of Agriculture Economics , Vol 32, No . 3 July - Sept . 1979 .

Chaudhari, Pramit, The Indian Economy : Poverty and Development, Vikas Publishing House Pvt. ltd. (New Delhi, 1979).

Chawdhury, B. K. "Disparity in Income in context of HYV," Economic and Political Weeky. Vol. V. No. 39, 26 Sept. 1970.

Dandekar, V. M. Foreword in M. L. Dantwala (ed.), Seminar on Problems of Small Farmers, Examiners Press, Bombay, 1968.

Dandekekar, V. M. and Nilakantha Rath. Poverty in India, Indian School of Political Economy (Pune, 1971).

Dantwala, M. L. Poverty in India then and Now, Macmillan Company of India (Delhi, 1973).

Das Gupta, A. K. (ed.), Analysis, Evaluation and Assessment of Poverty, National Council of Applied Economic Research (New Delhi, 1981).

Duesenbury, J. S. Income Savings and the Theory of Consumer Behaviour, Oxford University Press (New York, 1967).

Dwivedi, d. N., Economic Concentration and Poverty in India, Datta Book Centre (Delhi, 1974).

Foneseca, A. J. (Ed.), Challenge of Poverty in India, Vikas Publications (Delhi, 1972).

Galgalikar, V. D. et. al, "Pattern of Income Distribution, Savings and Expenditure in Rural Areas," "Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. XXV, No. 3, July-Sept. 1977.

Ganguli, B. N. and D. B. Gupta, Levels of Living in India, s. Chand and Company Ltd. (New Delhi, 1976).

Garg J.S. et al "Impact of High Yielding Varieties of Crops on Patterns of Income Distribution", Indian Journal of Agricultural Economics, vol. XXV, No. 3, Conference Number, July-Sept. 1970.

Garg, J.S. et al. Impact of Modern Technology on Rural Unemployment" Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. 27, No. 4, Oct.-Dec. 1972.

Garg, J.S. and H. L. Srivastava, "Income Savings and Investment in the Context of Modern Farm Technology", Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. XXVII, No. 4, Oct. Dec. 1972.

Government of India, Agricultural Situation in India, Sept. 1980, New Delhi.

Government of India. Report of the National Commission on Agriculture, Part XV (New Delhi, 1976).

Government of India. Statistical Abstract of India, New Delhi for various years.

Grewal, S. S. and H.S. Bal "Impact of Green Revolution on Agricultural Wages in the Punjab", Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. 39, No. 3, July-Sept. 1974.

Grover, D. K. and K. N. Rai. "Effects of the Agricultural Revolution on the Agricultural and Industrial Labour in Haryana." Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. 29, No. 3, July-Sept. 1974.

Grover, D. K. and K. N. Rai. "Effects of the Agricultural Revolution on the Agricultural and Industrial Labour in Haryana". Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. 29, No. 3, July-Sept. 1974.

Gupta, D.B. Consumtion Patterns in India, Tata McGraw Hills Publishing Company Limited (Bombay, 1973).

Herdt, R.W. and E.A. Baker. "Agricultural Wages, Production and the High Yielding Varieties, "Economic and Political Weekly, Vol. VII, No. 3, 25 March 1972.

International Labour Organisation, Employment Expansion in Indian Agriculture, (Bangkok, 1979).

Jindal, B.R. "A studyof the Nature of Rural Poverty in the Wake of Agricultural Development in Punjab", a Ph.D. Thesis, Punjab Agricultural University, Ludhiana, 1979.

Johar, R.S. and O.P. Sharma. "Agricultural Labour : A socio-economic survey" Indian Journal of Labour Economics. Vol. XXI, No. 3, Oct. 1978.

Jose, A. V. "Real Wages, Employment and Income of Agricultural Labourers", Economic and Political Weekly, Vol. XII. No. 12, 25 March 1978.

Joshi, P.C. "Agrarian Strucure and the Rural Poor", Social Change Vol. No. 4, 1974.

Kahlon, A. S. et al. "Savings and Investment Patterns of Farm Families in Punjab, "Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. XXVII, No. 4, Oct. Dec. 1972.

Kalirajan, K. "Benefits from the High Yielding Varieties Programme and their Distribution in an Irrigated paddy Area", Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. XXXV, No. 3, July-Sept. 1980.

Kaul, J. L. and S. S. Kahlon, Problems of Marginal Farmers and Agricultural Labourers in Hoshiarpur District of Punjab. a report published by Punjab Agricultural University (Ludhiana 1971).

Khaund, H.P. "Changes in Income Distribution Pattern and their significance in a Society in Transition", Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. 25, Conference Number, 1972.

Kulkarni, Sumati. "Demographic Aspects of the Problem Poverty and Inequality, " Social Change, Vol. 11, No. 1, 1981.

Lal, Depak. " Agricultural Growth, Real Wages and the Rural Poor in India", Economic and Political Weekly, Vol. VI, No. 26, 26 June 1976.

Laxminarayan, H. "Changing Conditions of Agricultural Labourers " Economic and Political Weekly, Vol. XII, No. 43, 22 oct. 1977.

Lenin, V. I. The Development of Capitalism in Russia, Progress Publishers (Moscow, 1977).

Minhas, B.S. "Rural Poverty, Land Redistribution and Development", Indian Economic Review, Vol. 5, 1971.

Minhas,, B.S. and T. N. Srinivasan. "New Agricultural Strategy Analysed " Yojna, 21 January 1966.

Murlidharan, M.A. et al. "An Analysis of Nutrition Levels of Faremrs in eastern Uttar Pradesh", Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. XXXII, 1977.

Nayyar, R. "Wages of Agricultural Labourers in Uttar Pradesh", Economic and political Weekly, Vol. XI, No. 45, 6 Nov. 1976.

Nandlal, D.S. "Pattern of Income, Investment and Savings of Demonstration Farms in Haryana," Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. 27, Conference Number, 1972.

Pandey, S. M. Development of Marginal Farmers and Agricultural Labourers, Shri Ram Centre for Industrial Relations and Human Resources (New Delhi, 1974).

Pandey, S. M. (ed.) Rural Labour in India, Shri Ram Centre for Industrial Relations and Human Resources (New Delhi, 1976).

Pawar, J.R. and V. K. Gyakward. "Wages, Employment and Incomes of Small Farmers in Maharashtra, " Indian Jornal of Agricultural Economics, Vol. XXIX No. 3, July-Sept. 1974.

Panikar, P.G.K. "Employment, Income and Food Intake among Selected Agricultural Labour Households," Economic and Political Weekly, Vol. XII, Nos. 31, 32 and 33, Special Number, August, 1978.

Pradhan, H. P. "Employment and Income in Rural India,'. Economic and Political Weekly Vol. VII, No. 18, 29 April 1972.

Prasad. Kamta (ed.). Decision Making and Delivery System in the Context of the Problem of Poverty, National Council of Applied Economic Research (New Delhi, 1981).

Punjab Agricultural University An Analysis of Income and Expenditure Pattern of Punjab Farmers, Report, Punjab Agricultural University (Ludhiana, 1980).

Randhawa, M.S. Green Revolution : A Case Study of Punjab. Vikas Publishing House Pvt. Ltd. (Delhi. 1974).

Rao, C.H.H. Technological Change and Distribution of Gains in Indian Agriculture, The Macmillan Company of India Ltd. (Delhi, 1975).

Rao, M.S.A. (ed.). Goals of Social Science Research in India, National Council of Applied Economic Research (New Delhi, 1981).

Rao, V.M. Rural Development and the Village-Perspectives for Planning and Development, Sterling Publishers Pvt. Ltd. (New Delhi, 1980).

Ray, A. "An Aspect of Agricultural Income Distribution Pattern inDynamic Rural Economy," Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. XXV, No. 3, July-Sept. 1970.

Rudra, A. and R. Biswas, "Seasonality of Employment in Agriculture", Economics and Political Weekly, Vol. VIII, No. 39, 29 Sept. 1973.

Sadhu, A. N. and A. Singh. "Agricultural Growth and Farm Employment," Indian Journal of Labour Economics, Vol. XXI, No. 4 (1), Jan. 1979.

Saini, G. R. "Economics of Farm Management," a Ph.D. thesis, University of Delhi, 1973.

Saini, G. R. "Green Revolution and the Distribution of Farm Incomes", Economic and Political Weekly, Vol. XI, No. 13, 27 March, 1976.

Sarma, M.T.R. "Rapporteur's Report on Income Savings and Investment in Agriculture", Indian Journal of Agricultural Economics. Vol. XXVII, No. 4, Oct.-Dec. 1972.

Schulter. M. and W. John Mellor. "New Seeds Varieties & the Small Farmers, "Economic and Political Weekly, Vol. VII, NO. 13, 25 March, 1972.

Sen, A. "Poverty, Inequality and Unemployment, "in T. N. Srinivasan and P. K. Pardhn (ed.) Poverty and Income Distribution in India, Statistical Publishing Society, (Calcutta, 1974).

Sen, A. "Poverty : A Ordinal Approach to Measurement", Econometrica, Vol. 44 No. 2, March 1976.

Senthuraman,S.V. "Seasonal Variations in Unemployment and Wage Rate", Economic and PoliticalWeekly, Vol. VII, No. 24, 10 June, 1972.

Shah, S. L. and R. C. Aggarkar. "Impact of New Technology onthe Levels of Income, Pattern of IncomeDistribution and Savings of Farmers in Central Uttar Pradesh," Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. XXV, No. 3, July Sept. 1970.

Shanin, Teodor (ed.). Peasants and Peasant Societies, Penguin Books Ltd. (Harmondsworth, Middlesex, England, 1971).

Sharma, A. C.et al, "Impact of HighYielding Varieties of Crops on Pattern of Income Distribtuion," Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. 25 No. 3, Conference Number, July-Sept. 1970.

Singh, et. al. "Impact of New Agricultural Technology and Mechanisation on Labour Employment," Indian Journal of AgriculturalEconomics, Vol. XXVII, No. 4 Oct.-Dec. 1972.

Singh, Baldev. "Capital Formation in Haryana Agriculture," a Ph.D. thesis, Kurukshetra University, 1973.

Singh, Charan, India's Economic Policy, Vikas Publishing House Pvt. Ltd. (New Delhi, 1979).

Singh, Gian. "Levels of Living of Landless Workers in Ludhiana District (A Case Study of Three villages), "M. Phil dissertation, Punjabi University, Patiala, 1980.

Singh, H.K. Manmohan. "Population Pressure and Labour Absorbability in Agriculture and RelatedActivities," Economic and Political Weekly, Vol. XIV, No. 11, 17 March 1979.

Singh, Kartar. "The Impact of New Technology on Agricultural Wage Rates and Employment in I.A.D.P. Districts," Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. XXVII, No. 4, Oct.-Dec. 1972.

Singh, Kartar, "TheImpact of NewTechnology on FarmIncome Distribution in Aligarh District of Uttar Pradesh", Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. XXVIII, No. 2, April-June 1973.

Singh, M. L.and K.K.Singh."Factors Determining Agricultural Wages", Indian Journal of AgriculturalEconomics, Vol. 39, No 3,July-Sept. 1974.

Singh, S. Modernisation of Agriculture : A CaseStudyin Eastern UttarPradesh, Heritage Publishers, New Delhi 1976.

Singh, Satwant.Farmers Organization,the New Age Press. GaushalaRoad, Patiala.

Singh, Surendar. Technological Transformation in Agriculture of Rajasthan Ariana Publishing House (New Delhi 1984).

(A) BOOKS :

Abdullah , Tahunnessa , Zeidenstein Sandra , Rural Women and Development. Achharya , Meena and Lyn Bennel , The Rural Woman of Nepal .

Adeyokunna , Tamulaya , Woman and Rural Development in Africa

Agrawal , A . N . , Indian Agriculture, Delhi , 1981.

Agawal , B. , Women Povety and Agriculture Growth in India.

Ahmad , Z. ,Advancement of Rural Women .

Ahmad , Z. , Rural Women .

Alam ,Sultan and, Carol Wolkowitz, WomenPoverty in Bangladesh.

Allen Sheila , Carol Wolkoitz , Home Working and the Control of Women's Work

Anant , S. , S. V. R. Rao , K. Kapoor , Women at Work in India .

Arora , R. C. , Intergrated Rural Development , S. Chand and Company , New Delhi .

Arizpe , Lourdes , Women in the Informal Labour Sector Arunchalam , Jaya , Credit Needs of Women Workers in the Informal Sector .

Backman , Jules , Wage Determination - An Analysis of Wage Criteria , New York , 1959 .

Balkrishna , R . , Studies in Indian Economic Problems , Banglore , 1959 .

Bandopdhya , Bella , The Value of Women's Daily Chores.

Benargee , Nirmal , Trends in Women Employment .

Bose .S. R . , Economic of Bihar , Calcutta , 1971.

Boserup,E . , Women Role in Economic Development .

Chaudhary, P. C. , Bihar Distric Gazetters , Muunger , 1960 .

Chaudhari , Pramit , The Indian Economy Poverty and Development .

Dandekar , V . M . and Rath , N. k. , Poverty in India , Pune , 1971 .

Dantwala , M . L . , Agriculture in a developing Economy - The Indian Experience , Bombay , 1966 .

Datar , B. N. , Labour Economics , New Delhi , 1968 .

Daniel and Thorner , Alice , Land an labour in India , Bombay , 1965 .

Deshpande , Sudha , I. K . Deshpande, New Economics Policy and Female Employment .

Desai , Neera , Maithrey Krishnaray , Women's and Socity in India.

Epstein , T. S , Women in Development .

Ellickson , Jean , Rural Women .

Fao , Women in Agriculture and Rural Development .

Gupta , S. Das , A . S . Maiti , Rural Energy Crisis Poverty and Womens Role in Five Indian Villages .

Kalpagam , U . , Organization Women in Informal Sector Policies and Practice.Kunniko , Fujita , Women's Workers , State Policy and the Inter National Dvision of labour .

Lewenhak , Sheila , Women's and Work .

Lester , Richard A . , Economics of Labour , New York , 1964 .

Malhotra , V . K . Bihar Minimum Wages Mannual , 1985 , Malhitra , Brothers , Patna .

Memorial, C . B. , Agriculture Problems of India , Allahabad 1960.

Mehta , V. L. , An of Unempoment in Rural India . --A Short Summary of Regional Dev. In South Asia , UNRTSD/69/CLM . Action Plan , 1983-93 , For Removal .

Mukherjee , R . K . , Land Problems of India , London , 1933 .

Myrdal , G . Economin Theory and Under - Developed Regions , New York . , 1956 .

Mhatre , S, S. Brahme ,G. Kelkar Bank Credit to Womens : A Study of Jhanvals or Working Class Lunch Supplires .

Mies , M. , Indian Women in Subsistence and Agriculture Labour Women Work and Development .

Mitra , Ashok , Participationof Women in Socio - Economic Development in Women a n d Development .

--Rich Land and Poor : The Road to Prosparity , New York , Harpur , 1957 .

Nag , Das, Problems of Underdevelopment Economy , Agra, 1962.

Namekar , K . R . and Khandelwala , S. V. , Bhoodan and The Landless , Bombay .

Nanvati , M. Band , B Indian Rural Problems , Bombay , 1970 .

Omvedt , Gail , Women in Rural Revolt in India : Programme in Comparative Culture .

Panini , M. N. , Women Workers in the Unorganised Sector A Study of the Effects of Endustrialisation in India

Prakash, Brahm , Education and Rural Development National, Institute of Education , Delhi , 1984.

Prasad , K . N . , Economics of a Backward Region in a Backward Economy , Calcutta , 1967.

Puri , V .K .and Mishra , S.K., Indian Economy , Bombay, 1983.

Rao , C . Rajeshwar Sen , Problems of Indian's Agrarian Sector, 1970 .

Rohini , P. H. , S. V. Sujata , C. Neelam , Women's Work. , Organisation and Struggle

Rasogi , Sita Ram , Wage Regulation in India -- A Case Study Of Kanpur , Bombay , 1977.

Sahela , Begum , Martin Greely , Women's Employment in Agriculture .

Simmons , Pam , Womens In Development .

Singh , Maninder , the Depressed Classes , Their Economic and Social Problems , Bombay , 1947.

Singh , Baljit , Next Step in Village India .

Sukhatme , P. V. Feeding India's Growing Millions , Bombay , 1965 .

Sahultz , T . W. , The Production and Distribution of Agriculture Chicago , 1981 .

Tax Meredith , The Rising of Women .

Unni , Jemmal , Work Participation of Women in India .

Wahyana , Julian , Women and Technology Change in Rural Industry .

Wingna , P. Raja , Women , Poverty and Access to Credit : Innovatio Approches .

Youssef , N . and Hetler , Rural Houelds Headed By Women :A Priority Concern For Development .

(B) ARTICLES AND JOURNALS

Alexander , W . C . " Emerging Fram Labour Elations Kuttand", Economi and Politial Weekly , Vol. VIII , Bombay , August 25, 1973.

Aulakh , H .S. and Raikhy , P. S. , "Struture Employment and Unorecognised Agricultur labor (A study of Amritstar Distric), Julu - October , 1973 , Produtivity .

Bhalla, G.S., "Agrarian Changes in India since Independence", Essays in honour of Dr. Gyan Chand, New Delhi, 1981.

Bhatt, M.L., Poor Wages and Indebtedness", The Economic Times, Calcutta, 2 August, 1973.

Billings, Martin H. and Singh, Arjan, "Mechanisation and Rural Employment with some Implications for Rural Income Distribution", Economic and Political Weekly, Bombay, June 27, 1970.

Chandolia, R.N., "Problems of Bonded Labour, A Study", Yojana, Vol. XXIII, New Delhi, July 1979.

Das Gupta, Biplab and Roy Laishley, "Migration from Villages", Economic and Political Weekly, Vol. No. 42, Bombay, Oct. 18, 1975.

Garg, J.C. and Prasad, V. "Impact of New Farm Technology on Wages and Employment, A cae study, The Economic Times, Calcutta, jan. 6, 1975.

Gupta, Tirath, "For betterment of Rural Work', The Economic Times, Calcutta, April 10, 1981.

Hanumanta Rao, C. H., "Green Revolution and the Labourers Shares in Output", Agricultural Situation in India, Delhi, Aug. 1971.

Jain C.L., "Assault on Poverty", Yojana, Vol. XXIII, New Delhi, 1979.

Jha, S.M., "Risk and Uncertainties in Indian Farm Economy", Khadi Gramodyog, May, 1982.

Krishna Jee, N., "Wages of Agricultural Labour, "Economic and Political Weekly, Bombay, 1971.

Lal, Deepak, "Agricultural Growth, Real Wages and the Rural Poor in India, "Economic and Political Weekly, June 1976.

Mukherjee, M., "Share of Agricultural Labour in National Income", India's Journal of Industrial Relations, April 4,1974.

Madan, G.S., "Agricultural Labour, A Study in Restrospect Kurukshetra, Vol. XXVIII, New Delhi, March, 1981.

Muthiah, C., "Agricultural labour Problem in Thanjavur and New Agricultural Strategy", Indian Journal of Agricultural Economic, Vol. XXV, No. 2, Bombay, July-September 1970.

Narasimham, P.S., "Labour Problems in Contemporary India", Pacific Affairs, March 1953, quoted in Journal of Farm Economics, Vol. 38, 1956.

Prasad, K.N., "Bihar's Economic Malaise", Essays in honour of Dr. Gyanchand, New Delhi, 1981.

Raj Krishna, "Antyodaya", Yojana, Vol. XXII, New Delhi, 1979.

Rao, V. M., "Agricultural Wages in India, A Reliability Analysis", Indian Journal of Agricultural Economics, Bombay, July, 1972.

Sahni, Bela, "Freeing from Fetters", Youth Times, February 1977.

Sah, S.D., and Singh, L.R., "Impact of New Technology on Rural Employment in North West, U.P." Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. XXV, No. 2, Bombay, July-Sept. 1970.

Sharma, R. N., "Minimum Wages for Agricultural Workers in Bihar," Paper submitted in the Summer Institute Department of Labour and Social Welfare, Patna University, June 13, 1978.

Singh, Surendra, "Abolition of Bonded Labour," Indian Journal of Social Work, Bombay, May 1976.

Tilak, J.B.G., "Education and Agricultural Development in India", Indian Economics Almanac, Oct.-Dec. 1984.

Agricultural Situation in India, New Delhi, July 1966. --- New Delhi, Sept. 1976.

Eastern Economics, New Delhi, 1971,

The Economic Times, Calcutta, Sept 28, 1974.
-- July 15,1975
-- Dec. 25,1975
-- January 31, 1981.

Hindustan Times, Delhi, Dec. 7, 1973.
-- Delhi, May 3, 1976.

Janshakti, Patna, March 20, 1976.

GOVERNMENT PUBLICATIONS :

Government of India, Planning Commission :

The First Five Year Plan of India, New Delhi	1952
The Second " "	1956
The Third " "	1961
The Fourth " "	1969
The Fifth " "	1974-79
The Sixth " "	1980-85

Census of India, 1961, Paper No. 1, New Delhi, 1962.

New Delhi, 1971, Paper of 1971 Supplement, Provisional Popularies Total.

Census of 1971, Bihar.

Census of India, 1981, Series 1, Part IIB(1)

Census of Bihar, 1981.

Census of Munger district, 1981.

Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation, Report on the National Commission on Labour. Civil Lines, Delhi, 1969.

Report of the Royal Commission on Labour, In India, London, 1931.

Government of India, Ministry of Labour, Agricultural Enquiry Report, 1950-51, New Delhi.

Government of India, Ministry of Labour, Second Agricultural Enquiry Report, 1950-51, New Delhi.

Government of India, Ministry of Labour Second Agricultural Labour Enquiry Report, 1955-56, New Delhi.

-- Second Agricultural Labour Enquiry Report (Bihar). Vol. XIV, 1956-57.

-- Agricultural Labour Enquiry Report on Intensive, Survey of Agricultural Labour, Employment, Unemployment, Wages and Levels of Living, Vol. I, All - India, New Delhi, 1954.

Department of Labour and Employment, Government of India, Agricultural Labour in India-A Compendiany of Basic Facts, New Delhi, 1969.

Ministry of Finance Government of India - Report of the Study Group on Wages, Income and Price issued by the Bureau of Public Enterprises, New Delhi-1978.

Government of India, Ministry of Labour and Employment, Rural Urban Migration in India, paper presented at the All India Seminar on Agricultural Labour, New Delhi, 1965.

Government of India, Ministry of Agriculture and Irrigation, The Report of the National Commission on Agriculture, Delhi,1976.

National Sample Survey, 25th Round, No. 134, New Delhi, July 1970, June 1971.

Government of Bihar, The Third Five Year Plan, 1961. Agricultu al Survey of Bihar, Patna, 1969.

-- Agricultural Labour in Bihar, Patna, 1956.
-- Agro-Economic Survey of Bihar, Patna, 1969.
-- Annual Season and Crop Report, Patna, 1955-56, 1961-62, 1966-67.

Government of Bihar, Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Trihes, 1955-57.

Government of Bihar, Planning Development, Draft Annual Plan, 1979-80.

Directorate of Statistical and Evaluation.

Government of Bihar - Bihar Statistical Hand Book, 1978.

-- Bihar Through Figures, 1979.
- Report on Agricultural Census, 1971.
-- Bihar Information, June 1985.

Annual Action Plan, 1984-85 of Integrated Rural Development Programme to Munger District (Bihar), D.R.D.A., Munger (Bihar).

MISCELLANEOUS :

Labour Bureau, Ministry of Labour and Rehabilitation, Government of India, New Delhi.
Pocket Book of Labour Statistics, 1985.

National Council of Applied Economic Research, New Delhi.
-- Techno Economics Survey of Bihar, Bombay, 1959.

Government of India, New Delhi, Economic Survey, 1985.

Chaudhary, D. P., Education and Agricultural Productivity in India, Ph.D. Thesis, University of Delhi.

Sinha, Kamlesh, K., Antyodayen and Development, Study of Scheduled Castes Beneficiagries, Harijan Cell, A. N. Sinha Institute of Social Studies, Patna, 1980.

General Secretary Report of the Second Conference of the Bharatiya Khet Majdoor Union, 1972.

Ram, J. "The working Man", Part II.

Guru, D.D., "S.F.D.A., Purnea, An Evaluations", A.N. Sinha, Institute, Patna, 1978-80.

pandey, M.P., "Land Records and Agrarian Structure in Bihar", A.N. Sinha Institute, Patna, 1980.
Wages, I.L.O. (General), 1967.

I.C.S.S.R., A Survey of Research in Economic, Vol. IV, Agriculture, Part II, New Delhi-1975.

*****